राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२

१ जनवरी, १९७९ से लागू

प्राक्कथन

अभी तक कोयला उद्योग में कार्यरत मजदूरों तथा कर्मचारियों के लिये जो वेतनमान और नौकरी की शर्तें हैं वे भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कोयला उद्योग के केन्द्रीय वेतन मण्डल की शिफारिशों पर आधारित हैं जो १५ अगस्त, १९६७ से लागू किया गया तथा ११ दिसम्बर १९७४ को फिर उसमें राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-१ के अन्तर्गत संशोधन किया गया। वह संशोधन १-१-१९७५ से चार वर्षों के लिये लागू किया गया जिसकी अवधि ३१-१२-१९७८ को समाप्त हुई।

१९७८ के सितम्बर में भारत सरकार इस बात पर राजी हो गई कि केन्द्रीय श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों की राय से कोयला उद्योग के लिये एक द्विदलीय समझौता समिति गठित की जाय।

उस कमिटी को कहा गया कि वह राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता में सुधार और संशोधन करें तथा अन्य सम्बद्ध मामलों पर भी निर्णय दें।

कोयला उद्योग के लिये जो द्विपक्षीय समिति गठित की गई उसमें प्रबन्धकों के दस प्रतिनिधियों के सिवा पाँच श्रम संगठन के दस प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया गया।

श्री कांति मेहता, अध्यक्ष, राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन तथा श्री बिन्देश्वरी दूबे, अध्यक्ष, राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ एवं अन्य नेताओं ने इंटक की ओर से मजदूरों का प्रतिनिधित्व किया।

इस पुनर्गठित द्विपक्षीय समिति की पहली बैठक का उद्घाटन ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग के सचिव तथा कोल इण्डिया लि० के अध्यक्ष श्री एस. सी. वर्मा ने १३-११-१९७८ को किया।

कर्मचारियों की ओर से उनके प्रतिनिधियों ने एक संयुक्त मांग पत्र ५ दिसम्बर १९७८ को दिया। द्विपक्षीय समिति की छठी बैठक १९-२० अप्रील १९७९ को हुई। उसके बाद श्रमिक प्रतिनिधियों ने इस कथन के साथ १८ मई १९७९ से हड़ताल की नोटिस दी कि समझौते के सवाल पर तेजी से विचार नहीं किया जा रहा है।

कोयला उद्योग की स्थायी समिति की सातवीं बैठक तथा साथ ही साथ संयुक्त द्विपक्षीय समिति की बैठक १२ मई, १९७९ से दिल्ली में प्रारम्भ हुई। समझौता वार्त्ता को सम्पन्न कराने में तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री श्री पी. रामचन्द्रन और तत्कालीन श्रम मंत्री श्री रवीन्द्र वर्मा का भी सहयोग प्राप्त हुआ और उन सभी के प्रयास से उन मंत्रियों के सामने १५-१६ मई, १९७९ को समझौते की मुख्य-मुख्य बातें तय हुई जिसके फलस्वरूप समझौते की एक विस्तृत रूप-रेखा तैयार हुई (देखिये परिशिष्ट-१)। समिति ने जून, जुलाई और अगस्त १९७९ में फिर वेतन स्तर, वेतन के ढाँचे तथा नौकरी की शर्तों के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से समझौता करने का प्रयास चालू रखा। जिसका विवरण आगे के पृष्ठों में दिया जा रहा है।

———

समझौता की शर्तें

अध्याय—१

सीमा तथा विस्तार

१.१ यह समझौता उन सभी कैटेगरियों के श्रमिकों पर लागू होगा जो राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-१ (११ दिसम्बर, १९७४) के अधीन आते हैं।

१.२ यह समझौता वेतन स्तर, मंहगाई भत्ता, संशोधित स्केल में फिटमेंट तथा सेवा-शर्तें सम्बन्धी अन्य विषयों, जिनका उल्लेख अगले अध्यायों में किया गया है, तक सीमित रहेगा।

१.४ यह समझौता राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के नाम से जाना जायगा।

अध्याय—२

निम्नतम मजदूरी तथा (मंहगाई) भत्ता

मजदूरी का ब्यौरा :

२.१ कोयला खान उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों का वेतनमान निम्न ब्यौरानुसार होगा :—

(अ) बुनियादी (बेसिक) मजदूरी

(ब) हाजरी बोनस-बुनियादी (बेसिक) मजदूरी का १० प्रतिशत

(स) विशेष भत्ता—हाजरी बोनस पर भविष्यनिधि, मुनाफा बोनस, ग्रैच्युटी, इत्यादि जोड़कर विशेष भत्ता होगा जो हाजरी बोनस का १७.९५ प्रतिशत अथवा बुनियादी मजदूरी के १.७९५ प्रतिशत के हिसाब से जोड़ा जायगा।

(द) निश्चित मंहगाई भत्ता—६८ रु. २० पैसे प्रतिमाह अथवा २ रु. ६२.३ पैसे प्रति दिन।

(य) परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता (भी. डी. ए.)—औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक १९६० को १०० आधार मान कर ३२७ अंकों के ऊपर कम अथवा बेसी जो भी हो, वह प्रत्येक तिमाही में समायोजित किया जायगा।

२.२ **निम्नतम मजदूरी :**

२.२.१ अकुशल कैटेगरी-१ के मजदूर की निम्नतम मजदूरी ३९० रु. प्रति माह जो २६ दिनों के कार्य-दिवस पर आधारित है, अथवा १५ रु. प्रति दिन होगी। १ जनवरी १९७९ को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक ३३३ पर आधारित कुल मजदूरी में बुनियादी मजदूरी ३९० रु., १० प्रतिशत हाजरी बोनस पर मिलनेवाला अन्य लाभ जिसे विशेष भत्ता कहा जायगा, निश्चित मंहगाई भत्ता तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता मिलाकर निम्नतम मजदूरी निम्न प्रकार होगी —

	प्रतिमाह रु. पै.	प्रतिदिन रु. पै.
(अ) निम्नतम बुनियादी (बेसिक) मजदूरी	३९०.००	१५.००
(ब) हाजरी बोनस—बेसिक मजदूरी का दस प्रतिशत	३९.००	१.५०
(स) हाजरी बोनस पर मिलनेवाला अन्य लाभ जिसे विशेष भत्ता कहा जायगा	७.००	०.२६९
(द) निश्चित मंहगाई भत्ता	६८.२०	२.६२३
(य) परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता (भी. डी. ए.)	७.८०	०.३०
कुल	५१२.००	१९.६९२

बुनियादी (बेसिक) मजदूरी का ढाँचा :

२.३.१ विभिन्न कैटेगरी, हुनर तथा दैनिक दर के अधीन, मासिक वेतन-भोगी, एक्सकैवेशन, पीस-रेट के मजदूर तथा आसाम कोलफील्ड के कर्मचारियों के लिये बुनियादी वेतन में सुधार सम्बन्धी समझौते की रूप-रेखा जो १६-५-७९ को सम्पन्न हुआ, जिसका विवरण पहले भी प्रचारित हुआ है तथा उसका विस्तृत ब्यौरा अगले पृष्ठों में मिलेगा। (देखिये परिशिष्ट-२)

हाजरी बोनस :

२.३.२ हाजरी बोनस बुनियादी मजदूरी का १० प्रतिशत प्रत्येक मजदूर को अभी की तरह तीन महीने पर मिला करेगा।

विशेष भत्ता :

२.३.३ अभी तक कोल माइन्स बोनस योजना के अनुसार बुनियादी मजदूरी का १० प्रतिशत हाजरी बोनस के रूप में मिल रहा है, उसके ऊपर भविष्यनिधि, एक्सग्रेसिया तथा ग्रेच्युटी आदि का लाभ नहीं मिलता था, अब यह समझौता हुआ कि अबसे हाजरी बोनस पर अन्य लाभ भी मिलेगा जो निम्नतम स्केल में ७ रु. प्रतिमाह होगा। यह बुनियादी मजदूरी का १.७९५ प्रतिशत होता है वह विशेष भत्ता के रूप में जाना जायगा। यह भी समझौता हुआ कि हाजरी बोनस पर वह सभी लाभ मिलेगा जो मंहगाई भत्ते पर मिलता है।

निश्चित मंहगाई भत्ता (फीक्स डी. ए.) :

२.३.४ एक निश्चित मंहगाई भत्ता होगा जो ६८ रु. २० पैसे प्रतिमाह अथवा २ रु. ६२.३ पैसे प्रतिदिन मिलेगा।

२.३.५ विशेष भत्ता तथा निश्चित मंहगाई भत्ता के अलावा एक परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता (भी. डी. ए.) होगा जो उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक ३२७ के ऊपर कम अथवा अधिक जो भी हो, मिलेगा। यह प्रत्येक तीन महीने पर कम अथवा अधिक जो भी हो, समायोजित होगा।

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता (भी. डी. ए.) :

२.४.१ पतिवर्तनशील मंहगाई भत्ते (भी. डी. ए.) के दर में औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक ३२७

(आधार १९६०=१००) के ऊपर कम-बेशी होने से उसी के अनुसार प्रत्येक तीन महीने पर पुनरीक्षण होगा।

२.४.२ परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता (भी.डी.ए.) का पुनरीक्षण प्रत्येक ३ महीने पर होगा और उसका भुगतान प्रत्येक वर्ष १ मार्च, १ जून, १ सितम्बर तथा १ दिसम्बर से हुआ करेगा। भुगतान के लिये क्रमशः सितम्बर (अक्टूबर-दिसम्बर), मार्च (जनवरी-मार्च), जून (अप्रील-जून) तथा सितम्बर (जूलाई-सितम्बर) तिमाही को आधार माना जायगा।

२.४.३ किसी तिमाही का औसत लेने के लिये औसत में भिन्न अंक को पूर्णाङ्क में बदलने के लिये पूर्णाङ्क में आगे का अंक लिया जायगा जैसे किसी तिमाही का औसत सूचक अङ्क यदि ३३८.३ हो, तो उससे आगे का अङ्क अर्थात् ३३९ को हिसाब में लिया जायगा।

२.४.४ मजदूर प्रतिनिधियों की ओर से जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के अनुसार पूरा-पूरा क्षतिपूर्ति (Neutralisation) देने की मांग की गई। प्रबन्धन की ओर से १ रु ३० पैसे प्रति अङ्क से अधिक देना स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि राष्ट्रीय पैमाने पर यही नियम प्रचलित है और उनके अनुसार कोयला उद्योग भी उन्हीं में से एक है। श्रमिक प्रतिनिधि इस बात पर राजी नहीं हुए तथा वे अपनी इस मांग के लिये दबाव देते रहे। अतः यह तय हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई निष्कर्ष होने तक महगाई भत्ता वर्त्तमान दर १९६० में (१०० को आधार मानकर) चालू रहेगा।

२.४.५ जनवरी और मार्च, १९७९ की तिमाही की सूचकांक के आधार पर जून से अगस्त, १९७९ में मिलनेवाला परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता के लिये सूचक अंक ३३३ से कम होकर ३३१ हो गया।

श्रमिक प्रतिनिधियों ने उक्त अवधि में सूचक अंक में गिरावट की वजह से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता में कटौती नहीं किये जाने पर दबाव डाला।

औद्योगिक सम्बन्ध को बनाए रखने तथा साख का ख्याल रखते हुए प्रबन्धन प्रतिनिधि भी भी. डी. ए. में कटौती नहीं करने तथा विशेष रूप में जून से अगस्त, १९७९ की अवधि में ३३३ अंक से ऊपर भी. डी. ए. का भुगतान करने को राजी हुए।

कोल माइन्स बोनस स्कीम व तत्सम्बन्धी योजनाओं की समाप्ति :

३.१ १९७४ के दिसम्बर में राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता का फैसला होने के समय यह तय हुआ था कि हाजरी बोनस जो बेसिक मजदूरी का १० प्रतिशत होता है वह मजदूरी स्तर का एक अंग होगा और उसके लिये निम्नतम हाजरी की कोई पाबन्दी नहीं रहेगी। यह भी तय हुआ था कि केन्द्रीय सरकार से कोल माइन्स बोनस स्कीम को समाप्त करने के लिये कहा जाय। परन्तु कोल माइन्स बोनस स्कीम को समाप्त किये जाने का प्रयास सफल नहीं हुआ।

३.२ हाजरी बोनस जो सर्वप्रथम कोयला मजदूरों की हाजरी में सुधार के लिये प्रोत्साहन हेतु जोड़ा गया था, उसका सम्बन्ध अब हाजरी की संख्या से नहीं रहेगा। पहले खानगी मालिकों द्वारा मजदूरों को हाजरी बोनस से वंचित करने के लिये जो भ्रष्ट तरीका अपनाया जाता था वह कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बाद समाप्त हो गया। अब जैसा कि हाजरी बोनस पर अन्य लाभ दिये जाने का समझौता हो गया है, यह समझौता हुआ कि प्रबन्धन तथा श्रमिक प्रतिनिधि द्वारा भारत सरकार के पास कोल माइन्स बोनस स्कीम के अनुसार अलग से हाजरी बोनस सम्बन्धी खाता रखे जाने के प्रावधान को समाप्त करने के लिये सम्मिलित प्रयास किया जायगा।

३.३ जब एक बार कोल माइन्स बोनस स्कीम रद्द हो जायगी, बेसिक मजदूरी का १० प्रतिशत हाजरी बोनस के रूप में तिमाही मिलता रहेगा साथ ही हाजरी बोनस पर मिलनेवाले अन्य लाभ भी विशेष भत्ता के बतौर मिला करेगा। इसके बाद १० प्रतिशत हाजरी बोनस के ऊपर फिर से अन्य लाभ नहीं मिलेगा।

अध्याय—४

वेतन ढाँचा तथा संशोधित वेतनमान में फिटमेंट

४.१ १६ मई १९७९ के समझौता के अनुसार निम्नतम मजदूरी पाने वाले मजदूरों की संशोधित मजदूरी १ जनवरी, १९७९ से ५०५ रु. प्रतिमाह होगी जो उपभोक्ता मूल्य सूचक अङ्क ३३३ के आधार पर निम्न प्रकार होगी—

बेसिक मजदूरी/वेतन	३९०.०० रु.	
हाजरी बोनस	३९.०० रु.	
उपभोक्ता मूल्य सूचक अङ्क ३३३ पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता (भी. डी. ए)	७६.०० रु.	
	योग ५०५.०० रु.	
हाजरी बोनस पर मिलने वाला अन्य लाभ	७.०० रु.	इसे विशेष भत्ता माना जायगा तथा विभिन्न वेतनमान के लिये हिसाब करके जोड़ा जायगा।

कुल योग ५१२.०० रु.

४.१.२ कैटेगरी-१ के अकुशल मजदूरों को ३१-१२-१९७८ को कुल निम्नतम मजदूरी ४३८.१० रु. थी जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है—

बेसिक मजदूरी	२६०.०० रु.
निश्चित मंहगाई भत्ता	३९.०० रु.
परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता (भी.डी.ए.)	११३.१० रु.
हाजरी बोनस बेसिक मजदूरी का १० प्रतिशत	२६.०० रु.
कुल ४३८.१० रु. प्रति माह	

४.१.३ जैसा कि पिछले पैरा ४.१ में उल्लेख किया गया है, कैटेगरी-१ के अकुशल मजदूरों की कुल मजदूरी १-१-१९७९ से संशोधित वेतन मान के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक ३३३ पर ५१२ रु. होगी, इस तरह से ७३ रु. ९० पैसे की बढ़ती का प्रावधान किया गया है। ७३ रु. ९० पैसे की यह बढ़ती जो निम्नतम स्तर के अकुशल मजदूरों को दी जायगी वह अन्य सभी श्रमिकों की निम्नतम गारन्टी बढ़ती होगी और यह ३१-१२-१९७८ को प्राप्त कुल मजदूरी में जोड़ दी जायगी।

४.२.१ संशोधित वेतन मान में फिटमेंट के लिये ३१-१२-१९७८ को प्राप्त कुल वेतन (बेसिक मजदूरी, निश्चित मंहगाई भत्ता, भी डी.ए. तथा हाजरी बोनस के सम्मिलित योग) में मासिक वेतन भोगी, श्रमिकों के वेतन में ७३ रु. ९० पैसे अथवा दैनिक दर मजदूरों के मजदूरी में २ रु. ८४ पैसे जोड़कर जो योगफल होगा उसमें से बेसिक मजदूरी, हाजरी बोनस बेसिक मजदूरी का १० प्रतिशत तथा विशेष भत्ता जो हाजरी बोनस का १७.९५ प्रतिशत के हिसाब से होगा, मंहगाई भत्ता तथा भी. डी. ए. को अलग-अलग करके प्रत्येक श्रमिक को संशोधित वेतनमान के तदनुरूप स्तर में फिट किया जायगा। यदि किसी श्रमिक का नया बेसिक वेतन संशोधित वेतनमान के निम्नतम से कम होता है, तो उस श्रमिक को संशोधित वेतनमान का निम्नतम वेतन दिया जायगा। यदि किसी श्रमिक का नया बेसिक संशोधित मजदूरी वेतनमान के दो स्तर के बीच में पड़ेगा तब उसे नये वेतनमान के अगले स्तर में फिट किया जायगा।

४.२.२ किसी श्रमिक के फिटमेंट के लिये नये वेतनमान में फिटमेंट लाभ के साथ कुछ उदाहरण नमूना स्वरूप परिशिष्ट-३ पर दिया जा रहा है।

सालाना बढ़ती का दिन :

४.३.१ सालाना बढ़ती निम्न प्रकार से दी जायगी :—जिन्होंने १-१-१९७९ और २८-२-१९७९ के बीच चालू राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता के अनुसार सालाना बढ़ती पायी है उन्हें संशोधित वेतन स्तर में १ मार्च १९७९ से बढ़ती मिलेगी, उन मामलों में जहाँ पुराने स्केल में बढ़ती मिली है उन्हें ७३ रु. ९० पैसे के निम्नतम लाभ में लिया जायगा। उन मामलों में जहाँ १ मार्च १९७९ अथवा उसके बाद सालाना बढ़ती बकाया हुई है उन्हें १ सितम्बर १९७९ से संशोधित वेतन स्तर में बढ़ती दी जायगी। अगले वर्षों में उनकी बढ़ती क्रमशः १ली मार्च तथा १ली सितम्बर को हुआ करेगी। जिन्हें १ सितम्बर १९७९ और २८ फरवरी १९८० के बीच बढ़ती मिलती है उन्हें १ मार्च १९८० से बढ़ती मिलेगी तथा आगामी वर्षों में उन्हें १ली मार्च को ही बढ़ती दी जायगी।

४.३.२ संशोधित वेतनमान में निम्नलिखित दिनों से सालाना बढ़ती मिलेगी—

जिनको १-१-७९ से २८-२-७९ के बीच बढ़ती मिलती है	१-३-१९७९
जिन्हें १-३-७९ से ३१-८-७९ के बीच बढ़ती मिलती है	१-९-१९७९
जिनको १-९-७९ और २८-२-८० के बीच बढ़ती मिलती है	१-३-१९८०

गत प्राप्त बढ़ती का वर्ष पूरा होने पर आगामी बढ़ती बकाया होगा।

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-१ के अनुसार वर्तमान वेतन, बढ़ती के साथ भुगतान हो जाने पर संशोधित वेतन के साथ इस पैरा में उल्लिखित बढ़ती जो देय होगी, उसका समायोजन किया जायगा।

अध्याय—५

पीस-रेट मजदूरों के लिये कार्यभार :

५.१.१ पीस-रेट मजदूरों की ग्रूपिंग, कार्य-भार तथा कार्य-विवरण उसी प्रकार रहेगा जैसा कि राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता नं० १ में उल्लिखित है।

५.२.१ विभिन्न ग्रूप के पीस रेट मजदूरों की मजदूरी दर आगे के पृष्ठों पर दिया गया है (देखें परिशिष्ट—२)।

५.३.१ **मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के पीस-रेट माइनर्स तथा लोडरों का कार्य-भार तथा मजदूरी दर निम्न प्रकार होगा :—**

	१०० क्यू फीट (सी.एफ.टी.) पर	११८ क्यू फीट पर
वर्तमान दर	१४ रु.	१५ रु.
१ जनवरी १९७९ से दिया जानेवाला संशोधित दर	२१ रु. ३८ पै.	२४ रु. १४ पै.
१ जनवरी १९८२ से मिलनेवाला दर	२२ रु. ८४ पै.	२६ रु. ९५ पै.

५.३.२ बंगाल और बिहार के कोलफील्डों में ८१ सी.एफ.टी. के लिये १८ रु. ५० पैसे को आधार मानकर उपरोक्त दरों में सुधार किया गया है।

५.३.३ यह भी तय हुआ कि मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र कोयलांचल के माइनर और लोडर का वर्तमान कार्य-भार अपरिवर्तित रहेगा।

५.३.४ उल्लिखित तिथियों से १०० प्रतिशत की दर से फॉल-बैक मजदूरी दी जायगी।

५.४.१ पीस-रेट कर्मचारियों के लिये कार्य-भार से अधिक काम पर मिलनेवाला दर :

निर्धारित कार्य-भार से अधिक काम के लिये पीस-रेट के मजदूरों को पीस-रेट का बेसिक, निश्चित मंहगाई भत्ता तथा विशेष भत्ता जोड़कर उनके रेट के अनुपात के अनुसार बढ़ती मजदूरी दी जायगी।

५.५.१ फाल-बैक मजदूरी :

विविध ग्रूप के पीस-रेट मजदूरों की फाल-बैक मजदूरी अगले पृष्ठों पर दी गई है। इसके अलावा वे विशेष भत्ता, निश्चित मंहगाई भत्ता तथा भी.डी.ए. पायेंगे।

५.५.२ पीस-रेट के मजदूरों की कमाई का दैनिक अवलोकन किया जायगा जिससे लीड-लिफ्ट को जोड़कर फाल-बैक मजदूरी के भुगतान को आस्वस्त करेगा। इसमें टब ठेलाई भत्ता नहीं जोड़ा जायगा।

मजदूरों की जिम्मेवारी से परे कारणों से यदि पीस-रेट कर्मचारियों को पोसाई नहीं होगी तो उन्हें फाल-बैक वेतन दिया जायगा। उदाहरणार्थ टब की आपूर्ति नहीं होना अथवा पूरी मात्रा से कम टब की आपूर्ति होना, हॉलेज का ब्रेकडाउन होना अथवा बिजली की आपूर्ति नहीं होना, इत्यादि कारणों में फाल-बैक दिया जायगा। मजदूर अपनी गलती से यदि उत्पादन पूरा नहीं कर सकेंगे, उस हालत में उन्हें फाल-बैक मजदूरी नहीं दी जायगी।

५.६.१ मशीनीकृत फेस क्यू :

मशीनीकृत फेस क्यू तथा विभिन्न कार्यों के ग्रूप काम के लिये कार्य-भार तथा मजदूरी दर स्थानीय स्तर पर ही तय किये जायेंगे।

५.७.१ टालीवान :

पीस-रेट टालीवानों का कार्य-भार तथा प्रति टब का रेट स्थानीय स्तर पर ही द्विपक्षीय वार्त्ता द्वारा तय किया जायगा और वह इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिये ताकि हाजरी टालीवानों के वेतन ढाँचा के मध्य बिन्दु पर पड़े। टालीवानों का कार्य-भार तथा मजदूरी दर का उनके कार्य-दशा में परिवर्त्तन के साथ-साथ समय-समय पर पुनरावलोकन किया जाना चाहिये। पीस-रेट टालीवानों को उनके बेसिक, निश्चित मंहगाई भत्ता, भी. डी. ए. तथा हाजरी बोनस मिलाकर कुल मजदूरी में ७३ रु. ९० पैसे का औसतन निम्नतम बढ़ती दिया जायगा। टालीवानों की बेसिक मजदूरी में इस प्रकार पुनरीक्षण किया जायगा जिससे उनके कुल मासिक वेतन जो बेसिक, निश्चित मंहगाई भत्ता, भी. डी. ए., हाजरी बोनस पर अन्य लाभ जोड़कर उन्हें प्रतिमाह ७३ रु. ९० पैसे की बढ़ती मिल सके।

५.७.२ पीस-रेट की मजदूरी तय करने के लिये १-१०-१९७८ से ६ महीने के कार्य-भार का औसत लिया जायगा।

अन्य पीस-रेट के मजदूर :

५.८.१ अन्य पीस-रेट मजदूरों का जिनके लिये कोई निश्चित कार्य-भार तथा ग्रूप मजदूरी निर्धारित नहीं है, उनके लिये यह तय हुआ कि उन्हें भी उनके ग्रूप में उसी अनुपात में बढ़ती देकर सुधार किया जायगा। जहाँ इस तरह की ग्रूप मजदूरी नहीं है वहाँ माइनर लोडर (ग्रूप ५-ए) के मजदूरों के समान अनुपात में बढ़ती दी जायगी।

५.९.१ माइनर और लोडर के लिये लीड तथा लिफ्ट का भुगतान :

माइनर और लोडर के लिये संशोधित लीड और लिफ्ट का रेट आगे के पृष्ठों पर अंकित है। (देखें परिशिष्ट-४)

५.९.२ ओभरबर्डन (हटाने के काम में लगे) मजदूरों के लिये संशोधित लीड और लिफ्ट का रेट आगे के पृष्ठों पर अंकित है। (देखें परिशिष्ट-४)

५.९.३ माइनर और लोडर को छोड़कर तथा वागन लोडर सहित अन्य पीस-रेट मजदूरों का लीड और लिफ्ट का रेट आगे के पृष्ठों पर अंकित है। (देखें परिशिष्ट-४)

५.६.४ लीड और लिफ्ट के भुगतान को सभी हिसाब (लाभ) के लिये बेसिक मजदूरी माना जायगा ।

अध्याय—६

अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स

६.१.१ यह समझौता हुआ कि जो कर्मचारी माइन्स ऐक्ट तथा उसमें उल्लिखित रेगुलेशनों के मुताबिक अण्डरग्राउण्ड में काम करते हैं उन्हें संशोधित वेतन दर का १५ प्रतिशत अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स के रूप में मिलेगा ।

६.२.१ आसाम कोलफील्ड के सम्बन्ध में यह समझौता हुआ कि १-१-१९७९ से संशोधित वेतनमान के बेसिक मजदूरी का साढ़े १७ प्रतिशत तथा १-१-१९८२ से २० प्रतिशत दर से अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स के रूप में मिलेगा ।

६.३.१ मजुमदार ट्राब्युनल तथा लेबर अपीलेट ट्राब्युनल एवार्ड के प्रावधानों के अनुसार अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स देय होता है ।

६.४.१ अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स को मजदूरी माना जायगा और निम्नलिखित काम के लिये जोड़ा जायगा ।

(अ) पावना/साल छुट्टी का पैसा जोड़ने के लिये ।
(ब) राष्ट्रीय त्यौहार छुट्टी के भुगतान के लिये ।
(स) बीमारी की छुट्टी ।
(द) ओवरटाइम एलाउन्स ।
(य) ग्रैच्युटी ।
(फ) प्रोविडेन्ट फण्ड अंशदान ।

अध्याय—७

अर्जित छुट्टी तथा राष्ट्रीय त्यौहार की छुट्टियाँ

७.१.१ पैसे के साथ सालाना छुट्टी माइन्स ऐक्ट के अनुसार मिलता रहेगा ।

पैसे के साथ अर्जित छुट्टी सालाना छुट्टी का जमा होना :

७.१.२ अर्जित छुट्टी/ सालाना छुट्टी जमा करने के लिये वर्तमान प्रावधान को बढ़ाकर ७० दिन कर दिया गया है ।

बीमारी की छुट्टी :

७.२.१ बीमारी की छुट्टी के लिये साल में पूरा पैसे के साथ १५ दिनों की छुट्टी का वर्तमान प्रावधान चालू रहेगा ।

७.२.२ पूरे पैसे के साथ बीमारी की छुट्टी को ४५ दिनों तक जमा रखा जा सकता है ।

टी. बी., कैंसर, कुष्ठ तथा लकवा से पीड़ित कर्मचारियों के लिये विशेष छुट्टी की सुविधा

७.३.१ टी. बी., कैंसर, कुष्ठ तथा लकवा से पीड़ित कर्मचारियों को बेसिक मजदूरी, निश्चित मंहगाई भत्ता, भी. डी. ए. तथा विशेष भत्ता का ५० प्रतिशत मजदूरी पर छः महीने तक की विशेष छुट्टी दी जा सकती है वशर्ते कम्पनी के चिकित्सा पदाधिकारी अथवा कोयला खान श्रमिक कल्याण संस्था के चिकित्सा अधिकारी अथवा प्रबन्धन द्वारा किसी भी अन्य अस्पताल में तत्सम्बन्धी चिकित्सा हेतु भेजे जाने की सिफारिश की गई हो ।

पैसे के साथ कैजुअल छुट्टी :

७.४.१ निम्नलिखित प्रावधान कैजुअल छुट्टी की मंजूरी को संचालित करेंगे :

७.४.२ जिन कर्मचारियों को अभी कैजुअल छुट्टी नहीं मिलती है, उन्हें साल में (कैलेन्डर वर्ष के भीतर) ७ दिनों की कैजुअल (आकस्मिक) छुट्टी मिलेगी ।

७.४.३ इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को प्रति कैलेन्डर वर्ष में ४ दिनों की कैजुअल छुट्टी और मिलेगी । इसके लिये शर्त यह है कि माइन्स ऐक्ट में संशोधन होने पर जब कानून बन जायगा तब यह आकस्मिक छुट्टी अर्जित छुट्टी में समायोजित कर दी जायगी ।

७.४.४ इस समझौता के पूरा होने में देरी हुई इसलिये ऊपर लिखित ४ दिनों की कैजुअल छुट्टी १९८० में दी जायगी । धारा ७.४.३ के अनुसार १९७९ में मिलनेवाली इस छुट्टी के जो कर्मचारी हकदार

होंगे यह छुट्टी अर्जित छुट्टी के साथ अथवा जैसा वे चाहें उस प्रकार ले सकेंगे। माइन्स ऐक्ट के मुताबिक छुट्टी पावना नहीं होने पर भी यह छुट्टी दी जायगी।

७.४.५ जिस कारण का पहले से कोई पता नहीं होता उस तरह के विशेष कारणों के लिये ही आकस्मिक छुट्टी का प्रावधान रखा गया है। साधारणतः प्रबन्धन द्वारा निर्धारित प्रत्येक इकाई/प्रतिष्ठान/विभाग के अधिकारी से वैसी छुट्टी के लिये अग्रिम मंजूरी लिया जाना चाहिये। परन्तु ऐसा करना यदि सम्भव नहीं हो तो जहाँ तक सम्भव हो सके उक्त अधिकारी को अनुपस्थिति तथा उसके सम्भावित अनुपस्थिति अवधि की लिखित सूचना दी जानी चाहिये।

७.४.६ जो कर्मचारी अभी आकस्मिक छुट्टी पा रहे हैं, वे इसे पाते रहेंगे।

राष्ट्रीय/त्यौहार की छुट्टी :

७.५.१ राष्ट्रीय/त्यौहार की छुट्टी अभी की तरह ही मिलती रहेगी।

अध्याय—८

घर, घर भाड़ा भत्ता तथा घर भाड़ा की वसूली

मकान बनाने का कार्यक्रम :

८.१.१ कोयला उद्योग के प्रबन्धन इस बात पर राजी हुए हैं कि वे समझौता की अवधि में प्रत्येक साल में कम से कम बारह हजार स्वीकृत टाइप के क्वार्टर (लो-कास्ट हाउस तथा बैरक छोड़कर) बनायेंगे तथा नव निर्मित क्वार्टरों में पानी तथा बिजली की आपूर्ति करेंगे।

८.२.१ प्रबन्धन इस बात पर भी राजी हुए हैं कि प्रत्येक क्वार्टर में जहाँ सार्वजनिक जलापूर्ति व्यवस्था नहीं है, वहाँ चार वर्षों के भीतर पानी का एक नल लगायेंगे।

८.२.२ जहाँ क्वार्टरों में जल आपूर्ति के लिये सार्वजनिक जल आपूर्ति व्यवस्था उपलब्ध है वहाँ क्वार्टर के भीतर एक नल लगाया जायगा।

८.२.३ जहाँ क्वार्टरों में अभी बिजली की व्यवस्था नहीं है और जहाँ बिजली आपूर्ति की जा सकती है वैसे जगहों में समझौता की अवधि के भीतर एक सिलसिलेवार कार्यक्रम बनाकर बिजली की आपूर्ति किये जाने का पूरा प्रयास किया जायगा।

संयुक्त द्विदलीय समिति द्वारा समय-समय पर इस कार्य के प्रगति की समीक्षा की जायगी।

घर भाड़ा :

८.३.१ जिन कर्मचारियों के लिये आवासीय व्यवस्था नहीं है उन्हें १२ रु. महीना घर भाड़ा मिलेगा।

८.३.२ घर भाड़ा का भुगतान निम्न प्रकार होगा :—

(अ) जिन कर्मचारियों को नीचे लिखे मुताबिक घर व्यक्तिगत रूप से आवंटित किया जा चुका है उन्हें छोड़कर अन्य कर्मचारी १२ रु. महीना के हिसाब से घर भाड़ा के हकदार होंगे।

(१) अलग अथवा सम्मिलित पैखाना/स्नान घर के इन्तजाम सहित एक अथवा कई कमरों का कोई भी पक्का घर।

(२) नया हाउसिंग योजना के अधीन नया घर, कम लागत के योजना का मकान अथवा सिंगल घर या आर्च टाइप का घर।

(च) यदि दो कमरों का मकान दो कर्मचारियों के नाम से आबंटित है तो दोनों ही श्रमिक ५० प्रतिशत करके अर्थात् ६ रु. प्रति व्यक्ति प्रति माह घर भाड़ा पाने के हकदार होंगे।

(स) अनधिकृत रूप से घर दखल करनेवाले श्रमिक तब तक घर भाड़ा के हकदार नहीं होंगे जब तक वे घर खाली नहीं कर देते।

(द) जहाँ एक कमरे का मकान एक श्रमिक से अधिक अथवा दो कमरों का मकान दो व्यक्ति से अधिक को दिया गया है वैसी हालत में उस घर के प्रत्येक श्रमिक को १२ रु. करके घर भाड़ा मिलेगा।

(य) वैसे कर्मचारी जिन्हें बैरेक या मेस या होस्टल में एक सीट दिया गया है वे १२ रु. महीना के हिसाब से घर भाड़ा के हकदार होंगे।

(फ) जहाँ पति तथा पत्नी दोनों ही कर्मचारी हैं और (जहाँ) उनमें से एक को ऊपर लिखित (अ) के अनुसार घर आबंटित किया जा चुका है वैसे हालत में वे घर भाड़ा के हकदार नहीं होंगे ।

८.३.३ नगर तथा शहरों में मिल रहा घर भाड़ा वर्त्तमान अनुपात में ही मिलता रहेगा ।

८.३.४ शहरी क्षेत्रों में जहाँ कर्मचारियों को १०, १५, २० अथवा २५ प्रतिशत तक जो भी घर भाड़ा मिलता है उसमें कोई कटौती नहीं होगी ।

घर भाड़ा की वसूली :

८.४.१ उन कर्मचारियों, जिन्हें आवासीय सुविधा दी गई है और उसके लिये उनके वेतन से घर भाड़ा वसूल किया जाता है उनके प्रति यथास्थिति कायम रहेगी । परन्तु माइनर टाइप अथवा निम्न श्रेणी के क्वार्टर वाले श्रमिकों से कोई घर भाड़ा वसूल नहीं होगा ।

८.४.२ जहाँ कहीं भी किसी कर्मचारी को प्रबन्धन द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की गई है वहाँ कर्मचारी पहले की तरह उस आवास के लिये घर भाड़ा देते रहेंगे और प्रबन्धन वह भाड़ा वसूल करता रहेगा ।

८.४.३ इस वेतन समझौता द्वारा वेसिक मजदूरी में बढ़ती को लेकर घर के आबंटन नियम में कोई फेर बदल नहीं होगा तथा घर भाड़ा में भी कोई बढ़ती नहीं दी जायगी ।

बिजली खर्च की वसूली :

८.५.१ कोल फील्ड क्षेत्र में जिन श्रमिकों को प्रबन्धन द्वारा क्वार्टर दिया गया है और जहाँ बिजली की भी आपूर्ति की जाती है उन्हें प्रति क्वार्टर प्रति माह ३० यूनिट तक के बिजली खपत की निःशुल्क सुविधा मिलेगी और वर्त्तमान सीमा में तदनुसार संशोधन किया जायगा । इस निःशुल्क सीमा से अधिक बिजली की खपत के लिये श्रमिकों को उसी दर से बिजली का खर्च देना होगा जिस दर से प्रबन्धन को बिजली विभाग को भुगतान करना पड़ता है ।

अध्याय—९

वापसी रेल किराया तथा रियायती छुट्टी यात्रा

वापसी रेल किराया :

९.१.१ यह तय हुआ कि जो कर्मचारी घर जाने तथा वापसी के लिये केन्द्रीय वेतन मण्डल के अधीन प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी का भाड़ा पाने के हकदार रहे हैं उन्हें यह सुविधा मिलती रहेगी । प्रथम श्रेणी का रेल किराया पाने के हकदार वे श्रमिक होंगे जिनकी बुनियादी मजदूरी प्रतिमाह ५१० रु. होगी । जिन कर्मचारियों की बुनियादी मजदूरी ५१० रु. से कम है वे द्वितीय श्रेणी के रेल किराया के हकदार होंगे ।

९.१.२ पीस रेट के कर्मचारियों को किस श्रेणी का भाड़ा मिले, इसका निर्धारण पिछले तिमाही का हाजरी बोनस के आधार पर प्रतिमाह का बुनियादी मजदूरी निकाल कर तय किया जायगा । अगर किसी कोलियरी/इकाई में बुनियादी वेतन तय करने का कोई अन्य तरीका अपनाया जाता होगा तो वहाँ उसी तरीके के अनुसार किसी अवधि का बुनियादी वेतन तय किया जायगा और वही तरीका चालू रहेगा ।

९.२.१ चार वर्ष में एक बार छुट्टी भ्रमण रियायत (एल.टी.सी.) : कर्मचारियों को चार वर्ष के ब्लाक में तीन वर्षों तक वर्त्तमान वापसी रेल किराया मिलता रहेगा तथा चौथे वर्ष वापसी रेल किराया के बदले कर्मचारी तथा उसके परिवार के सदस्यों को वर्त्तमान केन्द्रीय सरकार की योजना के अनुसार भारत में कहीं भी जाने की सुविधा मिलेगी । रेल की किस श्रेणी में यात्रा करेंगे उसका निर्धारण संशोधित मजदूरी को आधार मानकर सरकारी नियमानुसार समायोजित कर दिया जायगा ।

९.२.२ यह तय हुआ कि १६-५-१९७९ को छुट्टी भ्रमण रियायत (एल. टी. सी.) के सम्बन्ध में हुए समझौता के प्रावधानों को चार वर्ष में एक बार लागू करने हेतु प्रबन्धन तथा श्रमिकों के पाँच-पाँच प्रतिनिधियों

की एक समिति गठित की जायगी। यह समिति एल. टी. सी. नियम के तरीकों को सरल बनाने की जाँच करेंगे तथा कौन श्रमिक किस श्रेणी में यात्रा कर सकेंगे इसके लिये नियम बनायेंगे। वापसी रेल किराया और एल. टी. सी. के रेल किराया में समता लाने के पहलू पर भी इस समिति द्वारा विचार किया जायगा। यह समिति यह भी तय करेगी कि एल. टी. सी. के लिये कोई श्रमिक कम से कम/अधिक से अधिक कितनी दूरी तक की यात्रा कर सकेंगे। श्रमिक के कौन-कौन से आश्रित एल. टी. सी. की सुविधा के हकदार होंगे उसकी सिफारिश भी यह समिति करेगी। उपरोक्त सारे मुद्दों पर विचार कर उक्त समिति तीन महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें पेश कर देगी।

अध्याय—१०

सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा तथा कल्याण योजना

ग्रैच्युटी रकम का निर्धारण :

१०.१.१ तीस वर्षों से अधिक की सेवा अवधि पर प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष हेतु एक महीना का वेतन (जैसे : बेसिक मजदूरी, निश्चित महगाई भत्ता, विशेष भत्ता, भी. डी. ए. तथा अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स जोड़कर) के हिसाब से ग्रैच्युटी में जोड़ा जायगा। इसके लिये अन्तिम प्राप्त वेतन को आधार माना जायगा। सेवा के अन्तिम वर्ष यदि पूरा एक साल नहीं होता है तो जितना काम होगा उसी अनुपात में ग्रैच्युटी जोड़ा जायगा।

जीवन बीमा योजना :

१०.२.१ कोयला भविष्यनिधि अथवा कम्पनी के भविष्यनिधि के अधीन आने वाले किसी श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को बीस महीने के वेतन जो मृत्यु के पहले पाता था (बेसिक तथा मंहगाई भत्ता) के बराबर ग्रैच्युटी का भुगतान किया जायगा। सामान्य ग्रैच्युटी के रूप में मिलने वाला रकम ११०००) रु० से कम नहीं होगा। यह योजना कर्मचारी जमा बीमा योजना के बदले होगा।

कर्मचारियों का क्षतिपूर्ति लाभ :

१०.३.१ यह समझौता हुआ कि :—

(१) इस समझौता के अधीन आने वाले श्रमिक वर्कमेन्स कम्पेन्सेसन एक्ट १९२३ के अनुसार मिलने वाले सुविधा के हकदार होंगे।

(२) इस समझौता द्वारा वेतन बढ़ने के कारण वर्कमेन्स कम्पेन्सेसन एक्ट के अनुसार मिलने वाले लाभ में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा।

(३) यदि कोई कर्मचारी काम की अवधि में काम करते हुए किसी दुर्घटना का शिकार होकर अक्षम होता है तो उसे दुर्घटना के दिन से कम्पनी के डाक्टरों द्वारा फिट (योग्य) किये जाने तक की अवधि में पूरा वेतन तथा भत्ता दिया जायगा। यह सुविधा पाने के लिये सम्बन्धित श्रमिक को कोलियरी अथवा प्रतिष्ठान में ही रहना पड़ेगा।

(४) दुर्घटना से अक्षमता की अवधि में दुर्घटना के पहले प्राप्त वेतन के आधार पर क्षतिपूर्ति (कम्पेन्सेसन) दिया जायेगा।

कर्मचारियों के आश्रितों को काम का प्रावधान :

१०.४.१ सेवा अवधि में किसी श्रमिक के स्थायी अपंग होने तथा किसी श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके एक आश्रित को नौकरी दी जायगी। इसे लागू किये जाने के निम्नलिखित प्रावधान होंगे।

१०.४.२ सेवा की अवधि में किसी श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके एक आश्रित को नौकरी :

(अ) इसके लिये पत्नी/पति जो भी हो, अविवाहित लड़की, पुत्र तथा कानूनी रूप से गोद लिया लड़कों को आश्रित माना जायगा। यदि ऐसे प्रत्यक्ष आश्रित उपलब्ध नहीं होंगे तब छोटा भाई/विधवा लड़की/विधवा पतोहू अथवा जवाँई जो मृतक के साथ रहता रहा हो तथा मृतक की कमाई पर ही पूरे तौर से आश्रित रहा हो उन्हें नौकरी के लिये मृतक का आश्रित माना जायगा।

(ब) जो शारीरिक रूप से दक्ष हो तथा ३५ वर्ष से अधिक का नहीं हो वैसे आश्रित को काम देने का विचार किया जायगा। आश्रित में पत्नी अथवा पति होने से उम्र सीमा की कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

१०.४.३ स्थायी रूप से अपंग होने पर उस श्रमिक के एक आश्रित को नौकरी :

(अ) दुर्घटनाग्रस्त अथवा बीमारी के कारण स्थायी रूप से अपंग होने के फलस्वरूप श्रमिक की नौकरी चले जाने पर प्रबन्धन द्वारा उसे

प्रमाणित किया जाना चाहिये ।

(ब) आश्रित को नौकरी में बहाल करने के लिये तभी विचार किया जायेगा यदि वह (आश्रित) शारीरिक रूप से सक्षम हो तथा ३५ वर्ष की उम्र के नीचे हो ।

१०.४.४ सेवा से अवकाश ग्रहण (रिटायर) करनेवाले कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी के लिये प्राथमिकता दी जायगी ।

१०.५.ए धुलाई एलाउन्स :

जहाँ प्रबन्धन द्वारा बर्दी दिया गया हो तथा उन्हें धुलाई एलाउन्स मिलता हो तथा वर्तमान एलाउन्स यदि १० रु० से कम हो तो प्रति श्रमिक को समान रूप से ५ रु० प्रति माह की बढ़ती धुलाई एलाउन्स में दी जायेगी ।

१०.५.१ चिकित्सा सुविधाएँ :

संयुक्त समिति की चिकित्सा सब-कमिटी (सब-कमिटी 'ई') की सर्व-सम्मत शिफारिशें लागू की जायगी । इसी समझौता के अगले पृष्ठों पर सब-कमिटी की सिफारिशों का ब्यौरा दिया जा रहा है ।

(देखें परिशिष्ट—५)

१०.५.२ एम्बुलेंस :

सिद्धान्ततः यह समझौता हुआ कि इमरजेन्सी रोगियों को अस्पताल/डिस्पेन्सरी पहुँचाने के लिये प्रत्येक कोलियरी में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिये । जहाँ तक सभी कोलियरियों में एम्बुलेन्स की व्यवस्था करना जल्द सम्भव नहीं होगा वहाँ कुछ निश्चित कोलियरियों के लिये यह व्यवस्था की जा सकती है । इसके तरीके पर विस्तार से स्थानीय स्तर पर वार्तालाप द्वारा व्यवस्था किया जा सकता है । प्रबन्धन द्वारा यह माना गया कि दो वर्षों के भीतर एम्बुलेन्सों की संख्या बढ़ाई जायगी जिससे कोलियरियों में एम्बुलेन्स उपलब्ध हों । संयुक्त द्विदलीय समिति द्वारा समय-समय पर इस विषय की समीक्षा की जायगी ।

१०.५.३ यह समझौता हुआ कि कोल इण्डिया लिमिटेड तथा इसकी सम्बद्ध इकाइयों में दवाई पर उसी हिसाब से खर्च किया जायगा जिस हिसाब से अभी प्रति-व्यक्ति प्रति-वर्ष सिंगारेनी कोलियरी द्वारा किया जाता है ।

अध्याय—११

सामान्य

११.१.१ वर्त्तमान सुविधाएँ :

वर्त्तमान सुविधाएं तथा लाभ जो पहले से मिल रहे हैं और उनका उल्लेख अथवा फेर बदल इस समझौता (एग्रीमेंट) में नहीं किया गया है वे मिलते रहेंगे ।

११.२.१ जलावन कोयला की निःशुल्क आपूर्ति :

कोलियरियों/प्रतिष्ठानों में कोयला आपूर्ति की वर्त्तमान व्यवस्था चालू रहेगी ।

११.३.१ ओवरटाइम का भुगतान :

विभिन्न प्रतिष्ठानों, इकाइयों तथा आफिसों में सभी कैटेगरियों के श्रमिकों को जिस प्रकार ओवरटाइम का भुगतान होता था वह होता रहेगा ।

११.४.१ साप्ताहिक छुट्टी के दिनों की मजदूरी :

माइन्स एक्ट अथवा फैक्टरीज एक्ट के नियमों द्वारा संचालित खदान तथा प्रतिष्ठान के श्रमिकों को साप्ताहिक छुट्टी के दिन काम में बुलाने पर सामान्य मजदूरी से दूनी मजदूरी का भुगतान उन जगहों पर किया जायगा जहाँ अभी इससे कम मिल रहा है ।

११.५.१ सिटी कम्पेन्सेटरी एलाउन्स :

कोयला कम्पनी के प्रबन्ध के अधीन कार्यरत श्रमिकों को जो शहरों/नगरों (धनबाद तथा आसनसोल कोलफील्ड अंचल को छोड़कर) में रहते हैं अथवा ड्यूटी में भेजे जाते हैं उन्हें निम्न प्रकार से सिटी कम्पेन्सेटरी एलाउन्स दिया जायगा :—

शहर/नगर का श्रेणी	बेसिक मजदूरी	सिटी कम्पेन्सेटरी एलाउन्स का दर
'ए' क्लास जैसे कलकत्ता/हावड़ा/नई दिल्ली/बम्बई/मद्रास तथा हैदराबाद	३९० रु० तथा इससे ऊपर	बेसिक मजदूरी का ६ प्रतिशत जो कम से कम १६ रु० ५० पै० तथा अधिकतम ७५ रु० हो

'बी' क्लास अर्थात् कानपुर, नागपुर, लखनऊ, अहमदाबाद तथा बंगलोर	३६० रु० तथा इससे ऊपर	बेसिक मजदूरी का ४.५ प्रतिशत जो कम से कम १६ रु० ४५ पै० तथा अधिक से अधिक ५० रु. हो
'बी २' क्लास पटना, जयपुर तथा भोपाल (सिर्फ शहरी क्षेत्र)	७५० रु० से कम	बेसिक मजदूरी का ३.५ प्रतिशत जो अधिक से अधिक १० रु० प्रतिमाह हो ।
	७५० रु० अथवा अधिक	वह रकम जो ७५६ रु० पूरा करने में कम होता हो ।

भारत सरकार द्वारा कोलफील्ड को छोड़कर किसी अन्य शहर को 'ए' 'बी-१' अथवा 'बी-२' के स्तर का घोषणा किया जायगा तो वह कोयला कम्पनियों के लिए भी लागू होगा ।

११.६.१ बदली/तबादला

१-१-१६७५ अथवा इसके बाद किसी श्रमिक की बदली एक कोलियरी से दूसरी कोलियरी में हुई है और उस कोलियरी में उसे आवास की सुविधा नहीं मिली है तथा वह श्रमिक ८ कि० मी० दूर से अपने साधन द्वारा अपनी ड्यूटी पर जाता है तो उसे प्रतिदिन ५० पैसे के हिसाब से पैसा मिलेगा । यह सुविधा तब तक मिलेगी जब तक उसे स्थानान्तरित कोलियरी में कोई आवास नहीं दिया जाता अथवा ८ कि० मी० के भीतर उसे कोई आवास नहीं मिल जाता । यह भुगतान १-६-७६ से मिलेगा ।

११.७ डिफिकल्टी एलाउन्स

मजदूर प्रतिनिधियों ने इस बात को गहराई से महसूस किया कि केन्द्रीय वेतन मण्डल की सिफारिशों के मुताबिक थिन सीम एलाउन्स, थिक सीम एलाउन्स, अपर्याप्त हवा एलाउन्स, दूरी, पानी, धूल, गर्म ताप, खड़ाई मोटा सीम, क्वारी मजदूरों के लिये बेंच एलाउन्स इत्यादि जिसे सरकार ने मान्यता दी थी उसे बगैर अधिक देरी किये

(अविलम्ब) लागू किया जाना चाहिये । उन्होंने यह भी बतलाया कि इनमें से अधिकांश एलाउन्स अभी भी बहुत सी कोलियरियों में मिल रहे हैं ।

प्रबन्धन प्रतिनिधियों ने इन मांगों के ऊपर अपनी असमर्थता प्रकट की तथा कहा कि अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स में इतनी बढ़ती इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखकर दी गई है ।

श्रमिक प्रतिनिधियों ने प्रबन्धन के इस दलील को नहीं माना तथा इस मुद्दे को विचार किये जाने पर दबाव डाला ।

अन्ततः यह तय हुआ कि संयुक्त द्विदलीय समिति द्वारा इस सवाल पर विचार कर छौ महीने के भीतर नियम/मार्ग निर्देशन निर्धारित कर देना चाहिये ।

११.८.१ शिक्षा :

संयुक्त द्विदलीय समिति कोयला मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के सभी पहलुओं पर विचार नहीं कर पाया है । यह तय हुआ कि शिक्षा सुविधा मुहैया किये जाने के सम्बन्ध में विशेष विवरण एकत्र किया जाय तथा द्विदलीय समिति में कम से कम तीन महीने तथा अधिक से अधिक छौ महीने के भीतर विचार विमर्श किया जाय ।

अध्याय—१२

समझौता का क्रियान्वयन

१२.१.१ यह समझौता तथा वेतनमान कोई अन्य निर्देश नहीं हो तो १ जनवरी १६७६ से लागू तथा उसका क्रियान्वयन होगा ।

१२.१.२ यह समझौता १-१-१६७६ से चार वर्षों के लिये लागू रहेगा ।

१२.१.३ प्रबन्धन तथा श्रमिक प्रतिनिधि इस बात पर राजी हुए कि इस समझौता का क्रियान्वयन पूरी ईमानदारी तथा निष्ठा से किया जायगा तथा युनियन एवं प्रबन्धन द्वारा उसका पालन किया जायगा ।

१२.२.१ इस समझौता की अवधि के भीतर जिन मुद्दों पर समझौता हो गया है उन मुद्दों (राजीनामा के मुद्दों) पर न तो मांग पेश किया जायगा और न ही कोई शिकायत की जायगी ।

१२.३.१ इस समझौता के क्रियान्वयन के लिये किसी धारा के अर्थ में कोई असुविधा तथा संदेह होने पर इसे जे. बी. सी. सी. आई. (द्विदलीय

समिति) अथवा इसके द्वारा गठित किसी सब-कमिटी के समक्ष लाया जाना चाहिये ।

१२.४ श्रमिकों से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर प्रबन्धन तथा श्रमिक प्रतिनिधियों द्वारा सौहार्दपूर्ण वातावरण में विचार-विमर्श किया जायगा ।

१२.५.१ उत्पादकता तथा औद्योगिक शांति :

प्रबन्धन तथा श्रमिक प्रतिनिधि इस बात पर राजी हुए कि औद्योगिक शांति तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम रखकर उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में प्रयास किया जायगा । इस सम्बन्ध में उठाये गये कदम पर बीच-बीच में द्विदलीय समिति द्वारा समीक्षा की जायगी ।

१२.५.२ इन्सेन्टिव योजना :

कोयला उद्योग में उत्पादन में वृद्धि, उत्पादकता बढ़ाने तथा दक्षता में सुधार की दृष्टि से इन्सेन्टिव योजना/योजनाएँ चालू की जायेगी तथा प्रबन्धन व श्रमिक प्रतिनिधियों को लेकर एक इन्सेन्टिव योजना से सम्बन्धित सीमा तथा क्षेत्र निर्धारण के लिये एक द्विदलीय समिति बनायी जायगी । यह समिति अपना प्रतिवेदन छौ महीने के भीतर दे देगा । तत्पश्चात संयुक्त द्विदलीय समिति विभिन्न इकाइयों प्रतिष्ठानों में उन योजनाओं के क्रियान्वन के सम्बन्ध में नियम बनायेंगे ।

१२.६.१ समितियाँ :

यह तय हुआ कि उपरोक्त कार्यों के लिये निम्नलिखित समितियों का गठन किया जायगा : —

(१) **प्रामाणिक (स्टैंडर्डाइजेशन) समिति**—पारा १२.७.१ में विवरण देखें ।

(२) **प्रोन्नत सम्बन्धी नीति निर्धारण समिति**—श्रमिक तथा प्रबन्धन के प्रतिनिधियों की द्विदलीय समिति द्वारा विभिन्न कोयला कम्पनियों में व्याप्त वर्तमान प्रोन्नति नीति की जाँच कर प्रोन्नति में एकरूपता लाने सम्बन्धी दिशा में निर्देश निर्धारित करेंगे ।

(३) **इन्सेन्टिव स्कीम समिति**—उपरोक्त पारा १२.५.२ के अनुसार यह समिति इन्सेन्टिव योजना बनायेगी ।

(४) **एल. टी. सी. (छुट्टी भ्रमण रियायत) सम्बन्धी समिति**—धारा ६.२.२ में उल्लिखित सन्दर्भों पर यह समिति विचार करेगी ।

१२.७.१ स्टैण्डरडाइजेशन (एकरूपता) समिति :—

यह समझौता हुआ कि विभिन्न पदनाम, कार्य विवरण, विभिन्न श्रमिक श्रेणियों की सेवा शर्तों में विषमता, जिसमें काम के घण्टे, छुट्टी, अवकाश, काम का कैटेगराइजेशन इत्यादि शामिल है, के ऊपर विशमताओं को समिति के ध्यान में लाने हेतु, श्रमिक तथा प्रबन्धन प्रतिनिधियों की एक एकरूपता (स्टैण्डरडाइजेशन) समिति गठित की जायेगी ।

१२.७.२ स्टैण्डरडाइजेशन समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे :—

(१) जे. बी. सी. सी. आई. (कोयला उद्योग के लिये द्विदलीय समिति) द्वारा निम्नलिखित सब-कमिटियों के प्रतिवेदनों की जाँच तथा समीक्षा करना :—

(अ) कोल वाशरियों में नया काम तथा कैटेगराइजेशन एवं पुराने कार्यों (जहाँ यह नहीं है) के लिये कार्य विवरण इत्यादि तैयार करने के लिये सब-कमिटी "ए" ।

(ब) अण्डरग्राउण्ड खदान के लिये नया काम, कैटेगराइजेशन तथा पुराने कार्यों (जहाँ यह नहीं है) के लिये कार्य विवरण तैयार करने हेतु सब-कमिटी 'बी' ।

(स) पावर हाउस, रोपवेज, वर्कशाप, कोक प्लांट, एक्सकावेशन सेक्सन इत्यादि के लिये नया काम, कैटेगराइजेशन तथा पुराने कार्यों के लिये (जहाँ यह नहीं है) कार्य विवरण तैयार करने के लिये सब-कमिटी-"सी" ।

(२) इन समितियों का पहला कार्य उपरोक्त सब-कमिटियों के सर्वसम्मत सिफारिशों पर बिचार करना तथा उसमें सहयोग देना, यदि कोई विषमता हो तो उसे दूर करना तथा उसमें सहयोग देना, यदि कोई विषमता हो तो उसे दूर करना तथा उनके क्रियान्वन के सम्बन्ध में विचार देना होगा । तत्पश्चात उन सब-कमिटियों के प्रतिवेदनों की जहाँ किसी कैटेगरी के सम्बन्ध में कोई खास काम के लिये कई मत आये हैं अथवा श्रमिक तथा प्रबन्धन प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न विचार व्यक्त किये गए हैं तो उनकी जाँच कर उनके सम्बन्ध में निर्णय लेना होगा ।

(३) (अ) पीस रेट मजदूरों के ग्रूपिंग तथा उनके कार्य भार की समीक्षा करना
(ब) यदि कहीं बहुधंधी कार्य हो,
(स) जे. बी. सी. सी. आई.-१ द्वारा गठित सब-कमिटियों की सर्वसम्मत सिफारिशें, तथा
(द) विभिन्न एग्रीमेंटों तथा दलीलों में उल्लिखित विभिन्न कार्य विवरणों को मिलाना।

(४) यह समिति अपने समक्ष आये विषमता, कार्य विवरण में असमानता, कैटेगराइजेशन तथा श्रमिकों के मुख्य सेवा शर्तों की जाँच करेगी।

समझौता के ऊपर कलकत्ता में दिनांक ११ अगस्त, १९७९ को हस्ताक्षर हुआ।

हस्ताक्षरकर्त्ता में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले इंटक की ओर से सर्वश्री कांति मेहता तथा बिन्देश्वरी दूबे प्रमुख हैं। अन्य चार केन्द्रीय श्रमिक संगठन के प्रतिनिधियों ने भी उक्त समझौता पर हस्ताक्षर दिया।

प्रबन्धन का प्रतिनिधित्व करनेवाले हैं सर्वश्री जी. प्रसाद (टिस्को) वास्ते आर. एच. मोदी, डा० बी. एल. बढेरा, अध्यक्ष, सेन्ट्रल कोलफील्डस, एस. के. चौधरी वास्ते आर. जी. महेन्द्रू, भारत कोकिंग कोल लि०, ओ. महीपथी (कोल इण्डिया लि० के प्रतिनिधि), आर. सी. शेखर (निदेशक, वित्त,) इस्टर्न कोलफील्डस लि०, आर. के गुप्ता (निदेशक, कार्मिक), वेस्टर्न कोलफील्डस लि०, एम. के. भी. सुवैया (सिंगरेनी कोलियरी), पी. आर. भट्टाचार्य (इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कं०), आर. एस. मूर्ती (निदेशक कार्मिक, सेन्ट्रल कोलफील्ड), सदस्य सचिव।

परिशिष्ट-१

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता के अधीन आने वाले कोयला श्रमिकों के लिए संशोधित मजदूरी का ब्यौरा

(गत १६ मई को नई दिल्ली में कोयला उद्योग के लिये द्विदलीय समिति द्वारा प्रबन्धन और युनियनों के बीच हुए समझौता का ब्यौरा)

१. निम्नतम मजदूरी पाने वाले श्रमिकों को कम से कम मजदूरी १ जनवरी १९७९ से ५०५) रु० प्रतिमाह होगी जो उपभोक्ता मूल्य सूचक अङ्क ३३३ पर निर्धारित की गई है जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

बुनियादी (बेसिक)		
मजदूरी/वेतन	३९०-०० रु.	
हाजरी बोनस	३९-०० रु.	
उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक ३३३ पर परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता	७६.०० रु.	
योग—५०५-०० रु०		
हाजरी बोनस पर मिलने वाला		(मँहगाई भत्ता माना जायेगा
अन्य लाभ	७-०० रु०	तथा बिभिन्न वेतनमान के लिये हिसाब कर जोड़ा जायेगा)
योग ५१२-०० रु.		

२. ७३ रु. ९० पैसे की यह बढ़ती जो अकुशल मजदूरों को मिलेगी, यह लाभ अन्य सभी वेतनमान के श्रमिकों को जिनका नाम १ जनवरी १९७९ के खाता में होगा उन्हें निम्नतम गारंटी लाभ के रूप में मिलेगी तथा उनके ३१-१२-१९७८ को प्राप्त कुल वेतन में जोड़ी जायेगी ।

२. (अ) १ली जनवरी १९७९ को श्रमिकों के संशोधित वेतनमान राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता के वेतन स्तर के अनुसार ३१-१२-१९७८ को मिलने वाले बुनियादी मजदूरी/वेतन निश्चित भत्ता, परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता तथा हाजरी बोनस में ७३ रु० ९० पैसे का निम्नतम लाभ जोड़कर निर्धारित किया जायेगा । जिन्होंने १-१-१९७९ और २८-२-१९७९ के बीच चालू राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-१ के अनुसार सालाना बढ़ती पायी है उन्हें संशोधित वेतन स्तर में १ मार्च १९७९ से बढ़ती मिलेगी । उन मामलों में जहाँ पुराने स्केल में बढ़ती मिली है उन्हें ७३ रु० ९० पैसे की निम्नतम लाभ में लिया जायगा । उन मामलों में जहाँ १ मार्च १९७९ अथवा उसके बाद सालाना बढ़ती बकाया हुआ है उन्हें १ सितम्बर १९७९ से संशोधित वेतन स्तर में बढ़ती दी जायगी । अगले वर्षों में उनकी बढ़ती क्रमशः १ली मार्च तथा १ली सितम्बर को हुआ करेगी । जिन्हें १ सितम्बर १९७९ और २८ फरवरी १९८० के बीच बढ़ती मिलना है, उन्हें १ मार्च १९८० से बढ़ती मिलेगी तथा आगामी वर्षों में १ली मार्च को बढ़ती दी जायगी ।

३. संशोधित वेतन स्तर में बढ़ती की दर पुराने स्तर से ३० प्रतिशत बढ़ा कर दी जायगी ।

४. अण्डरग्राउण्ड काम के लिये बुनियादी मजदूरी स्तर का १५ प्रतिशत अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स के रूप में मिलेगा ।

५. जिन कर्मचारियों को आवास की सुविधा नहीं मिली है, उन्हें १२) (बारह) रु. महीना घर भाड़ा भत्ता मिलेगा ।

६. जिन कर्मचारियों को अभी आकस्मिक (कैजुअल) छुट्टी नहीं मिलती है उन्हें साल में ७ दिनों की आकस्मिक छुट्टी मिलेगी । इसके अलावा उन कर्मचारियों की सालाना ५ दिनों की आकस्मिक छुट्टी और भी मिलेगी । इसके लिये शर्त यह होगी कि कानून बनने पर माइन्स एक्ट में होने वाले संशोधन के जरिये मिलनेवाली वार्षिक छुट्टी में समायोजित कर दी जायगी ।

७. जिन कर्मचारियों को साप्ताहिक छुट्टी के दिन काम के लिये बुलाया जाता है उन्हें उस दिन के लिये उनकी सामान्य मजदूरी की दूनी मजदूरी उन जगहों में मिलेगी जहाँ अभी इससे कम मिलती है ।

८. छुट्टी भ्रमण रियायत (एल. टी. सी) : कर्मचारियों को चार वर्ष के ब्लाक में तीन वर्ष वर्तमान वापस रेल किराया मिलता रहेगा तथा चौथे वर्ष वापसी रेल किराया के बदले कर्मचारी तथा उनके परिवार के सदस्य को वर्तमान केन्द्रीय सरकार की योजना के अनुसार भारत में कहीं भी जाने की सुविधा मिलेगी । रेल की किस श्रेणी में यात्रा करेंगे इसका निर्धारण संशोधित मजदूरी से सरकारी नियम को समायोजित कर किया जायगा ।

९. डी. एल. आई. (मृत्यु बीमा योजना) के बदले कोयला श्रमिकों के लिये इस्पात उद्योग के अनुरूप जीवन बीमा योजना का लाभ चालू किया जायगा ।

१०. वे कर्मचारी, जो हमेशा के लिये अपंग हो जायेंगे अथवा जिनकी मृत्यु हो जायगी उनके एक आश्रित को नौकरी की सुविधा प्रदान की जायगी । रिटायर करने वाले श्रमिकों के आश्रितों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जायगी ।

११. अन्य सभी लंबित मांगों का निपटारा द्विपक्षीय समझौता द्वारा तीन महीना के भीतर कर लिया जायेगा ।

१२. संशोधित समझौता १ जनवरी १९७९ से चार वर्षों के लिये लागू रहेगा ।

१३. युनियनों द्वारा १८-५-७९ से होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल की जो नोटिश दी गई थी वह वापस ले ली गई ।

समझौता के ऊपर प्रबन्धन की ओर से इन व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किया : श्री आर. एन. शर्मा, अध्यक्ष, कोल इण्डिया लिमिटेड, डा० बी० एल० बढ़ेरा, अध्यक्ष-सह-प्रबन्धक-निदेशक, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, श्री ओ. महीपथी, श्री आर. सी. शेखर, श्री आर. एस. मूर्ति, कार्मिक निदेशक, सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड एवं सदस्य सचिव कोयला उद्योग के लिये संयुक्त द्विदलीय समिति ।

युनियनों की ओर से निम्नलिखित व्यक्तियों ने समझौता पर हस्ताक्षर किया : सर्वश्री बिन्देश्वरी दूबे (आई एन. टी. यू. सी.) तथा अन्य श्रमिक प्रतिनिधिगण ।

परिशिष्ट—२

धारा २.३.१ के अनुसार १-१-१९७९ से मिलने वाला संशोधित वेतनमान

ए दैनिक दर के मजदूर :

कैटेगरी	राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-१ का वेतनमान (वर्त्तमान)	संशोधित वेतनमान १-१-७९ से लागू
१	१०.००-०.२०-१२.००	१५.००-०.२६-१८.१२
२	१०.४०-०.२६-१३.००	१५.४०-०.३४-१९.४८
३	११.३५-०.३२-१४.५५	१६.३५-०.४२-२१.३९
४	१२.७५-०.४१-१६.८५	१७.७५-०.५३-२४ ११
५	१४.५०-०.५५-२०.००	१९.५०-०.७२-२८.१४
६	१७.७०-०.७३-२५.००	२२.७०-०.९५-३४.१०

बी मासिक दर के कर्मचारी (तकनिकी तथा सुपरवाइजरी) :

ग्रेड		
ए	५९२-३२-८४८-३६-९९२	७२२-४२-१०५८-४४-१२७८
बी	५१०-२७-७२६-३२-८५४	६४०-३५-९२०-४०-११६०
सी	४४२-२२-६१८-२९-७३४	५७२-२९-८०४-३४-१००८
डी	३७८-१८-५२२-२३-६१४	५०८-२३-६९२-२८-८६०
ई	३३०-१२-४५०	४६०-१६-६५२
एफ	३१०-९-४००	४४०-१२-५८४
जी	२८५-७.५०-३६०	४१५-१०-५३५
एच	२७४-७-३४४	४०४-९-५१२

सी मासिक दर के कर्मचारी (क्लरिकल) :

स्पेशल	५१०-२७-७२६-३३-७९२	६४०-३५-९२०-४१-१०८४
१	४४२-२२-६१८-३०-६७८	५७२-२९-८०४-३५-९४४
२	३७८-१८-५२२-२४-५७०	५०८-२३-६९२-२९-८०८
३	३३०-१२-४३८	४६०-१६-६३६

डी एक्सकावेशन मजदूर :

(१) दैनिक दर

स्पेशल	२६.८०-१.३७-४०.५०	३१.८०-१.७८-५१.६८ बड़ा ड्रैगलाइन आपरेटर
ए	२३.००-१.१५-३४.५०	२८.००-१.४९-४५.८८
बी	२०.४५-१.००-३०.४५	२५.४५-१.३०-४१.०५
सी	१८.६०-०.८७-२७.३०	२३.६०-१.१३-३७.१६
डी	१५.९०-०.६४-२२.३०	२०.९०-०.८३-३०.८६
ई	१२.२०-०.३७-१५.९०	१७.२०-०.४८-२२.९६

(२) मासिक दर :—

पिट सुपरवाइजर ५३२-३०-५९२-३२-८४८-३६-९५६ ६६२-३९-७४०-४१-१०६८-४४-१२४४

ई पीस रेट मजदूर : (धारा ५.२.१ के अनुसार)

ग्रूप	राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता—१ पुराना दर	फाल बैक मजदूरी	१-१-७९ से लागू होने वाला संशोधित दर	फाल बैक मजदूरी
१	१०.३६	१०.००	१५.३६	१५.००
२	१०.६८	१०.००	१५.७५	१५.२५
३	११.३६	१०.३६	१६.३६	१५.५०
४	११.५९	१०.६३	१६.७०	१५.७५
५	१२.७२	११.५९	१८.१५	१७.१५ *
५ 'ए'	१३.००	१३.००	१८.५०	१८.५०

* पीस रेट के टालीवानों को छोड़कर, जिनकी फाल बैक मजदूरी १८ रु. १५ पैसे होगी।

एफ आसाम कोलफील्ड के श्रमिकों का वेतनमान :—

(१) दैनिक दर मजदूर :

१	११.५०-०.२३-१३.८०	१७.२५-०.३०-२०.८५
२	११.९५-०.३०-१४.९५	१७.७१-०.३९-२२.३९
३	१३.०५-०.३७-१६.७५	१८.८०-०.४८-२४.५६
४	१४.६६-०.४७-१९.३६	२०.४१-०.६१-२७.७३
५	१६.७०-०.६३-२३.००	२२.४२-०.८३-३२.३८
६	२०.३६-०.८४-२८.७६	२६.११-१.०९-३९.१९

(२) मासिक दर मजदूर (तकनिकी तथा सुपरवाइजरी) :

ग्रेड राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-१	१-१-१९७९ से संशोधित मजदूरी दर
ए ६८०-३७-९७६-४१-११४०	८३०-४८-१२१४-५१-१४६९
बी ५८६-३१-८३४-३७-९८२	७३६-४०-१०५६-४६-१३३२
सी ५०८-२५-७०८-३३-८४०	६५८-३३-९२२-३९-११५६
डी ४३५-२१-६०३-२६-७०७	५७८-२६-७८६-३२-९७८
ई ३८०-१४-५२०	५२९-१८-७४५
एफ ३५७-१०-४५७	५०६-१४-६७४
जी ३२८-९-४१८	४७७-१२-६२१
एच ३१५-८-३९५	४६५-१०-५८५

(३) क्लरिकल :—

स्पेशल	५८७-३१-८३५-३८-९११	७३६-४०-१०५६-४४-१२३२
१	५०८-२५-७०८-३५-७७८	६५८-३३-९२२-४०-१०८२
२	४३५-२१-६०३-२७-६५७	५७८-२६-७८६-३३-९१८
३	३८०-१४-५०६	५२९-१८-७२७

परिशिष्ट-३

धारा ४.२.२ के अनुसार संशोधित वेतनमान में फिटमेंट का उदाहरण

उदाहरण-१

कैटेगरी १ (१०.००-०.२०-१२.००) पुराना	दैनिक मजदूरी रु० पै०	कैटेगरी १ (१५.००-०.२६-१८.१२) नया	दैनिक मजदूरी रु० पै०
वर्त्तमान बेसिक मजदूरी	१०.००	नया बेसिक मजदूरी	१५.०००
हाजरी बोनस बेसिक मजदूरी का १० प्रतिशत	१.००	हाजरी बोनस : बेसिक मजदूरी का १० प्रतिशत	१.५००
निश्चित मंहगाई भत्ता	१.५०	विशेष भत्ता (हाजरी बोनस पर १७.९५ प्रतिशत की दर से मिलने वाला अन्य लाभ)	०.२६९
३१-१२-७८ को उपभोक्ता मूल्य सूचक अङ्क ३३३ पर भी. डी ए. (उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक २४६ के ऊपर ८७ अंक)	४.३५	निश्चित मंहगाई भत्ता	२.६२३
		उपभोक्ता मूल्य सूचक अङ्क ३३३ पर भौ० डी० ए०	०.३००
३१-१२-७८ को कुल वेतन	१६.८५		
निम्नतम बढ़ती का लाभ	२.८४		
कुल योग—१९.६९		कुल योग १९.६९२ रु०	

उदाहरण-२

कैटेगरी-५ (१४.५०-०.५५-२०.००) पुराना	रु० पै०	कैटेगरी-५ (१९.५०-०.७२-२८.१४) नया	रु० पै०
वर्त्तमान बेसिक मजदूरी	१६.७०	नया बेसिक मजदूरी	२१.६६०
हाजरी बोनस : बेसिक मजदूरी का १० प्रतिशत	१.६७	हाजरी बोनस : बेसिक मजदूरी का १० प्रतिशत	२.१६६
निश्चित मंहगाई भत्ता	१.५०	विशेष भत्ता (हाजरी बोनस पर १७.९५ प्रतिशत की दर से मिलने वाला अन्य लाभ)	०.३८८
३१-१२-७८ को मूल्य सूचक अंक ३३३ पर भी. डी. ए. (मूल्य सूचकांक २४७ से ८७ अंक अधिक)	४.३५		
३१-१२-१९७८ का कुल वेतन	२४.२२	निश्चित मंहगाई भत्ता	२.६२३
निम्नतम बढ़ती का लाभ	२.८४	उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक ३३३ पर भी. डी. ए.	०.३००
कुल योग	२७.०६ रु.	कुल योग	२७.१३७ रु.

उदाहरण-३

तकनिकी तथा सुपरवाइजरी ग्रेड ए (५९२-३२-९४८-३८-९९२) पुराना	रु० पै०	तकनिकी तथा सुपरवाइजरी ग्रेड ए (७२२-४२-१०५८-४४-१२७८) नया	रु० पै०
वर्त्तमान बेसिक मजदूरी	७२०.००	नया बेसिक मजदूरी	८४८.००
हाजरी बोनस : बेसिक मजदूरी का १० प्रतिशत	७०.००	हाजरी बोनस : बेसिक मजदूरी का १० प्रतिशत	८४.८०
निश्चित मंहगाई भत्ता	३९.००	विशेष भत्ता (हाजरी बोनस पर १७.९५ प्रतिशत की दर पर मिलने वाला अन्य लाभ)	१५.२२
३१-१२-७८ को उपभोक्ता मूल्य सूचक अङ्क ३३३ पर भी. डी. ए.	११३.१०		
३१-१२-७८ को कुल वेतन	९४४.१०	निश्चित मंहगाई भत्ता	६८.२०
निम्नतम बढ़ती का लाभ	७३.९०	उपभोक्ता मूल्य सूचक अङ्क ३३३ पर भी. डी. ए.	७.८०
कुल योग	१०१८.००	कुल योग	१०२४.०२

उदाहरण-४

क्लरिकल ग्रेड—३ (३३०-१२-४३८) पुराना	रु० पै०	क्लरिकल ग्रेड—३ (४६०-१६-६३६) नया	रु० पै०
वर्त्तमान बेसिक मजदूरी	३९०.००	नया बेसिक मजदूरी	५२४.००
हाजरी बोनस बेसिक मजदूरी का १० प्रतिशत	३९.००	हाजरी बोनस : बेसिक मजदूरीका १० प्रतिशत	५२.४०
निश्चित मंहगाई भत्ता	३९.००	विशेष भत्ता (हाजरी बोनस पर १७.९५ प्रतिशत की दर से मिलने वाला अन्य लाभ)	९.४१
३१-१२-७८ को उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक ३३३ पर भी. डी. ए.	११३.१०	निश्चित मंहगाई भत्ता	६८.२०
३१-१२-७८ को कुल वेतन	५८१.१०	उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक ३३३ पर भी. डी. ए.	७.८०
निम्नतम बढ़ती का लाभ	७३.९०		
कुल योग	६५५.००	कुल योग	३६१.८१

परिशिष्ट—४

(ए) लीड (माइनर और लोडर के लिये, पारा ५.९.१ के अनुसार)

दूरी	१९७४ का एग्रीमेंट (४०.५ क्यू. फीट के प्रति टब का रेट जो क्यू. मीटर में बदला जायगा)	संशोधित दर (४०.५ क्यू. फीट के प्रति टब का रेट जो क्यू. मीटर में बदला जायगा)
० से ५० फीट	कुछ नहीं	कुछ नहीं
५१ से १०० फीट	रु० ०.३१५	रु० ०.४४७
१०१ से १५० फीट	०.९४५	१.३४२
१५१ से २०० फीट	१.५७५	२.२३६
२०१ से २५० फीट	२.२५०	३.१९५
२५० फीट से ऊपर प्रत्येक अतिरिक्त ५० फीट पर	०.९८०	१.३९२

(बी) लिफ्ट (माइनर और लोडर के लिये)

दूरी	१९७४ के एग्रीमेंट के अनुसार (४०.५ क्यू. फीट के प्रति टब पर जो क्यू० मी० में बदला जायेगा)।	संशोधित दरें ४०.५ क्यू. फीट के प्रति टब पर जो क्यू० मी० में बदला जायेगा।
	रु० पै०	रु० पै०
० से १० फीट	कुछ नहीं	कुछ नहीं
११ से १५ फीट	०.३१५	०.४४७
१६ से २० फीट	०.५९६	०.८४६
२१ से २५ फीट	०.९४५	१.३४२
२५ फीट के ऊपर		०.८९५
प्रत्येक ५ फीट के लिये	०.६३०	०.८९५

(सी) ओभरबर्डेन हटाने वाले मजदूरों के लिए लीड व लिफ्ट का दर

(धारा ५.९.२ के अनुसार)

लीड	पुराना दर	नया दर
पहला १०० फीट	कुछ नहीं	कुछ नहीं
पहले १०० फीट के बाद	९ रु. १२ पै. प्रति	१३ रु. १३ पै. प्रति
प्रत्येक ५० फीट अथवा उसके अंश के लिये	१००० क्यू. फीट	१०० क्यू. फीट
लिफ्ट		
पहला १० फीट	कुछ नहीं	कुछ नहीं
पहले १० फीट के ऊपर	४ रु. ५६ पै. प्रति	६ रु. ५७ पै. प्रति
प्रत्येक ५ फीट अथवा उसके अंश के लिये	१००० क्यू. फीट	१००० क्यू. फीट
टब ठेलाई	४०.५ क्यू. फीट के टब के लिये पुराना दर	४०.५ क्यू. फीट के टब के लिये नया दर
पहले १०० फीट से अधिक के ऊपर प्रत्येक १०० फीट या इसके अंश के लिये	०.१०५	०.१५७

(डी) माइनर और लोडर छोड़कर पीस रेट के मजदूरों का लीड और लिफ्ट दर :—

(धारा ५.९.३ के अनुसार)

वागन लोडर	पुराना दर	नया संशोधित दर
लीड		
प्रथम १०० फीट के ऊपर प्रत्येक ५० फीट अथवा उसके अंश के लिये	प्रति टन कोयला पर ३७.५ पैसे	प्रति टन कोयला पर ५४.०० पैसे
प्रथम १० फीट के ऊपर प्रत्येक ५ फीट या उसके अंश के लिये	प्रति टन कोयला पर १९ पैसे	प्रति टन कोयला पर २७ पैसे

परिशिष्ट—५

जे. बी. सी. सी. आई. के चिकित्सा (मेडिकल) सब कमिटी की सिफारिशों का सारांश :—

कोलियरियों में चिकित्सा सुविधाओं को और भी बढ़ाया जायेगा। चिकित्सा सुविधा के कुछ मुख्य पहलू निम्न प्रकार हैं :—

डिस्पेन्सरी :—

(१) प्रत्येक कोलियरी में चिकित्सकों तथा तत्सम्बन्धी कर्मचारियों की संख्या बढ़ायी जायगी। डिस्पेन्सरी ऐसे स्थानों पर बनाई जायगी जिससे मजदूरों की कोलोनियों से २-३ कि० मी० के भीतर हो, किसी कोलियरी का बहुत बड़े क्षेत्र में फैले होने से वहाँ आवश्यकता होने से एक से अधिक डिस्पेन्सरी भी बनाए जायेंगे।

(२) प्रत्येक डिस्पेन्सरी में निम्न स्टाफ रहेंगे :—

चिकित्सा पदाधिकारी	१
कम्पाउण्डर	२
नर्स/मिडवाइफ	१ (नर्स को प्राथमिकता दी जायगी)
ड्रेसर/वार्ड ब्वाय	२
स्वीपर	१
लिपिक	१

(३) इमर्जेन्सी केस को अस्पताल/डिस्पेन्सरी पहुँचाने के लिये समुचित मात्रा में एम्बुलेंस की व्यवस्था की जायगी। जहाँ एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होगा वहाँ प्रबन्धन द्वारा दूसरे वाहनों की व्यवस्था की जायेगी।

(४) दवाई के आपूर्ति की व्यवस्था की समीक्षा की जायगी जिससे अस्पताल व डिस्पेन्सरी में सभी तरह की दवाई उपलब्ध रहे, किसी दवा की कमी होने पर उसकी आपूर्ति की व्यवस्था की जायगी।

दवाई के पैसे का भुगतान (रि-इम्बर्समेन्ट) :

(५) यदि कोई दवाई कोलियरी मेडिकल आफिसर द्वारा लिखा गया होगा और उसकी आपूर्ति रोगी को कोलियरी अस्पताल/डिस्पेन्सरी से नहीं होने पर वह उस दवाई को बाहर से खरीद सकेगा तथा केश मेमों जमा कर दवा का पैसा का भुगतान ले सकेगा। पहले लिखा हुआ दवाई न मिलने पर उसकी जगह दूसरी दवा लिखा कर खरीदने की अनुमति रहेगी तथा उसके पैसे का भुगतान किया जायगा।

(६) कोयला कम्पनी के चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा कम्पनी के बाहर के अस्पताल में चिकित्सा हेतु भेजे जानेपर सम्बन्धित अस्पताल के जेनेरल वार्ड का खर्च भुगतान किया जायगा। कम्पनी के मेडिकल अधिकारी की अनुसंसा पर रोगी तथा उसके रक्षक कम्पनी से यात्रा भत्ता (डी ए. छोड़कर) पाने के हकदार होंगे।

(७) यदि कोई कर्मचारी छुट्टी मंजूर कराकर घर गया है और वहाँ गंभीर रूप से बीमार पड़े जिससे सरकारी अथवा स्वशासी निकाय अस्पताल में भर्ती करना पड़े वैसे हालत में भर्ती तथा दवाई खर्च, अस्पताल के जेनेरल वार्ड के शुल्क के अनुसार कम्पनी द्वारा भुगतान कर दिया जायगा।

(८) कोलियरी अस्पताल द्वारा रोगी की चिकित्सा हेतु श्रम कल्याण संस्था के अस्पताल में भेजे जाने पर यदि संस्था अस्पताल अथवा कम्पनी के अस्पताल/डिस्पेन्सरी से दवाई की आपूर्ति नहीं होती है और श्रमिक को ही बाहर से दवाई खरीदना पड़ता है, वैसी हालत में कम्पनी द्वारा श्रमिक को दवाई खर्च भुगतान कर दिया जायगा तथा कम्पनी द्वारा श्रम कल्याण संस्था से पैसा वसूल किया जायगा।

द्रष्टव्य—परिशिष्ट (५-ए) में उल्लिखित नियमों का पालन दवाई के पैसे का भुगतान के लिये आवश्यक समझा जाना चाहिये।

अस्पताल का खाना :

(९) कम्पनी के अस्पताल में भर्ती मरीजों को निःशुल्क भोजन मिलेगा। खाद्य पदार्थों के मूल्य में बढ़ती की वजह से मरीजों के खाने के वर्तमान खर्च में जो कोयला कम्पनी द्वारा खर्च किया जाता है, बढ़ती की जायेगी।

अस्पताल :

(१०) अस्पताल के सेवा में विकास का कार्यक्रम निम्न आधार पर किया जाना चाहिए।

(अ) प्रति १०० श्रमिक पर १ बिस्तर का लक्ष्य होना चाहिए। यह कम्पनी तथा श्रम कल्याण संस्था दोनों मिलाकर हो। आगामी चार वर्षों में कम्पनी तथा कल्याण संस्था मिलाकर कम से कम १६० श्रमिकों पर एक बिस्तर सुनिश्चित हो।

(ब) जहाँ तक संभव हो एक सौ अथवा अधिक बिस्तर की अच्छी चिकित्सा सुविधा के साथ बड़े क्षेत्रीय अस्पताल बनाए जाँय। इन अस्पतालों में दवा, शल्य चिकित्सा, मातृत्व सेवा, जाँच सेवा, एनास्थेसिया, समुचित एक्सरे सुविधा, तथा जिससे नियोमोकोनियोसिस की जाँच हो सके, इ. सी. जी., खून चढ़ाने इत्यादि की सुविधा से युक्त हो। ऐसे अस्पताल प्रशासनिक क्षेत्रों से भिन्न भौगोलिक आधार पर गठित किए जाँए।

(स) जो क्षेत्र तथा खदान दूर दराज क्षेत्रों में अवस्थित हैं और वहाँ १०० बिस्तर के अस्पताल की आवश्यकता नहीं हो तो आवश्यकतानुसार छोटे अस्पताल बनाए जाँय।

(द) सेण्ट्रल कोलफील्ड तथा वेस्टर्न कोलफील्ड में जहाँ कल्याण संस्था के समुचित केन्द्रीय अस्पताल नहीं हैं वहां एक केन्द्रीय अस्पताल का गठन किया जाना चाहिए। सभी कोयला कम्पनियों में कम से कम एक-एक अस्पताल में पैथोलोजी, रेडियोलोजी, हड्डी, नाक-कान, गला-आँख, दाँत तथा शिशु रोग चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराया जाए।

(य) प्रत्येक क्षेत्रीय अस्पताल में कैज्वलटी सेवा उपलब्ध हो जो चौबीसो घण्टे खुला रहे।

मेडिकल एलाउन्स :—

(११) जो कर्मचारी अभी दवाई खर्च हेतु एक महीने का वेतन/मजदूरी पाते हैं वे यह सुविधा पाते रहेंगे।

सामान्य :—

(१२) कम्पनी के अस्पताल तथा कल्याण संस्था के अस्पताल में इस प्रकार का तालमेल होना चाहिए जिससे एक ही काम को दुहराया नहीं जाय, बर्बादी को रोका जाय तथा वर्तमान सुविधाओं में सुधार किया जा सके ।

(१३) सब-कमिटी ने इस बात को लक्ष्य किया कि पिछले मालिकों के समय की विषमता अभी तक कोल इण्डिया लि० की इकाइयों में भी चली आ रही है और उसमें एक समान विकास नहीं किया गया है । कोयला खान श्रम कल्याण संस्थान के अस्पतालों में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं में विषमता है । यह महसूस किया गया कि इन विषमताओं को अविलम्ब दूर करना सम्भव नहीं होगा अतः कोयला कम्पनियों को सब-कमिटी की सिफारिशों को मद्देनजर रखते हुए इस तरह का कार्यक्रम तैयार करना चाहिए जिससे इसमें सुधार लाया जा सके ।

जहाँ कहीं भी इससे अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं वे उसी तरह मिलती रहेंगी ।

परिशिष्ट—५ (ए)

री-इम्बर्समेट (भुगतान)

(धारा १०.५.१ के अनुसार)

(१) कैशमेमो दाखिल करने पर अस्पताल/डिस्पेंसरी के दवाई इम्प्रेस्ट से भुगतान किया जाएगा ।

(२) (अ) संदर्भ पत्र
(ब) प्रेस्क्रिप्सन/कैशमेमो
(स) डिस्चार्ज सर्टिफिकेट
(द) आवश्यक प्रमाणपत्र दाखिल करने पर

(३) सन्दर्भ पत्र बाद देकर उपरोक्त (२) के अनुसार ।

(४) कोयला खान श्रम कल्याण संस्था के प्रेस्क्रिप्सन/कैशमेमो दाखिल करने पर ।

———

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२

क्रियान्वयन आदेश सं—१

संदर्भ सं० आइ० आर०/९४/आई० एम० पी० दि० २७-८-१९७९

विषय : कोयला उद्योग के कर्मचारियों को घर भाड़ा भत्ता का भुगतान एवं घर भाड़ा की वसूली इत्यादि ।

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि जिन कर्मचारियों को आवासीय स्थान उपलब्ध नहीं कराया गया है उन्हें १२ रु० प्रति माह की दर से घर भाड़ा भत्ता दिया जायगा । आगे यह प्रावधान है कि घर भाड़ा भत्ता के भुगतान का नियमन निम्न प्रकार से होगा :—

(क) "वे कर्मचारी जिन्हें व्यक्तिगत रूप से निम्न प्रकार के घर का आवंटन हुआ है उन्हें छोड़कर अन्य कर्मचारी १२ रु० प्रति माह की दर से घर भाड़ा भत्ता पाने के हकदार होंगे ।

(१) कोई भी पक्का घर जिसमें एक अथवा अधिक कमरे हों और जिसमें सम्मिलित अथवा अलग से पखाना/स्नान की व्यवस्था है ।

(२) नये आवासीय योजना के अन्तर्गत कोई घर, अल्प लागत आवासीय योजना के तहत कोई मकान अथवा एक कमरा, आर्च टाइप का आवास ।

(ख) यदि दो कमरों वाला घर दो कर्मचारियों को एक-एक करके आबंटित किया गया है तो प्रत्येक आवंटी को घर भाड़ा का ५०% अर्थात् ६ रु० प्रति व्यक्ति प्रति माह मिलेगा ।

(ग) अनधिकृत रूप से दखल किये हुए घरवाले किसी भी प्रकार के घर भाड़ा के हकदार तबतक नहीं होंगे जबतक वे वह घर खाली नहीं कर देते ।

(घ) यदि एक कमरेवाला मकान एक से अधिक व्यक्ति को आबंटित किया गया है अथवा यदि दो कमरेवाला मकान दो से अधिक व्यक्ति को आबंटित किया गया है तो सभी आवंटी १२ रु० प्रति माह की दर से घर भाड़ा भत्ता पाने के हकदार होंगे ।

(ङ) वे कर्मचारी जिन्हें बैरेक, या मेस अथवा होस्टल में एक सीट आबंटित किया गया है तो वे १२ रु० प्रति माह की दर से घर भाड़ा भत्ता पाने के हकदार होंगे ।

(च) जहाँ पति और पत्नी दोनों ही कर्मचारी हैं और जहाँ उनमें से किसी एक को ऊपर धारा (क) में उल्लिखित अनुसार घर आबंटित किया गया है तो वे घर भाड़ा भत्ता के हकदार नहीं होंगे ।"

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ में आगे और भी निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :—

"८.३.३ शहरों/नगरों में कर्मचारियों को भुगतान किया जानेवाला घर भाड़ा भत्ता की प्रतिशत यथा-स्थिति बरकरार रहेगी ।

८.३.४ उन मामलों में जहाँ शहरी क्षेत्र में कर्मचारियों को घर भाड़ा भत्ता के रूप में १० प्रतिशत, १५ प्रतिशत, २० प्रतिशत अथवा २५ प्रतिशत, जो भी हो, मिलता है, उसमें कोई कटौती नहीं होगी ।

घर भाड़ा की वसूली :—

८.४.१ जिन कर्मचारियों को आवासीय स्थान दिया गया है उनसे घर भाड़ा की वसूली के सम्बन्ध में यथा स्थिति बरकरार रहेगी परन्तु उन मामलों में जहाँ सम्बन्धित कर्मचारी को माइनर्स टाइप अथवा निम्न श्रेणी का क्वार्टर दिया गया है वहाँ घर भाड़ा की वसूली नहीं की जायगी ।

८.४.२ जहाँ किसी कर्मचारी द्वारा प्रबन्धन से प्राप्त आवासीय स्थान के लिये घर भाड़ा का भुगतान किया जाता है, वह रकम पूर्ववत वसूला (काटा) जाता रहेगा ।

८.४.३ इस वेतन समझौता के तहत किसी कर्मचारी की बुनियादी मजदूरी में वृद्धि होने मात्र से ही उक्त कर्मचारी के घर के आबंटन नियम में कोई फेर बदल नहीं होगा तथा घर भाड़ा में भी कोई बढ़ती नहीं दी जायगी ।

उपरोक्त प्रावधानों को १-१-१९७९ से लागू हुआ समझा जायगा ।

प्रबन्धन से यह अनुरोध किया गया कि वे समझौता के उपरोक्त प्रावधानों को लागू करने हेतु कदम उठावें ।

समझौता में इस आशय का प्रावधान किया गया है कि जिन कर्मचारियों को माइनर टाइप अथवा निम्न श्रेणी का क्वार्टर दिया गया है वे प्रबन्धन को कोई घर भाड़ा नहीं देंगे । ऐसे कुछ मामले हो सकते हैं जहाँ कर्मचारियों से जिन्हें १-१-१९७९ के बाद उस तरह का माइनर्स क्वार्टर अथवा निम्न स्तर का क्वार्टर दिया गया है उनसे घर भाड़ा की कटौती की गयी हो । यह आवश्यक होगा कि जिन कर्मचारियों से इस तरह से १-१-१९७९ के बाद से घर भाड़ा की जो कटौती की गयी है उसे वापस कर दिया जाय । सम्बन्धित कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान में निर्धारित करके बकाया का भुगतान करते समय उक्त रकम का समायोजन (एडजस्टमेंट) किया जाय ।

सरकुलर सं. १८ दि० १-११-७९ का उद्धरण :

बिजली चार्ज की वसूली :

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ की धारा ८.५.१ में इस विषय का उल्लेख है जिसे यहाँ उधृत किया जाता है :—

"८.५.१ कोलफील्ड क्षेत्र में जिन श्रमिकों को प्रबन्धन द्वारा क्वार्टर दिया गया है और वहाँ बिजली की भी आपूर्ति की जाती है उन्हें प्रति क्वार्टर प्रति माह ३० युनिट तक के बिजली खपत की निःशुल्क सुविधा मिलेगी और वर्तमान सीमा में तदनुसार संशोधन किया जायगा । इस निःशुल्क सीमा से अधिक की बिजली खपत के लिये श्रमिकों को उसी दर से बिजली का खर्च देना होगा जिस दर से प्रबन्धन को बिजली विभाग को भुगतान करना पड़ता है ।"

प्रबन्धन से यह अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त प्रावधान को लागू करें ।

———

सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा तथा कल्याण

आई. आर./९४/आई. एम. पी./५४९ दि० २८-३-८०

क्रियान्वयन आदेश सं०—२

विषय : सेवा अवधि में किसी श्रमिक के स्थायी अपंग होने तथा किसी श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके एक आश्रित को नौकरी देने का प्रावधान।

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ जिसे कोयला उद्योग के लिये गठित संयुक्त द्विपक्षीय समिति ने ११-८-७९ को अन्तिम रूप दिया था और जो १-१-७९ से लागू किया गया उसमें यह प्रावधान किया गया कि कार्यकाल के दौरान किसी श्रमिक के स्थायी अपंग होने अथवा उनकी मृत्यु होने पर उसके एक आश्रित को नौकरी दी जायगी। आगे यह प्रावधान किया गया कि इस प्रावधान को निम्न तरह से लागू किया जायगा :

"१०.४.२ सेवा अवधि में किसी श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके एक आश्रित को नौकरी :—

(अ) इसके लिये पत्नी / पति जो भी हो, अविवाहित लड़की, पुत्र तथा कानूनी रूप से गोद लिया लड़कों को आश्रित माना जायगा। यदि इस तरह के प्रत्यक्ष आश्रित उपलब्ध नहीं होंगे तब छोटा भाई/विधवा लड़की/विधवा पुतोहू अथवा जवाँई जो मृतक के साथ रहता रहा हो तथा मृतक की कमाई पर ही पूरे तौर से आश्रित रहा हो, उन्हें नौकरी के लिये मृतक का आश्रित माना जायगा।

(ब) जो शारीरिक रूप से सक्षम हों तथा उम्र ३५ वर्ष से अधिक नहीं हो वैसे आश्रित को काम देने पर विचार किया जायगा। आश्रित में पत्नी अथवा पति होने से उम्र सीमा की कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

१०.४.३ स्थायी रूप से अपंग होने पर उस श्रमिक के एक आश्रित को नौकरी :—

(अ) दुर्घटनाग्रस्त अथवा बीमारी के कारण स्थायी रूप से अपंग होने के फलस्वरूप नौकरी चले जाने पर सम्बन्धित कोयला कम्पनी द्वारा उसे इस आशय का प्रमाणित किया जाना चाहिये।

(ब) आश्रित को नौकरी में बहाल करने के लिये तभी विचार किया जायगा यदि वह (आश्रित) शारीरिक रूप से सक्षम हो तथा ३५ वर्ष की उम्र के नीचे हो।"

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ में इस आशय का प्रावधान भी है कि सेवा से अवकाश ग्रहण (रिटायर) करने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी के लिये प्राथमिकता दी जायगी।

प्रबन्धन से यह अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त फैसले को लागू करने हेतु आवश्यक कदम उठायें। सभी कम्पनी में समान व्यवस्था लाने के उद्देश्य से यह निर्णय हुआ कि मृतक श्रमिक अथवा स्थायी रूप से अपंग हुए श्रमिक के एक आश्रित को नौकरी देने के सम्बन्ध में सम्बद्ध कम्पनी के निदेशक (कार्मिक)/निदेशक (कर्मशियल) अथवा उनकी उनुपस्थिति में कार्मिक विभाग के प्रमुख द्वारा विचार एवं निर्णय किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में एक तौर-तरीका का मसौदा तैयार तथा लागू किया जाय जिससे सम्बन्धित इकाई उन कार्यालयों को विस्तृत विवरण भेज सके।

सेवानिवृत (रिटायर) करने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी में प्राथमिकता देने के खयाल से एक तौर-तरीका का प्रारूप लागू किया जाय जिससे खाली स्थानों पर सीधा बहाली के समय गृह पत्रिका / मैगेजीन से उक्त आशय को प्रसारित किया जाय जिससे रिटायर करने वाले कर्मचारी के इच्छुक आश्रितों को इस विषय (रिक्त पदों) की जानकारी हो जाय तथा वे इसके लिये आवेदन दें।

क्रियान्वयन आदेश सं० —३

सं० आई. आर./९४/आइ. एम. पी. दि० २९-३-७९

विषय : कर्मचारी क्षतिपूर्ति लाभ विधान के तहत मिलने वाले लाभ का भुगतान।

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ जिसे कोयला उद्योग के लिये गठित द्विपक्षीय समिति द्वारा ११-८-७९ को मंजूरी दिया गया और जो १-१-१९७९ से लागू हुआ, उसमें यह प्रावधान है कि :—

"कर्मचारी क्षतिपूर्ति लाभ"

१०.३.१ यह समझौता हुआ कि :—

(१) इस समझौता के अधीन आनेवाले श्रमिक वर्कमेन्स कम्पेन्सेसन एक्ट १९२३ के अनुसार मिलने वाले सुविधा के हकदार होंगे।

(२) इस समझौता द्वारा वेतन बढ़ने के कारण वर्कमेन्स कम्पेन्सेसन एक्ट के अनुसार मिलनेवाले लाभ में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा।

(३) यदि कोई कर्मचारी काम की अवधि में काम करते हुए किसी दुर्घटना का शिकार होकर अक्षम होता है तो उसे दुर्घटना के दिन से कम्पनी के डाक्टरों द्वारा फिट (योग्य) किये जाने तक की अवधि में पूरा वेतन तथा भत्ता दिया जायगा। यह सुविधा पाने के लिये सम्बन्धित श्रमिक को कोलियरी अथवा प्रतिष्ठान में ही रहना पड़ेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ उल्लिखित समझौता सभी कैटेगरी के कर्मचारियों पर लागू होता है जो पहले राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता जो कोयला उद्योग की संयुक्त द्विपक्षीय समिति द्वारा ११-१२-१९७४ को निर्धारित किया गया था और जिसे अब से राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-१ के नाम से उल्लेख किया जायगा। उपरोक्त निर्णय को १-१-१९७९ से प्रभावी माना जायगा।

प्रबन्धन से अनुरोध किया गया है कि वे राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के अपरोक्त प्रावधानों को लागू करने हेतु कदम उठावें।

———

संदर्भ : आई. आर./९४/आई. एम. पी./एन. सी.डब्लू ए.-२-क्रि. आ सं-३

दि० २७/२९-८-७९

विषय : राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ की धारा १०.३.१ के अन्तर्गत कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति लाभ

उपरोक्त संदर्भित परिपत्र को जारी रखते हुए, राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ की धारा १०.३.१ (३) के प्रावधान को लागू करते समय निम्नलिखित प्रशासनिक तरीका अपनाया जायगा :

(अ) प्रत्येक खदान/प्रतिष्ठान में एक रजिस्टर रखा जायगा जिसमें प्रत्येक पाली में दुर्घटनाग्रस्त होने वाले कर्मचारियों का विस्तृत विवरण रखा जायगा और वह कम से कम ई-२ ग्रेड से ऊपर के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा। फिर भी यदि कोई पाली किसी उच्च अधिकारी के चार्ज में हो तो उसमें लिखे विवरणी की समुचित जाँच करके उसे पृष्ठांकित (काउण्टर साइन) कर देंगे। जहाँ किसी पाली में उपरोक्त उल्लिखित ई-२ ग्रेड अथवा इससे उच्च पद के अधिकारी उपलब्ध नहीं होंगे तो उक्त पाली के चार्ज में रहे सबसे सिनियर कर्मचारी रजिस्टर में लिखे को हस्ताक्षरित कर देंगे और जल्द से जल्द जितना पहले सम्भव हो उसे उस इकाई के प्रबन्धक/अधिकारी द्वारा २४ घंटे के भीतर हस्ताक्षरित करा लेंगे।

(ब) जहाँ आवश्यक होगा दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारी का प्राथमिक उपचार निपुण फर्स्ट-एड कर्मचारी द्वारा किया जायगा और उसके तुरन्त बाद उसे सम्बन्धित कोलियरी/इकाई के चिकित्सा अधिकारी के पास आगे की आवश्यक कारवाई तथा चिकित्सकीय उपचार हेतु भेज दिया जायगा।

(स) तत्पश्चात सम्बन्धित चिकित्सा पदाधिकारी एक प्रमाण पत्र देंगे तथा उसे उस इकाई के कोलियरी प्रबन्धक / अधिकारी-इन-चार्ज के पास कर्मचारी का नाम, उसका पदनाम, दुर्घटना की तिथि एवं समय तथा क्या दुर्घटनाग्रस्त श्रमिक अपना पहला काम करने में सक्षम है अथवा कोई विकल्प काम के, अस्थायी अपंगता की अनुमानित अवधि तथा

दुर्घटनाग्रस्त श्रमिक को पुनः जाँच के लिये किस तारीख को फिर रिपोर्ट करना है यह सभी विवरण लिख देंगे ।

(द) सम्बन्धित चिकित्सा पदाधिकारी प्रत्येक दुर्घटनाग्रस्त श्रमिक के सम्बन्ध में अलग से एक **फाइल-चार्ट** रखेंगे जिसमें प्रत्येक दिन की कारवाई को अद्यतन रखेंगे और उसे **अस्थायी** अपंगता की अवधि तक रखेंगे । यदि सम्बन्धित श्रमिक की अपंगता की अवधि एक महीना से अधिक की होती है जिस अवधि में न तो वह अपना काम करने में सक्षम होता है और न हीं कोई वैकल्पिक कार्य कर सकता है तो उस स्थिति में इस पूरे मामले की शिफारिश हेतु पुनरावलोकन एक कमिटी द्वारा किया जायगा जिसका गठन कोलियरी प्रबन्धक/इकाई के अधिकारी-इन-चार्ज करेंगे । उक्त कमिटी मे सम्बन्धित इकाई के चिकित्सा पदाधिकारी, पास की इकाई के दूसरे चिकित्सा अधिकारी तथा सम्बन्धित इकाई के कार्मिक/कल्याण पदाधिकारी रहेंगे । यदि अपंगता की अवधि दो महीना से अधिक हो जाती हैं तो उस मामले को कम्पनी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सी. एम. ओ.) के पास सम्बन्धित कर्मचारी की परीक्षा (जाँच) के लिये तथा यह निर्धारण के लिये कि उसे और कितनी अनुमानित अवधि तक अपंगता की स्थिति में रहना पड़ सकता है अथवा विकल्प में वे उसके आगे की चिकित्सा व्यवस्था की सिफारिश करेंगे तथा यह उल्लेख कर देंगे कि उसे अनुमानित और किस अवधि तक अपंगता की स्थिति में रहना पड़ सकता है । इसके बाद प्रत्येक माह अथवा जितने अल्प अवधि में वह आवश्यक समझे मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी इसी तरह का पुनरावलोकन करते रहेंगे । अपंगता की अवधि के भुगतान का लाभ इकाई के चिकित्सा अधिकारी, कमिटी अथवा मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी जो भी हो द्वारा उनके रिपोर्ट के आधार पर संचालित होगा ।

(य) अस्थायी अपंग श्रमिक को इस लाभ का हकदार होने के लिये सम्बन्धित कोलियरी इकाई में ही रहना होगा एवं इसके लिये सम्बन्धित इकाई के कल्याण अधिकारी / कार्मिक अधिकारी को प्रमाणित करना होगा ।

सम्बन्धित श्रमिक की अस्थायी अपंगता की अवधि के लाभ के लिये

बुनियादी मजदूरी एवं मंहगाई भत्ता के भुगतान का हिसाब निम्न प्रकार से जोड़ा जायगा :—

(१) मासिक दर तथा दैनिक दर श्रमिकों के मामले में—बुनियादी मजदूरी तथा मंहगाई भत्ता जो वह पिछले वेतन अवधि में प्राप्त करता था उसी दर से ।

(२) पीस रेट कर्मचारियों के मामले में यह लाभ उनके ग्रूप मजदूरी तथा मंहगाई भत्ता के आधार पर जोड़ा जायगा जो वे पिछले वेतन अवधि में प्रति दिन प्राप्त किये हैं ।

नौकरी की अवधि तथा कार्य अवधि में श्रमिक के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले में केसों के पंजीकरण हेतु वर्त्तमान तौर तरीका के अतिरिक्त ऊपर वर्णित तौर तरीका को भी अपनाया जायगा ।

———

अर्जित छुट्टी तथा राष्ट्रीय/त्योहार छुट्टियाँ

क्रियान्वयन आदेश सं०—४

सं० आई. आर./९४/आई. एम. पी. दि० २७-८-१९७९

विषय : अर्जित छुट्टी तथा राष्ट्रीय त्योहार की छुट्टियों की अनुमति

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ जिसे कोयला उद्योग के लिये गठित संयुक्त द्विदलीय समिति ने ११-८-१९७९ को अंतिम रूप दिया और जो १-१-१९७९ से लागू हुआ, उसमें निम्नलिखित प्रावधान है :—

"अर्जित छुट्टी तथा राष्ट्रीय एवं त्योहार छुट्टियाँ :

७.१.१ पैसे के साथ सालाना छुट्टी माइन्स एक्ट के प्रावधान के अनुसार मिलता रहेगा ।

पैसे के साथ अर्जित छुट्टी सालाना छुट्टी का जमा होना :

७.१.२ अर्जित छुट्टी/सालाना छुट्टी जमा करने के लिये वर्त्तमान प्रावधान को बढ़ा कर ७० दिन कर दिया गया है ।

बीमारी की छुट्टी :

७.२.१ बीमारी की छुट्टी के लिये पूरा पैसे के साथ एक साल में १५ दिन की छुट्टी का वर्त्तमान प्रावधान चालू रहेगा ।

७.२.२ पूरे पैसे के साथ बीमारी की छुट्टी को ४५ दिनों तक जमा रखा जा सकता है ।

राष्ट्रीय/त्योहार छुट्टियाँ :

७.५.१ वर्त्तमान राष्ट्रीय/त्योहार छुट्टियाँ अभी की तरह ही मिलती रहेगी ।"

उपरोक्त प्रावधानों का क्रियान्वन १-१-१९७९ से हुआ समझा जायगा । उपरोक्त फैसलों को लागू करने हेतु प्रबन्धन से अनुरोध किया गया ।

———

क्रियान्वयन आदेश सं०—५

सं० आई. आर./९४/आई. एम. पी. दि० २७-८-१९७९

विषय : टी. बी., कैंसर, कुष्ठ तथा लकवा से पीड़ित कर्मचारियों के लिये विशेष छुट्टी की सुविधा :

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ जिसे कोयला उद्योग के लिये गठित संयुक्त द्विदलीय समिति ने ११-८-१९७९ को अन्तिम रूप दिया और जो १-१-१९७९ से लागू हुआ उसमें यह प्रावधान है कि :—

"७.३.१ टी. बी., कैंसर, कुष्ठ तथा लकवा से पीड़ित कर्मचारियों के लिये विशेष छुट्टी की सुविधा ।

टी. बी., कैंसर, कुष्ठ तथा लकवा से पीड़ित कर्मचारियों को बेसिक मजदूरी, निश्चित मंहगाई भत्ता, भी. डी. ए. तथा विशेष भत्ता का ५० प्रतिशत मजदूरी पर छ महीने तक की विशेष छुट्टी दी जा सकती है वशर्ते कम्पनी के चिकित्सा पदाधिकारी अथवा कोयला खान श्रमिक कल्याण संस्था के चिकित्सा अधिकारी अथवा प्रबन्धन द्वारा किसी भी अस्पताल में तत्सम्बन्धी चिकित्सा हेतु भेजे जाने की शिफारिश की गयी हो ।"

उपरोक्त प्रावधान १-१-१९७९ से लागू हुआ समझा जायगा । प्रबन्धन से अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त फैसले को लागू करने हेतु कदम उठायें ।

———

क्रियान्वयन आदेश सं०—६

सं० आई. आर./६४/आई. एम. पी. दि० २७-८-१९७९

विषय : रिटायर होने पर ग्रैच्युटी—रकम का निर्धारण :

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ जिसे कोयला उद्योग के लिये गठित द्विदलीय समिति ने ११-८-७९ को अन्तिम रूप दिया और जो १-१-१९७९ से लागू हुआ, में निम्नलिखित प्रावधान है :—

"रिटायर होने पर ग्रैच्युटी-रकम का निर्धारण :

१०.१.१ तीस वर्षों से अधिक की सेवा अवधि पर प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष हेतु एक महीना का वेतन (जैसे : बेसिक मजदूरी, निश्चित मंहगाई भत्ता, विशेष भत्ता, भी. डी. ए. तथा अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स जोड़कर) के हिसाब से ग्रैच्युटी में जोड़ा जायगा। इसके लिये अन्तिम प्राप्त वेतन को आधार माना जायगा। सेवा के अन्तिम वर्ष यदि पूरा एक साल नहीं होता है तो जितना काम होगा उसी अनुपात में ग्रैच्युटी जोड़ा जायगा।"

उपरोक्त प्रावधान १-१-१९७९ से लागू हुआ समझा जायगा। प्रबन्धन से अनुरोध किया गया कि उपरोक्त फैसले को लागू करने हेतु कदम उठावें।

———

क्रियान्वयन आदेश सं—७

सं० आई. आर /६४/ आई. एम. पी. दि० २७-८-१९७९

विषय : सिटी कम्पेन्सेटरी एलाउन्स :

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ जिसे कोयला उद्योग के लिये गठित द्विदलीय समिति ने ११-८-७९ को अन्तिम रूप दिया और जो १-१-१९७९ से लागू हुआ में निम्नलिखित प्रावधान है :—

"११.५.१ सिटी कम्पेन्सेटरी एलाउन्स :

कोयला कम्पनी के प्रबन्ध के अधीन कार्यरत श्रमिकों को जो शहरों/नगरों (धनबाद तथा आसनसोल इत्यादि कोलफील्ड अंचल को छोड़कर) में रहते हैं अथवा ड्युटी में भेजे जाते हैं उन्हें निम्न प्रकार से सिटी कम्पेन्सेटरी एलाउन्स दिया जायगा :—

शहर/नगर की श्रेणी	बेसिक मजदूरी	सिटी कम्पेन्सेटरी एलाउन्स की दर
'ए' क्लास जैसे कलकत्ता/हावड़ा/नई दिल्ली/बम्बई/मद्रास तथा हैदराबाद	३९० रु० तथा इससे अधिक	बेसिक मजदूरी का ६ प्रतिशत जो कम से कम १६ रु० ५० पै० तथा अधिकतम ७५ रु० हो।
'बी' क्लास अर्थात् कानपुर/नागपुर/लखनऊ/अहमदाबाद एवं बंगलोर	३९० रु० तथा इससे अधिक	बेसिक मजदूरी का ४.५ प्रतिशत जो कम से कम १६ रु. ४५ पै० तथा अधिक से अधिक ५० रु० हो।

शहर/नगर की श्रेणी	बेसिक मजदूरी	सिटी कम्पेन्सेटरी एलाउन्स की दर
'बी-२' क्लास अर्थात् पटना/ जयपुर तथा भोपाल (सिर्फ शहरी क्षेत्र)	७५० रु० से कम	बेसिक मजदूरी का ३.५ प्रतिशत जो अधिकतम १० रु० प्रति माह हो।
	७५० रु. से अधिक	वह रकम जो वेतन को ७५६ रु० पूरा करने में कम होता हो।

भारत सरकार द्वारा कोलफील्ड को छोड़कर किसी अन्य शहर को 'ए', 'बी-१' अथवा 'बी-२' के स्तर का घोषणा किये जाने पर वह कोयला कम्पनियों के लिये भी लागू होगा।"

उपरोक्त प्रावधान १-१-१९७९ को लागू हुआ समझा जायगा। प्रबन्धन से अनुरोध किया गया कि वे इन फैसलों को लागू करने हेतु आवश्यक कदम उठावें।

———

क्रियान्वयन आदेश सं० ८

सं. आई. आर./९४/आई. एम. पी. दि० २७-८-७९

विषय : ओवरटाइम एलाउन्स का भुगतान एवं साप्ताहिक छुट्टी के दिन का भुगतान।

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ जिसे कोयला उद्योग की द्विपक्षीय समिति ने ११.८.७९ को अन्तिम रूप दिया और जो १.१.१९७९ को लागू हुआ उसमें निम्नलिखित प्रावधान है :—

"११.३.१ **ओवरटाइम का भुगतान**

विभिन्न प्रतिष्ठानों, इकाइयों तथा आफिसों में सभी कैटेगरियों के श्रमिकों को जिस प्रकार ओवरटाइम का भुगतान होता था वह होता रहेगा।

११.४.१. **साप्ताहिक छुट्टी के दिनों की मजदूरी :**

माइन्स एक्ट अथवा फैक्टरीज एक्ट के नियमों द्वारा संचालित खदान तथा प्रतिष्ठान के श्रमिकों को साप्ताहिक छुट्टी के दिन काम में बुलाने पर सामान्य मजदूरी से दूनी मजदूरी का भुगतान उन जगहों पर किया जायगा जहाँ अभी इससे कम मिल रहा है।"

प्रबन्धन से अनुरोध किया गया है कि वे राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के उपरोक्त प्रावधानों को लागू करने हेतु आवश्यक कदम उठावें। ऐसा समझा जायगा कि उक्त प्रावधान १.१.१९७९ से लागू कर दिये गये। सम्बन्धित कर्मचारी जो ओवरटाइम के हकदार होंगें उन्हें वास्तविक ओवरटाइम करने पर जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है उस हिसाब से ओवरटाइम का भुगतान होगा।

———

क्रियान्वयन आदेश संख्या—६

सं. आई. आर./६४/आई.एम.पी. दि १-६-१९७६

विषय : **संशोधित वेतनमान में फिटमेंट, संशोधित वेतनमान में सालाना बढ़ती का दिन, पीस-रेट का वेतन ढाँचा, माइनर एवं लोडरों के लिये लीड व लिफ्ट का भुगतान हाजरी बोनस, विशेष (स्पेशल) डी. ए., निश्चित (फिक्स्ड) डी. ए., भी.डी.ए, बकाया का भुगतान इत्यादि।**

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ से सम्बन्धित उपरोक्त विषयों का क्रियान्वयन आदेश सं ६ आपकी जानकारी एवं आवश्यक कारवाई हेतु संलग्न है। इस बात का विशेष उल्लेख करना है कि संशोधित वेतनमान (राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२) में कर्मचारियों के वेतन का भुगतान १.१०.१९७६ से शुरु होगा। ४५० रु० प्रति व्यक्ति उनके प्राप्य बकाया के मद में १.१.७६ से ३०.६.७६ की अवधि का एक तदर्थ भुगतान २०.६.७६ तक कर दिया जायगा। बकाया रकम का बाकी हिस्सा अर्थात् तदर्थ भुगतान को बाद देकर बचा हुआ रकम कर्मचारियों को ३१.१२.१९७६ के पहले भुगतान कर दिया जायगा। इसका यह अर्थ है कि संशोधित स्केल में फिटमेंट का चार्ट ३०.६.७६ तक पूरा कर लेना होगा।

फिटमेंट चार्ट इत्यादि में निर्देशित अनुसार हिसाब बनाते समय कोई अशुद्धि/गलती रह जाने से उसे आवश्यक समायोजन के जरिये बाद में ठीक कर लिया जायगा।

इसे अति आवश्यक समझा जाय।

१. प्रस्तावना

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ कोयला उद्योग के लिये गठित द्विपक्षीय समिति द्वारा ११.८.१९७६ को अन्तिम रूप दिया गया। पिछला राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता जो १.१.१९७५ से ३१.१२.१९७८ की अवधि तक लागू था उसे राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-१ के नाम से उल्लिखित किया जायगा। राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ की कापी सभी सम्बन्धित लोगों को पहले ही भेजी जा चुकी है। राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ में जैसा कि विशेष रूप से उल्लिखित है उसे अपवाद छोड़कर उक्त समझौता १.१ १९७६ से लागू होगा।

२. संशोधित वेतन ढांचा का ब्यौरा

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के अनुसार कोयला उद्योग के कर्मचारियों का वेतन ढांचा में निम्नलिखित तत्व होंगे :—

(अ) बुनियादी (बेसिक) मजदूरी।

(ब) हाजरी बोनस—बुनियादी (बेसिक) मजदूरी का १० प्रतिशत।

(स) विशेष भत्ता—हाजरी बोनस पर भविष्य निधि अंशदान, मुनाफा बोनस के बदले एक्स-ग्रेसिया का भुगतान एवं ग्रैच्युटी इत्यादि जोड़कर विशेष भत्ता होगा जो हाजरी बोनस पर १७.६५ प्रतिशत या बुनियादी मजदूरी का १.७६५ प्रतिशत के हिसाब से जोड़ा जायगा।

(द) निश्चित मंहगाई भत्ता—६२ रु० ८० पै० प्रति माह अथवा २ रु० ६२.३ पै० प्रति दिन के हिसाब से।

(य) परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक ३२७ अंकों से ऊपर कम अथवा अधिक जो भी हो वह प्रत्येक तिमाही में समायोजित किया जायगा।

३. संशोधित वेतन मान

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-१ एवं इसके सामने संशोधित वेतनमान जो राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के तहत निर्धारित किया गया है और जो १.१.१९७९ से लागू होगा वह निम्न प्रकार है :—

(अ) आसाम कोलफील्ड को छोड़कर तथा एक्सकैवेशन श्रमिकों के अलावा सभी कोलफील्ड के दैनिक दर श्रमिकों की मजदूरी निम्न प्रकार होगी :-

कैटेगरी	राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-१ वर्त्तमान	संशोधित वेतनमान १.१.७९ से लागू
१	१०.००-०.२०-१२.००	१५.००-०.२६-१८.१२
२	१०.४०-०.२६-१३.००	१५.४०-०.३४-१९.४८
३	११.३५-०.३२-१४.५५	१६.३५-०.४२-२१.३९
४	१२.७५-०.४१-१६.८५	१७.७५-०.५३-२४.११
५	१४.५०-०.५५-२०.००	१९.५०-०.७२-२८.१४
६	१७.७०-०.७३-२५.००	२२.७०-०.९५-३४.१०

(ब) आसाम कोलफील्ड को छोड़कर सभी कोलफील्ड के मासिक दर श्रमिकों (तकनिकी एवं सुपरवाइजरी) की मजदूरी :

ग्रेड	राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-१ (वर्त्तमान)	संशोधित वेतन मान १.१.७९ से लागू
ए	५९२-३२-८४८-३६-९९२	७२२-४२-१०५८-४४-१२७८
बी	५१०-२७-७२६-३२-८५४	६४०-३५-९२०-४०-११६०
सी	४४२-२२-६१८-२९-७३४	५७२-२९-८०४-३४-१००८
डी	३७८-१८-५२२-२३-६१४	५०८-२३-६९२-२८-८६०
ई	३३०-१२-४५०	४६०-१६-६५२
एफ	३१०-९-४००	४४०-१२-५८४
जी	२८५-७.५०-३६०	४१५-१०-५३५
एच	२७४-७-३४४	४०४-९-५१२

(स) आसाम कोलफील्ड छोड़कर अन्य सभी कोलफील्ड के मासिक दर श्रमिक (क्लरिकल) की मजदूरी :

ग्रेड	राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-१ (वर्तमान)	संशोधित मजदूरी १-१-७९ से लागू
स्पेशल	५१०-२७-७२६-३३-७९२	६४०-३५-९२०-४१-१०८४
१	४४२-२२-६१८-३०-६७८	५७२-२९-८०४-३५-९४४
२	३७८-१८-५२२-२४-५७०	५०८-२३-६९२-२९-८०८
३	३३०-१२-४३८	४६०-१६-६३६

(द) (१) सभी कोलफील्ड के एक्सकैवेशन श्रमिक :

कैटेगरी	राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-१ (वर्तमान)	संशोधित वेतनमान १-१-७९ से लागू
स्पेशल	२६.८०-१.३७-४० ५०	३१.८०-१ ७८-५१.३८ (बड़ा इंगलाइन ऑपरेटर)
ए	२३.००-१.१५-३४.५०	२८.००-१.४९-४५.८८
बी	२०.४५-१.००-३०.४५	२५.४५-१.३०-४१.०५
सी	१८.६०-०.८७-२७.३०	२३.६०-१.१३-३७.१६
डी	१५.९०-०.६४-२२.३०	२०.९०-०.८३-३०.८६
ई	१२.२०-०.३७-१५.९०	१७.२०-०.४८-२२.९६

(२) मासिक दर :

पिट सुपरवाइजर	५३२-३०-५९२-३२-८४८-३६-९५६	६६२-३९-७४०-४१-१०६८-४४-१२४४

(य) आसाम कोलफील्ड के दैनिक दर मजदूर :

कैटेगरी	राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-१ (वर्तमान)	संशोधित वेतनमान १-१-७९ से लागू
१	११.५०-०.२३-१३.८०	१७.२५-०.३०-२०.८५
२	११.९५-०.३०-१४.९५	१७.७१-०.३९-२२.३९
३	१३.०५-०.३७-१६.७५	१८.८०-०.४८-२४.५६
४	१४.६६-०.४७-१९.३६	२०.४१-०.६१-२७.७३
५	१६.७०-०.६३-२३.००	२२.४२-०.८३-३२.२८
६	२०.३६-०.८४-२८.७६	२६.११-१.०९-३९.१२

(र) आसाम कोलफील्ड के मासिक दर श्रमिक (तकनिकी एवं सुपरवाइजरी)

ग्रेड	राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-१ (वर्तमान)	संशोधित वेतनमान १-१-७९ से लागू
ए	६८०-३७-९७६-४१-११४०	८३०-४८-१२१४-५१-१४६९
बी	५८६-३१-८३४-३७-९८२	७३६-४०-१०५६-४६-१३३२
सी	५०८-२५-७०८-३३-८४०	६५८-३३-९२२-३९-११५६
डी	४३५-२१-६०३-२६-७०७	५७८-२६-७८६-३२-९७८
ई	३८०-१४-५२०	५२९-१८-७४५
एफ	३५७-१०-४५७	५०६-१४-६७४
जी	३२८-९-४१८	४७७-१२-६२१
एच	३१५-८-३९५	४६५-१०-५८५

(ल) आसाम कोलफील्ड के मासिक दर श्रमिक (क्लरिकल) :

ग्रेड	राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-१ (वर्तमान)	संशोधित वेतनमान १-१-७९ से लागू
स्पेशल	५८७-३१-८३५-३८-९११	७३६-४०-१०५६-४४-१२३२
१	५०८-२५-७०८-३५-७७८	६५८-३३-९२२-४०-१०८२
२	४३५-२१-६०३-२७-६५७	५७८-२६-७८६-३३-९१८
३	३८०-१४-५०६	५२९-१८-७२७

४. **मासिक दर तथा दैनिक दर श्रमिकों के लिये फिटमेंट चार्ट— आसाम कोलफील्ड छोड़कर सभी कोयला अंचलों के लिये :**

संशोधित वेतनमान में तदनुरूप फिटमेंट का टेबल जो १-१-७९ से लागू होगा जिसे कर्मचारियों द्वारा ३१-१२-१९७८ को प्राप्त वेतन के आधार पर संशोधित दर पर फिट किया गया है :

ए) **दैनिक दर श्रमिक :**

जिनके लिये फिटमेंट चार्ट संख्या डी.आर.-१, डी.आर.-२, डी.आर.-३, डी. आर.-४, डी. आर.-५ एवं डी. आर.-६ के द्वारा फिटमेंट चार्ट प्रसारित किया गया है ।

बी) **एक्सकैवेशन श्रमिक :**

जिनके लिये फिटमेंट चार्ट संख्या एक्स-एस, एक्स-ए, एक्स-बी, एक्स-सी, एक्स-डी, एक्स-ई, एवं एक्स-एम. आर. टी./पी. एस. के द्वारा फिटमेंट चार्ट प्रसारित किया गया है ।

सी) **मासिक दर श्रमिक (तकनिकी एवं सुपरवाइजरी) :**

जिनके लिये फिटमेंट चार्ट संख्या एम आर. टी./ए, एम. आर. टी./बी, एम. आर. टी./सी, एम. आर. टी./डी, एम. आर. टी /ई, एम. आर. टी./एफ, एम आर टी./जी. एवं एम. आर. टी /एच के द्वारा फिटमेंट चार्ट प्रसारित किया गया है ।

डी) **मासिक दर क्लरिकल श्रमिक :**

जिनके लिये फिटमेंट चार्ट संख्या एम. सी.-एस, एम. सी.-१, एम. सी.-२ एवं एम. सी.-३ के द्वारा फिटमेंट चार्ट प्रसारित किया गया है ।

ई) **तत्कालीन एन. सी. डी. सी. के मासिक दर श्रमिक जिन्हें ३३ दिन का भी. डी. ए. मिलता था (तकनिकी एवं सुपरवाइजरी) जिनके लिये चार्ट संख्या :**

एन. सी डी. सी.-एम. आर. टी /ए, एन. सी डी सी-एम. आर. टी./बी, एन. सी. डी सी.-एम आर. टी./सी, एन. सी डी. सी.-एम. आर. टी./डी, एन. सी. डी. सी.-एम आर. टी /ई, एन. सी. डी. सी.-एम. आर. टी./एफ, एन. सी. डी. सी.-एम. आर टी./जी, एवं एन. सी. डी. सी-एम. आर. टी./एच के द्वारा फिटमेंट चार्ट प्रसारित किया गया है ।

एफ) **तत्कालीन एन. सी. डी सी. के मासिक दर क्लरिकल श्रमिक**

जिन्हें ३० दिन का भी. डी. ए मिलता था, जिनके लिये चार्ट संख्या एन सी. डी. सी. एम. सी.-एस, एन. सी. डी. सी. एम. सी.-१, एन. सी. डी. सी. एम. सी.-२ एवं एन. सी. डी. सी. एम. सी.-३ के द्वारा फिटमेंट चार्ट प्रसारित किया गया है ।

५. **आसाम कोलफील्ड के दैनिक दर एवं मासिक दर श्रमिकों के लिये फिटमेंट टेबल :**

अ) दैनिक दर श्रमिकों के लिये फिटमेंट चार्ट सं० ए. एस. डी. आर.-१, ए. एस. डी. आर.-२, ए. एस. डी. आर-३, ए. एस. डी. आर-४, ए. एस. डी. आर.-५, एवंए. एस. डी. आर.-६ में दिया गया है ।

ब) मासिक दर श्रमिक (तकनिकी एवं सुपरवाइजरी) के लिये फिटमेंट चार्ट सं० ए. एस.-एम. आर.टी./ए, ए. एस.-एम. आर. टी./बी, ए. एस.-एम. आर. टी./सी, ए. एस.-एम. आर. टी./डी, ए. एस.-एम. आर. टी./ई, ए. एस.-एम. आर. टी./एफ, ए. एस.-एम. आर. टी./जी, एवं ए. एस.-एम. आर. टी./एच में दिया गया है ।

स) मासिक दर श्रमिक (क्लरिकल) के लिये फिटमेंट चार्ट सं० ए. एस. एम. सी.-एस, ए. एस. एम. सी-१, ए. एस.-एम.सी.-२ एवं ए. एस. एम. सी.-३ में दिया गया है ।

(द्रष्टव्य : वास्तविक चार्ट इसके साथ छापा नहीं जा रहा है, क्योंकि इसके छापने से पुस्तक की पृष्ठ संख्या काफी बढ़ जायगी एवं अब उसकी आवश्यकता भी नहीं है ।)

६. इसे सावधानी पूर्वक नोट किया जाय कि उपरोक्त चार्ट के फिटमेंट कर्मचारियों को ३१-१२-७८ को प्राप्य वेतन के साथ संदर्भित है और वह १-१-७९ के वेतन के साथ नहीं ।

७. प्रत्येक कोलियरी/इकाई/प्रतिष्ठान जो भी हो में फिटमेंट का ब्यौरा तैयार करवाया जायेगा और उसे मनोनीत एरिया फाइनान्स आफिसर/एरिया एकाउन्टस आफिसर द्वारा एपेण्डिक्स-१ में दिये गये फार्म पर उनकी स्वीकृति के लिये भेजा जायगा । इसे ट्रिप्लिकेट (तीन) कापी में बनाया जाना चाहिये—एक कापी सम्बन्धित इकाई के पास रह जायगा, दूसरी कापी एरिया कार्यालय (क्षेत्रीय मुख्यालय) को भेजा जायगा एवं तीसरी कापी कम्पनी मुख्यालय के कार्मिक विभाग को भेज दिया जायेगा । उपरोक्त तीनों कार्यालय द्वारा इन ब्यौरों को इकाई स्तर तथा कैटेगरी स्तर पर फाइल करके रखा जायगा जिससे उसे आन्तरिक लेखा परीक्षा कर्मचारी के द्वारा जांच के समय सुविधापूर्वक मिल सके ।

८. दैनिक दर एवं मासिक दर श्रमिकों के लिये सालाना बढ़ौती का दिन ।

कर्मचारियों को १-१-१९७९ को संशोधित वेतनमान में फिटमेंट के बाद उनकी सालाना बढ़ौती (संशोधित वेतनमान में) निम्न प्रकार होगी :

अ) राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-१ में जिनकी सालाना बढ़ौती १-१-१९७९ तथा २८-२-७९ के बीच होती थी उनकी संशोधित वेतनमान में बढ़ौती—१-३-७९ को होगी ।

ब) राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-१ के तहत जिनकी सालाना बढ़ौती १-३-७९ और ३१-८-७९ के बीच होती थी उनकी संशोधित वेतनमान में बढ़ौती १-७-७९ को होगी ।

स) राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-१ के तहत जिनकी सालाना बढ़ौती १-९-७९ और २८-२-८० के बीच होती थी उनकी संशोधित वेतनमान में बढ़ौती १-३-८० को होगी ।

९. इसके बाद की बढ़ौती पिछले बढ़ौती की अवधि के पूरा होने पर देय होगी बशर्ते कि वह बढ़ौती किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई के द्वारा स्थगित अथवा रोक न दी गयी हो ।

१०. राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-१ के वेतनमान का भुगतान जिन्होंने बढ़ौती के साथ १-१-१९७९ को तथा उसके बाद प्राप्त कर लिया है उसका समायोजन उपरोक्त उल्लिखित राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के तहत प्राप्य संशोधित वेतन के साथ किया जायगा और कर्मचारियों को १-१-७९ के बाद की अवधि के लिये बकाया का भुगतान संशोधित वेतनमान में वास्तविक प्राप्त तथा भुगतान किया जायगा ।

११. पीस-रेट कर्मचारी का वेतन ढाँचा :

पीस-रेट कर्मचारियों के लिये, कार्य भार, कार्य विवरण इत्यादि जैसा कि राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-१ के तहत "कोयला श्रमिकों के ग्रुपिंग, नामकरण, कार्यविवरण एवं वर्गीकरण तथा राष्ट्रीय कोयला समझौता" शीर्षक पुस्तिका में दिये गये मुताबिक होगा ।

पोस-रेट कर्मचारियों का संशोधित ग्रूप-वेतन निम्नलिखित ब्यौरा में राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-१ के मुकाबिला में उसके सामने दिया गया है :—

ग्रूप	राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-१ की दर		राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ में संशोधित दर जो १-१-१९७९ से लागू होगी	
	दर	फाल बैक मजदूरी	दर	फाल बैक मजदूरी
	रु०	रु०	रु०	रु०
१.	१०.३६	१०.००	१५.३६	१५.००
२.	१०.६८	१०.००	१५.७५	१५.२५
३.	११.३६	१०.३६	१६.३६	१५.५०
४.	११.५९	१०.६३	१६.७०	१५.७५
५.	१२.७२	११.५९	१८.१५	१७.१५*
५-ए	१३.००	१३.००	१८.५०	१८.५०

* पीस-रेट के ट्रामरों (टालीवानों) को छोड़कर जिनकी फॉल बैक मजदूरी १८ रु० १५ पै० होगी ।

१२. पीस-रेट कर्मचारियों का कार्यभार वही रहेगा जो राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-१ के तहत था । फिर भी मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के

पीस-रेट माइनर/लोडर का कार्यभार एवं मजदूरी दर निम्न प्रकार से होगा :

	१०० क्यू. फीट कार्यभार के लिये	११८ क्यू. फीट कार्यभार के लिये
वर्त्तमान (राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-१ के तहत)	१४.००रु०	१५.००रु०
संशोधित दर १-१-७९ से (राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के तहत)	२१रु० ३८पै०	२४रु० १४पै०
संशोधित दर १-१-१९८२ से (राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के तहत)	२२रु० ८४पै०	२६रु० ९५पै०

१३. **फाल बैक मजदूरी :**

विभिन्न ग्रूप के पीस-रेट मजदूरों की फाल-बैक मजदूरी ऊपर में पैरा ११ में उल्लिखित है । फाल-बैक मजदूरी के अलावा पीस-रेट कर्मचारियों को विशेष भत्ता, निश्चित महंगाई भत्ता तथा परिवर्त्तनशील महंगाई भत्ता (भी. डी. ए.) मिलेगा ।

पीस-रेट के मजदूरों की कमाई का दैनिक अवलोकन किया जायगा जिसमें लीड और लिफ्ट को जोड़कर फाल-बैक मजदूरी को आश्वस्त किया जायगा । इसमें टब ठेलाई भत्ता नहीं जोड़ा जायगा ।

मजदूरों की जिम्मेवारी से परे कारणों से यदि पीस-रेट कर्मचारियों की पोसाई नहीं होगी तो उन्हें फाल बैक वेतन दिया जायगा । उदाहरणार्थ टब की आपूर्ति नहीं होना अथवा पूरी मात्रा से कम टब की आपूर्ति होना, हॉलेज का ब्रेकडाउन होना अथवा बिजली की आपूर्ति नहीं

होना इत्यादि कारणों में फाल-बैक दिया जायगा। मजदूर अपनी गल्ती से यदि उत्पादन पूरा नहीं कर सकेंगे, उस हालत में उन्हें फाल-बैक मजदूरी नहीं दी जायगी।

औद्योगिक विवाद अधिनियम की धाराओं के तहत होने वाले ले-आँफ की हालत में उक्त प्रावधान के अनुसार ले-आँफ क्षतिपूर्ति का भुगतान होगा।

१४. पीस-रेट कर्मचारियों के लिये कार्यभार से अधिक काम पर मिलने वाला दर :

निर्धारित कार्यभार से अधिक काम के लिये पीस-रेट के मजदूरों को पीस-रेट का बेसिक, निश्चित महंगाई भत्ता तथा विशेष भत्ता जोड़कर उनके रेट के अनुपात से अतिरिक्त मजदूरी दी जायगी।

१५. मशीनीकृत फेस क्रू :

मशीनीकृत फेस क्रू तथा विभिन्न कार्यों के ग्रूप काम के लिये कार्यभार तथा मजदूरी दर स्थानीय स्तर पर ही तय किये जायंगे। इसके लिये कम्पनी के निदेशक (कार्मिक)/कार्मिक विभाग के प्रमुख की पहले से स्वीकृति तथा वित्त विभाग की मंजूरी आवश्यक है।

१६. टालीवान :

पीस-रेट टालीवानों का कार्यभार तथा प्रति-टब का रेट स्थानीय स्तर पर ही द्विपक्षीय वार्त्ता द्वारा तय किया जायगा और वह इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिये ताकि हाजरी टालीवानों के वेतन-ढाँचा के मध्य बिन्दु पर पड़े। टालीवानों का कार्यभार तथा मजदूरी दर का उनके कार्यदशा में परिवर्त्तन के साथ-साथ समय-समय पर पुनरावलोकन किया जाना चाहिये।

पीस-रेट टालीवानों को उनके बेसिक, निश्चित मंहगाई भत्ता, भी.डी.ए. तथा हाजरी बोनस मिलाकर कुल मजदूरी में ७३रु० ९०पै० का औसतन निम्नतम बढ़ती दिया जायगा। टालीवानों के बेसिक मजदूरी का इस प्रकार पुनरीक्षण किया जायगा जिससे उसे कुल मासिक वेतन जो बेसिक, निश्चित मंहगाई भत्ता, भी. डी. ए., हाजरी बोनस, हाजरी बोनस पर अन्य लाभ जोड़कर उन्हें प्रतिमाह ७३रु० ९०पै० की बढ़ती मिल सके।

पीस-रेट की मजदूरी तय करने के लिये १-१०-१९७८ से छः सप्ताह के कार्यभार का औसत लिया जायगा।

संशोधित पीस-रेट सम्बन्धित क्षेत्र के महाप्रबन्धक द्वारा कम्पनी के निदेशक (कार्मिक)/कार्मिक विभाग के प्रमुख की स्वीकृति एवं निदेशक (वित्त) की मंजूरी आवश्यक होगी।

१७. अन्य पीस-रेट श्रमिक

अन्य पीस-रेट मजदूरों का जिनके लिये कोई निश्चित कार्यभार तथा ग्रूप मजदूरी निर्धारित नहीं है, उनके लिये यह तय हुआ कि उन्हें भी उनके ग्रूप में उसी अनुपात में बढ़ती देकर सुधार किया जायगा। जहाँ इस तरह की ग्रूप मजदूरी नहीं है वहाँ माइनर/लोडर (ग्रूप-५ए) के मजदूरों के समान अनुपात में बढ़ती दी जायगी।

इन मामलों में संशोधित मजदूरी दर का निर्धारण कम्पनी के निदेशक (कार्मिक)/कार्मिक विभाग के प्रमुख द्वारा निदेशक वित्त की स्वीकृति द्वारा किया जायगा।

१८. माइनर और लोडर के लिये लीड एवं लिफ्ट का भुगतान :

माइनर और लोडर के लिये लीड और लिफ्ट का संशोधित दर निम्न प्रकार होगा।

(ए) लीड (माइनर और लोडर के लिये (धारा ५.९.१ के अनुसार)

दूरी	राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-१ में (४०.५ क्यू. फीट के प्रति टब का रेट जो क्यू. मीटर में बदला जायगा)	राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के अनुसार संशोधित दर (४०.५ क्यू. फीट के प्रति टब जिसे क्यू. मीटर में बदला जायगा)
	रु० पै०	रु० पै०
० से ५० फीट	कुछ नहीं	कुछ नहीं
५१ से १०० फीद	०.३१५	०.४४७
१०१ से १५० फीट	०.९४५	१.३४२
१५१ से २०० फीट	१.५७५	२.२३६
२०१ से २५० फीट	२.२५०	३.१९५
२५० फीट से ऊपर प्रत्येक अतिरिक्त ५० फीट पर	०.९८०	१.३९२

(बी) लिफ्ट (माइनर और लोडर के लिये)

० से १० फीट	कुछ नहीं	कुछ नहीं
११ से १५ फीट	०.३१५	०.४४७
१६ से २० फीट	०.५९६	०.८४६
२१ से २५ फीट	०.९४५	१.३४२
२५ फीट से ऊपर प्रत्येक ५ फीट के लिये	०.६३०	०.८९५

१९. ओवरबर्डेन हटाने वाले मजदूरो के लिये लीड और लिफ्ट का दर :

लीड	एन.सी.डब्लू.ए.-१ के दर	एन.सी.डब्लू.ए.-२ के तहत संशोधित दर
प्रथम १०० फीट	कुछ नहीं	कुछ नहीं
प्रथम १०० फीट के ऊपर प्रत्येक ५० फीट अथवा उसके अंश के लिये	९ रु० १२ पै० १००० क्यू. फीट	१३ रु० १३ पै० प्रति १००० क्यू. फीट

लिफ्ट

लिफ्ट	एन.सी. डब्लू.ए.-१ के दर	एन.सी.डब्लू.ए.-२ के तहत संशोधित दर
पहला १० फीट	कुछ नहीं	कुछ नहीं
प्रथम १० फीट के ऊपर प्रत्येक ५ फीट अथवा उसके अंश के लिये	४ रु० २६ पै० प्रति १००० क्यू. फीट	६ रु० ५७ पै० प्रति १००० क्यू. फीट

टब ठेलाई

टब ठेलाई	एन.सी.डब्लू.ए.-१ के तहत ४०.५ च्यू. फी. टब के लिये दर	एन.सी.डब्लू.ए.-२ के तहत ४०.५ क्यू. फी. टब के लिये संशोधित दर
प्रथम १०० फीट से अधिक के ऊपर प्रत्येक १०० फीट या इसके अंश के लिये	रु० ०.१०५	रु० ०.१५६

२०. **माइनर और लोडर को छोड़कर तथा वागन लोडर सहित पीस-रेट के मजदूरों का लीड और लिफ्ट की दर :**

माइनरों और लोडरों को छोड़ कर पीस-रेट श्रमिकों का लीड और लिफ्ट का दर निम्न प्रकार होगा :

वागन लोडर	एन.सी.डब्लू ए.-१ के तहत वर्त्तमान दर	एन.सी.डब्लू.ए.-२ में संशोधित दर
लीड		
प्रथम १०० फीट के ऊपर प्रत्येक ५० फीट अथवा उसके अंश के लिये	प्रति टन कोयला पर ३७.५ पैसे	प्रति टन कोयला पर ५४ पैसे
लिफ्ट		
प्रथम १० फीट के ऊपर प्रत्येक ५ फीट अथवा उसके अंश के लिये	प्रति टन कोयला पर १९ पैसे	प्रति टन कोयला पर २७ पै०

२१. **लीड और लिफ्ट के भुगतान को सभी हिसाब (लाभ) के लिये बेसिक मजदूरी माना जायगा ।**

२२. **हाजरी बोनस :**

प्रत्येक कर्मचारी को हाजरी बोनस के रूप में बुनियादी मजदूरी का १० प्रतिशत प्रति तिमाही वर्त्तमान की तरह ही मिलता रहेगा । इसके ऊपर अन्य और कोई लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि वह विशेष भत्ता में जुड़ा हुआ है ।

२३. **मंहगाई भत्ता (डी. ए.)**

विशेष (स्पेशल) भत्ता :

हाजरी बोनस पर मिलने वाले अन्य लाभ के बदले यह विशेष भत्ता बुनियादी मजदूरी/वेतन के १.७९५% के हिसाब से जोड़ा जायगा । इसका हिसाब नीचे दर्शाये टेबलों में जोड़कर दिखाया गया है । इन टेबलों में सभी मासिक दर एवं दैनिक दर के वेतन मान के प्रत्येक चढ़ौती स्तर के लिये हिसाब जोड़कर दिखाया गया है ।

उन टेबलों का क्रमांक नीचे दिया जा रहा है :

अन्य सभी कोयला अंचलों के लिये (आसाम कोलफील्ड छोड़कर)

दैनिक दर —एस.डी.ए.डी.आर.-१, डी.आर.-२, डी.आर.-३, डी.आर.४, डी.आर.-५, डी.आर.-६ ।

एक्सकैवेशन —एस.डी.ए.एक्स.-एस., एक्स.-ए., एक्स.-बी., एक्स.-सी., एक्स.-सी. पिट सुपरवाइजर ।

मासिक दर —एस.डी.ए.-एम.आर.टी./ए., एम.आर.टी./बी., एम.आर.टी./सी., एम.आर.टी./डी., एम.आर.टी.-ई., एम.आर.टी.-एफ., एम.आर.टी.-जी., एवं एम.आर.टी.-एच. ।

क्लरिकल —एस.डी.ए.-एम.सी.-एस., एम.सी.-१, एम.सी.-२, एवं एस.सी.-३ ।

पीस-रेट —पी.आर.-एस.डी.ए.

आसाम कोयला अंचल के लिये

दैनिक दर —एस.डी.ए. को डी.आर.-१, डी.आर.-२, डी.आर.-३, डी.आर.-४, डी.आर.-५ एवं डी.आर.-६ ।

मासिक दर —एस.डी.ए. को एम.आर.टी./ए., एम.आर.टी./बी., एम.आर.टी./सी., एम.आर.टी./डी., एम.आर.टी./ई., एम.आर.टी./एफ., एम.आर.टी./जी. एवं एम.आर.टी./एच.

क्लरिकल —एस.डी.ए. को एम.सी.-एस., एम.सी.-१, एम.सी.-२, एवं एम.सी.-३

पीस-रेट श्रमिकों के लिये विशेष भत्ता उनके द्वारा उत्पादित कार्य अथवा फाल-बैक मजदूरी जो भी के बेसिक का १.७९५% जोड़कर दिया जायगा ।

२४. निश्चित मंहगाई भत्ता :

एक निश्चित मंहगाई भत्ता होगा जो ६८ रु० २० पै० प्रतिमाह अथवा २ रु० ६३.३ पै० प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा ।

२५. परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता :

विशेष भत्ता तथा निश्चित मंहगाई भत्ता के अलावा एक परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता (भी.डी.ए.) होगा जो उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक ३२७ के ऊपर अथवा नीचे जो भी हो प्रति अंक की घट-बढ़ के लिये १ रु० ३० पै० प्रति अंक प्रतिमाह के हिसाब से जोड़कर प्रति तिमाही समायोजित किया जायगा ।

परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ते (भी.डी.ए.) की दर में औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक ३२७

(आधार १९६०=१००) के ऊपर कम-बेशी होने से उसी अनुसार प्रति तिमाही संशोधित होगा ।

परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता (भी.डी.ए.) का पुनरीक्षण प्रत्येक तीन महीने पर होगा और उसका भुगतान प्रत्येक वर्ष १ मार्च, १ जून, १ सितम्बर तथा १ दिसम्बर से हुआ करेगा । भुगतान के लिये क्रमशः दिसम्बर (अक्टूबर-दिसम्बर), मार्च (जनवरी मार्च), जून (अप्रील जून) एवं सितम्बर (जुलाई-सितम्बर) तिमाही को आधार माना जायगा ।

किसी तिमाही का औसत लेने के लिये औसत में भिन्न अंक को पूर्णांक में बदलने के लिये पूर्णांक में आगे का अंक लिया जायगा जैसे किसी तिमाही का औसत सूचक अंक यदि ३३८.३ हो तो उससे आगे का अंक अर्थात् ३३९ को हिसाब में लिया जायगा ।

यह उल्लेखनीय है कि जून से अगस्त, १९७९ की तिमाही के लिये, अच्छे औद्योगिक सम्बन्ध को बनाये रखने तथा साख का ख्याल रखते हुए एक विशेष परिस्थिति के रूप में उस अवधि के लिये ३३३ अंक के ऊपर भी.डी ए. का भुगतान करने का राजीनामा हुआ है । इस तिमाही के लिये जो भी. डी. ए. का भुगतान होगा वह ०.३० पैसे प्रति दिन अथवा ७ रु० ८० पै० प्रतिमाह की दर से होगा ।

तत्कालीन एन. सी. डी. सी. के मासिक दर श्रमिकों के सम्बन्ध में जो महीना के प्रत्येक दिन के लिये भी. डी. ए. के हकदार हैं उन्हें यह सुविधा व्यक्तिगत लाभ के रूप में दिया जायगा । इसलिये, उनके मामले में भी. डी. ए. का हिसाब वर्त्तमान फार्मूले की तरह ही जोड़ा जायगा, जैसे कि—

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के प्रावधान २.४.१ से २.४.४ के अनुसार प्रतिदिन देय भी. डी. ए. की दर × राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ की धारा २.४.२ के प्रावधान के अनुसार सम्बन्धित तिमाही में दिनों की संख्या

३

= प्रतिमाह देय भी. डी. ए.

३१-५-७९ की तिमाही के लिये देय भी. डी. ए. के सम्बन्ध में निम्नलिखित उदाहरण दिया जा सकता है :

भी.डी.ए. की दर ६० पैं० प्रतिदिन × ९२ (जो १.३.७९ से ३१-५-७९ की अवधि के कुल कार्य दिनों दिनों की संख्या है)

३

= १८ रु० ४० पैं०

२६. **अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स :**

माइन्स एक्ट तथा उसमें उल्लिखित रेंगुलेशनों के मुताबिक अण्डर-ग्राउण्ड में काम करने वाले श्रमिकों को संशोधित बुनियादी मजदूरी का १५ प्रतिशत की दर से अण्डर-ग्राउण्ड एलाउन्स के रूप में मिलेगा। आसाम कोलफील्ड के मामले में १-१-१९७९ से संशोधित वेतनमान का १७.५ प्रतिशत तथा १-१-१९८२ से संशोधित वेतनमान का २० प्रतिशत की दर से अण्डर-ग्राउण्ड एलाउन्स के रूप में मिलेगा।

मजुमदार ट्राब्युनल तथा लेबर एपीलेट ट्राब्युनल (एल.ए.टी.) एवार्ड के प्रावधानों के अनुसार अण्डर-ग्राउण्ड एलाउन्स देय होता है।

अण्डर-ग्राउण्ड एलाउन्स को मजदूरी माना जायगा और निम्नलिखित काम के लिये जोड़ा जायगा :—

अ) पावना/साल छुट्टी का पैसा जोड़ने के लिये।

ब) राष्ट्रीय/त्यौहार छुट्टी के भुगतान के लिये।

स) बीमारी की छुट्टी।

द) ओवरटाइम एलाउन्स।

य) ग्रैच्युटी।

फ) प्रोविडेन्ट फण्ड अंशदान।

२७. **संशोधित वेतन ढाँचे के अनुसार कर्मचारियों को वेतन का भुगतान :**

संशोधित वेतनमान में कर्मचारियों के फिटमेंट के बाद तथा उपरोक्त पारा में दिये गये प्रावधानों के मुताबिक उनके वेतन का निर्धारण करके उन्हें संशोधित दर से वेतन का भुगतान १-१०-१९७९ से किया जायगा।

२८. **बकाया का भुगतान :**

१-१-१९७९ से ३०-९-७९ की अवधि के लिये कर्मचारियों को संशोधित दर से मिलने वाले बकाया का भुगतान अर्थात् राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-१ के तहत प्राप्त वेतन तथा राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के तहत उनको मिलने वाले मजदूरी जो उनके फिटमेंट के बाद में निर्धारित हुआ है उसका अध्ययन करके उसका भुगतान ३१-१२-१९७९ के पहले कर दिया जायगा। फिर भी, इस बीच कर्मचारियों को प्रति व्यक्ति ४५०) रु० की दर से एक तदर्थ (एड-हॉक) भुगतान २०-९-७९ को मिलने वाले बकाया के बाबत किया जायगा। बकाया रकम के शेष का भुगतान जो तदर्थ भुगतान को बाद देकर बचेगा वह ३१-१२-७९ के भीतर कर दिया जायगा। ४५०) रु० का तदर्थ भुगतान करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि सम्बन्धित कर्मचारी को उक्त रकम से अधिक का बकाया (प्राविडेन्ट फण्ड अंशदान को छोड़कर) प्राप्य होगा।

फिटमेंट चार्ट इत्यादि दिये मुताबिक हिसाब के जोड़ में कोई अशुद्धि। गलती दिखने पर उसे आवश्यक समायोजन के जरिये ठीक कर लिया जायगा।

सरकुलर (परिपत्र) सं० १८ दिनांक १-११-७९

बकाया का भुगतान :

इस विषय पर विशेष विवरण क्रियान्वयन आदेश सं० ९ के पारा २६ और २७ में दिया गया है। इस मसले को जे. बी. सी. सी. आई. (कोयला उद्योग के लिये गठित द्विदलीय समिति) की २५-१०-१९७९ को हुए बैठक में समीक्षा किया गया और निम्नलिखित निर्णय लिया गया :—

"संशोधित वेतन ढाँचा के अनुसार कर्मचारियों को भुगतान १-११-१९७९ से मिलेगा अर्थात् अक्टूबर महीना या उसके अंश के लिये जो सम्बन्धित कोयला कम्पनी की प्रत्येक कोलियरी/इकाई के लिये वेतन अवधि निर्धारित किया गया है। कर्मचारियों को प्राप्य कुल बकाया जो पिछले अवधि (अर्थात् १-१-१९७९ से संशोधित दर पर भुगतान किये गये मजदूरी की तिथि) तक का भुगतान दिसम्बर १९७९ के अन्त तक कर दिया जायगा। क्रियान्वयन का विस्तृत ब्यौरा जे. बी. सी. सी. आई. की अगली बैठक के पहले ही प्रस्तुत कर दिया जायगा।"

यह अनुरोध किया गया कि उपरोक्त फैसलों को लागू किया जाय।

———

क्रियान्वयन आदेश सं०—१०

सं० आई.आर./९४/आइ.एम.पी. दि० १०-९-७९

विषय : कोयला उद्योग के श्रमिकों को आकस्मिक (कैजुअल) छुट्टी की मंजूरी

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ जिसे कोयला उद्योग के लिये गठित द्विपक्षीय समिति ने ११-८-१९७९ को अन्तिम रूप दिया और जो १-१-१९७९ से लागू हुआ उसमें यह प्रावधान है कि "प्रति वर्ष ७ दिनों की आकस्मिक छुट्टी वर्त्तमान में जिन कर्मचारियों को नहीं मिल रही है उन्हें मिलेगी। इसके अलावा, वैसे कर्मचारियों को प्रति वर्ष ४ दिनों की कैजुअल (आकस्मिक) छुट्टी मिलेगी वशर्ते कि वह माइन्स एक्ट में संशोधन होने पर जब कानून बन जायगा उसके फलस्वरूप सालाना छुट्टी में होने वाली बढ़ती के सामने समायोजित न कर दिया जायगा।"

उपरोक्त समझौता में आगे यह प्रावधान है कि आकस्मिक (कैजुअल) छुट्टी की मंजूरी को निम्न प्रकार से संचालित किया जायगा :—

"७.४.२ जिन कर्मचारियों को अभी कैजुअल छुट्टी नहीं मिलती है, उन्हें साल (एक कैलेण्डर वर्ष) में सात दिनों की कैजुअल (आकस्मिक) छुट्टी १-१-१९७९ से मिलेगी।

७.४.३ इसके अतिरिक्त उन कर्मचारियों को जिनका उल्लेख पारा ७.४.२ में किया गया है प्रति कैलेण्डर वर्ष में चार दिनों की कैजुअल छुट्टी और मिलेगी। इसके लिये शर्त यह है कि माइन्स एक्ट में संशोधन होने पर जब कानून बन जायगा तब यह आकस्मिक छुट्टी अर्जित छुट्टी के साथ समायोजित कर दी जायगी।

७.४.४ चूंकि इस समझौता के पूरा होने में देरी हुई है इसलिये ऊपर लिखित चार दिनों की कैजुअल छुट्टी जो १९७९ में मिलती उसे १९८० तक लिया जा सकेगा। धारा ७.४.३ के अनुसार १९७९ में जो कर्मचारी इस छुट्टी के हकदार होंगे यह छुट्टी अर्जित छुट्टी के साथ अथवा जैसा वे चाहें उस प्रकार ले सकेंगे।

७.४.५ जिन कारणों का पहले से कोई पता नहीं होता उस तरह के विशेष कारणों के लिये ही आकस्मिक छुट्टी का प्रावधान रखा गया है। साधारणतः प्रबन्धन द्वारा निर्धारित प्रत्येक इकाई/प्रतिष्ठान/विभाग के अधिकारी से वैसी छुट्टी के लिये अग्रिम मंजूरी लिया जाना चाहिये। परन्तु ऐसा करना यदि सम्भव नहीं हो तो जहाँ तक सम्भव हो सके उक्त अधिकारी को अनुपस्थिति तथा उसके सम्भावित अनुपस्थिति अवधि की लिखित सूचना दी जानी चाहिये।

७.४.६ जो कर्मचारी अभी वर्त्तमान परिस्थिति में जिस तरह कैजुअल छुट्टी पाते रहे हैं वे इसे पाते रहेंगे।"

उपरोक्त प्रावधान १-१-१९७९ से लागू हुआ समझा जायगा।

प्रबन्धन से अनुरोध किया गया है कि वे प्रत्येक इकाई/प्रतिष्ठान/विभाग में यह निर्दिष्ट कर दें कि कौन से अधिकारी कैजुअल छुट्टी मंजूर करने के लिये सक्षम होंगे।

ऊपर दिया गया कैजुअल छुट्टी बदली/कैजुअल श्रमिक को छोड़कर अन्य श्रमिकों को मिलेगी। जहाँ तक कैजुअल/बदली श्रमिकों के लिये कैजुअल छुट्टी के हक का सवाल है इस सम्बन्ध में अलग से परिपत्र जारी किया जायगा।

प्रत्येक कम्पनी में परियोजन पदाधिकारी/क्षेत्रीय महाप्रबन्धक/विभाग के प्रमुख/कार्मिक विभाग के प्रमुख तथा निदेशक (कार्मिक) समय-समय पर यह देखेंगे कि कर्मचारियों को ठीक ढंग से कैजुअल छुट्टी का संचालन होता है और उसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोयला कम्पनियों के अन्य सामान्य गतिविधियों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है जिससे उत्पादन में कोई बाधा पहुँचे।

———

क्रियान्वयन आदेश सं०—११

दि० ११-९-७९

सं० आई. आर./९४/आई. एम. पी.

विषय : **बदली/तबादला**

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ जिसे कोयला उद्योग के लिये गठित द्विपक्षीय समिति ने ११-८-१९७९ को अन्तिम मंजूरी दी तथा जो १-१-१९७९ से लागू हुई उसमें निम्नलिखित प्रावधान हैं :—

"११.६.१ **तबादला :**

१-१-१९७५ अथवा इसके बाद किसी श्रमिक की बदली एक कोलियरी से दूसरी कोलियरी में हुई है और उस कोलियरी में उसे आवास की सुविधा नहीं मिली है तथा वह श्रमिक ८ कि०मी० दूर से अपने साधन द्वारा अपनी ड्युटी पर जाता है तो उसे प्रतिदिन ५० पैसे के हिसाब से एक भुगतान मिलेगा। यह सुविधा तब तक मिलेगी जब तक उसे स्थानान्तरित कोलियरी में कोई आवास नहीं दिया जाता अथवा ८ कि०मी० के भीतर उसे कोई आवास नहीं मिल जाता। यह भुगतान १-९-१९७९ से मिलेगा।"

उपरोक्त उल्लिखित भुगतान की मंजूरी उस कोलियरी जिस कोलियरी में सम्बन्धित श्रमिक कार्य करता तबादला हुआ है/के क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा सम्बन्धित कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी तथा क्षेत्रीय कार्मिक अधिकारी के साथ परामर्श करके मंजूरी दी जायगी। उसकी उपस्थिति का समुचित रेकार्ड रखा जायगा कि उक्त श्रमिक अपने पिछले जगह से ही आना-जाना करता है तथा इस भुगतान का अधिकारी है तो यह भुगतान दिया जाता रहेगा। इस बात का प्रयास होना चाहिये कि सम्बन्धित कोलियरियों में अतिरिक्त आवास (क्वार्टर) बनाया जाना चाहिये जिससे बदली/तबादला होकर आये श्रमिकों के लिये यथाशीघ्र उन क्वार्टरों में आवासीय व्यवस्था की जा सके।

प्रबन्धन से इस सम्बन्ध में समुचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

———

क्रियान्वयन आदेश सं०—१२

सं० आइ.आर./९४/आइ.एम.पी. २५०

दि० २५-९-१९७९

विषय : कोयला उद्योग के कर्मचारियों के लिये कैजुअल (आकस्मिक) छुट्टी की मंजूरी

संदर्भ : परिपत्र संख्या आइ.आर./९४/आइ एम.पी. दि० १० सितम्बर १९७९ जो सदस्य सचिव, जे.बी सी.सी.आई द्वारा जारी किया गया

क्रियान्वयन आदेश संख्या—१०

उपरोक्त परिपत्र के आगे कोयला उद्योग के श्रमिकों की आकस्मिक (कैजुअल) छुट्टी निम्न प्रकार से संचालित होगी :—

१) कैजुअल छुट्टी उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगी जिन्होंने १-१-१९७९ अथवा उसके बाद लगातार एक वर्ष कार्य पूरा किया हो।

२) वैसे मामले में जहाँ किसी कर्मचारी के इस तरह का लगातार कार्य का एक वर्ष साल के बीच में पूरा होता है तो वह वर्ष शेष होने की अवधि के लिये उसी अनुपात से कैजुअल छुट्टी पाने का हकदार होगा।

३) किसी कर्मचारी को बीमारी की छुट्टी पावना रहने पर उसे बीमारी के आधार पर कैजुअल छुट्टी नहीं दी जायगी।

४) १-१-१९७९ से अभी तक की अवधि में यदि कोई कर्मचारी बिना पैसे के साथ छुट्टी/अनुपस्थित (हड़ताल एवं तालाबन्दी को छोड़कर) रहा है तो उसके १९७९ के वर्ष के लिये प्राप्य ७ दिनों की कैजुअल छुट्टी के साथ समायोजित की जा सकती है बशर्ते कि उक्त श्रमिक लिखित रूप से इसके लिये आवेदन करे।

५) प्रत्येक इकाई/प्रतिष्ठान में कैजुअल छुट्टी के लिये एक विशेष (अलग से) रजिस्टर रखा जायगा जिसमें प्रत्येक श्रमिक द्वारा लिये जाने वाले कैजुअल छुट्टी का ब्यौरा निम्न प्रकार रखा जायगा :

कर्मचारी का नाम	पदनाम	कैजुअल छुट्टी के लिये आवेदन की तारीख	कैजुअल छुट्टी लेने का कारण	कैजुअल छुट्टी की अवधि तारीख के साथ	मंजूरी की अवस्था

इस रजिस्टर की जाँच कोलियरी के कल्याण/कार्मिक अधिकारी द्वारा प्रति पखवारा तथा कोलियरी प्रबन्धक/इकाई के अधिकारी इन-चार्ज द्वारा प्रत्येक माह की जायगी। आन्तरिक लेखा-परीक्षक (आडिट) अधिकारी द्वारा भी इस रजिस्टर की जाँच की जायगी।

६) कलकत्ता के लिये गये श्रमिकों के मामले में, जिनका संचालन ५-४-७४ को त्रिपक्षीय समझौता द्वारा होता है और जिनका छुट्टी का मामला अनिर्णीत रहा है, उनके लिये यथास्थिति बरकरार रहेगी। इन श्रमिकों को कैजुअल छुट्टी मंजूर करने के मामले पर उस समय निर्णय होगा जब उनके छुट्टी सम्बन्धी सुविधाओं के सम्बन्ध में कोई फैसला हो जाय।

७) त्रिपक्षीय समझौता के तहत आने वाले कर्मचारियों के अलावा वैसे कर्मचारी जिनकी सेवायें अधिगृहीत की गई हैं, यदि कोई हों तो, और जो सरकारीकृत होने से पहले की छुट्टी नियमावालियों द्वारा संचालित होते हैं तो उन्हें नये सिरे से राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के तहत छुट्टी सुविधा (अर्जित, बीमारी तथा कैजुअल) के लिये आप्सन दिया जायगा।

———

क्रियान्वयन आदेश सं०—१३

सं० आइ.आर./६४/आइ.एम.पी./२५३ दि० ३-१०-१९७९

विषय : **माइन्स एक्ट के अन्तर्गत ओवरटाइम भुगतान के लिये वेतन सीमा में बढ़ती**

जब राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-१ लागू था तो यह प्रावधान था कि सुपरवाइजरी तथा गोपनीय (कन्फिडेन्सियल) कर्मचारी जो ६५०) रु० प्रतिमाह अथवा उसके नीचे वेतन पाते हैं वे ओवरटाइम एलाउन्स पाने के हकदार होंगे। अब चूंकि कोयला उद्योग के कर्मचारियों का वेतनमान राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के तहत १-१-१९७९ से संशोधित किया गया है अतः उनके सम्बन्ध में वेतन सीमा को ७८०) रु० प्रतिमाह किया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कन्फिडेन्सियल तथा सुपरवाइजरी स्टाफ जो राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के तहत ७८०) रु० प्रतिमाह से अधिक की बुनियादी मजदूरी पाते हैं वे ओवरटाइम एलाउन्स के हकदार नहीं होंगे।

यह प्रावधान कोलियरियों, कोयला वाशरियों, वर्कशाप इत्यादि जगह के सभी कर्मचारियों के लिये लागू होगा जहां माइन्स एक्ट/फैक्टरीज एक्ट के तहत ओवरटाइम का भुगतान होता है। अन्य प्रतिष्ठानों में यथास्थिति कायम रहेगी।

प्रबन्धन से अनुरोध किया गया है कि वे इन्हें लागू करें।

———

क्रियान्वयन आदेश सं०—१४

सं० आइ.आर./६४/आइ.एम.पी./२५५ दि० ४-१०-१९७९

विषय : **राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के अन्तर्गत कोयला उद्योग के कर्मचारियों को कैजुअल छुट्टी की मंजूरी।**

संदर्भ : **जे.बी.सी.सी.आई. के सदस्य सचिव द्वारा जारी क्रियान्वयन आदेश संख्या—१० दि० १० सितम्बर १९७९ एवं कोल इण्डिया लिमिटेड के कार्मिक डिवीजन के प्रमुख द्वारा जारी परिपत्र संख्या—आई आर./६४/आइ.एम.पी./२५ दि० २५ सितम्बर, १९७९**

हमलोगों के पास विभिन्न माध्यमों द्वारा कोयला उद्योग के उन श्रमिकों के लिये जो राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ द्वारा संचालित होते हैं के लिये आधा दिन की कैजुअल छुट्टी की मंजूरी हेतु प्रतिनिधित्व (आवेदन) आता रहा है।

२. इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि वैसे कर्मचारियों के लिये आधा दिन की कैजुअल छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है अतः उन्हें आधा दिन की कैजुअल छुट्टी की मंजूरी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।

परिपत्र सं०—१८ दिनांक १-११-१९७९ से संदर्भित

कैजुअल छुट्टी :

इस विषय पर जारी किये गये क्रियान्वयन आदेश बुलेटिन संख्या १०, १२ एवं १४ का उल्लेख किया गया। २५-१०-१९७९ को हुए जे.बी.सी.सी.आई. की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि क्रियान्वयन आदेश संख्या-१२ के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण किये जाने हेतु यह निर्णय लिया गया कि कोई स्थायी श्रमिक पहली बार कैजुअल छुट्टी पाने का हकदार तभी होगा जब वह एक वर्ष सेवा की अवधि पूरा कर लिया हो। इस प्रकार क्रियान्वयन आदेश संख्या-१२ संशोधित किया जाता है। इस निर्णय को क्रियान्वित करने का आग्रह किया गया है।

जे.बी.सी.सी.आई. अपने २५-१०-७९ को हुए बैठक में कैजुअल छुट्टी के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिया :

"९. कैजुअल छुट्टी की मंजूरी के लिये राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के पारा ७.४.१ से ७.४.६ के साथ क्रियान्वयन आदेश सं०-१२ के पारा १(४) को भी पढ़ा जाना चाहिये और यदि कोई कर्मचारी १९७९ के कैलेण्डर वर्ष के भीतर पूरा ११ दिन कैजुअल छुट्टी के लिये आवेदन करता है जिससे उसके द्वारा ली गई बिना पैसे की कोई अवधि की छुट्टी आ जाय तो उसे इसके मंजूरी की सुविधा दी जायगी जिससे १९७९ की बची हुई अवधि और १९८० के वर्ष में इस सम्बन्ध में अनुपस्थिति को कम किया जा सके।"

यह निर्णय भी स्पष्ट है और इसे भी क्रियान्वित किया जाय। इस प्रकार इस सम्बन्ध में क्रियान्वयन आदेश सं० १२ के पारा १(४) का पहले का निर्णय संशोधित समझा जायगा।

———

क्रियान्वयन आदेश संख्या—१५

सं० आइ आर./९४/आइ.एम.पी. दि० २०-१०-१९७९

विषय : कोयला उद्योग के कर्मचारियों को धुलाई भत्ता

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ जिसे कोयला उद्योग के लिये गठित संयुक्त द्विपक्षीय समिति ने ११-८-१९७९ को अन्तिम रूप दिया और जो १-१-१९७९ को लागू हुआ में यह प्रावधान है कि :—

"१०.५-ए **धुलाई भत्ता**

जहां प्रबन्धन द्वारा वर्दी दिया गया है तथा उन्हें धुलाई भत्ता मिलता है और वह धुलाई भत्ता १० रु० प्रति व्यक्ति प्रतिमाह से कम है तो धुलाई भत्ता में प्रति श्रमिक को समान रूप से ५ रु० प्रतिमाह की बढ़ती दी जायगी।"

प्रबन्धन से राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के उपरोक्त प्रावधान को क्रियान्वित करने का अनुरोध किया गया है।

———

क्रियान्वयन आदेश संख्या—१६

सं० आइ.आर /६४/आइ.एम.पी./८१४६ दिनांक २८-१०-१९७९

विषय : जे.बी सी.सी.आई. के प्रावधानों को क्रियान्वित करने में कोई संदेह अथवा उसके आशय समझने में कोई दिक्कत होने से उठाये जाने वाले कदम।

जे.बी.सी.सी.आई की २५.१०-१९७९ को कलकत्ता में हुए ११वीं बैठक में उपरोक्त विषय पर विचार-विमर्श हुआ और राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ की धारा १२.३.१ के प्रावधानों के सम्बन्ध में जो निर्णय लिया गया उसे सभी की सुविधा तथा संदर्भ के लिये नीचे दिया जाता है :—

१२.३.१ इस समझौता के क्रियान्वयन के लिये किसी धारा के अर्थ में कोई असुविधा तथा संदेह होने पर इसे जे.बी.सी.सी.आई. (द्विदलीय समिति) अथवा इसके द्वारा गठित किसी सब-कमिटी के समक्ष लाया जाना चाहिये।"

उपरोक्त को मद्देनजर रखते हुए जे.बी.सी.सी.आई. के प्रावधानों के अर्थ में यदि कोई दिक्कत अथवा संदेह हो तो उसे जे.बी.सी.सी.आई. के समक्ष लाया जाना चाहिये। तब तक उस मामले में जिसके सम्बन्ध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता महसूस होने पर उस सम्बन्ध में ३१-१२-१९७८ की स्थिति बरकरार रखा जाना चाहिये। श्रमिक प्रतिनिधियों ने इस पर बल दिया कि इन मामलों पर प्रबन्धन द्वारा कोई एकतरफा फैसला नहीं लिया जाना चाहिये।

यदि किसी स्थानीय यूनियन द्वारा इस विषय पर कोई सवाल उठाया जाता है तो उसे जे.बी.सी.सी.आई. द्वारा लिये गये उपरोक्त फैसले के सदर्भ में स्पष्टीकरण दे दिया जाना चाहिये।

जे.बी.सी.सी.आई के सदस्य सचिव के पास कुछ प्रतिष्ठानों द्वारा इस सम्बन्ध में ध्यान आकृष्ट किया गया है कि कलकत्ता तथा नागपुर में पदस्थापित कर्मचारियों को सिटी कम्पेन्सेटरी एलाउन्स के भुगतान के लिये जो यह एलाउन्स ऊंचे दर पर जो कलकत्ता के लिये कुछ सीमाओं में बुनियादी मजदूरी की ६% और नागपुर के लिये ४.५% से अधिक पाने के हकदार हैं

का भुगतान किया जाय। चूंकि कुछ यूनियनों द्वारा स्पष्टीकरण का सवाल उठाया गया है, अतः स्वभावतः जब तक इस सम्बन्ध में जे.बी.सी.सी.आई. कोई निर्णय नहीं ले लेती तब तक इस सम्बन्ध में ३१-१२-१९७८ की यथास्थिति बरकरार रहेगी। इसका यह अर्थ हुआ कि सम्बन्धित श्रमिक जो राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ की धारा ११.५.१ में दिये गये प्रावधान से ऊंचे दर पर सिटी कम्पेन्सेटरी एलाउन्स पाये हैं तो उन्हें जे.बी.सी.सी.आई. के अन्तिम निर्णय तक ३१-१२-१९७८ की स्थिति से उसी हिसाब से सिटी कम्पेन्सेटरी एलाउन्स मिला करेगा। सभी सम्बद्ध से तदनुसार इस पर कारवाई करने को कहा गया है।

———

क्रियान्वयन आदेश संख्या—१७

सं० आइ.आर./९४/आइ.एम पी. दिनांक २८-१०-१९७९

विषय : **राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के अन्तर्गत ओवरटाइम के भुगतान की सीमा को बढ़ाने के सम्बन्ध में— क्रि आ.सं.—९**

इस सम्बन्ध में और आगे कोल इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता के कार्मिक विभाग के प्रमुख द्वारा राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के क्रियान्वयन आदेश सं०-१३ को निर्देशित किया गया है। इस विषय पर जे.बी.सी.सी.आई. की २५-१०-१९७९ को हुए बैठक में तथा स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की २६-१०-१९७९ की बैठक में भी विचार किया गया। स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त संदर्भित क्रियान्वयन आदेश संख्या-१३ को रद्द किया जायगा और राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ की धारा ११.३.१ के सम्बन्ध में एकबार फिर से नया परिपत्र जारी किया जायगा जिसमें यह उल्लेख रहेगा कि उन सभी कर्मचारियों को जिन्हें ३१-१२-१९७८ को ओवरटाइम मिलता था वह एन. सी. डब्लू ए-२ के तहत उनके वेतन में संशोधन से हुए वृद्धि के बावजूद ओवरटाइम मिलता रहेगा। तदनुसार नया परिपत्र जारी किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में जब कभी स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी अथवा जे. बी सी. सी. आई. द्वारा कोई नया निर्णय लिये जाने पर उस समय आगे परिपत्र जारी किया जायगा।

———

क्रियान्वयन आदेश संख्या—१८

सं० आइ. आर /९४/आइ. एम. पी. दिनांक १-११-१९७९

विषय : (अ) कैजुअल छुट्टी
(ब) वापसी रेल किराया सुविधा
(स) मुफ्त कोयला (जलावन)
(द) बिजली खर्च की वसूली
(य) चिकित्सा सुविधा, एम्बुलेंस एवं दवाई पर खर्च
(फ) बकाया का भुगतान
(ज) राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के क्रियान्वयन की समीक्षा
(ह) मृतक कर्मचारी के आश्रितों को नौकरी का प्रावधान।

उपरोक्त विषयों पर राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के क्रियान्वयन से सम्बन्धित नीचे दिये गये प्रावधानों को क्रियान्वित किया जाय :—

(अ) कैजुअल छुट्टी

इस सम्बन्ध में क्रियान्वयन आदेश सं० १०, १२ एवं १४ जारी किया गया है। २५-१०-१९७९ को अपने बैठक में जे. बी. सी. सी. आई. ने क्रियान्वयन आदेश सं०-१२ के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया कि इसे स्पष्ट किया जाना चाहिये कि कैजुअल छुट्टी के लिये सिर्फ स्थायी श्रमिक ही पहली बार एक साल काम पूरा करने पर हकदार होंगे। इस तरह क्रियान्वयन आदेश संख्या-१२ संशोधित समझा जाय। इस निर्णय को क्रियान्वित किया जाय।

जे. बी. सी. सी. आई ने २५-१०-१९७९ को हुए अपने बैठक में निम्नलिखित निर्णय भी लिया :—

"९. कैजुअल छुट्टी की मंजूरी के लिये राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के पारा ७ ४.१ से ७.४.६ के साथ क्रियान्वयन आदेश सं०-१२ के पारा १(४) को भी पढ़ा जाना चाहिये और यदि कर्मचारी १९७९ के कैलेण्डर वर्ष के भीतर पूरा ११ दिन कैजुअल छुट्टी के लिये आवेदन करता है जिससे उसके द्वारा ली गयी बिना पैसे की किसी अवधि की

छुट्टी आ जाय तो उसे उसके मंजूरी की सुविधा दी जायगी जिससे १९७९ की बची हुई अवधि और १९८० के वर्ष में इस सम्बन्ध में अनुपस्थिति को कम किया जा सके ।"

यह निर्णय भी स्पष्ट है और इसे भी क्रियान्वित किया जाय । इस प्रकार इस सम्बन्ध में क्रियान्वयन आदेश सं०-१२ के पारा १(४) का पहले का निर्णय संशोधित समझा जायगा ।

(ब) वापसी रेल किराया सुविधा :

इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ की धारा ९.१.१ और ९.१.२ के प्रावधानों का यहाँ उल्लेख किया जाता है, जो इस प्रकार है :—

"९.१.१ यह समझौता हुआ कि जो कर्मचारी घर जाने तथा वापसी के लिये वर्त्तमान में कोयला उद्योग के केन्द्रीय वेतन मंडल के अधीन प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी का भाड़ा पाने के हकदार हैं उन्हें यह सुविधा मिलती रहेगी । प्रथम श्रेणी की रेल किराया पाने के हकदार वे श्रमिक होंगे जिनकी बुनियादी मजदूरी प्रतिमाह ५१०) रु० या अधिक होगी । जिन कर्मचारियों की बुनियादी मजदूरी ५१०) रु० से कम है वे द्वितीय श्रेणी की रेल किराया के हकदार होंगे ।

९.१.२ पीस-रेट कर्मचारियों को किस श्रेणी का भाड़ा मिले, इसका निर्धारण कोल माइन्स बोनस योजना के वर्त्तमान प्रावधानों के अनुसार पिछले तिमाही का हाजरी बोनस के आधार पर प्रतिमाह की बुनियादी मजदूरी का औसत निकाल कर तय किया जायगा । फिर भी यदि किसी कोलियरी इकाई में बुनियादी मजदूरी तय करने का अन्य कोई तरीका अपनाया जाता होगा तो वहाँ उसी तरीके के अनुसार किसी अवधि की बुनियादी मजदूरी तय की जायगी और वही तरीका चालू रहेगा ।"

उपरोक्त प्रावधान स्पष्ट हैं अतः यह अनुरोध किया गया है कि इन्हें क्रियान्वित किया जाय ।

(स) मुफ्त कोयला (जलावन) की आपूर्ति :

यह विषय राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ की धारा ११.२.१ में उल्लिखित है । अनुरोध किया गया है कि इस प्रावधान को क्रियान्वित किया जाय :

"११.२.१ कोलियरियों/प्रतिष्ठानों में निःशुल्क कोयला (जलावन) आपूर्ति की वर्त्तमान व्यवस्था चालू रहेगी ।"

(द) बिजली खर्च की वसूली :

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ की धारा ८.५.१ में इस सम्बन्ध में उल्लेख है, जिसे यहाँ दिया जाता है :—

"८.५.१ कोलफील्ड क्षेत्र में जिन श्रमिकों को प्रबन्धन द्वारा क्वार्टर दिया गया है और वहाँ बिजली की भी आपूर्ति की जाती है उन्हें प्रति क्वार्टर प्रतिमाह समान रूप से ३० यूनिट तक के निःशुल्क बिजली खपत की सुविधा मिलेगी और वर्त्तमान सीमा में तदनुसार संशोधन किया जायगा । इस निःशुल्क सीमा से अधिक की बिजली खपत के लिये श्रमिकों को उसी दर से बिजली का खर्च देना होगा जिस दर से प्रबन्धन को बिजली विभाग को भुगतान करना पड़ता है ।"

यह अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त प्रावधानों को क्रियान्वित किया जाय ।

(य) चिकित्सा सुविधा, एम्बुलेन्स एवं दवाई पर खर्च :

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ की धारा १०.५.१, १०.५.२ एवं १०.५.३ में इन विषयों का उल्लेख किया गया है, जो निम्न प्रकार है :—

"१०.५.१ जे. बी. सी. सी. आई. की चिकित्सा सब-कमिटी (सब-कमिटी ई) की सर्वसम्मत सिफारिशें लागू की जायंगी । सब-कमिटी की सर्व-सम्मत सिफारिशों का ब्यौरा **परिशिष्ट-५** में दिया जा रहा है ।

१०.५.२ सिद्धान्ततः यह समझौता हुआ कि इमरजेन्सी रोगियों को अस्पताल/डिस्पेंसरी पहुँचाने के लिये प्रत्येक कोलियरी में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिये । फिर भी, जब तक सभी कोलियरियों में एम्बुलेंस की व्यवस्था करना जल्द सम्भव नहीं होगा वहाँ कुछ निश्चित कोलियरियों के लिये यह व्यवस्था की जा सकती है । इसके तरीके पर विस्तार से स्थानीय स्तर पर वार्तालाप द्वारा व्यवस्था

किया जा सकता है। प्रबन्धन इस बात पर राजी हुए कि दो वर्षों के भीतर एम्बुलेंसों की संख्या बढ़ाई जायगी जिससे कोलियरियों में एम्बुलेन्स उपलब्ध हो। जे. बी. सी. सी. आई. द्वारा समय-समय पर इसकी समीक्षा की जायगी।

१०.५.३ यह समझौता हुआ कि कोल इण्डिया लिमिटेड तथा इसकी सम्बद्ध इकाईयों में दवाई पर उसी हिसाब से खर्च किया जायगा जिस हिसाब से अभी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष सिंगारेनी कोलियरी द्वारा किया जाता है।"

जे. बी. सी. सी. आई. की मेडिकल सब-कमिटी की सर्वसम्मत सिफारिशों को जिसका उल्लेख धारा १०.५.१ में किया गया है उसे भी इसके साथ दिया जा रहा है। यह अनुरोध किया जाता है कि इन सभी प्रावधानों को क्रियान्वित किया जाय। सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी को छोड़कर अन्य कोयला कम्पनियों में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कितना खर्च किया जायगा इस सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी से जैसे ही जानकारी उपलब्ध होगा इसे अन्य कोयला कम्पनियों को प्रसारित किया जायगा।

(फ) बकाया का भुगतान :

इस विषय पर विशेष विवरण क्रियान्वयन आदेश संख्या-९ के पारा २६ और २७ में दिया गया है। इस मसले पर जे. बी. सी. सी. आई. (कोयला उद्योग के लिये गठित द्विदलीय समिति) की २५-१०-१९७९ को हुए बैठक में समीक्षा किया गया और निम्नलिखित निर्णय लिया गया :—

"संशोधित वेतन ढाँचा के अनुसार कर्मचारियों को भुगतान १-११-१९७९ से मिलेगा अर्थात् अक्टूबर महीना या उसके अंश के लिये जो सम्बन्धित कोयला कम्पनी की प्रत्येक कोलियरी/इकाई के लिये वेतन अवधि निर्धारित किया गया है। कर्मचारियों को प्राप्य कुल बकाया जो पिछले अवधि (अर्थात् १-१-१९७९ से संशोधित दर पर भुगतान किये गये मजदूरी की तिथि) तक का भुगतान दिसम्बर १९७९ के अन्त तक कर दिया जायगा। क्रियान्वयन का विस्तृत ब्यौरा जे. बी. सी. सी. आई. की अगली बैठक के पहले ही प्रस्तुत कर दिया जायगा"

यह अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त फैसले को क्रियान्वित किया जाय।

(ज) राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के क्रियान्वयन की समीक्षा :

जे. बी. सी. सी. आई. की २५-१०-१९७९ को हुए बैठक में जे. बी. सी. सी. आई. के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन की समीक्षा के सम्बन्ध में यह निर्णय भी लिया गया :

"विभिन्न कोयला कम्पनियों में कम्पनी स्तर पर कार्यरत द्विपक्षीय समितियों द्वारा जे. बी. सी. सी. आई. के प्रावधानों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जायगी अथवा जहाँ द्विपक्षीय समितियाँ नहीं हैं और जे. बी. सी. सी. आई. के प्रावधानों के विषय में स्पष्टीकरण हेतु भेजा जाता है वहाँ एक क्रियान्वयन समिति गठित किया जाना चाहिये और स्पष्टीकरण हेतु जे. बी. सी. सी. आई. के पास विचारार्थ एवं निर्णय हेतु भेजा जाना चाहिये।"

सभी कोयला कम्पनियों से अनुरोध किया जाता है कि वे सम्बन्धित सवाल पर फैसलों को क्रियान्वित करें।

(झ) मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी का प्रावधान :

यह विषय राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ की धारा १०.४.१ और १०.४.२ के तहत सम्मिलित है और इस सम्बन्ध में क्रियान्वयन आदेश सं०-२ द्वारा आवश्यक निर्देश भेजा गया है। इस सम्बन्ध में जे. बी. सी. सी. आई. की २५-१०-१९७९ को हुए बैठक में आगे और निम्नलिखित निर्णय लिया गया :—

"राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ की धारा १०.४.१ और १०.४.२ के तहत मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने के प्रावधान से सम्बन्धित आश्रितों को नौकरी तभी दी जायगी यदि वह प्रबन्धन को आदेश करता है तो आवेदन के दो महीने के भीतर नियुक्ति दी जायगी। आवेदक को कोई दिक्कत (परेशानी) होने पर सम्बन्धित मामले को क्रियान्वयन समिति के पास निर्णय हेतु भेज दी जायगी।"

सभी प्रबन्धन से इस निर्णय को भी क्रियान्वित करने का अनुरोध किया गया है।

परिशिष्ट-५

जे. बी. सी. सी. आई. के मेडिकल सब-कमिटी की सिफारिशें

कोलियरियों में चिकित्सा सुविधाओं को और भी उन्नतिशील और बढ़ाया जायगा। चिकित्सा सुविधा के कुछ प्रमुख पहलू निम्न प्रकार हैं :—

डिस्पेन्सरी :

(१) प्रत्येक कोलियरी में चिकित्सकों तथा तत्सम्बन्धी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाकर एक डिस्पेन्सरी रहेगी और उन डिस्पेन्सरियों को ऐसे स्थानों पर बनाया जायगा जो कोलियरियों की श्रमिक कोलोनी से २-३ कि०मी० की दूरी पर हो। किसी कोलियरी का बहुत बड़े क्षेत्र में फैले होने के कारण वहाँ आवश्यकता होने से एक से अधिक डिस्पेन्सरी भी बनायी जायगी।

(२) प्रत्येक डिस्पेन्सरी में न्यूनतम निम्न स्टाफों का प्रावधान होगा :—

चिकित्सा अधिकारी	—१
कम्पाउण्डर	—१
नर्स/मिडवाइफ	—१ (नर्स को प्राथमिकता)
ड्रेसर/वार्ड ब्वाय	—२
स्वीपर	—१
क्लर्क	—१

(३) इमर्जेन्सी केशों को अस्पताल/डिस्पेन्सरी पहुँचाने के लिये समुचित मात्रा में एम्बुलेंस की व्यवस्था की जायगी। जहाँ एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होगा वहाँ कोलियरी प्रबन्धन द्वारा दूसरे वाहनों की व्यवस्था की जायगी।

(४) दवाई आपूर्ति के व्यवस्था की समीक्षा की जायगी जिससे अस्पताल व डिस्पेन्सरी में सभी तरह की दवाई उपलब्ध रहे, कोई दवा लिखे जाने पर यदि वह अस्पताल में उपलब्ध नहीं होगा तो उसे खरीद कर आपूर्ति करने की व्यवस्था की जायगी।

दवाई के पैसे का भुगतान (रि-इम्बर्समेन्ट)

(५) यदि कोई दवाई कोलियरी मेडिकल आफीसर द्वारा लिखा गया होगा और आपूर्ति रोगी को कोलियरी अस्पताल/डिस्पेन्सरी में नहीं होने पर वह उस दवाई को बाहर से खरीद सकेगा तथा कैश मेमो जमा करके दवाई के पैसे का भुगतान ले सकेगा। पहले लिखा हुआ दवाई नहीं मिलने पर उसकी जगह दूसरी दवा लिखा कर खरीदने की अनुमति रहेगी तथा उसके पैसे का भुगतान किया जायगा बशर्ते कि श्रमिक द्वारा दवाई खरीदी गई हो।

(६) कोयला कम्पनी के चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा कम्पनी के बाहर के अस्पताल में चिकित्सा हेतु भेजे जाने पर सम्बन्धित अस्पताल के जेनरल वार्ड के खर्च का भुगतान किया जायगा। कम्पनी के मेडिकल अधिकारी की अनुशंशा पर रोगी तथा उसके रक्षक कम्पनी से यात्रा भत्ता (डी. ए. छोड़कर) पाने के हकदार होंगे।

(७) यदि कोई कर्मचारी छुट्टी मंजूर कराकर घर गया है और वहाँ गम्भीर रूप से बीमार हो गया हो जिससे सरकारी अस्पताल अथवा स्वासी-निकाय के किसी अस्पताल में भर्ती कराना पड़े वैसे हालत में भर्ती तथा दवाई खर्च अस्पताल के जेनरल वार्ड के शुल्क के अनुसार कम्पनी द्वारा भुगतान कर दिया जायगा।

(८) कोलियरी अस्पताल द्वारा रोगी की चिकित्सा हेतु श्रम कल्याण संस्था के अस्पताल में भेजे जाने पर यदि संस्था अस्पताल अथवा कम्पनी के अस्पताल/डिस्पेन्सरी से दवाई की आपूर्ति नहीं होती है और श्रमिक को ही बाहर से दवाई खरीदना पड़ता है, वैसे हालत में कम्पनी द्वारा श्रमिक को दवाई खर्च भुगतान कर दिया जायगा तथा कम्पनी द्वारा श्रम कल्याण संस्था से पैसा वसूल किया जायगा।

दृष्टव्य : जो भी हो चिकित्सा खर्च के लिये भुगतान हेतु सामान्य नियमों का पालन किया जायगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रावधान परिशिष्ट (५-ए) में दिया गया है।

अस्पताल का खाना :

(९) कम्पनी के अस्पताल में भर्ती मरीजों को निःशुल्क भोजन मिलेगा। खाद्य पदार्थों के मूल्य में बढ़ती को मद्देनजर रखकर मरीजों के खाने के वर्त्तमान खर्च जो कोयला कम्पनियों द्वारा किया जाता है उसमें आवश्यक बढ़ती की जायगी।

अस्पताल :

(१०) अस्पताल में सेवाओं के विकास और उसे मजबूत बनाने के लिये लम्बी अवधि के आधार पर कार्यक्रम बनाकर निम्नलिखित कार्य किया जायगा :—

(अ) कोयला कम्पनियों के सभी अस्पताल तथा कोयला खदान श्रम कल्याण संस्था के अस्पतालों को मिलाकर ब्यूरो आफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज (बी. पी. ई.) की नियम के अनुसार प्रति १०० कर्मचारियों पर एक विस्तर प्राप्त करने का लक्ष्य होना चाहिये। आगामी चार वर्षों में कम्पनी तथा कल्याण संस्था मिलाकर कम से कम १६० श्रमिकों पर एक विस्तर के लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित हो।

(ब) जहाँ तक सम्भव हो एक सौ अथवा अधिक विस्तर का अच्छी चिकित्सा सुविधा के साथ बड़े क्षेत्रीय अस्पताल बनायें जाँय। इन क्षेत्रीय अस्पतालों में दवा, शल्य चिकित्सा, मातृत्व सेवा, जांच सेवा, एनास्थेसिया, समुचित एक्स-रे सुविधा तथा वह सुविधा जिससे नियोमोकोनियोसिस की जाँच हो सके, ई. सी. जी., खून चढ़ाने इत्यादि सुविधा से युक्त हों। ऐसे अस्पताल प्रशासनिक क्षेत्रों से भिन्न भौगोलिक आधार पर गठित किये जांय।

(स) जो क्षेत्र तथा खदान दूर दराज क्षेत्रों में अवस्तित हों और वहाँ १०० विस्तर के अस्पताल की आवश्यकता नही हो तो वहाँ आवश्यकतानुसार छोटे अस्पताल बनाया जाना चाहिये।

(द) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में जहाँ कोल माइन्स लेबर वेलफेयर का कोई समुचित केन्द्रीय अस्पताल नहीं है वहाँ एक केन्द्रीय अस्पताल का गठन किया जाना चाहिये जिसमें कर्मचारी और विस्तर का सही अनुपात को मद्देनजर रखा जाना चाहिये और उस अनुपात से विस्तर संख्या में कमी होने पर उसे क्षेत्रीय तथा केन्द्रीय अस्पतालों के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिये। प्रत्येक कोयला कम्पनी में कम से कम एक ऐसा अस्पताल जरूर हो जहाँ पैथोलोजी, रेडियोलोजी, ऑर्थोपायडिक (हड्डी), नाक, कान, गला (ई. एन. टी.) आँख, दाँत एवं शिशु चिकित्सा की अतिरिक्त व्यवस्था हो।

(य) प्रत्येक क्षेत्रीय अस्पताल में एक कैज्वल्टी (आकस्मिक दुर्घटना) सेवा उपलब्ध हो जो चौबीसों घंटे खुला रहे।

मेडिकल एलाउन्स :

(११) जो कर्मचारी फिलहाल दवाई (चिकित्सा) खर्च हेतु एक महीना की मजदूरी/वेतन पाते हैं वे यह सुविधा पाते रहेंगे।

सामान्य :

(१२) कम्पनी के अस्पताल तथा कल्याण संस्था के अस्पताल में इस प्रकार का ताल-मेल होना चाहिये जिससे एक ही काम को दुहराया नहीं जाय, बर्बादी को रोका जाय तथा वर्त्तमान सुविधाओं में सुधार किया जा सके।

(१३) सब-कमिटी ने इस बात को लक्ष्य किया कि पिछले मालिकों के समय की विषमता अभी तक कोल इण्डिया लि० की इकाइयों में भी चला आ रहा है और उसमें एक समान विकास नहीं किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न कोयला कम्पनियों के क्षेत्र में कोयला खान श्रम कल्याण संस्थान के अस्पतालों में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं में विषमता है। यह महसूस किया गया कि इन विषमताओं को अविलम्ब दूर करना सम्भव नहीं होगा अतः कोयला कम्पनियों को सब-कमिटी की सिफारिशों को मद्देनजर रखते हुए इस तरह का कार्यक्रम तैयार करना चाहिये जिससे इसमें सुधार लाया जा सके। जहाँ कहीं भी बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं वे उसी तरह मिलती रहेंगी।

———

परिशिष्ट—५(ए)

री-इम्बर्समेंट (भुगतान)

(धारा १०.५.१ के अनुसार)

(१) कैश-मेमो दाखिल करने पर अस्पताल/डिस्पेन्सरी की दवाई इम्प्रेस्ट से भुगतान किया जायगा।

(२) संदर्भपत्र प्रस्तुत करने पर

—प्रेस्क्रिप्सन/कैश-मेमो,
—डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र,
—आवश्यकता प्रमाण-पत्र दाखिल करने पर।

(३) उपरोक्त (२) की तरह ही परन्तु संदर्भपत्र छोड़कर।

(४) कोयला खान श्रम कल्याण संस्था के प्रेस्क्रिप्सन व कैश-मेमो दाखिल करने पर।

क्रियान्वयन आदेश सं०—१६

संख्या : आइ. आर./६४/आइ. एम. पी. दिनांक २४-११-१९७६

कोल इण्डिया की कई इकाईयों में खनन कार्य के अतिरिक्त प्रतिष्ठानों में कार्यालय कर्मचारियों को ओवरटाइम का भुगतान उसी दर पर किया जाता है जिस दर पर केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पत्रांक ओ. ओ. सं. ओ. ई. ३-८ (ओ. टी.)-४७७ दिनांक ११-३-१९७३ के (प्रतिलिपि उधृत) अनुसार देय है। राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के तहत संशोधित वेतनमान को मद्देनजर रखते हुए संशोधित स्लैब लागू के सवाल पर विचार किया गया। यह महसूस किया गया कि स्लैब के निर्धारण पर स्टैण्डरडाइजेशन सब-कमिटी के विचार की आवश्यकता होगी। अतः इसे मद्देनजर रखते हुए, सम्बन्धित कर्मचारियों को ओवरटाइम का भुगतान तब तक ३१-१२-१९७८ को लागू दर से ही किया जायगा, जब तक जे. बी. सी. सी. आई. के सदस्य सचिव द्वारा इस सम्बन्ध में आगे कोई सलाह नहीं दिया जाता।

एकाउण्टेंट जेनरल का कार्यालय : बिहार : राँची

ओ. ओ. सं. ओ. ई. ३-८ (ओ. टी.)-४७७ ११ मार्च, १९७४

विषय : **ओवरटाइम एलाउन्स**

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (खर्च विभाग) के परिपत्र ओ. एम. संख्या एफ. ६(१८)—ई.-२ (बी.)/७३ दिनांक १९-२-७४ की प्रतिलिपि जो कॉम्प्ट्रोलर व ऑडिटर जेनरल की स्वीकृति सं० ३०१-आडिट २६-७४ दिनांक २३-२-७४ को आवश्यक जानकारी एवं दिशा निर्देश हेतु प्रसारित किया जाता है।

प्रतिलिपि :—
सभी सम्बन्धित

(एस. प्रसाद)
एकाउन्ट्स आफिसर, बिहार

अधोहस्ताक्षरी यह कहने के लिये निर्देशित है कि ओवरटाइम के भुगतान से सम्बन्धित तृतीय पे कमीशन की सिफारिशें जो मंत्रालय के निर्णय सं० ७०(३४/७३ आई. एम. पी. द्वारा सरकार के निर्णय लिये जाने पर, जो भारत सरकार के अतिरिक्त गजट के भाग-१ सेक्सन-१ दिनांक १ नवम्बर, १९७३ में ओवरटाइम एलाउन्स के मंजूरी की हालात को कमी करने के मसले पर विचार किया जा रहा है। इस बीच, सेन्ट्रल सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतन) रूल्स, १९७३ के लागू होने को मद्देनजर रखते हुए एवं उसके अन्तर्गत प्रकाशित संशोधित वेतनमान में निर्धारण के फलस्वरूप "ऑफिस स्टाफ" एवं उनके "समकक्ष स्टाफ" जिनके ओवरटाइम एलाउन्स के भुगतान का संचालन इस मंत्रालय के आदेश संख्या ओ. एम. संख्या एफ. ९(५)-ई-२ (बी)/६० दिनांक १ जून, १९६१ द्वारा एवं समय-समय पर उसमें संशोधन के तहत होता है, के भुगतान पर यह प्रश्न उठाया गया है। राष्ट्रपति को यह फैसला करते हुए प्रसन्नता होती है कि उन मामलों में ओवरटाइम का भुगतान उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत ही निम्नलिखित परिवर्त्तनों (संशोधनों) के साथ संचालित होगा :—

(क) ओवरटाइम एलाउन्स के भुगतान की दर एवं उनके हिसाब का आधार फिलहाल निम्न प्रकार होगा :—

वेतन रु०	प्रति घंटा ओवर-टाइम की दर निर्धारित कार्य-घंटों के उपरान्त प्रत्येक १ घंटा तक काम के लिये	एक घंटा के बाद की अवधि के लिये
२७५ रु० से नीचे	कुछ नहीं	०.९५
२७५ रु० एवं उससे ऊपर परन्तु ३२५ रु० से नीचे	कुछ नहीं	१ रु० २५ पै०
३२५ रु० एवं उससे ऊपर परन्तु ३७५ रु० से नीचे	कुछ नहीं	१ रु० ५५ पै०
३७५ रु० एवं उससे ऊपर परन्तु ४२५ रु० से नीचे	कुछ नहीं	१ रु० ८० पैसे
४२५ रु० एवं उससे ऊपर तथा ४७५ रु० के नीचे	कुछ नहीं	२ रु० ०५ पै०
४७५ रु० एवं उससे ऊपर तथा ५२५ रु० के नीचे	कुछ नहीं	२ रु० ३५ पै०
५२५ रु० एवं उससे ऊपर तथा ५७५ रु० के नीचे	कुछ नहीं	२ रु० ६० पै०
५७५ रु० एवं उससे ऊपर तथा ६२५ रु० के नीचे	कुछ नहीं	२ रु० ९० पै०
६२५ रु० एवं उससे ऊपर तथा ६७५ रु० के नीचे	कुछ नहीं	३ रु० २० पै०
६७५ रु० एवं उससे ऊपर	कुछ नहीं	३ रु० ४५ पै०

(ख) वेतन का ऊपरी सीमा जिसके ऊपर ओवरटाइम का भुगतान नहीं होगा उस रकम को ६२० रु० से बढ़ाकर ७५० रु० कर दिया गया है। यह उन लोगों पर लागू होगा जो संशोधित वेतनमान में उक्त वेतन पाते होंगे।

(ग) उन कर्मचारियों के मामले में जिन्होंने संशोधन से पहले के वेतन पर ही रहना स्वीकार किया है, उनके लिये "वेतन" में अन्तरिम सहायता जो उन्हें लागू होगा वह सम्मिलित रहेगा।

(२) ये आदेश १ फरवरी, १९७४ से लागू होगें। १-२-७४ से पहले की अवधि के लिये ओवरटाइम भुगतान का संचालन उस समय के (तत्कालीन) आदेश के मुताबिक (संशोधन के पहले के वेतनमान द्वारा) संचालित होगा एवं 'वेतन' के अन्य मद उस समय जो प्राप्य होगा तदनुसार मिलेगा। १-२-७४ से पहले की अवधि के लिये दावा जो

तत्कालीन इन आदेशों के अनुसार लागू होगा वह इन आदेशों के अनुसार फिर से समायोजित किया जाना चाहिये तथा बकाया देय होने से भुगतान किया जाना चाहिये अथवा वसूली (कटौती) हो तो, जो भी हो, उसे क्रियान्वित किया जाना चाहिये ।

(३) जहाँ तक भारतीय ऑडिट एवं एकाउन्ट्स विभाग में सेवारत कर्मचारियों का प्रश्न है उनके लिये भारत के कम्प्ट्रोलर व आडीटर जेनरल के साथ परामर्श करके इन आदेशों को निर्गत किया जाय ।

(४) इस कार्यालय मेमोरण्डम (स्मारपत्र) की हिन्दी प्रतिलिपि अलग से जारी की जायगी ।

क्रियान्वयन आदेश सं०—२०

सं० जे. बी. सी. सी. आइ./आइ. आर./६४/आइ. एम. पी./४६७
दि० १३-२-१९८०

विषय : एन सी. डब्ल्यू ए.-२ के धारा ६.२.१ एवं ६.२.२ के अन्तर्गत एल. टी. सी. योजना

११ फरवरी, १९८० को जे. बी. सी. सी. आई. की बैठक में किये गये फैसले, जिसमें उपरोक्त योजना शामिल है, उसे सभी सम्बन्धितों द्वारा क्रियान्वयन हेतु भेजा जा रहा है । 'परिवार' की परिभाषा जैसा कि केन्द्रीय सरकार के एल. टी. सी. नियमावलियों में दिया गया है, वह निम्न प्रकार है :—

"परिवार की परिभाषा—'परिवार' शब्द का अर्थ सरकारी कर्मचारी की पत्नी अथवा पति, जो भी हो, जो सरकारी कर्मचारी के साथ रहता है, न्याय संगत बच्चे तथा सौतेले-बच्चे, अभिभावक, सौतेली माँ, बहन, एवं नाबालिग भाई जो सरकारी कर्मचारी के साथ रहता है एवं पूरी तरह उसी पर आश्रित है ।

'परिवार' के तहत सिर्फ एक पत्नी ही शामिल है । एक दत्तक पुत्र को भी वैध संतान माना जायगा यदि सरकारी कर्मचारी के व्यक्तिगत कानून में दत्तक संतान को कानूनी मान्यता हो और उसे प्राकृतिक संतान जैसा दर्जा दिया गया हो ।

बालिग पुत्र तथा शादी-शुदा पुत्रियाँ (विधवा पुत्री सहित) भी, जब तक सरकारी कर्मचारी के साथ रहते हैं और पूरी तरह उसी पर आश्रित हैं, परिवार की परिधि में शामिल होंगे ।

बच्चे जो शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षारत हैं और वास्तव में हमेशा सरकारी कर्मचारी के साथ नही रहते बल्कि उनके साथ छुट्टी बिताने आते हैं, वे भी इस उद्देश्य के लिये परिवार के सदस्य माने जायंगे ।"

इस सम्बन्ध में कर्मचारियों द्वारा जो फार्म भरकर देना होगा उसे अलग से दिया जायगा एवं सभी सम्बन्धितों के बीच प्रसारित किया जायगा ।

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के तहत आने वाले (संचालित) श्रमिकों के लिये एल. टी. सी. (छुट्टी भ्रमण रियायत) योजना एन. सी. डब्ल्यू. ए.-२ की धारा ६ २.१ तथा ६.२.२ की शर्तें

एल. टी. सी. (छुट्टी भ्रमण रियायत) सुविधा प्राप्त करने हेतु मौलिक शर्तें :—

(ए) यह सुविधा ४ वर्ष के ब्लाक में सिर्फ एकबार उपलब्ध होगी। स्थायी श्रमिकों के लिये, जो १-१-१९७९ को लगातार नौकरी में थे उनके हेतु चार वर्ष के ब्लाक की शुरूआत १-१-१९७९ से होगी।

(बी) १-१-१९७९ के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों के साथ ही अन्य दूसरे श्रमिकों के लिये यह ब्लाक उस कैलेण्डर वर्ष से प्रारम्भ होगा जब से वे स्थायी श्रमिक के रूप में नियुक्त/घोषित किये जायंगे। उनके मामले में यह ब्लाक चार वर्षों तक के लिये, उस वर्ष को मिलाकर जिस वर्ष वे नियुक्त किये जाते हैं अथवा स्थायी श्रमिक घोषित किये जाते हैं, से चालू समझा जायगा।

(सी) नये स्थायी श्रमिक इस सुविधा के लिये प्रारम्भिक रूप में उस समय से हकदार हो जायंगे जब से वे सम्बन्धित ब्लाक में कम से कम एक वर्ष सेवा कर चुके हों।

(डी) बदली/कैजुअल श्रमिक इस सुविधा के हकदार नहीं होंगे। क्रमानुसार उनका हक उस समय से निर्धारित किया जायगा जिस वर्ष में वे स्थायी श्रमिक के रूप में ले लिये जायंगे।

परिवार के सदस्यों के सम्बन्ध में हक (पात्रता) :

केन्द्रीय सरकार के एल. टी. सी. नियमावलियों में दिये गये शर्तों के अधीन पड़ने वाले परिवार हेतु यह सुविधा अधिकतम ३.५ वयस्क युनिट अथवा परिवार के सदस्यों की वास्तविक संख्या जो भी कम हो, को मिलेगी।

प्रत्येक तरफ की अधिकतम दूरी जिसके लिये यह सुविधा उपलब्ध होगी :

कार्यस्थल/इकाई से प्रत्येक तरफ १५०० कि०मी० करके सीधा, अथवा राउण्ड ट्रिप (भ्रमण) के लिये कुल ३००० कि०मी० अथवा वास्तविक दूरी

जिसकी यात्रा की गयी हो, जो भी कम हो। यात्रा यदि किसी सर्कुलर रूट से की गई हो तो किराये का भुगतान (रि-इम्बर्समेंट) कुल यात्रा दूरी अथवा अधिकतम ३००० कि०मी० जो भी कम हो, के लिये सीमित रहेगी।

रेल/बस की श्रेणी जिसके लिये यात्रा के हकदार (पात्र) होंगे :

(ए) **रेल से द्वितीय श्रेणी के हकदार :**

(१) सभी कोयला कम्पनियों में विभिन्न ग्रूप के पीस-रेट श्रमिकों की, जिनकी पिछले एक कैलेण्डर वर्ष में औसत बेसिक आय प्रतिमाह ५२५) रु० से कम रही है।

(२) सभी दैनिक दर तथा मासिक दर श्रमिकों की जिनकी यह सुविधा लेते समय बुनियादी मजदूरी ५२५) रु० प्रतिमाह से कम रही है।

(बी) **रेल से प्रथम श्रेणी के हकदार :**

(१) सभी श्रमिक, अर्थात् दैनिक दर तथा मासिक दर श्रमिक, जिनकी यह सुविधा लेते समय बुनियादी वेतन प्रतिमाह ५२५) रु० अथवा उससे अधिक है।

(२) सभी कोयला कम्पनियों में विभिन्न ग्रूप के पीस-रेट श्रमिकों की जिनकी पिछले एक कैलेण्डर वर्ष में औसत बेसिक आय प्रतिमाह ५२५) रु० अथवा अधिक रही है।

(सी) जहाँ यात्रा बस द्वारा की जाती है वहाँ वास्तविक बस किराया मिलेगा परन्तु वह रेल यात्रा के लिये मिलने वाले रकम के बराबर ही रहेगा।

यह सुविधा लेते समय कर्मचारियों द्वारा यात्रा किये जाने के प्रमाण में एक घोषणा (डिक्लरेशन) देना होना :—

सभी श्रमिकों को जो इस सुविधा का लाभ उठाते हैं उन्हें निम्नलिखित आशय का एक घोषणापत्र देना पड़ेगा :—

—कि किस स्टेशन तक इस सुविधा का लाभ उठाया गया है।

—यात्रा का जरिया,
—किस श्रेणी में यात्रा किया,
—यात्रा की तारीख,
—परिवार के सदस्यों की संख्या, उनके नाम, श्रमिक के साथ उनका सम्बन्ध एवं उनकी उम्र ।

निम्नतम अनिवार्य छुट्टी जो लेनी होगी :

जो श्रमिक एल. टी. सी. की सुविधा लेते हैं उन्हें अपने पावना छुट्टी में से कम से कम ७ दिनों की पैसे के साथ छुट्टी लेना अनिवार्य होगा ।

एल. टी. सी. सुविधा लेने के लिये अन्य शर्तें :—

(ए) श्रमिक एवं उनके परिवार के सदस्यों को जो इस सुविधा का लाभ उठाते हैं उन्हें एक साथ यात्रा करना होगा ।

(बी) चार वर्ष के एक ब्लाक में यदि इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया गया तो वह खत्म (लैप्स) हो जायगा और जमा नहीं रहेगा ।

(सी) श्रमिकों को निर्धारित फार्म पर शुरू में ही अपने परिवार के सदस्यों का पूरा विवरण घोषित कर देना पड़ेगा, साथ ही कोई परिवर्त्तन होने से इसकी सूचना देगें तथा एल. टी. सी. सुविधा लेते समय भी पूरा विवरण देना होगा ।

एन. सी. डी. सी. के तत्कालीन मासिक दर श्रमिकों के मामले में जो सरकारी (सिविल) नियमों अथवा कार्पोरेशन नियमों द्वारा संचालित होते हैं और जो चार वर्ष में एकबार घर जाने के लिये हकदार होते हैं उनके लिये इस सुविधा के लिये योग्यता :

इस योजना के तहत एल. टी. सी. के अन्तर्गत चार वर्ष में एकबार भारत में कहीं भी जाने की सुविधा उपलब्ध होगी, परन्तु इसके लिये शर्त यह होगी कि ये कर्मचारी चार वर्ष के एक ब्लाक में एल. टी. सी. लेकर एकबार अपने परिवार के साथ घर जाने तथा एक बार भारत में कहीं भी जाने की सुविधा

ले सकेंगे । तत्कालीन एन. सी. डी. सी. के उन कर्मचारियों के लिये जो रेलवे नियम के अनुसार निःशुल्क पास पाने के हकदार हैं वे इस योजना के तहत अन्य कोई लाभ पाने के हकदार नहीं होंगे ।

प्रबन्धन द्वारा एल. टी. सी. के लिये भाड़ा का ८० प्रतिशत तक अग्रिम के रूप में दिया जायगा । बाकी का बीस प्रतिशत कर्मचारियों द्वारा यात्रा पूरा करने के एक माह के भीतर एल. टी. सी. बिल जमा देने के उपरान्त भुगतान किया जायगा ।

———

क्रियान्वयन आदेश सं०—२१

सं० जे. बी. सी. सी. आई./आई. आर./९४/आई. एम. पी./४६८

दि० १३-२-१९८०

विषय : **राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के तहत कैजुअल (आकस्मिक) छुट्टी की मंजूरी के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।**

उपरोक्त विषय पर जे. बी. सी. सी. आई. के स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की २१/२३ जनवरी, १९८० को हुए बैठक में विचार किया गया। इस सम्बन्ध में टिप्पणी की एक प्रति जिसमें सर्वसम्मत फैसला किया गया है और जिसे जे. बी. सी. सी. आई. की ११-२-१९८० को हुए बैठक में अनुमोदित किया गया, उसे सभी सम्बन्धितों की जानकारी एवं क्रियान्वयन के लिये भेजा जा रहा है।

टिप्पणी की प्रतिलिपि :

स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की २१-२३ जनवरी, १९८० को कोल इण्डिया लि० के मुख्यालय में लिया गया निर्णय।

कैजुअल (आकस्मिक) छुट्टी :

यह निर्णय लिया गया कि पैसे के साथ कैजुअल (आकस्मिक) छुट्टी के सम्बन्ध में राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के प्रावधानों का संचालन निम्न-लिखित स्पष्टीकरण के साथ किया जायगा :—

(१) कोई कर्मचारी अपने प्राप्य कैजुअल छुट्टी से किसी कैलेण्डर वर्ष में एक साथ अधिकतम चार दिनों की अवधि की कैजुअल छुट्टी ले सकेगा।

(२) साधारणतः कैजुअल छुट्टी अन्य किसी छुट्टी के साथ मिलाकर नहीं लेने दिया जायगा। यद्यपि प्रबन्धन किसी कर्मचारी को किसी विशेष परिस्थितिवश/अटलनीय हालतों में किसी अन्य छुट्टी के साथ मिलाने की अनुमति दे सकते हैं।

(३) कोई श्रमिक बीमारी की अवस्था में कैजुअल छुट्टी का उपभोग कर सकता है बशर्ते उसे पैसे के साथ कोई बीमारी की छुट्टी पावना नहीं हो।

(४) पीस-रेट कर्मचारियों के मामले में, कैजुअल छुट्टी की अवधि की मजदूरी का हिसाब सम्बन्धित श्रमिक द्वारा कैजुअल छुट्टी लिये जाने के पहले की वेतन अवधि में प्राप्त वेतन के आधार पर जोड़ा जायगा। इस उद्देश्य के लिये वेतन अवधि एक सप्ताह, एक पखवारा अथवा एक महीना, जो भी उससे सम्बन्धित कोलियरी/प्रतिष्ठान में प्रचलित होगा, उसी आधार पर जोड़ा जायगा।

(५) जो कर्मचारी बराबर के आधार पर अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स के हकदार हैं वे कैजुअल छुट्टी की अवधि के लिये भी अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स पाने के हकदार होंगे।

(६) कैजुअल छुट्टी की मजदूरी के भुगतान का उपरोक्त आधार १-१-१९८० से लागू होगा एवं १९७९ के वर्ष के लिये कैजुअल छुट्टी की अवधि के लिये जो भी भुगतान किया गया होगा उसे उस अवधि का पूरा और अन्तिम भुगतान माना जायगा।

(७) कैजुअल छुट्टी की अवधि के बीच कोई रविवार/साप्ताहिक छुट्टी का दिन पड़ने से, कैजुअल छुट्टी अथवा वैसे छुट्टी के लिये भुगतान हेतु हिसाब करते समय उन दिनों को बाद दे दिया जायगा।

———

क्रियान्वयन आदेश सं०—२२

सं० जे. बी. सी. सी. आई /आई. आर./९४/आई. एम. पी./४७०

दि० १३-२-१९८०

विषय : **ट्रामरों के कार्यभार एवं मजदूरी दर के निर्धारण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।**

११-२-१९८० को जे. बी. सी. सी. आई. की बैठक में उपरोक्त विषय पर विचार हुआ। इस सवाल को जे. बी सी. सी. आई. की सब-कमिटी के पास निर्देशित किया गया और यह निर्णय लिया गया कि सब-कमिटी के सर्वसम्मत फैसलों को लागू किया जायगा। सब-कमिटी के सर्वसम्मत फैसलों का स्मृति-पत्र इसके साथ ही दिया जा रहा है जो खुद स्पष्ट है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इसके साथ के स्मृति-पत्र के सब-पारा (२) में जिन मुद्दों का उल्लेख किया गया है, जो बुनियादी मजदूरी में बढ़ती से सम्बन्धित है उसमें यह देखना है कि वह ३१-१२-७८ की बुनियादी मजदूरी के ५५% से अधिक नहीं बढ़े, इसके लिये एन. सी. डब्लू. ए.-१ के तहत कैटेगरी-३ के दैनिक दर मजदूरी जो १२ रु० ९५ पै० है के बीच की बिन्दु से जुड़ा हो। इस तरह उपरोक्त स्मृति-पत्र के सब पारा (२) में जिन मुद्दों का उल्लेख किया गया है उसके अनुसार एन. सी. डब्लू. ए -२ के अन्तर्गत टब-रेट निर्धारण हेतु ट्रामरों की अधिकतम बेसिक आय २० रु० ०७ पै० आयगी।

जे बी. सी. सी. आई. के ११-२-१९८० की बैठक के निर्णयानुसार कोल इण्डिया मुख्यालय कलकत्ता में जे. बी. सी. सी. आई. के सब-कमिटी की १२-२-१९८० को हुए बैठक में लिया गया निर्णय

ट्रामर (टालीवान) :

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ की धारा ५.७.१ और ५.७.२ में पीस-रेट टालीवानों की मजदूरी एवं उनके कार्यभार से सम्बन्धित दिये गये प्रावधानों को क्रियान्वित करने में अनुभव किये गये कुछ दिक्कतों के परिप्रेक्ष्य में यह समझौता हुआ कि पीस-रेट ट्रामरों के लिये मजदूरी दर निर्धारण हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश तय किया गया :—

१) (अ) जहां टालीवानों का कार्य (उत्पादन) १-१०-१९७८ से ६ सप्ताह की अवधि के लिये कम या अधिक उतना ही था जो

एन सी. डब्लू. ए.-२ के लागू होने के पहले अर्थात् १-१-७९ से पहले जो निर्धारित/मापदंड था वही था वहाँ एन. सी. डब्लू. ए.-२ की धारा ५.७.१ और ५.७.२ के प्रावधानों के मुताबिक टालीवानी के दर का संशोधन किया जायगा।

(ब) जहाँ कार्य (उत्पादन) निर्धारित मापदंड से कम है, वहाँ मापदंड का संशोधन इस प्रकार किया जायगा जिससे उन्हें पारा ५.७.१ और ५.७.२ में दिये प्रावधानों का लाभ मिल सके।

२) उपरोक्त दिये कार्य मापदंड की तुलना में जहाँ कार्य (उत्पादन) में अधिक विषमता है जो ऊपर की ओर है तो कार्यभार का निर्धारण इस तरह से किया जायगा जिससे उनकी बुनियादी कमाई ३१-१२-१९७८ की बुनियादी कमाई के ५५% से अधिक नहीं बढ़े।
आगे और निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी :—

(अ) ट्रामरों के कार्यभार एवं मजदूरी दर की समय समय पर उनके कार्यदशा में परिवर्त्तन को मद्देनजर रखकर, समीक्षा की जायगी।

(ब) जहाँ एन. सी. डब्लू. ए.-२ के अन्तर्गत दरों का निर्धारण पहले ही कर लिया गया है और इस मामले को स्थानीय स्तर पर सलट लिया गया है तो उसे फिर से नहीं खोला जायगा। फिर भी जब और जैसे कार्यदशा में बदलाव आयगा ट्रामरों के कार्यभार तथा मजदूरी दर की समीक्षा की जायगी और एन. सी. डब्लू. ए.-२ के अन्तर्गत ही संशोधित दरें निर्धारित की जायगी।

———

क्रियान्वयन आदेश सं०—२३

सं० जे. बी. सी. सी. आई./आई. आर./६४/आई. एम. पी./४६६

दि० १३-२-१६८०

विषय : **एन. सी. डब्लू. ए.-२ के तहत सालाना बढ़ौती की तारीख के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।**

जे. बी. सी. सी. आई. के स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की ११-२-८० को हुए बैठक में उपरोक्त विषय पर विचार हुआ। स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी द्वारा लिये गये निर्णय इसके साथ दिये गये स्मृति-पत्र (नोट) में दिया गया हैं। इसे जे. बी. सी. सी. आई. की १२-२-८० की बैठक में मंजूरी दी गयी। सभी सम्बन्धितों से इन्हें लागू करने का आग्रह किया गया है।

स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कोल वेज बोर्ड के १२वें अध्याय के ५०वें पारा में उल्लिखित नीतिगत आधार पर प्रोन्नत होने पर दैनिक दर तथा मासिक दर कर्मचारियों के वेतन के निर्धारण हेतु निर्दिष्ट उदाहरण देकर समझाना समीचीन होना चाहिये।

दैनिक दर मजदूर कैटेगरी-२	दैनिक दर मजदूर कैटेगरी-३
रु० १५.४०-०.३४-१६.४८	रु० १६.३५-०.४२-२१.३६

कैटेगरी-२ के पद से कैटेगरी-३ के पद पर प्रोमोशन के समय वेतन का निर्धारण :

कैटेगरी-२ का स्तर (स्टेज)	प्रोमोशन होने पर कैटेगरी-३ में उसके समतुल्य स्तर पर वेतन निर्धारण
१५.४०	१६.३५
१५.७४	१६.३५
१६.०८	१६.७७
१६.४२	१७.१६
१६.७६	१७.१६
१७.१०	१७.६१
१७.४४	१८.०३
१७.७८	१८.४५
१८.१२	१८.८७
१८.४६	१६.२६
१८.८०	१६.२६
१६.१४	१६.७१
१६.४८	२०.१३

मासिक दर : क्लरिकल ग्रेड-२	मासिक दर : क्लरिकल ग्रेड-१
रु० ५०८-२३-६६२-२६-८०६	रु० ५७२-२०-८०४-३५-६४४

क्लरिकल ग्रेड-२ में स्तर (स्टेज)	क्लरिकल ग्रेड-२ में स्तर (स्टेज)
५०८.००	५७२.००
५३१.००	५७२.००
५५४.००	६०१.००
५७७.००	६३०.००
६००.००	६३०.००
६२३.००	६५६.००
६४६.००	६८८.००
६६६.००	७१७.००
६६२.००	७४६.००
७२१.००	७७५.००
७५०.००	८०४.००
७७६.००	८३६.००
८०८.००	८७४.००

स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की २३-१-१९८० को हुए बैठक मे लिये गये निर्णय

सालाना बढ़ौती की तारीख

यह समझौता हुआ कि वे जो (ए) बहाल किये गये हैं,

(बी) दैनिक दर/मासिक दर वेतनमान में नियुक्त किये गये हैं,

(सी) उन पदों पर विभिन्न अवधि में प्रोन्नत किये गये हैं, उन्हें पहली बढ़ती निम्न अनुसार मिलेगी :—

(ए) १-१-१९७९ और २८-२-७९ के बीच बहाली— १-३-१९८०

(बी) १-३-१९७९ और ३१-८-७९ के बीच नियुक्त— १-९-१९८०

(सी) १-९-१९७९ और २८-२-८० के बीच प्रोन्नत— १-३-१९८१

उनकी अगली बढ़ती क्रमशः उपरोक्त दिनों के वार्षिकी के समय देय होगी। यह सिद्धांत उनके लिये भी लागू होगा जिनकी बहाली/दैनिक दर/मासिक दर पदों पर नियुक्ति/अथवा उन पदों पर पदोन्नति १-३-१९८० को अथवा उसके बाद हुई हो।

यह भी समझौता हुआ कि उन मामलों में जहाँ कर्मचारियों की पदोन्नति एक नियति स्केल से ऊंची नियति स्केल में होती है तो उनके वेतन का निर्धारण कोल वेज बोर्ड रिपोर्ट के अध्याय १२ के पारा ५० में दिये गये सिद्धान्तों के मुताबिक होगा, जो निम्न प्रकार है :—

"५० श्रमिक प्रतिनिधियों की ओर से यह दावा किया गया कि जब एक नीचे कैटेगरी का कर्मचारी अस्थायी रूप से ऊंचे कैटेगरी के कर्मचारी की जगह कार्य करता है तो उसे उसके कुल मजदूरी का १० प्रतिशत अथवा उच्च कैटेगरी के मजदूर जिसकी जगह वह नियुक्त किया गया है उसकी वैधानिक मजदूरी, जो भी अधिक हो दी जाय। हमलोगों (सदस्यों) की राय यह है कि इसके भुगतान का फार्मूला ऐसा हो कि एक निम्न कैटेगरी का कर्मचारी किसी उच्च कैटेगरी के कमचारी के स्थान पर कार्य करता है तो वह स्थानापन्न (आफिसिएटिंग) एलाउन्स का

हकदार होगा, जो उच्च कैटेगरी के निम्नतम और उसको प्राप्य वेतन का अन्तर होगा, यदि उस तरह का निम्नतम उसके वर्त्तमान वेतन से "ऊंचा" हो। यदि इस तरह के समायोजन से वह आफिसिएटिंग (स्थानापन्न) स्केल में एक बढ़ौती से कम पाता है तो उस स्केल में उसे एक बढ़ौती दी जानी चाहिये। उस हालत में जहां स्थानापन्न (आफिसिएटिंग) श्रमिक का वर्त्तमान वेतन, जहां वह उच्च कैटेगरी के कर्मचारी की जगह काम करता है, उसके निम्नतम स्केल से अधिक हो तब उसका वर्त्तमान वेतन उच्च कैटेगरी के अगले उच्च स्तर पर समायोजित किया जायगा और उसे उस स्केल में एक बढ़ती दिया जाना चाहिये।"

सदस्य सचिव इस सम्बन्ध में पूरे उदाहरणों के साथ उपयुक्त परिपत्र जारी करेंगे।

———

क्रियान्वयन आदेश सं०—२४

सं० जे. बी. सी. सी. आई./आई. आर./आई. एम. पी./५००

दिनांक ४-३-१९८०

विषय : **एन. सी. डब्लू. ए.-२ के तहत आने वाले कर्मचारियों को उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार बकाया का भुगतान।**

जे. बी. सी. सी. आई. के १३वें बैठक जो कलकत्ता में ११-२-१९८० को हुई उसमें कई यूनियनों के प्रतिनिधियों ने यह उल्लेख किया कि यद्यपि अधिकांश मामलों में वेतन संशोधन के फलस्वरूप मिलने वाला बकाया कर्मचारियों को १-१-१९७९ से भुगतान कर दिया गया है, फिर भी, बहुत मामलों में हाजरी बोनस, प्राफिट शेयरिंग बोनस के बदले में मिलने वाला भुगतान, तबादला एलाउन्स इत्यादि के बकाया का भुगतान नहीं हुआ है। यह निर्णय किया गया कि इस सम्बन्ध में भुगतान शीघ्र से शीघ्र जितना जल्दी सम्भव हो कर दिया जाना चाहिये और यह काम ३१-३-१९८० तक पूरा हो जाना चाहिये।

अतः प्रबन्धन से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि जे. बी. सी. सी. आई. के उपरोक्त फैसले का क्रियान्वयन निर्धारित तिथि के अन्दर हो जाय।

———

क्रियान्वयन आदेश संख्या—२५

सं० आइ. आर./९४/आइ. एम. पी./५०५ दिनांक ६-३-१९८०

विषय : १. तत्कालीन एन. सी. डी. सी. के वेतन मंडल के पहले के मासिक दर कर्मचारियों के मामले में किसी उद्देश्य के लिये एन. सी. डब्लू. ए.-२ के तहत वेतन सीमा का निर्धारण।

२. कोल इण्डिया एवं इसकी सहायक कम्पनियों के कर्मचारियों के मामले में एन. सी. डब्लू. ए-२ के तहत टूर पर जाने से दैनिक भत्ता के दर में संशोधन।

उपरोक्त सवालों पर स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की २६-२-१९८० को हुए बैठक में विचार किया गया और निम्नलिखित निर्णय लिया गया :—

(ए) तत्कालीन एन. सी. डी. सी. के वेतन मंडल के पूर्व के मासिक दर कर्मचारियों से सम्बन्धित एन. सी. डब्लू. ए.-१ की सीमा को एन. सी. डब्लू. ए.-२ में निम्न प्रकार बढ़ाया जायगा :—

	मद	एन.सी.डब्लू.ए.-१ के तहत सीमा	एन.सी.डब्लू.ए.-२ के तहत उसके समतुल्य सीमा
(१)	ट्यूशन फीस का भुगतान (री-इम्बर्समेंट)	८८४ रु०	१०२७ रु०
(२)	बच्चों की शिक्षा भत्ता का भुगतान	६४५ रु०	७८० रु०
(३)	औसत वेतन का हिसाब किये बगैर छुट्टी के पैसे का भुगतान	४१४ रु०	५५४ रु०

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त निर्णय सिर्फ तत्कालीन एन. सी. डी. सी. के वेतन मंडल के पूर्व के मासिक दर कर्मचारियों पर लागू होता है, अन्य दूसरे किसी पर नहीं।

(बी) कोल इण्डिया लिमिटेड के कार्मिक विभाग के प्रमुख के कार्यालय आदेश संख्या यू.-५ (बी)/५०७१०/२/६४६ दिनांक २३-११-१९७९ के द्वारा अधिसूचित यात्रा हेतु प्रथम श्रेणी की पात्रता एवं टूर पर जाने से दैनिक भत्ता के दर में संशोधन पर विचार किया गया। यह निर्णय लिया गया कि कोल इण्डिया एवं इसकी सहायक कम्पनियों के कर्मचारियों के लिये दैनिक भत्ता के दर के उद्देश्य से उपरोक्त परिपत्र का उल्लंघन करके बदले में एन. सी. डब्लू. ए.-१ के वेतन स्लैब के बदले एन. सी. डब्लू ए.-२ के अन्तर्गत दैनिक भत्ता का भुगतान निम्न दर से किया जायगा :—

वेतन ढाँचा	एन.सी डब्लू.ए.-१ के तहत डी.ए. की दर		एन.सी.डब्लू.ए.-२ के तहत डी.ए. की दर		
	निर्दिष्ट क्षेत्र	साधारण क्षेत्र		निर्दिष्ट क्षेत्र	साधारण क्षेत्र
३१० रु० के नीचे	१६ रु०	१२ रु०	४४० रु०	१६ रु०	१२ रु०
३१० रु० से ५३० रु०	२२ रु०	१८ रु०	४४० रु० से ६५५ रु०	२२ रु०	१८ रु०
५३१ रु० से ७५२ रु०	३० रु०	२२ रु०	६६० रु० से ८९० रु०	३० रु०	२२ रु०
७५३ रु० से १३४९ रु०	४० रु०	२५ रु०	८९१ रु० एवं उससे ऊपर	४० रु०	२५ रु०

आगे यह निर्णय हुआ कि प्रथम श्रेणी में यात्रा की पात्रता के लिये कर्मचारी जब टूर में होगा उस समय उसकी वेसिक मजदूरी ५१०)रु० अथवा उससे अधिक प्रतिमाह होनी चाहिये तब वह रेल में प्रथम श्रेणी में यात्रा का हकदार होगा एवं उससे कम वेतन पाने वाले द्वितीय श्रेणी के रेल किराया के हकदार होंगे।

इससे सम्बन्धित दूसरा निर्णय यह हुआ कि कार्मिक विभाग के प्रमुख द्वारा जारी उपरोक्त परिपत्र सं० सी.-५ (आर.)/५०७१०/२/६४६ दिनांक २३-११-१९७९ के अनुसार तय किये गये टी. ए. (यात्रा भत्ता) बिलों को फिर से नहीं खोला जायगा ।

प्रबन्धन से अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त निर्णय जो कोल इण्डिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कम्पनियों के कर्मचारियों पर लागू हैं उन्हें क्रियान्वित करने की दिशा में आवश्यक कारवाई करें ।

———

क्रियान्वयन आदेश संख्या—२६

सं० आइ. आर./आइ. एम. पी./५०६ दि० ६-३-१९८०

विषय : **एन. सी डब्लू. ए.-२ के क्रियान्वयन के फलस्वरूप सिनियर (वरिष्ठ) कर्मचारी जो एक ही वेतनमान, एक ही पदनाम और एक कैडर में एक ही सिनियरिटी लिस्ट के अन्तर्गत आते हैं, अपने ही जुनियर से कम वेतन पाते हैं, उनके वेतन निर्धारण में हुए अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।**

उपरोक्त विषय पर जे. बी. सी. सी. आई. के स्टैंडरडाइजेशन कमिटी की २६-२-१९८० को हुए बैठक में विचार किया गया । कुछ मामलों में ऐसा पाया गया कि कुछ कर्मचारी जो एक ही वेतन स्तर में सिनियर हैं, उनका पदनाम भी एक ही है एवं किसी कैडर में एक ही सिनियरिटी लिस्ट के अन्तर्गत आते हैं उनका वेतन निर्धारण उसी कैडर के अपने से जुनियर जिनका प्रोमोशन १-१-१९७९ (एन. सी. डब्लू. ए.-२ के लागू होने के बाद) हुआ है उनसे कम वेतन निर्धारित किया गया है, यद्यपि उक्त सिनियर कर्मचारी अपने प्रोमोशन से पहले अथवा एन. सी. डब्लू. ए.-१ के अन्तर्गत अपने तथाकथित जुनियर से या तो अधिक वेतन पाते थे अथवा उनके समान पर थे । यह निर्णय लिया गया कि वैसे व्यक्तिगत मामलों की जाँच की जायगी और जहाँ इस प्रकार की अनियमितता पायी जायगी वह सिनियर कर्मचारी का वेतन व्यक्तिगत मामलों में उसके सम्बन्धित जुनियर के मुकाबले उस दिन से जब से यह अनियमितता पायी गयी अर्थात् १-१-१९७९ के बाद से तथा जुनियर के प्रोमोशन हो जाने से उत्पन्न उपरोक्त अनियमितता की तारीख से उतना बढ़ा दिया जाय जो उसके जुनियर के बराबर हो जाय । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि उक्त अनियमितता को दूर करने हेतु कोई कदम उठाने से पहले ऊपर दिये गये शर्तों की पूर्ति होती है ।

———

क्रियान्वयन आदेश संख्या—२७

सं० जे. बी. सी. सी. आई./आई. आर./९४/आई. एम. पी./५२४

मार्च १५, १९८०

विषय : एन. सी. डब्लू. ए.-२ की धारा ६.२.१ और ६.२२ के तहत एल. टी. सी. योजना

क्रियान्वयन आदेश सं० २० दिनांक फरवरी १३, १९८० के आगे उसके साथ एल. टी. सी. का लाभ लेने हेतु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा जो फार्म व्यवहार किया जायगा उसका नमूना नीचे दिया जा रहा है :—

१. फार्म-ए :—कर्मचारी द्वारा प्रारम्भिक घोषणा की जायगी। उसके बाद की घोषणाएं भी उसी फार्म पर की जायगी यदि परिवार के सदस्यों के आवासों अथवा आश्रितों में कोई परिवर्तन हो।

२. फार्म-बी :—एल. टी. सी. एडवान्स बिल।

३. फार्म-सी :—चेक लिस्ट/एल टी. सी. एडवान्स के लिये सत्यापन या प्रमाणी करण।

४. फार्म-डी :—अन्तिम एल. टी. सी. बिल।

यह अनुरोध किया गया है कि आवश्यक फार्मों को छपवाकर कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाय। चूंकि फार्म छपने में कुछ विलम्ब हो सकता है इसलिये तत्काल साइक्लोस्टाइल द्वारा ही फार्म तैयार करवा लिया जाय।

यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकतम ३.५ बालिग अथवा वास्तविक सदस्य अथवा सम्बन्धित कर्मचारी के परिवार के सदस्यों की संख्या जो परिवार की परिभाषा के तहत आता है और जैसा कि एल. टी. सी. के उद्देश्य से दिया गया है उसमें कर्मचारी भी सम्मिलित है।

———

क्रियान्वयन आदेश सं० —२८

सं० आई. आर./९४/आई एम. पी./५४४ दि० २८-३-१९८०

विषय : क्रि० आ० सं० २५ से सम्बन्धित संशोधन शुद्धि-पत्र।

एन. सी. डब्लू. ए.-२ के क्रियान्वयन आदेश संख्या-२५ के सब-पारा (बी) में एक लिपकीय भूल देखा गया है। एन. सी. डब्लू. ए.-१ के तहत डी. ए. अथवा दरें कालम के अन्तर्गत ऐसा दिखाया गया है कि ३१०) रु० से नीचे के वेतन के लिये निर्दिष्ट इलाकों के लिये दैनिक भत्ता १६) रु० एवं साधारण इलाकों के लिये २२) रु० होगा। वास्तविक स्थिति यह है कि साधारण इलाकों के लिये दैनिक भत्ता १२) रु० है और निर्दिष्ट इलाकों के लिये १६) रु० है। अनुरोध किया गया है वे सभी जिनके पास क्रि० आ० सं० २५ भेजा गया है उसमें उपरोक्त संशोधन कर लें। एन. सी. डब्लू. ए.-२ के तहत दैनिक भत्ता की दर कालम के अन्तर्गत दूसरा लाइन रु० ४४१-६५९ की जगह रु० ४४०-६५९ होना चाहिये।

———

क्रियान्वयन आदेश संख्या—२९

सं० आई. आर./९४/आई. एम. पी./५९५ दिनांक १७ अप्रैल, १९८०

विषय : एल टी. सी. योजना के लाभ।

आपका ध्यान क्रि० आ० सं० २० जो उपरोक्त विषय से सम्बन्धित है की ओर आकृष्ट किया जाता है। एक प्रश्न उठाया गया कि क्या, वे कर्मचारी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है अथवा कम्पनी की सेवा को छोड़ दिया है अथवा क्रि० आ० सं० २० के जारी होने से पहले ही जिनकी मृत्यु हो गयी है, एल. टी. सी. योजना के तहत लाभ पाने का दावा कर सकते हैं। यह उल्लेखनीय है कि एल. टी. सी. योजना का मुख्य मकसद कर्मचारियों द्वारा उक्त योजना का लाभ लेना है और उसके लिये आवश्यक घोषणाएं करनी है। उपरोक्त श्रेणी में आने वाले पूर्व कर्मचारी द्वारा इन शर्तों का पालन नहीं हो पाता है अतः वे एल. टी. सी. की सुविधा का लाभ पाने के हकदार नहीं होंगे। ऐसी आकस्मिकता वर्त्तमान कर्मचारियों के क्षेत्र में भी उठ सकती है जो चार वर्ष के ब्लाक में एल टी. सी. का लाभ उठाये बगैर ही अपनी नौकरी छोड़ देंगे। उनके मामलों में भी, एल. टी. सी. के लाभ का दावा नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके क्षेत्र में एल. टी. सी. हेतु मौलिक शर्तें पूरी नहीं हो पाती।

———

क्रियान्वयन आदेश सं०—३०

सं० आई. आर./९४/आई. एम. पी./५९६ दि० १७-४-८०

कुछ कोयला कम्पनियों द्वारा क्रियान्वयन आदेश संख्या १८ के सब-पारा (ए) के संदर्भ में कैजुअल (आकस्मिक) छुट्टी की मंजूरी के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। जो प्रश्न उठाया गया है वह यह है कि क्या कैजुअल श्रमिक जो किसी वर्ष के मध्य में स्थायी घोषित किये जाते हैं तो क्या वे वर्ष के बचे हुए भाग में पूरा कैजुअल छुट्टी ले सकेंगे, जब से वे स्थायी घोषित किये गये हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रश्न का जबाव हां में है।

सभी सम्बन्धितों से अनुरोध किया जाता है कि वे इस दिशा में उपयुक्त कारवाई करें।

———

क्रियान्वयन आदेश सं०—३१

सं० आइ. आर./९४/आइ. एम पी./६६७ दि० २५-५-१९८०

एन. सी. डब्लू ए.-२ की धारा १०.५.३ के अन्तर्गत यह प्रावधान रखा गया है कि जहाँ तक कोल इण्डिया और इसकी सहायक कम्पनियों का सवाल है प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति दवाई पर खर्च वर्त्तमान में सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० में होने वाले खर्च के अनुरूप होगा। इस सम्बन्ध में सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० से पूछ-ताछ किया गया और उन्होंने बताया कि उनके यहाँ प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष दवाई पर ४७ रु० ९७ पै० का खर्च आता है। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया कि कोल इण्डिया और इसकी सहायक कम्पनियों में प्रति कर्मचारी दवाई पर सालाना ४८ रु० खर्च करेगी। सभी सम्बन्धितों से इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने हेतु आग्रह किया गया है।

———

क्रियान्वयन आदेश सं०—३२

सं० जे. बी. सी. सी. आई./आई. आर./९४/आई. एम. पी./६९६

दि० २२-६-१९८०

विषय : **स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की जून १८ से २०, १९८० को हुए बैठकों में लिये गये फैसले जिसकी जे. बी. सी. सी. आई. की २१ जून, १९८० को हुए बैठक में मंजूरी दी गई।**

इसके साथ ही स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की जून १८ से २०, १९८० को हुए बैठकों में लिये गये निर्णयों की नोटिंग जिसे जे. बी. सी. सी. आई. की २० जून, १९८० को हुए बैठक में मंजूरी दी गई प्रसारित किया जा रहा है। ये निर्णय खुद ही स्पष्ट हैं। प्रबन्धन से इन्हें क्रियान्वित करने का अनुरोध किया गया है :—

१. कर्मचारियों द्वारा एन. सी. डब्लू. ए.-१ के लागू की अवधि में एवं उनके एन. सी. डब्लू. ए.-२ में फिट किये जाने पर हुए व्यक्तिगत पे/स्पेशल पे (वेतन) के सम्बन्ध में फैसले की टिप्पणी (परिशिष्ट-'ए')

२. एन. सी. डब्लू. ए.-२ के अन्तर्गत सालाना बढ़ौती के दिन से सम्बन्धित निर्णय पर टिप्पणी (परिशिष्ट-'बी')। यह देखा जायगा कि इस निर्णय से वह अनियमितता भी दूर हो जायगी जिसे कुछ कर्मचारियों द्वारा उठाया जाता रहा है कि कर्मचारियों के लिये बढ़ौती का निश्चित तारीख रहने की वजह से वर्ष के किसी भाग में सिनियर कर्मचारियों का उनके जुनियर से, दोनों एक ही कैडर में होते हुए भी, कम वेतन हो जायगा।

प्रबन्धन से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने अधिकारियों को विशेष तौर पर यह सलाह दें कि अनधिकृत रूप से ड्युटी से अनुपस्थित रहने की हालत में मासिक दर कर्मचारियों के लिये बढ़ौती को स्थगित रखने के फैसले को ध्यान में रखा जाय। इसके लिये एक तौर-तरीका लागू किया जाना चाहिये जिससे कर्मचारियों के प्रत्येक अनुपस्थिति के मामलों की दशाओं की जाँच की जाय और यह फैसला कर्मचारियों को सूचित किया जाय कि उनकी अनुपस्थिति अधिकृत है अथवा अनधिकृत। लिये गये निर्णय में यह भी दिया गया है कि कुछ समायोजनों के साथ सालाना बढ़ौती महीने की १ली तारीख से लागू होगी अर्थात् चालू महीना जिसमें यह बकाया होता है अथवा उसके बाद का महीना।

३. कलकत्ता तथा दिल्ली में पदस्थापित कर्मचारियों में कुछ लोगों को सिटी कम्पेन्सेटरी एलाउन्स उसी दर से मिलता है जो १-१-७९ से पहले मिलता था अर्थात् बुनियादी वेतन का ८ प्रतिशत अथवा अधिकतम ४६ रु० प्रतिमाह, उक्त निर्णय से सम्बन्धित टिप्पणी (परिशिष्ट-सी)।

४. जहाँ पति एवं पत्नी दोनों ही किसी कोयला कम्पनी में नियोजित हैं उनके लिये मिलने वाले एल. टी. सी. के लाभ से सम्बन्धित निर्णय पर टिप्पणी (परिशिष्ट-डी)।

५. स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी द्वारा सिनियर कर्मचारी जिनकी प्रोन्नति १-१-७५ से पहले हुई है उनका वेतन उनके जुनियर कर्मचारी जिनकी प्रोन्नति १-१-७५ के बाद एन. सी. डब्लू. ए.-१ के वेतनमान में हुई है, सिनियर एवं जुनियर दोनों ही एक ही वेतनमान, एक ही पदनाम तथा एक ही कैडर की सिनियरिटी सूची में रहते हुए भी अनियमितता बरकरार है और वह १-१-७९ से एन. सी. डब्लू. ए. वेतन समझौता लागू होने के बाद भी बरकरार है—इस सम्बन्ध में स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी द्वारा लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में टिप्पणी (परिशिष्ट-ई)।

६. माइन्स एक्ट एवं फैक्टरीज एक्ट के तहत प्रतिष्ठानों में नियुक्त कन्फिडेन्सियल तथा सुपरवाइजरी स्टाफ को ओवरटाइम एलाउन्स के भुगतान से सम्बन्धित स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी द्वारा लिये गये निर्णय से सम्बन्धित टिप्पणी (परिशिष्ट-'एफ')।

———

परिशिष्ट-'ए'

स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की कलकत्ता में २०-६-१९८० को हुए बैठक में लिये गये निर्णय

श्रमिक प्रतिनिधियों ने वैसे कुछ मामलों को उठाया जहाँ जब एन. सी. डब्लू. ए.-१ लागू था तो कुछ कर्मचारियों को किसी विशेष परिस्थितिवश अथवा प्रबन्धन द्वारा कार्य से सम्बन्धित विशेष व्यवस्था के तहत व्यक्तिगत वेतन/विशेष वेतन की मंजूरी दी गयी थी। यह भी उल्लेख किया गया कि कुछ मामलों में एन. सी. डब्लू. ए.-२ के लागू होने के बाद उनकी यह व्यक्तिगत वेतन/विशेष वेतन को बन्द कर दिया गया। यह समझौता हुआ कि व्यक्तिगत वेतन/स्पेशल (विशेष) वेतन जो एन. सी. डब्लू. ए.-१ की अवधि में चालू था उन्हें यह वेतन दिया जाता रहेगा, वशर्ते कि जिस आधार पर (परिस्थिति में) व्यक्तिगत/विशेष वेतन शुरू किया गया था वह स्थिति अभी भी बरकरार है।

———

परिशिष्ट—'बी'

स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की कलकत्ता में १९-६-१९८० को हुए बैठक में लिये गये निर्णय

विषय : एन. सी. डब्लू. ए.-२ के वेतनमान में सालाना बढ़ौत्ती की तारीख ।

उपरोक्त विषय पर स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की २३-१-८० को हुए बैठक में विचार किया गया और स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी के फैसलों को शामिल करके क्रियान्वयन आदेश सं० २३ दिनांक १३-२-८० जारी भी किया गया जिसे जे. बी. सी सी. आई. की १२-२-८० को हुए बैठक में मंजूरी दी गयी। इस मसले पर स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की १९-६-८० को हुए बैठक में आगे और विचार विमर्श किया गया और निम्नलिखित निर्णय लिया गया :—

(१) एन. सी. डब्लू. ए.-२ के वेतनमान में फिट किये जाने के बाद कर्मचारियों का अगला बढ़ौती दिन वही होगा जो एन. सी. डब्लू. ए.-२ की धारा ४.३.२ में दिया गया है।

(२) स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की २३-१-१९८० को हुए बैठक में उन कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के सवाल जो एक समयबद्ध वेतन स्तर से ऊंचे दर के समय स्तर में प्रोन्नत किये गये हैं, जैसा कि कोयला वेतन मंडल की सिफारिशों के अध्याय-१२ के पारा ५० में नीति निर्धारित है, उनके सम्बन्ध में निर्णय।

(३) उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ की धारा ४.३.२ के प्रावधानों के मुताबिक सालाना बढ़ौती १-३-७९ अथवा १-९-७९ या १-३-८० को पाये हैं, वे अपना अगला बढ़ौती निर्धारित समयबद्ध स्तर में १-३-८०, १-९-८० अथवा १-३-८१ को पायंगे बशर्ते कि वे उसी समयबद्ध स्केल में रहे हों। इसी तरह यदि वे उसी वेतनमान में रहते हैं ती उनकी सालाना बढ़ौती की दिन वही होगी जिस दिन वह बकाया हो जाता है।

(४) यदि कोई कर्मचारी १-१-७९ को अथवा उसके बाद नियुक्त होता है और समयबद्ध स्केल में पदस्थापित किया गया है तो उनकी सालाना बढ़ती उनकी नियुक्ति के एक साल पूरा होने पर देय होगी। इसी तरह उनकी बाद की सालाना बढ़ौती उनके अन्तिम मिले बढ़ौती की वार्षिकी पर होगी बशर्ते कि वे उसी समयबद्ध स्केल में रहे हों।

(५) यदि कोई कर्मचारी १-१-७९ अथवा उसके बाद समयबद्ध उच्च पद पर प्रोन्नत होता है तो उसकी अगला सालाना बढ़ती उनके प्रोन्नति के एक साल पूरा होने के दिन से दी जायगी। इसके बाद का सालाना बढ़ौती उसके पिछले बढ़ौती की तिथि का साल पूरा होने पर बकाया होगा।

(६) उपरोक्त सब पारा ३ से ५ में जो प्रावधान किया गया है उसके प्रतिकूल कुछ नहीं हो तो ड्युटी से एक साल में ५२ दिनों से अधिक की अनधिकृत अनुपस्थिति रहने पर सालाना बढ़ौती को स्थगित भी रखा जा सकता है, बशर्ते कि यह प्रबन्धन अथवा श्रमिक किसी के अधिकार में दखलंदाजी नहीं करेगा।

(७) उपरोक्त निर्णय के फलस्वरूप जहाँ सालाना बढ़ती महीने की १ली तारीख से १५ तारीख के बीच में देय होता है उसे उस महीने की १ली तारीख से बढ़ती दिया जायगा। यद्यपि जहाँ इस तरह का सालाना बढ़ौती की तिथि किसी महीने की १६ तारीख से महोना के अन्त के बीच में पड़ता है तो उस कर्मचारी को उसका बढ़ती अगले महीने की १ली तारीख से दी जायगी।

———

परिशिष्ट—'सी'

स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की कलकत्ता में १८-६-१९८० को हुए बैठक में लिया गया निर्णय

१. कलकत्ता तथा दिल्ली में पदस्थापित कुछ कर्मचारियों को सिटी कम्पेन्सेटरी एलाउन्स का भुगतान जो १-१-७६ से पहले अपने बुनियादी वेतन का ८ प्रतिशत जो अधिकतम ४६) रु० प्रतिमाह हो, पाते हैं ।

एन. सी. डब्लू. ए.-२ की धारा ११.५.१ के प्रावधानों के संदर्भ में इस विषय पर विचार किया गया । श्रमिक प्रतिनिधियों ने यह उल्लेख किया कि कलकत्ता एवं दिल्ली ('ए' क्लास शहर) में पदस्थापित कर्मचारी १-१-७६ से पहले सिटी कम्पेन्सेटरी एलाउन्स के रूप में बेसिक मजदूरी का ८ प्रतिशत जो अधिकतम ४६ रु० पाते हैं, उन्हें एन. सी. डब्लू. ए.-२ की धारा ११.५.१ क्रियान्वित करते समय उन्हें ऊँची दर का संरक्षण मिलना चाहिये । यह समझौता हुआ कि उपरोक्त कर्मचारियों को जो पहले एन. सी. डब्लू. ए.-१ के वेतनमान में थे और अभी एन. सी. डब्लू. ए.-२ के वेतनमान के अन्तर्गत हैं वे १-१-७६ से एम. सी. डब्लू. ए.-२ के वेतनमान में निम्न प्रकार से सिटी कम्पेन्सेटरी एलाउन्स पायंगे :—

१. जो कर्मचारी एन. सी. डब्लू ए.-२ के तहत प्रतिमाह ५७५ रु० तक बेसिक वेतन पाते हैं उन्हें बेसिक मजदूरी का ८ प्रतिशत दिया जायगा ।

२. ५७५ रु० प्रतिमाह से अधिक बेसिक मजदूरी पाने वालों को अतिरिक्त रकम पर ६ प्रतिशत की दर से सिटी कम्पेन्सेटरी एलाउन्स पायगे ।

३. सिटी कम्पेन्सेटरी एलाउन्स का ७५ रु० महीना की अधिकतम सीमा इन मामलों में लागू होगी ।

४. किसी परिस्थिति में यदि १-१-७६ के बाद से सिटी कम्पेन्सेटरी एलाउन्स के भुगतान हेतु कोई अन्य आधार अपनाया जाता होगा तो उसमें आवश्यक समायोजन करके उसे इस समझौता के अनुसार निकाला जायगा ।

उदाहरण : कोई कर्मचारी जो एन. सी. डब्लू. ए.-२ के तहत ६०० रु० बेसिक मजदूरी पाता है तो उसे निम्न दर पर सिटी कम्पेन्सेटरी एलाउन्स मिलेगा :—

(ए) प्रथम ५७५ रु० बेसिक पर ८ प्रतिशत की दर से = ४६ रु०

(बी) बाकी ३२५) रु० पर बेसिक का ६ प्रतिशत की दर से = १६ रु० ५० पै०

कुल ६५ रु० ५० पै०

किसी भी परिस्थिति में सिटी कम्पेन्सेटरी एलाउन्स ७५ रु० प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा ।

———

परिशिष्ट—'डी'

स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की १८-६-१९८० को कलकत्ता में हुए बैठक में लिये गये फैसले

किसी कोयला कम्पनी में जहाँ पत्नी और पति दोनों ही नियोजित हैं उनके लिये एल. टी. सी. की सुविधा :

जहाँ पति और पत्नी एक ही कोयला कम्पनी में नियोजित हैं, क्या वे अलग-अलग एल. टी. सी. का लाभ पाने के हकदार होंगे तथा उनके परिवार के सदस्यों की संख्या जो इस सुविधा के हकदार होंगे (उन मामलों में भी जहाँ पति-पत्नी एक ही कम्पनी में नियोजित हैं)—इस सवाल पर विचार-विमर्श हुआ एवं निम्नलिखित राजीनामा पर पहुंचा गया :—

(ए) जहाँ पत्नी तथा पति दोनों एक ही कोयला कम्पनी में नियोजित हैं उन्हें संयुक्त रूप से अधिकतम ३.५ वयस्कों की जगह ५.५ वयस्कों अथवा सम्बन्धित कर्मचारी के परिवार के वास्तविक सदस्यों, जो भी कम हो, को जो केन्द्रीय सरकार के एल.टी.सी. नियमावलियों के अनुसार परिवार की परिधि में आते हैं, वे सम्मिलित रूप से हकदार होंगे ।

(बी) पत्नी तथा पति दोनों एल. टी. सी. की सुविधा एक साथ अथवा अलग-अलग भी उठा सकते हैं, परन्तु कुल मिलाकर सदस्यों की संख्या जो इस सुविधा को लेंगे वह अधिकतम ५.५ वयस्क ही होना चाहिये ।

(सी) जहाँ एल. टी. सी. की सुविधा पत्नी तथा पति द्वारा सम्मिलित रूप से उठाया जाता है वहाँ उनके द्वारा संयुक्त रूप से आवेदन करना होगा साथ ही यह उल्लेख भी करना होगा कि पति अथवा पत्नी किनके वेतन के अनुसार किस श्रेणी में यात्रा करेंगे ।

(डी) जहाँ एल. टी. सी. की सुविधा संयुक्त रूप से लिया जाय वहाँ प्रबन्धन निम्नतम सवैतनिक सात दिनों की छुट्टी मंजूर करेगा और वह छुट्टी उस अवसर पर किसी एक के बकाया पर भी मिलेगा । जहाँ दोनों में से किसी एक को भी सवैतनिक छुट्टी पावना नहीं है तो उसे एल. टी. सी. का लाभ उठाने हेतु जितना आवश्यक होगा बिना पैसे की छुट्टी मंजूर किया जायगा ।

(ई) इस फैसला के लागू होने के पहले जहाँ कहीं पति-पत्नी ने एल. टी. सी. की सुविधा सिर्फ ३.५ वयस्कों के लिये ले लिया है उन मामलों में वर्त्तमान चार वर्षों के दौरान शेष सदस्यों के लिये जो कुल ५.५ वयस्कों में बचते हैं, के लिये उन चार वर्षों के बचे हुए अवधि के दौरान यह लाभ ले सकते हैं ।

यह सवाल उठाया गया कि अप्रील १९८० में एल. टी. सी. स्कीम के कोलियरियों में आने से पहले ही कुछ कर्मचारी अपना पूरा पावना/वार्षिक छुट्टी जो उन्हें १९८० के दौरान मिलती, वह पूरा का पूरा ले चुके हैं और उनमें से कुछ तो १९८० में ही रिटायर होने वाले हैं । फलतः वे एल. टी. सी. की सुविधा से बंचित रह जायंगे । यह राजीनामा हुआ कि उन मामलों में जहाँ कर्मचारी १९८० में रिटायर होने वाले हैं तथा जहाँ वे अप्रील १९८० के अन्त से पहले ही अपना सारा पावना/सालाना छुट्टी ले लिये हैं, उन्हें इस शर्त पर एल. टी. सी. का लाभ मिलेगा कि वे सात दिनों का अपना बकाया कैजुअल छुट्टी लेंगे और सात दिन बिना पैसे की छुट्टी लेंगे । सम्बन्धित कर्मचारियों के मामले में एक विशेष परिस्थिति को देखते हुए यह एक विशेष फैसला होगा ।

———

स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की कलकत्ता में १८-६-१९८० को हुए बैठक में लिये गये निर्णय

सिनियर कर्मचारी जो १-१-१९७५ से पहले ही प्रोन्नत हुए थे (जब एन. सी. डब्लू ए.-१ लागू हुआ था) वे अपने से जुनियर जो १-१-१९७५ के बाद प्रोन्नत हुए थे, दोनों ही सिनियर एवं जुनियर एक ही वेतनमान में रहे, उनका पदनाम भी एक ही रहा और किसी एक ही काडर के अन्तर्गत आते हैं फिर भी सिनियर को जुनियर से कम वेतन हो गया—इस मसले को विचार के लिये लिया गया। यह देखा गया यद्यपि एन. सी. डब्लू. ए.-१ के लागू रहने की अवधि में इसे विचारार्थ उठाया गया था परन्तु कोई निर्णय नहीं हो सका। यह सुझाव दिया गया कि चूंकि स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की २६-२-८० को हुए बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार इस तरह की अनियमितताओं को दूर कर दिया जायगा और इसे क्रि० आ० सं० २६ दिनांक ६-३-८० के अन्तर्गत प्रसारित भी किया गया है।

यह समझौता हुआ कि इस तरह की अनियमितताएं यदि कहीं होंगी जहाँ सिनियर और जुनियर एक ही वेतनमान के अन्तर्गत, एक ही पदनाम और १-१-७९ को एक ही काडर सूची की सिनियरिटी सूची में हैं तो उन्हें दूर कर दिया जायगा। जो भी हो उन मामलों का संशोधन १-१-१९७९ से कर दिया जायगा परन्तु इसके पहले का बकाया का भुगतान नहीं किया जायगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वैसे व्यक्तिगत मामलों की जाँच की जायगी और जहां कहीं इस तरह की अनियमितता मिलेगी और १-१-७९ को भी यथास्थिति बरकरार रहने से व्यक्तिगत मामले में प्रत्येक वैसे सिनियर कर्मचारी का वेतन बढ़ाकर सम्बन्धित जुनियर कर्मचारी के बराबर १-१-७९ को कर दिया जायगा।

फिर भी यह फैसला सिर्फ (अ) दैनिक दर कर्मचारी जिनकी प्रोन्नति मासिक दर में हो गयी है तथा (ब) मासिक दर कर्मचारी जिनकी प्रोन्नति किसी काडर के उच्चतर मासिक दर पर हुई और वे एक ही सिनियरिटी सूची के अन्तर्गत आते हैं।

———

स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की कलकत्ता में १९-६-८० को हुए बैठक में लिया गया फैसला

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ की धारा ११.३.१ एवं ११.४.१ में ओवरटाइम एलाउन्स का भुगतान और साप्ताहिक छुट्टी के दिन कार्य के लिये भुगतान के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रावधान है :—

११.३.१ **ओवरटाइम का भुगतान :**

विभिन्न प्रतिष्ठानों, इकाइयों तथा आफिसों में सभी कैटेगरियों के श्रमिकों को जिस प्रकार ओवरटाइम का भुगतान होता था वह होता रहेगा।

११.४.१ **साप्ताहिक छुट्टी के दिनों की मजदूरी :**

माइन्स अथवा फैक्टरीज एक्ट के नियमों द्वारा संचालित खदान तथा प्रतिष्ठान के श्रमिकों को साप्ताहिक छुट्टी के दिन काम में बुलाने पर सामान्य मजदूरी से दूनी मजदूरी का भुगतान उन जगहों पर किया जायगा जहाँ अभी इससे कम मिल रहा है।

स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की कई बैठकों में इस प्रश्न पर विचार किया गया कि क्या कन्फिडेन्सियल तथा सुपरवाइजरी स्टाफ जो माइन्स एक्ट तथा फैक्टरीज एक्ट के अधीन संचालित होते हैं उपरोक्त प्रावधान के अन्तर्गत आवेंगे। २५-१०-७९ को हुए बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी कर्मचारी जो ३१-१२-७८ को ओवरटाइम एलाउन्स पाते थे वे एन. सी डब्लू. ए.-२ के तहत हुए वेतन संशोधन से वृद्धि होने पर भी आगे आदेश आने तक ओवरटाइम एलाउन्स पाते रहेंगे। जब तक मामले को निबटा नहीं लिया जाता तब तक के लिये यह अन्तरिम फैसला है। इस मुद्दे पर आगे स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की हुई

बैठकों में उठाया गया और इसके कलकत्ता में १९-६-१९८० की बैठक में निम्नलिखित राजीनामा हुआ :—

(अ) कन्फिडेन्सियल तथा सुपरवाइजरी स्टाफ सहित सभी कर्मचारी जो एन. सी. डब्लू. ए.-२ के द्वारा संचालित हैं और माइन्स एक्ट एवं फैक्टरीज एक्ट के अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों में नियुक्त हैं यदि कोलियरी/प्रतिष्ठान के साप्ताहिक छुट्टी के दिन काम पर बुलाये जाते हैं तो उन्हें बेसिक मजदूरी/वेतन का ख्याल किये बगैर ही उन्हें सामान्य मजदूरी से दूनी मजदूरी दी जायगी ।

(ब) कन्फिडेन्सियल और सुपरवाइजरी स्टाफ ओ ८१५) रु० बुनियादी मजदूरी तक पाते हैं वे सामान्य कार्य दिवस में ओवरटाइम काम के लिये ओवरटाइम एलाउन्स पाने के हकदार होंगे जैसा कि माइन्स एक्ट एवं फैक्टरीज एक्ट में प्रावधान है बशर्ते कि वे इन कानूनों में दिये गये प्रावधानों को पूरा करते हों ।

(स) कन्फिडेन्सियल तथा सुपरवाइजरी स्टाफ जो ८१५) रु० बुनियादी मजदूरी से अधिक पाते हैं और वे सामान्य कार्य दिवस में फैक्टरीज एक्ट अथवा माइन्स एक्ट के अधीन चलने वाले कोलियरी / प्रतिष्ठान में ओवरटाइम काम के लिये रोक लिये जाते हैं तो वे माइन्स एक्ट व फैक्टरीज एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ओवरटाइम पाने के हकदार होंगे व उनकी बुनियादी मजदूरी को ८१५) रु० प्रतिमाह को आधार मानकर हिसाब जोड़ा जायगा ।

(द) कन्फिडेन्सियल तथा सुपरवाइजरी स्टाफ जो ८१५) रु० प्रतिमाह बेसिक से अधिक वेतन पाते हैं और जिन्हें फैक्टरीज एक्ट एवं माइन्स एक्ट द्वारा संचालित कोलियरी/प्रतिष्ठान में ८१५) रु० प्रतिमाह से अधिक वेतन पाने के बावजूद जो ओवरटाइम एलाउन्स पाते रहे हैं वे पाते रहेंगे । यह सम्बन्धित कर्मचारियों का व्यक्तिगत वेतन होगा और यह उस समय समाप्त हो जायगा जब सम्बन्धित कर्मचारी प्रोन्नत होकर नन-एक्जक्युटिव हो जायंगे ।

(य) कन्फिडेन्सियल तथा सुपरवाइजरी स्टाफ जो ८१५) रु० प्रतिमाह से अधिक बेसिक मजदूरी पाते हैं और जिन्हें स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी के

उपरोक्त फैसले के अनुसार ओवरटाइम एलाउन्स अथवा साप्ताहिक अवकाश के दिन काम के लिये दूनी मजदूरी की दर से अतिरिक्त भुगतान पाये हैं, वे उपरोक्त सब-पारा (अ), (ब) और (स) में उल्लिखित निर्णयों के अनुसार लाइन में लाये जायंगे । धारा (द) में उल्लिखित निर्णय के अलावा उपरोक्त सभी निर्णय १-१-८० से लागू होगा ।

———

क्रियान्वयन आदेश संख्या—३३

सं० जे. बी. सी. सी. आई./आई. आर./६४/आई. एम. पी./६६७

दि० २२-६-१६८०

विषय : **किन्हीं कैटेगरियों के कर्मचारियों के लिये कैडर योजना/ प्रोमोशन के नियम :**

प्रोमोशन पॉलिसी कमिटी ने किन्हीं कैटेगरियों के कर्मचारियों के लिये कैडर योजना/प्रोमोशन के नियम से सम्बन्धित सर्वसम्मत रिपोर्ट दिया है जो निम्न प्रकार है। ये सभी स्व-स्पष्ट हैं और भेजे जा रहे हैं।

जे. बी. सी. सी. आई. की २१ जून १६८० को बैठक में प्रोमोशन पॉलिसी कमिटी के इस सम्बन्ध में हुए निर्णयों की मंजूरी प्रदान की। प्रबन्धनों से इन्हें क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है।

(१) सामान्य सिविल इञ्जीनियरिंग कर्मचारियों के लिये काडर योजना—परिशिष्ट-१

(२) सिविल इञ्जीनियरिंग (इस्टिमेटिंग कर्मचारियों) के लिये काडर योजना—परिशिष्ट-२

(३) ड्राइंग आफिस कर्मचारियों के लिये काडर योजना—परिशिष्ट-३

(४) माइनिंग / सुपरवाइजरी कर्मचारियों के लिये काडर योजना—परिशिष्ट-४

(५) माइनिंग/सर्वे कर्मचारियों के लिये काडर योजना—परिशिष्ट-५

(६) पारा-मेडिकल स्टाफ के लिये काडर योजना—परिशिष्ट-६

यह देखा जाय कि इन काडर योजनाओं के क्रियाशील हो जाने से इस विषय पर वर्त्तमान सभी कार्यपालक निर्देश एवं आदेश इसके साथ-ही-साथ रद्द समझा जायगा।

———

सामान्य सिविल इञ्जीनियरिंग कर्मचारियों के लिये काडर योजना

१. **संक्षिप्त नाम एवं विस्तार :**

(अ) इस योजना को सामान्य सिविल इञ्जीनियरिंग कर्मचारियों के लिये काडर योजना के नाम से पुकारा जायगा।

(ब) यह योजना इञ्जीनियरिंग विभाग जैसे ओभरसीयर एवं इञ्जीनियरिंग असिस्टेंट जो सिविल इञ्जीनियरिंग के काम से सम्बन्धित तथा विभिन्न इकाइयों में नियुक्त हैं अथवा जल आपूर्ति के काम से सम्बन्धित है अथवा इसी तरह अन्य विभाग जो कि समय-समय पर अधिसूचित किया जाय।

२. **परिभाषा :**

इस योजना में यदि विषय अथवा संदर्भ के प्रतिकूल कुछ नहीं हो तो :—

(अ) 'कम्पीटेन्ट आंथोरिटी' (दक्ष प्राधिकार) का अर्थ कम्पनी का मुख्य कार्यपालक है।

(ब) "शैक्षणिक योग्यता" का अर्थ वह योग्यता है जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो अथवा वह योग्यता/जाँच जो कम्पनियों द्वारा निर्धारित तथा संचालित की जाय।

(स) 'सर्विस' (सेवा) का अर्थ किसी पद पर वह सेवा जैसा कि इसके साथ के परिशिष्ट-ए-१ में दर्शाया गया है।

३. **प्रोमोशन का रास्ता :**

ओभरशीयरों के लिये प्रोमोशन का रास्ता जैसा कि परिशिष्ट-ए-१ में दर्शाया गया है तदनुरूप होगा। उक्त परिशिष्ट, इस स्कीम के तहत

अभ्यर्थियों के अगले उच्च पद जैसे ओवरसीयर से सिनियर ओवरसीयर तथा सिनियर ओवरसीयर से इन्जिनियरिंग असिस्टेंट के पद हेतु चयन/प्रोमोशन के लिये पात्रता पर विचार के उद्देश्य से समय-समय पर कैडर में सम्मिलित किये गये विभागीय कर्मचारियों द्वारा हासिल योग्यता तथा अनुभवों का निर्देश मात्र है। यद्यपि प्रोमोशन समय-समय पर उपलब्ध रिक्तता के आधार पर निर्भर करेगी और वह इस स्कीम में चयन (प्रोमोशन) हेतु निर्दिष्ट पात्रता रहने पर ही विचार किया जायगा। ओवरसीयर से सिनियर ओवरसीयर हेतु चयन सिनियरिटी सह-योग्यता के आधार पर होगी जब कि सिनियर ओवरसीयर से इन्जीनियरिंग असिस्टेंट में प्रोमोशन का आधार योग्यता-सह-वरीयता होगी।

४. **विभागीय प्रोमोशन कमिटी (डिपार्टमेंटल प्रोमोशन कमिटी) :**

उच्चतर कैटेगरियों में रिक्त पदों को भरने के लिये अभ्यर्थियों का चयन/प्रोमोशन विभागीय प्रोमोशन कमिटी की अनुशंसा पर होगा एवं उक्त कमिटी का गठन दक्ष (कम्पीटेन्ट) प्राधिकार अथवा उसके द्वारा समय-समय पर अन्य जिस किसी अधिकारी को वैसे अधिकार दिये जाँय उनके द्वारा किया जायगा। वैसे अनुशंशाओं पर दक्ष प्राधिकार का निर्णय अन्तिम होगा।

५. **सीधा बहाली :**

इन्जीनियरिंग असिस्टेंट तथा सिनियर ओवरसीयर के पदों के लिये सीधा बहाली उसी हालत में होगा यदि विभागीय कर्मचारी उक्त रिक्त पद को भरने के उपयुक्त नहीं पाये जायंगे और यदि आगामी (पद रिक्त होने के) ६ महीने के भीतर विभागीय कर्मचारी के प्रोमोशन के पात्र होने की सम्भावना नहीं हो।

६. **रद्द, संशोधन इत्यादि :**

इस स्कीम के लागू हो जाने के साथ-ही-साथ इस विषय पर अब तक जारी किये गये सभी कार्यकारी निर्देश तथा आदेश रद्द समझे जायंगे।

———

परिशिष्ट-'ए-१'

सामान्य सिविल इन्जीनियरिंग कर्मचारियों के लिये कैडर योजना

क्रम सं०	पदनाम	ग्रेड	वेतनमान	कर्मचारी जो प्रोमोशन हेतु चयन के लिये विचारार्थ उपयुक्त होंगे	विभागीय अभ्यर्थियों द्वारा वांछित योग्यता तथा अनुभव जिससे पद हेतु चयन के लिये विचार किया जा सके
१	२	३	४	५	६
१.	इन्जीनियरिंग असिस्टेंट	ए	रु० ७२२-१२७८	सिनियर ओवरसीयर	ए) मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये, बी) सिविल इन्जीनियरिंग में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा रखता हो (५ वर्षीय कोर्स) सी) इसके नीचले पद पर कम-से-कम ३ वर्ष काम किया हो। डी) स्वीकृत रिक्त पदों के आधार पर कम्पनी स्तर पर डी. पी. सी. द्वारा प्रोमोशन।

सामान्य सिविल इन्जीनियरिंग कर्मचारियों के लिये कैडर योजना

परिशिष्ट-'ए-१'

१	२	३	४	५	६
२.	सिनियर ओवरसीयर	बी	रु० ६४०-११६०	ओवरसीय	ए) मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो । बी) सिविल इन्जीनियरिंग में मान्यता प्राप्त डिप्लोमाधारक हो (३ वर्षीय कोर्स) सी) इसके नीचले पद पर कम-से-कम तीन वर्ष काम किया हो । डी) स्वीकृत रिक्त पद के आधार पर कम्पनी स्तर पर डी. पी. सी. द्वारा प्रोमोशन ।
३.	ओवरसीयर	सी	रु० ५७२-१००८		ए) मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा पास हो । बी) सिविल इन्जीनियरिंग में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा धारक हो । (३ वर्षीय कोर्स) सी) स्वीकृत रिक्त पद के आधार पर कम्पनी स्तर पर डी. पी. सी. द्वारा प्रोमोशन ।

सिविल इञ्जीनियरिंग (इस्टिमेटिंग) कर्मचारियों के लिये कैडर योजना

१. **संक्षिप्त नाम एवं विस्तार :**

(क) इस योजना को सिविल इन्जीनियरिंग (इस्टिमेटिंग) कर्मकारियों के लिये कैडर योजना के नाम से पुकारा जायगा ।

(ख) यह योजना सिविल इन्जीनियरिंग कामों एवं जल आपूर्ति अथवा वैसे अन्य कार्य जो विभाग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाय, के कर्मचारियों जैसे इस्टीमेटर, सिनियर इस्टीमेटर एवं मुख्य इस्टीमेटर इत्यादि ।

२. **परिभाषा :**

इस योजना में यदि विषय अथवा संदर्भ के प्रतिकूल कुछ नहीं हो तो :—

(क) 'कम्पीटेन्ट ऑथोरिटी' का अर्थ कम्पनी का मुख्य कार्यपालक है ।

(ख) "शैक्षणिक योग्यता" का अर्थ वह योग्यता जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो अथवा जो कम्पनी द्वारा निर्धारित और संचालित हो ।

(ग) 'सेवा' (सर्विस) का अर्थ परिशिष्ट-"ए-२" में दर्शाये गये पदों पर सेवा ।

३. **प्रोमोशन का रास्ता :**

इस्टिमेटिंग कर्मचारियों के विभिन्न कैटेगरियों के लिये प्रोमोशन का रास्ता जैसा कि आगे परिशिष्ट-'ए-२' में दिया गया है तदनुरूप होगा । उक्त परिशिष्ट इस स्कीम के तहत अभ्यर्थियों के अगले उच्च पद जैसे इस्टीमेटर से सिनियर इस्टीमेटर, सिनियर इस्टीमेटर से मुख्य

इस्टीमेटर इत्यादि पर चयन/प्रोमोशन के लिये पात्रता पर विचार के उद्देश्य से समय-समय पर कैडर में सम्मिलित किये गये विभागीय कर्मचारियों द्वारा हासिल योग्यता तथा अनुभवों का निर्देश मात्र है। यद्यपि प्रोमोशन समय-समय पर उपलब्ध रिक्तता के आधार पर निर्भर करेगी और वह इस स्कीम में चयन (प्रोमोशन) हेतु निर्दिष्ट योग्यता (पात्रता) रहने पर ही विचार किया जायगा। इस्टीमेटर से सिनियर इस्टीमेटर में चयन का आधार सिनियरिटी-सह-योग्यता होगी जबकि सिनियर इस्टीमेटर से चीफ (मुख्य) इस्टीमेटर के लिये चयन का आधार योग्यता-सह-सिनियरिटी होगी।

४. विभागीय प्रोमोशन कमिटी :

उच्चतर कैटेगरियों में रिक्त पदों को भरने के लिये अभ्यर्थियों का चयन/प्रोमोशन विभागीय प्रोमोशन कमिटी की अनुशंशा पर होगा एवं उक्त कमिटी का गठन दक्ष (कम्पीटेन्ट) प्राधिकार अथवा उनके द्वारा समय-समय पर अन्य जिस किसी अधिकारी को वैसा अधिकार दिया जाय, उनके द्वारा किया जायगा। वैसे अनुशंशाओं पर दक्ष प्राधिकार का निर्णय अन्तिम होगा।

५. सीधा बहाली :

चीफ (मुख्य) इस्टीमेटर एवं सिनियर इस्टीमेटर के पदों के लिये सीधा बहाली उसी हालत में होगा यदि विभागीय कर्मचारी उक्त रिक्त पद को भरने के उपयुक्त नहीं पाये जायंगे और यदि आगामी ६ महीने के भीतर (पद रिक्त होने के) विभागीय कर्मचारी के प्रोमोशन के पात्र होने की सम्भावना नहीं हो।

६. रद्द, संशोधन इत्यादि :

इस स्कीम के लागू होने जाने के साथ ही साथ, इस विषय पर अब तक जारी किये गये सभी कार्मचारी निर्देश तथा आदेश रद्द समझे जायंगे।

———

सिविल इञ्जीनियरिंग (इस्टिमेटिंग) कर्मचारियों के लिये कैडर योजना — परिशिष्ट-'ए-२'

क्र० सं०	पदनाम	ग्रेड	वेतनमान	कर्मचारी जो प्रोमोशन हेतु चयन के लिये विचारार्थ उपयुक्त होंगे	विभागीय अभ्यर्थियों द्वारा वांछित योग्यता तथा अनुभव जिससे पद हेतु चयन के लिये विचार किया जा सके
१.	२	३	४	५	६
१.	चीफ (मुख्य) इस्टीमेटर	ए	रु० ७२२-१२७८	सिनियर इस्टीमेटर	क) मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। ख) सिविल इञ्जीनियरिंग अथवा ड्राफ्टस-मैनशिप में एक विषय इस्टिमेटिंग के साथ मान्यता प्राप्त डिप्लोमाधारक (३ वर्षीय कोर्स) होना चाहिये। ग) ठीक इससे निचले पद पर कम से कम ५ वर्षों तक सेवारत रहा हो। घ) स्वीकृत पद के आधार पर कम्पनी आधारित डी. पी. सी. के जरिये प्रोमोशन।

सिविल इञ्जीनियरिंग (इस्टिमेटिंग) कर्मचारियों के लिये कैडर योजना परिशिष्ट-'ए-२'

१	२	३	४	५	६
२.	सिनियर इस्टीमेटर	बी	रु० ६४०-११६०	इस्टीमेटर	क) मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उतीर्ण होना चाहिये । ख) सिविल इञ्जीनियरिंग अथवा ड्राफ्टस-मैनशिप में एक विषय इस्टिमेटिंग के साथ मान्यताप्राप्त डिप्लोमाधारी (३ वर्षीय कोर्स) होना चाहिये । ग) इसके ठीक नीचले पद पर कम-से-कम पाँच वर्ष कार्य किया हो । घ) स्वीकृत रिक्त पदों के आधार पर कम्पनी/क्षेत्रीय आधार पर डी. पी. सी. के माध्यम से प्रोमोशन ।

सिविल इञ्जीनियरिंग (इस्टिमेटिंग) कर्मचारियों के लिये कैडर योजना परिशिष्ट-'ए-२'

१	२	३	४	५	६
३.	इस्टीमेटर	सी	रु० ५७२-१००८		क) मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा उतीर्ण होना चाहिये । ख) सिविल इञ्जीनियरिंग/ड्राफ्टसमैनशिप में एक विषय इस्टिमेटिंग के साथ मान्यता प्राप्त डिप्लोमा (३ वर्षीय कोर्स) धारक होना चाहिये । ग) स्वीकृत रिक्त पदों के आधार पर कम्पनी/क्षेत्र/इकाई आधार पर डी. पी. सी. के माध्यम से प्रोमोशन ।

ड्राइंग आफिस कर्मचारियों के लिये कैडर योजना

१. **संक्षिप्त नाम एवं विस्तार :**

क) इस योजना को ड्राइंग आफिस कर्मचारियों के लिये कैडर योजना के नाम से पुकारा जायगा ।

ख) यह योजना ड्राइंग आफिस के कर्मचारियों जैसे चीफ ड्राफ्टसमैन (सिविल एवं स्ट्रक्चरल), सिनियर ड्राफ्टसमैन (सिविल एवं स्ट्रक्चरल), ड्राफ्टसमैन, असिस्टेंट ड्राफ्टसमैन, ट्रेसर/डार्क रूम आपरेटर एवं जुनियर ट्रेसर/फेरो प्रिंटर जो सिविल इञ्जीनियरिंग काम अथवा जल आपूर्ति से सम्बन्धित काम अथवा रिवेन्यू विभाग या प्लानिंग विभाग, जैसा कि मुख्य कार्यपालक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जायेंगे, उन लोगों के लिये लागू होगा ।

२. **परिभाषा :**

इस योजना में यदि विषय अथवा संदर्भ के प्रतिकूल कुछ नहीं हो तो :—

क) "चीफ एक्जेक्यूटिव" (मुख्य कार्यपालक) का अर्थ कम्पनी के मुख्य कार्यपालक से है ।

ख) "शैक्षणिक योग्यता" का अर्थ वह योग्यता जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो अथवा जो कम्पनी द्वारा निर्धारित और संचालित हो ।

ग) 'सेवा' का अर्थ उस पद पर सेवा जो परिशिष्ट-'ए-३' में आगे दर्शाया गया है ।

३. **प्रोमोशन का रास्ता :**

ड्राइंग आफिस के विभिन्न कैटेगरियों के कर्मचारियों के लिये प्रोमोशन का रास्ता जैसा कि परिशिष्ट-'ए-३' में दिया गया है, होगा । परिशिष्ट में, कैडर में सम्मिलित विभागीय अभ्यर्थियों के लिये समय-समय पर वांछित योग्यता, अनुभव इत्यादि का निर्देश मात्र है । अगले उच्च पद जैसे जुनियर ट्रेसर/फेरो प्रिन्टर से ट्रेसर/डार्क रूम आपरेटर से असिस्टेंट ड्राफ्टसमैन, असिस्टेंट ड्राफ्टसमैन से ड्राफ्टसमैन एवं ड्राफ्टसमैन से सिनियर ड्राफ्टसमैन में प्रोमोशन हेतु विचार करने के उद्देश्य से उसका आधार सिनियरिटी-सह-योग्यता होगी जबकि सिनियर ड्राफ्टसमैन से चीफ ड्राफ्टसमैन के हेतु प्रोमोशन के लिये चयन का आधार योग्यता-सह-सिनियरिटी होगी ।

४. **विभागीय प्रोमोशन कमिटी :**

उच्चतर कैटेगरियों में रिक्त पदों को भरने के लिये अभ्यर्थियों का चयन/ प्रोमोशन विभागीय प्रोमोशन कमिटी की अनुशंशा पर होगा एवं उक्त कमिटी का गठन दक्ष (कम्पीटेन्ट) प्राधिकार अथवा उनके द्वारा समय-समय पर अन्य जिस किसी अधिकारी को वैसा अधिकार दिया जाय, उनके द्वारा किया जायगा । वैसे अनुशंशाओं पर मुख्य कार्यपालक (चीफ एक्जक्यूटिव) का निर्णय अन्तिम होगा ।

५. **सीधा बहाली :**

असिस्टेंट ड्राफ्टसमैन एवं उससे ऊपर के पदों पर सीधा बहाली तभी की जायगी जब सभी उच्च रिक्त पद भरने हेतु विभागीय कर्मचारी के प्रोमोशन पाने के पात्र होने की सम्भावना ६ महीने के भीतर नहीं हो ।

७. **रद्द, संशोधन इत्यादि :**

इस स्कीम के लागू होने के साथ ही साथ इस विषय पर अब तक के जारी किये गये सभी कार्यकारी निर्देश तथा आदेश रद्द समझे जायेंगे ।

———

ड्राइंग आफिस कर्मचारियों के लिये कैडर योजना — परिशिष्ट-'ए-३'

१	२	३	४	५	६
१.	चीफ ड्राफ्टसमैन	ए	रु० ७२२-१२७८	सिनियर ड्राफ्टसमैन	क) मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिये। ख) मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा पास करने के बाद किसी तकनिकी इन्स्टीच्यूट में स्ट्रक्चरल तथा/अथवा सिविल ड्राइंग में कम-से-कम एक वर्ष का कोर्स सफलता पूर्वक पूरा किया हो। ग) इसके नीचले पद पर कम-से-कम तीन वर्ष काम किया हो। घ) स्वीकृत रिक्त पद के आधार पर कम्पनी आधार पर डी. पी. सी. के जरिये प्रोमोशन।

ड्राइंग आफिस कर्मचारियों के लिये कैडर योजना — परिशिष्ट-'ए-३'

१	२	३	४	५	६
२.	सिनियर ड्राफ्टसमैन	बी	रु० ६४०-११६०	ड्राफ्टसमैन	क) मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिये। ख) मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा पास करने के बाद किसी तकनिकी इन्स्टीच्यूट से स्ट्रक्चरल तथा/अथवा सिविल ड्राइंग में कम-से-कम एक वर्ष का कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया हो। ग) ठीक नीचे के पद पर कम-से-कम ३ वर्ष सेवा किया हो। घ) स्वीकृत रिक्त पदों के आधार पर कम्पनी/एरिया के आधार पर डी. पी. सी. के जरिया से प्रोमोशन।

१	२	३	४	५	६
३.	ड्राफ्ट्समैन	सी	रु० ५७२-१००८	असिस्टैंट ड्राफ्ट्समैन	क) मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिये। ख) मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा पास करने के बाद किसी तकनिकी इन्स्टीच्यूट से स्ट्रक्चरल तथा/अथवा सिविल ड्राइंग में कम से कम एक वर्ष कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया हो। ग) अपने से ठीक नीचे ग्रेड में कम-से-कम ३ वर्ष कार्य किया हो। घ) स्वीकृत रिक्त पद के आधार पर कम्पनी/क्षेत्र/इकाई आधार पर डी. पी. सी. के जरिये प्रोमोशन।

१	२	३	४	५	६
४.	असिस्टैंट ड्राफ्ट्समैन	डी	रु० ५०८-८६०	ट्रेसर/डार्क रूम आपरेटर	क) मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिये। ख) मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा पास करने के बाद किसी तकनिकी इन्स्टीच्यूट से स्ट्रक्चरल तथा/अथवा सिविल ड्राइंग में कम-से-कम एक वर्ष का कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया हो। ग) अपने से ठीक नीचे के पद पर कम-से-कम तीन वर्ष कार्य किया हो। घ) स्वीकृत पदों के आधार पर कम्पनी/एरिया/इकाई स्तर पर डी. पी. सी. के जरिया से प्रोमोशन।

ड्राइंग आफिस कर्मचारियों के लिये कैडर योजना

परिशिष्ट-'ए-३'

१	२	३	४	५	६
५.	ट्रेसर/डार्क रूम आपरेटर	ई	रु० ४६०-६५२	जुनियर ट्रेसर/ फेरो प्रिंटर	क) मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिये । ख) ट्रेसिंग के काम में सफाई (स्वच्छता) एवं सही मिलान हो । ग) अपने से ठीक नीचे के पद पर कम-से-कम ३ वर्षों तक काम किया हो । घ) स्वीकृत रिक्त पदों के आधार पर कम्पनी/क्षेत्र/इकाई के आधार पर डी. पी. सी. के माध्यम से प्रोमोशन ।

F—24

ड्राइंग आफिस कर्मचारियों के लिये कैडर योजना

परिशिष्ट-'ए-३'

१	२	३	४	५	६
६.	सिनियर ट्रेसर/ फेरो प्रिंटर	एफ	रु० ४४०-५८४		क) साक्षर होना आवश्यक साथ ही अंग्रेजी, हिन्दी अथवा बंगला या अन्य कोई स्थानीय भाषा में लिखना-पढ़ना जानता हो । मैट्रिक अथवा समकक्ष को वरीयता दी जायगी । ख) ट्रेसिंग एवं ड्राइंग के काम में रूचि हो । ग) स्वीकृत रिक्त पद के आधार पर कम्पनी/एरिया/इकाई आधार पर डी. पी. सी. के माध्यम से प्रोमोशन ।

परिशिष्ट-४

माइनिंग सुपरवाइजरी कर्मचारियों के लिये कैडर योजना

१. **संक्षिप्त नाम एवं विस्तार :**

क) इस योजना को "माइनिंग सुपरवाइजरी कर्मचारियों के लिये कैडर योजना" के नाम से पुकारा जायगा ।

ख) यह योजना माइनिंग सुपरवाइजरी कर्मचारियों जैसे सिनियर ओवरमैन/हेड ओवरमैन, ओवरमैन, सेफटी असिस्टेंट-सह-प्रोडक्सन असिस्टेंट/स्टोइंग इनचार्ज एवं शाट फायरर/माइनिंग सरदार जो विभिन्न इकाइयों में नियुक्त हैं एवं खनन कार्य में संलग्न हैं एवं वे कार्य जो समय-समय पर निर्दिष्ट किये जायंगे उन सबों पर लागू होगा ।

२. **परिभाषा :**

इस योजना में यदि विषय अथवा संदर्भ के कुछ भी प्रतिकूल नहीं हो तो :—

क) 'कम्पीटेन्ट ऑथोरिटी' का अर्थ कम्पनी का मुख्य कार्यपालक ।

ख) "एडुकेशनल क्वालिफिकेशन" (शैक्षणिक योग्यता) का अर्थ वह योग्यता जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो अथवा कम्पनी द्वारा निर्धारित एवं संचालित हो ।

ग) 'सर्विस' (सेवा) का अर्थ उस पद पर सेवा जो परिशिष्ट-"ए-४" में दर्शाया गया है ।

३. **प्रोमोशन का रास्ता इत्यादि :**

माइनिंग सुपरवाइजरी कार्मिकों के लिये प्रोमोशन का रास्ता आगे दिये गये परिशिष्ट-'ए-४' के अनुसार होगा । उक्त परिशिष्ट में आगे के उच्चतर पद पर पदोन्नति से सम्बन्धित चयन के लिये विचारार्थ पात्रता (योग्यता) के उद्देश्य से समय-समय पर कैडर में सम्मिलित किये जाने वाले योग्यताओं तथा अनुभवों जैसा कि परिशिष्ट में दिया गया है, उसका निर्देश मात्र है । यद्यपि प्रोमोशन इस बात पर निर्भर करेगा कि समय-समय पर अनुमोदित तरीका के अनुसार कितने पद उपलब्ध हैं एवं स्कीम में जैसा निर्दिष्ट है उसके अनुसार अभ्यर्थियों के चयन हेतु पात्रता हो । माइनिंग सरदार/शॉट फायरर से सेफटी असिस्टेंट/स्टोइंग इनचार्ज एवं सेफटी असिस्टेंट-कम-प्रोडक्शन असिस्टेंट, स्टोइंग इनचार्ज से ओवरमैन में चयन का आधार सिनियरिटी-सह-मेरिट होगा । जबकि ओवरमैन से सिनियर ओवरमैन/हेड ओवरमैन का चयन मेरिट-सह-सिनियरिटी के आधार पर होगा ।

४. **विभागीय प्रोमोशन कमिटी :**

उच्चतर कैटेगरियों में रिक्त पदों को भरने के लिसे अभ्यर्थियों का चयन/प्रोमोशन विभागीय प्रोमोशन कमिटी की अनुशंशा पर होगा एवं उक्त कमिटी का गठन दक्ष प्राधिकार (कम्पीटेन्ट ऑथोरिटी) अथवा समय-समय पर उसके द्वारा अन्य जिस किसी अधिकारी को वैसे अधिकार दिये जाँय उनके द्वारा किया जायगा । वैसे अनुशंशाओं पर दक्ष प्राधिकार का निर्णय अन्तिम होगा ।

५. **रद्द, संशोधन इत्यादि :**

इस स्कीम के लागू हो जाने के साथ-ही-साथ इस विषय पर अब तक जारी किये गये सभी कार्यकारी निर्देश तथा आदेश रद्द समझे जायगे ।

माइनिंग सुपरवाइजरी कर्मचारियों के लिये कैडर योजना

परिशिष्ट-'ए-४'

क्रम सं०	पदनाम	ग्रेड	वेतनमान	कर्मचारी जो प्रोमोशन हेतु चयन के लिये विचारार्थ उपयुक्त होंगे	विभागीय अभ्यर्थियों द्वारा वांछित योग्यता तथा अनुभव जिससे पद हेतु चयन के लिये विचार किया जा सके
१	२	३	४	५	६
ग्रुप-ए :					
१.	शॉट फायरर/ माइनिंग सरदार	'सी'	रु० ५७२-१००८	१) डी.जी.एम.एस. द्वारा प्रदत्त माइनिंग सरदार में दक्षता प्रमाण-पत्र। २) गैस जाँच प्रमाण-पत्र। ३) वैध प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण-पत्र।	१) साक्षर होना आवश्यक। २) कोयला खानों में काम करने का ५ वर्ष से अधिक का अनुभव हो। ३) स्वीकृत रिक्त पद के आधार पर डी. पी. सी. के जरिया से प्रोमोशन।
२.	सेफ्टी असिस्टैंट, प्रौडक्शन असिस्टैंट/स्टोइंग इनचार्ज	'सी'	रु० ७७५-१००८ (५७२-१००८ रु० के स्केल में उच्चतर स्तर पर ७७५ रु० पर निर्धारण होगा)	१) डी. जी. एम. एस. द्वारा प्रदत्त माइनिंग सरदार में दक्षता प्रमाण-पत्र। २) गैस टेस्टिंग प्रमाण-पत्र। ३) वैध एफ. ए. प्रमाण-पत्र।	१) माइनिंग सरदार के पद पर निम्नतम १० वर्षों का कार्य अनुभव। २) स्वीकृत रिक्त पदों के आधार पर सब-एरिया आधार पर डी. पी. सी. द्वारा प्रोमोशन।

१	२	३	४	५	६
ग्रूप-बी :					
१.	ओवरमैन	'बी'	रु० ६४०-११६०	१) डी. जी. एम. एस. द्वारा प्रदत्त ओवर-मैन की दक्षता प्रमाण-पत्र अथवा डी. जी. एम. एस. द्वारा स्वीकृत किसी भी इन्स्टीच्यूशन से मान्य माइनिंग में डिप्लोमा/मेरिट प्रमाण-पत्र अथवा मान्य योग्यता होनी चाहिये । २) गैस जांच प्रमाण-पत्र ३) वैध एफ. ए. प्रमाण-पत्र	१) क्षेत्रीय स्तर पर पद रिक्त होने से इन्टरव्यू के जरिये चयन ।

१	२	३	४	५	६
२.	ओवरमैन/हेड ओवरमैन	'ए'	रु० ७२२-१२७८	१) ओवरमैन के रूप में पाँच वर्ष से अधिक अवधि तक काम किया होना चाहिये ।	१) क्षेत्रीय स्तर पर रिक्त पद रहने से मेरिट-सह-सिनियरिटी के आधार पर डी. पी. सी. द्वारा प्रोमोशन । उन्हें एक ओवर-मैन का वैधानिक ड्युटी पूरा करना पड़ेगा ।

परिशिष्ट-५

माइनिंग सर्वे कार्मिकों के लिये कैडर योजना

१. **संक्षिप्त नाम एवं विस्तार :**

क) इस योजना को माइनिंग सर्वे कार्मिकों के लिये कैडर योजना के नाम से पुकारेंगे ।

ख) यह योजना सर्वे कार्मिकों को लागू होगा, जैसे सर्वे मजदूर, चेनमैन (सर्वे) हेड चेनमैन (सर्वे), असिस्टेंट सर्वेयर (अनक्वालिफायड), डिपुटी सर्वेयर (माइन्स) एवं सर्वेयर जो माइनिंग सर्वे के काम में लगाये जाते हैं एवं अन्य दूसरे विभागों से जुड़े कामों में भी लगाये जाते हैं जैसा कि समय-समय पर निर्देशित हो ।

२. **परिभाषा :**

क) "कम्पीटेन्ट ऑथोरिटी" का अर्थ कम्पनी का मुख्य कार्यपालक है ।

ख) "शैक्षणिक योग्यता" का अर्थ वह योग्यता जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो अथवा योग्यता/जाँच जो कम्पनी द्वारा निर्धारित एवं संचालित हो ।

ग) "सर्विस" (सेवा) का अर्थ परिशिष्ट-'ए-५' में आगे दर्शाये गये पदों पर सेवा ।

३. **प्रोमोशन का रास्ता इत्यादि :**

सर्वे कार्मिकों के विभिन्न कैटेगरियों के लिये प्रोमोशन का रास्ता जैसा कि आगे परिशिष्ट-'ए-५' में दिया गया है उसी प्रकार होगा । उक्त परिशिष्ट में आगे के उच्चतर पद पर पदोन्नति से सम्बन्धित चयन के लिये विचारार्थ पात्रता (योग्यता) के उद्देश्य से समय-

समय पर कैडर में सम्मिलित किये जाने वाले योग्यताओं तथा अनुभवों जैसा कि परिशिष्ट में दिया गया है, उसका निर्देश मात्र है जैसा कि सर्वे मजदूर से चेनमैन (सर्वे), चेनमैन (सर्वे) से हेड-चेनमैन (सर्वे) एवं डिपुटी सर्वेयर (माइन्स) से सर्वेयर । यद्यपि प्रोमोशन निर्भर करेगा समय-समय पर रिक्त पद की उपलब्धता के ऊपर एवं उसके साथ इस योजना में निर्दिष्ट योग्यता तथा अभ्यर्थी के चयन पर निर्भर करेगा । सर्वे (मजदूर) से चेनमैन (सर्वे) तथा चेनमैन (सर्वे) से हेड चेनमैन (सर्वे) हेतु चयन सिनियरिटी-सह-मेरिट होगा जब कि डिपुटी सर्वे से सर्वेयर का चयन मेरिट-सह-सिनियरिटी होगा ।

४. **विभागीय प्रोमोशन कमिटी :**

उच्चतर कैटेगरियों में रिक्त पदों को भरने के लिये अभ्यर्थियों का चयन/प्रोमोशन विभागीय प्रोमोशन कमिटी की अनुशंशा पर होगा एवं उक्त कमिटी का गठन मुख्य कार्यपालक (चीफ एक्जक्यूटिव) अथवा समय-समय पर उसके द्वारा अन्य जिस किसी अधिकारी को वैसे अधिकार दिये जाँय, उनके द्वारा किया जायगा । वैसे अनुशंशाओं पर मुख्य कार्यपालक का निर्णय अन्तिम होगा और सभी सम्बन्धितों द्वारा मान्य होगा ।

५. **सीधा बहाली :**

सर्वेयर तथा डिपुटी सर्वेयर के पदों पर सीधा बहाली तभी किया जा सकेगा जब ६ महीना के भीतर सभी रिक्त पदों को भरने हेतु विभागीय कर्मचारियों के उपलब्धता की सम्भावना नहीं हो ।

सिनियर सर्वेयर, हेड सर्वेयर, असिस्टेंट सर्वेयर के वर्त्तमान पदनाम सभी सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा तब तक रखा जायगा जब तक उनका प्रोमोशन नहीं हो जाता ।

६. **रद्द, संशोधन इत्यादि :**

इस स्कीम के लागू होने के साथ-ही-साथ इस विषय पर अब तक जारी किये गये सभी कार्यकारी निर्देश तथा आदेश रद्द समझे जायंगे ।

माइनिंग सर्वे कार्मिकों के लिये कैडर योजना

परिशिष्ट-'ए-५'

क्रम सं०	पदनाम	ग्रेड तथा वेतनमान	निम्नतम शैक्षणिक योग्यता	कर्मचारी जो प्रोमोशन हेतु चयन के लिये विचारार्थ उपयुक्त होंगे	विभागीय अभ्यर्थियों द्वारा वांछित योग्यता/प्रोमोशन का तरीका
१	२	३	४	५	६
ए					
१.	सर्वेयर	तक. ग्रेड-ए रु०७२२-१२७८	मैट्रिक के साथ डी. जी. एम. एस. द्वारा प्रदत्त सर्वे में दक्षता प्रमाण-पत्र।	डिपुटी सर्वेयर के पद पर ३ वर्ष का अनुभव। (योग्य)	स्वीकृत रिक्त पदों के आधार पर एरिया एवं हेडक्वार्टर के आधार पर डी. पी. सी. द्वारा प्रोमोशन।
२.	डिपुटी सर्वेयर	तक. ग्रेड-सी रु० ५७२-१००८	मैट्रिक के साथ डी. जी. एम. एस. द्वारा प्रदत्त सर्वे में दक्षता प्रमाण-पत्र।	—	१. स्वीकृत रिक्त पदों के रहने से निर्दिष्ट तरीके से साक्षात्कार के जरिये से चयन। २. समुचित उपयुक्त योग्यता वाले विभागीय कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जायगी।

१	२	३	४	५	६
३.	असिस्टेंट सर्वेयर	तक. ग्रेड-ई रु० ४६०-६५२	मैट्रिक के साथ समुचित वैधानिक प्रमाण-पत्र।	—	—
बी :					
१.	हेड चेनमैन (सर्वे)	तक. ग्रेड-'ई' रु० ४६०-६५२	साक्षर, जो हिन्दी, अंग्रेजी अथवा स्थानीय भाषा एवं अंक लिखना-पढ़ना जानता हो। मैट्रिक पास को प्राथमिकता दी जायगी।	चेनमैन के रूप में निम्नतम ३ वर्षों का अनुभव	स्वीकृत रिक्त पद होने से एरिया / सब-एरिया व हेडक्वार्टर के आधार पर डी. पी. सी. के जरिये से प्रोमोशन।
२.	चेनमैन (सर्वे)	तक. ग्रेड-'एफ' रु० ४४०-५८४	साक्षर, जो हिन्दी, अंग्रेजी अथवा स्थानीय भाषा एवं अक लिखना-पढ़ना जानता हो। मैट्रिक पास को प्राथमिकता दी जायगी।	सर्वे मजदूर के रूप में निम्नतम २ वर्षों का अनुभव	स्वीकृत रिक्त पद होने से कोलियरी/एरिया / हेडक्वार्टर के आधार पर डी. पी. सी. के माध्यम से प्रोमोशन।

१	२	३	४	५	६
१.	सर्वे मजदूर	कैट.-१ रु० १५.००-०.२६-१८.१२	साक्षर, साथ ही सर्वे कार्य में रूचि। मैट्रिक पास को प्राथमिकता दी जायगी।	—	स्वीकृत रिक्त पद के आधार पर वर्त्तमान टाइमरेट से प्राथमिकता अण्डरग्राउण्ड मजदूर को आप्सन देने पर कमिटी द्वारा सर्वे मजदूर के रूप में चयन।

कैडर योजना स० ६

परिशिष्ट-६

पारा मेडिकल स्टाफ के लिये कैडर योजना

१. संक्षिप्त नाम एवं विस्तार :

क) इस कैडर योजना को पारा मेडिकल स्टाफ के लिये कैडर योजना के नाम से पुकारा जायगा।

ख) यह योजना कम्पनी के मेडिकल (चिकित्सा) सेवा में लगे मेडिकल विभाग के पारा मेडिकल स्टाफ, जैसे कम्पाउण्डर, ड्रेसर, नर्सिंग सिस्टर, वार्ड ब्वाय, आया, मिड-वाइफ, पैथोलोजिस्ट, रेडियोलोजिस्ट एवं अन्य तकनिशियनों के लिये लागू होगा।

२. परिभाषा :

इस स्कीम में विषय अथवा संदर्भ के कुछ भी प्रतिकूल नहीं हो तो ;—

क) 'कम्पीटेन्ट ऑथोरिटी का अर्थ कम्पनी के मुख्य कार्यपालक है।

ख) "शैक्षणिक योग्यता" का अर्थ वह योग्यता जो केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त हो अथवा वह योग्यता/जाँच जो कम्पनी द्वारा निर्धारित व संचालित हो।

ग) 'सर्विस' (सेवा) का अर्थ' उस पद पर सेवा जो परिशिष्ट-'ए-६' से 'ए-९' में आगे दर्शाया गया है।

३. **प्रोमोशन का रास्ता :**

विभिन्न कैटेगरियों के पारा मेडिकल स्टाफ के प्रोमोशन का रास्ता आगे के परिशिष्टों में दिया गया है। उक्त परिशिष्टों में विभागीय कर्मचारी जो समय-समय पर प्रोमोशन के साथ कैडर में सम्मिलित होंगे उनका निर्देश मात्र है, जैसे :—

क) तकनिशियन (तकनिशियन ग्रेड-'सी' से चीफ तकनिशियन ग्रेड-ए)—परिशिष्ट-ए.-६

ख) कम्पाउण्डर/फार्मासिस्ट (कम्पाउण्डर ग्रेड-'ई'/'डी' से चीफ फार्मासिस्ट ग्रेड-ए—परिशिष्ट-ए-७

ग) ड्रेसर, ओ. टी. असिस्टेंट (ड्रेसर ग्रेड-'एच' से सिनियर ओ. टी. असिस्टेंट ग्रेड-'डी'—परिशिष्ट-ए-८

घ) वार्ड ब्वाय/मिडवाइफ (वार्ड ब्वाय ग्रेड-'एच' से सिनियर वार्ड ब्वाय/मिडवाइफ ग्रेड-'जी'—परिशिष्ट-ए-९

ङ) नर्सिंग स्टाफ/जुनियर नर्स (योग्य)/आक्जिलियरी नर्स/मिड़वाइफ (योग्य) से सिस्टर-इन-चार्ज/मैट्रन—परिशिष्ट-ए-१०

४. **विभागीय प्रोमोशन कमिटी :**

उच्चतर कैटेगरियों में रिक्त पदों को भरने के लिये अभ्यर्थियों का चयन विभागीय प्रोमोशन कमिटी की अनुशंशा पर होगा एवं उक्त कमिटी का गठन दक्ष प्राधिकार (कम्पीटेन्ट ऑथोरिटी) अथवा समय-समय पर उसके द्वारा अन्य जिस अधिकारी को वैसे अधिकार दिये जाँय उनके द्वारा किया जायगा। वैसे अनुशंशाओं पर दक्ष प्राधिकार का निर्णय अन्तिस व वाध्य होगा।

५. **सीधा बहाली :**

सीधा बहाली उसी हालत में होगा जबकि विभागीय कर्मचारियों में से ६ महीने के भीतर रिक्त पदों को भरने की सम्भावना नहीं हो।

६. **रद्द, संशोधन इत्यादि :**

इस योजना के लागू हो जाने के साथ-ही-साथ इस विषय पर अब तक जारी किये गये सभी कार्यकारी निर्देश तथा आदेश रद्द समझे जायंगे।

———

पैरा मेडिकल स्टाफ के लिये कैडर योजना

परिशिष्ट-'ए-६'

क्रम सं०	पदनाम	ग्रेड तथा वेतनमान	न्यूनतम/ शैक्षणिक योग्यता	प्रोमोशन हेतु पात्रता	प्रोमोशन का जरिया
१	२	३	४	५	६
१.	तकनिशियन/ पैथोलोजिकल/ तकनिशियन/ रेडिओग्राफर	'सी' रु० ५७२-२६-८०४-३४-१००८	सम्बन्धित तकनीक में मान्यता प्राप्त इन्स्टीच्यूट से डिप्लोमा। किसी मान्यता प्राप्त इन्स्टीच्यूट / सरकारी अस्पताल अथवा ग्रेड-'डी' में ३ वर्षों का अनुभव	—	सिनियरिटी एरिया स्तर पर होगी। साक्षात्कार/चयन के माध्यम से।
२.	सिनियर तकनिशियन	'बी' रु० ६४०-३५-९२०-४०-११६०	मान्यता प्राप्त इन्स्टीच्यूट से सम्बन्धित तकनीक में डिप्लोमा प्राप्त। मैट्रिक	ग्रेड-'सी' तकनिशियन के रूप में ५ वर्षों का अनुभव	सिनियरिटी कम्पनी स्तर पर। चयन/साक्षात्कार के माध्यम से।

१	२	३	४	५	६
३.	चीफ तकनिशियन	'ए' रु० ७२२-४२-१०५८-४४-१२७८	मान्यता प्राप्त इन्स्टीच्यूट से सम्बन्धित तकनीक में डिप्लोमा	ग्रेड-बी में ३ वर्षों का अनुभव	डी. पी. सी. के माध्यम से सिनियरिटी कम्पनी स्तर पर होगी।

नोट : (क) यद्यपि, कई कम्पनियों में ऐसा देखा गया है कि कुछ तकनिशियन ग्रेड-'डी' में कार्यरत हैं। यह सिफारिश की जाती है कि यदि इन तकनिशियनों के पास टेकनिशियन/पैथोलोजिकल तकनिशियन/रेडिओग्राफर के लिये निर्धारित योग्यता है तो उन्हें ग्रेड-'सी' में पदस्थापित किया जाना चाहिये। जो भी हो, यदि उनके पास निर्धारित योग्यता नहीं है तो उन्हें उन योग्यताओं को हासिल करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिये और वह योग्यता प्राप्त कर लेने पर उन्हें ग्रेड-'सी' में पदस्थापित कर देना चाहिये। वैसे तकनिशियन/पैथोलोजिकल तकनिशियन/रेडिओग्राफर जो ग्रेड-'डी' में लगातार १० वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं परन्तु वे निर्धारित योग्यता हासिल करने में अक्षम हैं वे ग्रेड-'सी' में प्रोमोशन के लिये योग्य हो जायंगे बशर्ते कि कम्पनी द्वारा संचालित परीक्षा/जाँच में सफल हो जाँय। यह भी सिफारिश की जाती है कि भविष्य में ग्रेड-'डी' में कोई तकनिशियन की बहाली नहीं होगी। तकनिशियन/पैथोलोजिकल तकनिशियन/रेडियोग्राफर सिर्फ ग्रेड-'सी' में ही बहाल किये जायंगे।

———

पैरा मेडिकल स्टाफ
(कम्पाउण्डर/फार्मासिस्ट)

परिशिष्ट-'ए-७'

क्रम सं०	पदनाम	ग्रेड तथा वेतनमान	निम्नतम शैक्षणिक योग्यता	कर्मचारी जो प्रोमोशन हेतु चयन के लिये विचारार्थ उपयुक्त होंगे	विभागीय अभ्यर्थियों द्वारा वांछित योग्यता तथा अनुभव जिससे पद हेतु चयन के लिये विचार किया जा सके
१	२	३	४	५	६
१.	कम्पाउण्डर (अनक्वालिफायड)	'ई' रु० ४६०-१६-६५२	सिर्फ वर्त्तमान कार्यरत कर्मचारी ।		
२.	कम्पाउण्डर (क्वालिफायड)	'डी' रु० ५०८-२३-६९२-२८-८६०	अ) मैट्रिक पास हो, मान्यता प्राप्त इन्स्टीच्यूट से फार्मासिस्ट परीक्षा पास हो + मान्यता प्राप्त इन्स्टीच्यूट में २ वर्ष का कार्यानुभव ।		
			ब) मैट्रिक, + ३ वर्ष डिप्लोमा + ३ वर्ष कार्य का प्रत्यक्ष अनुभव	नया बहाली के लिये	
३.	सिनियर कम्पाउण्डर	'सी' रु० ५७२-२९-८०४-३४-१००८	उपरोक्त क्रमांक २ के (अ) और (ब) जैसा ही	अ) १० वर्ष का अनुभव ब) ५ वर्ष का अनुभव	सिनियरिटी एरिया आधार पर डी. पी. सी. द्वारा
४.	सिनियर फार्मासिस्ट	'बी' रु० ६४०-३५-९२०-४०-११६०	उपरोक्त क्रमांक २ के (ब) जैसा ही	ग्रेड-'सी' में पांच वर्ष का अनुभव	सिनियरिटी कम्पनी स्तर पर डी. पी. सी. के द्वारा
५.	चीफ फार्मासिस्ट	'ए' रु० ७२२-४२-१०५८-४४-१२७८	—	—	—वही—

नोट : (अ) सभी कम्पाउण्डर (क्वालिफायड/सिनियर कम्पाउण्डर/सिनियर फार्मासिस्ट राज्य के मेडिकल कौंसिल से निश्चित पंजीकृत हों ।

(ब) ग्रेड-'बी' में सिनियर फार्मासिस्ट के पद का सृजन किया जायगा—जहाँ एरिया/रिजनल/सेन्ट्रल मेडिकल स्टोर्स उनके द्वारा खोला जाना है और फार्मासिस्ट के काम के अलावा करेंगे । रिजनल और सेन्ट्रल अस्पतालों में ग्रेड-'बी' एवं 'ए' के सिनियर फार्मासिस्ट और चीफ फार्मासिस्ट कार्यरत रहेंगे ।

पैरा मेडिकल स्टाफ
(ड्रेसर, ओ. टी. असिस्टेंट)

परिशिष्ट-ए-८

क्रम सं०	पदनाम	ग्रेड तथा वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक/तकनिकी योग्यता	प्रोमोशन हेतु पात्रता	प्रोमोशन का जरिया
१	२	३	४	५	६
१.	ट्रेनी ड्रेसर	कैट.-१ वर्त्तमान वेतन	प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण-पत्र, मैट्रिक पास वांछनीय	—	दक्षता जाँच/ चयन
२.	ड्रेसर	ग्रेड-'एच' रु० ४०४-९-५१२	कम्पनी अस्पताल/ मान्यता प्राप्त इन्स्टीच्यूट से एक वर्ष प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र	—	साक्षात्कार/चयन
३.	सिनियर ड्रेसर	ग्रेड-'जी' रु० ४१५-१०-५३५	—वही—	ग्रेड-एच में ५ वर्षों का अनुभव	एरिया स्तर पर सिनियरिटी । डी पी. सी. द्वारा

१	२	३	४	५	६
४.	आपरेशन थियेटर असिस्टेंट	ग्रेड-ई रु० ४६०-१६-६५२	क) मैट्रिक पास तथा किसी मान्यता प्राप्त इन्स्टीच्यूट/अस्पताल में ओ. टी. असिस्टेंट के रूप में प्रशिक्षण एवं ३ वर्ष का अनुभव ख) सिनियर ड्रेसर में १० वर्षों का ग्रेड-'डी' में अनुभव एवं मैट्रिक पास ।	—	साक्षात्कार/चयन
५.	सिनियर आपरेशन थियेटर असिस्टेंट	ग्रेड-'डी' रु० ५०८-२३-६९२-२८-८६०	मैट्रिक पास एवं किसी मान्यता प्राप्त इन्स्टीच्यूट/अस्पताल में ओ. टी. असिस्टेंट में प्रशिक्षण	ग्रेड-'ई' में ओ. टी. असिस्टेंट के रूप में ८ वर्षों का अनुभव ।	साक्षात्कार/योग्यता जाँच । कम्पनी स्तर पर सिनियरिटी ।

द्रष्टव्य : रिजनल/केन्द्रीय अस्पतालों में जहाँ नियमित रूप से आपरेशन थियेटर कार्यरत है वहाँ ग्रेड-'डी' में सिनियर ओ. टी. असिस्टेंट का पद कार्यकारी होगा ।

पैरा मेडिकल स्टाफ
(वार्ड ब्वाय/मिडवाइफ)

परिशिष्ट-ए-६

क्रम सं०	पदनाम	ग्रेड तथा वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक/तकनिकी योग्यता	प्रोमोशन हेतु पात्रता	प्रोमोशन का तरीका
१	२	३	४	५	६
१.	ट्रेनिंग वार्ड ब्वाय/आया/मिडवाइफ (अनक्वालिफाइड)	कैट.-१ रु० १५.००-०.२६-१८.१२	क) साक्षर होना चाहिये ख) अपने कार्य में रूचि हो । ।	—	—
२.	वार्ड ब्वाय/मिडवाइफ/दाई/आया	ग्रेड-'एच' रु० ४०४-९-५१२	साक्षर हो कम्पनी अस्पताल में एक वर्ष का प्रशिक्षण	—	अस्पताल/इकाई स्तर पर सिनियरिटी साक्षात्कार/डी. पी. सी. द्वारा ।

१	२	३	४	५	६
३.	सिनियर वार्ड ब्वाय/ आया/मिडवाइफ	ग्रेड-'जी' रु० ४१५-१०-५३५	साक्षर हो, कम्पनी अस्पताल में एक वर्ष का प्रशिक्षण ।	ग्रेड-एच में ८ वर्षों का अनुभव	क्षेत्रीय स्तर पर सिनियरिटी/ साक्षात्कार डी. पी. सी.

द्रष्टव्य : कुल ग्रेड 'एच' के पदों से सिर्फ २० प्रतिशत पद उच्च ग्रेड-'जी' में कार्यरत रहेंगे जैसे सिनियर वार्ड ब्वाय/आया/ मिडवाइफ ।

पैरा मेडिकल स्टाफ
(नर्सिंग स्टाफ)

परिशिष्ट-ए-१०

क्रम सं०	पदनाम	ग्रेड तथा वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक/तकनिकी योग्यता	प्रोमोशन हेतु पात्रता	प्रोमोशन का जरिया
१	२	३	४	५	६
१.	जुनियर नर्स (क्वालिफायड/आक्जीलियरी नर्स/मिडवाइफ (क्वालिफायड)	तक. ग्रेड-'डी' रु० ५०८-२३-६९२-२८-८६०	क) जुनियर नर्सिंग एवं मिडवाइफरी प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र । ख) एक वर्ष का अनुभव	—	—
२.	स्टाफ नर्स	तक. ग्रेड-'सी' रु० ५७२-२९-८०४-३४-१००८	क) मैट्रिक साथ में 'ए' ग्रेड नर्सिंग प्रमाण-पत्र तथा किसी मान्यता प्राप्त इन्स्टीच्यूट में एक वर्ष का कार्य अनुभव । ख) उपरोक्त क्रम सं० १ के (क) और (ख) जैसा हो ग्रेड-डी में ८ वर्षों का कार्य अनुभव ।	—	विभिन्न श्रेणी के नर्सों का १०/२०/३२/५०/१०० विस्तर वाले अस्पतालों में पदस्थापन बाद में एक सब-कमिटी की अनुशंशा पर किया जायगा ।

१	२	३	४	५	६
३.	सिनियर स्टाफ नर्स	तक. ग्रेड-'बी' रु० ६४०-३५-९२०-४०-११६०	उपरोक्त क्रमांक २ के (क) जैसा ही	ग्रेड-'सी' में ५ वर्षों का अनुभव	—
४.	सिस्टर इनचार्ज/मैट्रन	तक. ग्रेड-'ए' रु० ७२२-४२-१०५८-४४-१२७८	क) उपरोक्त क्रमांक २ के (क) जैसा ही		
			ख) मान्यता प्राप्त इन्स्टीच्यूट से नर्सिंग प्रशासन में प्रमाण-पत्र	ग्रेड-'बी' में ५ वर्षों का अनुभव	

———

क्रियान्वयन आदेश संख्या—३४

संख्या : जे. बी. सी. सी. आई./आई. आर./९४/आई. एम. पी./९८६

नवम्बर ६, १९८०

विषय : १. सेंड पप्टून

२. रविवार काम के लिये भुगतान
(साप्ताहिक अवकाश दिन)

इसके साथ उपरोक्त विषयों पर स्टैंडरडाइजेशन कमिटी की २३ जुलाई, १९८० को हुए बैठक में लिये निर्णयों के रेकार्ड नोट जिसे जे. बी. सी. सी. आई. की ३ एवं ४ नवम्बर १९८० की बैठक द्वारा स्वीकृत किया गया उसे भेजा जा रहा है। ये निर्णय स्व-स्पष्ट हैं।

प्रबन्धनों से इन्हें लागू करने हेतु अनुरोध किया गया है।

———

स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की कलकत्ता में २३-७-८० को हुए बैठक में लिये गये निर्णय

१. **सैण्ड पन्टून :**

वेतन मंडल (वेज बोर्ड) में "सैण्ड पन्टून खलासी" कैटेगरी-३ में हैं। उनका कार्य-विवरण निम्न प्रकार है :

"एक श्रमिक जो स्टोइंग के लिये बालू पम्प करने हेतु नदी पर तैरते पन्टून (नाव या पीपे का पुल) पर रखे बालू खींचने वाले पम्प तथा अन्य मशीनों को चलाता है। बालू और पानी का बहाव ठीक रखने के लिये आवश्यकतानुसार पन्टून को इधर-उधर करने की जिम्मेवारी उसी की होगी।"

यूनियन प्रतिनिधियों द्वारा यह सवाल उठाया गया कि पन्टून खलासी को एक से अधिक पम्प चलाना पड़ता है। इसलिये पम्प खलासी के लिये निर्धारित कैटेगरी से वे एक कैटेगरी अधिक के लिये हकदार हैं।

वार्त्तालाप के बाद यह समझौता हुआ कि जहाँ कहीं भी सैण्ड पन्टून खलासी को वास्तविक रूप से एक से अधिक पम्प चलाना पड़ता है उन्हें पम्प खलासी हेतु निर्धारित कैटेगरी से एक कैटेगरी ऊंचा मिलना चाहिये। पन्टून खलासी को पम्प खलासी के सबसे बड़े पम्प के बराबर का पम्प चलाना पड़ता है।

———

रविवार (साप्ताहिक अवकाश दिन) के दिन काम के लिये भुगतान

यूनियन प्रतिनिधियों ने उल्लेख किया कि कुछ कोलियरियों में रविवार काम के लिये भुगतान करने हेतु अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स को हिसाब में नहीं जोड़ा जाता, यद्यपि अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स को ओभर टाइम भुगतान हेतु भी मजदूरी माना गया है।

वार्त्तालाप के उपरान्त यह राजीनामा हुआ कि रविवार काम के लिये, जहाँ अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स का भुगतान होता है उसे मिलाकर सामान्य मजदूरी का दूना भुगतान किया जायगा। इसके लिये इसे माइन्स एक्ट में ओवरटाइम माना जाता है या नहीं इसका विचार किये बिना ही अर्थात् सप्ताह में कुल काम का घंटा ४८ घंटा काम से अधिक होता है या नहीं।

———

क्रियान्वयन आदेश संख्या—३५

संख्या : जे. बी. सी. सी. आई./आई. आर./९४/आई. एम. पी./९८८
६ नवम्बर, १९८०

विषय : **पारा मेडिकल स्टाफ (सैनिटेशन) के लिये कैडर योजना/ प्रोन्नति के नियम ।**

प्रोमोशन पॉलिसी कमिटी ने पारा मेडिकल स्टाफ (सैनिटेशन) के सम्बन्ध में अपना सर्वसम्मत प्रतिवेदन दिया है जो स्व-स्पष्ट है और इसके साथ दिया जा रहा है ।

जे. बी. सी. सी. आई. की ३ एवं ४ नवम्बर, १९८० को हुए बैठक में प्रोमोशन पॉलिसी कमिटी के इस सम्बन्ध में लिये गये निर्णय को मंजूरी दी गई । प्रबन्धन से इन्हें लागू करने हेतु अनुरोध किया गया है ।

यह, क्रियान्वयन आदेश संख्या-३३ जो पारा मेडिकल स्टाफ के कैडर योजना संख्या-६ परिशिष्ट-६ का एक अंश होगा, जो जे. बी. सी. सी. आई. के सदस्य सचिव द्वारा परिपत्र संख्या जे. बी. सी. सी. आई./आई. आर./ ९४/आई. एम. पी./६९७ दि० २२ जून, १९८० के तहत प्रसारित किया गया है ।

इस काडर योजना के लागू हो जाने पर इस विषय पर अब तक जारी किये गये सभी वर्त्तमान कार्यकारी आदेश व निर्देश रद्द हुआ समझा जायगा ।

———

पारा मेडिकल स्टाफ
(सेनिटेशन)

क्रम सं०	पदनाम	वेतनमान/कैटेगरी	निम्नतम शैक्षणिक/तकनिकी योग्यता	प्रोमोशन हेतु पात्रता	प्रोमोशन का जरिया
१	२	३	४	५	६
१.	स्वीपिंग मजदूर/स्वीपर	कैट.-१ रु० १५.००-०.२६-१५.१२	—	—	—
२.	स्वीपर (मैला हटानेवाला)	कैट.-२ रु० १५.४०-०.३४-१६.४८	—	—	—
३.	स्वीपर मेट/ सेनिटरी जमादार	कैट.-३ रु० १६.३५-०.४२-२१.३६	दूसरों के कार्यों की देखभाल (सुपरवाइज) करने की योग्यता	कैटेगरी-१ अथवा डी. पी. सी. कैटेगरी-२ अथवा दोनों मिलाकर ५ वर्षों का अनुभव	

१	२	३	४	५	६
४.	जुनियर सेनिटरी इन्सपेक्टर (क्वालिफायड)	तकनिकी-डी रु० ५०८-२३-६९२-२८-८६०	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय इन्स्टीच्यूट से मैट्रिक अथवा समकक्ष योग्यता । क्वालिफायड सेनिटरी इन्सपेक्टर (एस. आई. डिप्लोमा कोर्स) किसी मान्यता प्राप्त सरकारी इन्स्टीच्यूट से साथ में एक वर्ष का कार्यानुभव होना आवश्यक ।	१) सीधा बहाली वालों को स्वतः तकनिकी ग्रेड-'सी' में पदस्थापित किया जायगा एवं नियुक्ति के दिन से दो वर्ष पूरा होने पर सिनियर सेनिटरी इन्सपेक्टर के रूप में पदनामित किया जायगा । २) वर्त्तमान सेनिटरी इन्सपेक्टर (अन-क्वालिफायड)	

१	२	३	४	५	६
				जो उपरोक्त प्रावधान के मुताबिक प्रोमोशन के लिये योग्य नहीं होंगे और जो क्लरिकल ग्रेड में हैं और जिन्होंने इस प्रकार कम-से-कम दस वर्ष कार्य किया है वे ग्रेड-'डी' में पदस्थापित किये जायंगे और वे अपना पूर्व कार्य करते रहेंगे जो उनका व्यक्तिगत होगा ।	
५.	सेनिटरी इन्सपेक्टर (क्वालिफायड)	तक.-'सी' रु० ५७२-२९-८०४-३४-१००८	—वही—	—वही—	

१	२	३	४	५	६
६.	सिनियर सेनिटरी इन्सपेक्टर (क्वालिफायड)	तक.-'डी' रु० ६४०-३५-९२०-४०-११६०	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा इन्स्टीच्यूट से मैट्रिक अथवा समकक्ष योग्यता। किसी मान्यता प्राप्त सरकारी इन्स्टीच्यूट से योग्यता प्राप्त सेनिटरी इन्सपेक्टर (एस आई. डिप्लोमा अथवा एस. आई. सर्टिफिकेट कोर्स) के साथ कम-से-कम एक वर्ष का कार्य अनुभव।	ग्रेड-सी में सेनिटरी इन्सपेक्टर के रूप में १० वर्षों का अनुभव	

कार्य-विवरण :

१) स्वीपर मेट / सेनिटरी जमादार — गैंग स्वीपरों के कार्यों को सुपरवाइज करना जिन्हें नाला सफाई, ऐश पिट, रास्ता इत्यादि सफाई हेतु नियुक्त किया जाता है जिससे आवासीय कोलोनियों की सफाई एवं स्वच्छता ठीक रहे।

२) जुनियर सेनिटरी इन्सपेक्टर/ सेनिटरी इन्सपेक्टर/सिनियर सेनिटरी इन्सपेक्टर — (ए) इम्युनाइजेशन/भैक्सिनेसन ; (बी) जल सैम्पलिंग एवं जांच, जल आपूर्ति श्रोतों पर क्लोरीन मिश्रण ; (सी) स्वास्थ्य शिक्षा ; (डी) सामान्य स्वच्छता; (ई) सार्वजनिक पाखाना, ड्रेन (नाला) एवं पार्कों का रख-रखाव ; (एफ) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन एवं परिवार नियोजन कार्यक्रम ; (जी) कैम्प की स्वच्छता ; (एच) महामारी एवं जात्रा इत्यादि अवसरों पर विशेष ड्युटी ; (आई) उसके अधीन नियुक्त व्यक्तियों को कार्य में लगाना एवं उसकी देख-भाल करना (जैसे स्वीपर, मेट, जमादार, इत्यादि) ; (जे) अन्य तत्सम्बन्धी कार्य जो समय-समय पर उन्हें आवंटित किया जाय।

द्रष्टव्य : यह काडर योजना सं०-६ (पारा मेडिकल स्टाफ) जो क्रि० आ० सं०-३३ के तहत सदस्य सचिव, जे. बी. सी. सी. आई. द्वारा प्रसारित किया गया है का एक हिस्सा होगा।

सं० सी. आइ. एल./सी.-५ (डी)/२/५५१३४/५५८ दि० २४-६-१९८०

विषय : **कोल इण्डिया लिमिटेड को कोल माइन्स डिपोजिट लिंक्ड इन्स्योरेन्स स्कीम के क्रियान्वयन से छूट।**

भारत सरकार ने कोल इण्डिया लिमिटेड (जिसमें इसका मुख्यालय, इकाई एवं सहयोगी कम्पनियाँ शामिल हैं) को कोल माइन्स प्राविडेन्ट फण्ड एवं मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, १९४८ के सेक्सन ११सी के सब-सेक्सन (१) के तहत सरकारी अधिसूचना (नोटिफिकेशन) सं० १६(१)/८०—सी. एम. डब्लू. (पी. एफ.) दि० २-६-८० के द्वारा मंत्रालय पत्र सं० एफ १३(१)/८०—सी. एम. डब्लू. (पी. एफ.) दिनांक ३-६-८० के तहत पृष्ठांकित है के द्वारा १.१.७९ से छूट दिया है। लाइफ कवर स्कीम की प्रति जो कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है वह आपकी जानकारी एवं आवश्यक कारवाई हेतु संलग्न है।

उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित कुछ व्यावहारिक मुद्दों को यहाँ आपके निर्देश एवं त्वरित कारवाई हेतु दिया जा रहा है :—

१) यह लाइफ कवर स्कीम उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगा जो एन. सी. डब्लू. ए.-२ के अन्तर्गत आते हैं।

२) इस योजना का काफी प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिये एवं अंग्रेजी, हिन्दी एवं अन्य स्थानीय भाषा में प्रसारित किया जाना चाहिये।

३) इस स्कीम की प्रति सूचना पट्ट पर भी साटा जाना चाहिये एवं यूनियनों के बीच वितरित किया जाना चाहिये।

४) डी. एल. आई. प्रिमियम के भुगतान से सम्बन्धित प्रेषण एवं प्रशासनिक खर्च के भुगतानों को अविलम्ब रोक दिया जाय।

५) अब तक किये गये प्रिमियम के भुगतान की वापसी के सम्बन्ध में दावा पेश किया जाना चाहिये जिससे १-१-१९७९ एवं उसके बाद की अवधि के लिये मृतक के आश्रित को सी. एम. पी. एफ. कमिश्नर द्वारा वास्तविक भुगतान की बाद देकर दावा किया जाना चाहिये।

६) १-१-७९ को अथवा उसके बाद जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई है उनकी सूची बनाया जाना चाहिये एवं सी. एम. पी. एफ. कमिश्नर द्वारा मृतक कर्मचारी के आश्रित/नामित व्यक्ति को किये गये भुगतान का ब्यौरा सी. एम. पी. एफ. कमिश्नर से प्राप्त की जानी चाहिये। लाइफ कवर योजना के तहत भुगतान योग्य रकम एवं जिस रकम का भुगतान किया जा चुका है उसके अन्तर का बचा हुआ रकम सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा स्कीम के नियमानुसार ३१ जुलाई १९८० तक भुगतान कर दिया जाना चाहिये।

भविष्य में भुगतान के लिये तौर तरीका :—

७) भविष्य में लाइफ कवर के रकम के भुगतान के सम्बन्ध में क्षेत्रीय महाप्रबन्धक, विभाग के प्रमुख, सेन्ट्रल वर्कशाप के जेनरल सुपरिन्टेन्डेन्ट (जो किसी क्षेत्र के अंग के रूप में काम नहीं करते), कम्पनी के कार्मिक विभाग के प्रमुख एवं निदेशक (कार्मिक) सभी कम्पनी में सभी कर्मचारियों के लिये लाइफ कवर के रकम की मंजूरी देने हेतु अधिकृत होंगे।

८) कम्पनी मुख्यालय में कल्याण तथा/अथवा सामाजिक सुरक्षा योजना के प्रभारी अधिकारी इस योजना के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेंगे।

९) प्रत्येक कम्पनी के निदेशक (वित्त) एक तौर-तरीका स्थापित करेंगे जिससे यह सुनिश्चित हो कि भुगतान सही हो रहा है। प्रत्येक कम्पनी में एक जिम्मेवार अधिकारी के व्यक्तिगत जिम्मा में नामितों की सूची/नामित पत्र (नोमिनेशन फार्म) रखा जाना चाहिये।

१०) लाइफ कवर योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में एक विस्तृत मासिक रिपोर्ट प्रत्येक कलेण्डर महीना के अन्त में कोल इण्डिया (मुख्यालय को भेज दिया जाना चाहिये जिससे वह अगले महीना की ७ तारीख को वहाँ पहुंच आय।

प्रबन्धनों से इस परिपत्र की प्राप्ति स्वीकार भेजने एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।

———

कोल इण्डिया लिमिटेड

डिपोजिट लिंक्ड इन्स्योरेन्स स्कीम, १९७६ के सन्दर्भ में लाइफ कवर स्कीम

लाइफ कवर स्कीम (योजना) का फैलाव :

यह स्कीम कोल इण्डिया लिमिटेड के कर्मचारियों, जो इसके प्रधान कार्यालय, इकाई एवं सहायक कम्पनियाँ जैसे ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं सेन्ट्रल इञ्जीनियरिंग माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड में नियोजित हैं, और जो राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के अधीन आते हैं और जो किसी भी अंशदायी प्रोविडेन्ट फण्ड जैसे कोल माइन्स प्रोविडेन्ट फण्ड, इम्प्लाइज प्रोविडेन्ट फण्ड, सेन्ट्रल कोलफील्ड लिमिटेड प्रोविडेन्ट फण्ड अथवा कोल माइन्स औथोरिटी लिमिटेड प्रोविडेन्ट फण्ड के सदस्य हैं बशर्ते कि वे किसी भी पेंशन स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं, वे सभी इस स्कीम के तहत आयेंगे ।

इस स्कीम को 'कोल इण्डिया लिमिटेड की लाइफ कवर स्कीम' के नाम से पुकारा जायगा और वह उस दिन से लागू होगा जिस दिन से भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हो जाय । अथवा सम्बन्धित डिपोजिट लिंक्ड इन्स्योरेन्स स्कीम के तहत जिस दिन से छूट मिला हो । (याने १-१-१९७९ से)

स्कीम की लागत :

इस स्कीम के तहत देय खर्च कोल इण्डिया लिमिटेड अथवा इसकी सहायक कम्पनियाँ जो भी हो, के जिम्मे होगा तथा इस बात पर निर्भर करेगा कि मृत्यु के समय मृतक कर्मचारी किस कम्पनी के अधीन काम करता था । कर्मचारियों को स्कीम की लागत के लिये न तो कोई अंशदान ही करना होगा और न कोई प्रिमियम देना पड़ेगा ।

परिभाषाएँ :

२. इन नियमावलियों में, जहाँ भी सन्दर्भ ऐसा लागू हो पुलिंग के साथ-साथ स्त्रीलिंग और एक वचन के साथ बहुवचन भी सम्मिलित होगा और निम्नलिखित शब्दों तथा उद्धरणों, यदि सन्दर्भ के विपरीत न हों तो, उनका अर्थ निम्न प्रकार होगा :

(क) "कम्पनी" का अर्थ कोल इण्डिया लिमिटेड होगा, और इसमें इसका मुख्यालय, इकाईयाँ तथा सहायक कम्पनियाँ शामिल होंगी ।

(ख) "नियोजक" का अर्थ कम्पनी होगा, जैसा कि उपरोक्त (क) में वर्णित है ।

(ग) "स्कीम" का अर्थ "कोल इण्डिया लिमिटेड का लाइफ कवर स्कीम" होगा ।

(घ) "प्रोविडेन्ट फण्ड" का अर्थ सम्बन्धित कानूनों (अधिनियमों) के तहत स्थापित अंशदायी प्रोविडेन्ट फण्ड, जैसे कि इम्प्लाइज प्रोविडेन्ट फण्ड एण्ड मिसलेनियस प्रोभिजन्स एक्ट १९५२ एवं कोल माइन्स प्रोविडेन्ट फण्ड एण्ड मिसलेनियत प्रोभिजन्स एक्ट १९५२ ।

(ङ) नियमावलियों" का अर्थ स्कीम की नियमावलियाँ होंगी जो यहाँ दी जा रही हैं और जैसा समय-समय पर संशोधित की जाय ।

(च) "सदस्य" का अर्थ एक कर्मचारी जो कोल इण्डिया लिमिटेड अथवा इसकी सहायक कम्पनियों, जो इस स्कीम के अन्तर्गत आते हैं और जो इसके सदस्य बनाये गये हैं और जिनके जीवन पर (आधारित) स्कीम नियमावलियों के अनुसार एक लाइफ कवर चालू किया गया है ।

(छ) "लाइफ कवर" का अर्थ लाइफ कवर रकम से होगा जो सदस्य के जीवन पर लागू होगा ।

(ज) "नामित व्यक्ति (नोमिनी)" का अर्थ वह व्यक्ति या उन व्यक्तियों से होगा जो सम्बन्धित प्रोविडेन्ट फण्ड स्कीम के तहत उसके मृत्यु हो जाने पर उसका लाभ प्राप्त करने हेतु नामित किया गया हो, बशर्ते कि सम्बन्धित प्रोविडेन्ट फण्ड स्कीम के तहत वैध नोमिनेशन (नोमिनेशन) विद्यमान नहीं हो, ग्रैच्युटी भुगतान एक्ट के तहत नामांकन (नोमिनेशन) वैध हो ।

(झ) "लागू की तारीख" वह दिन होगा जिस दिन से भारत सरकार इसे लागू करने की अनुमति प्रदान करती है/सम्बन्धित डी. एल. आई. (डेथ लिंक्ड इन्स्योरेन्स) के तहत छूट प्रदान करती है ।

३. पात्रता :

(अ) निम्नलिखित कैटेगरी के श्रमिक इस स्कीम के सदस्य होने के पात्र होंगे :

सभी कर्मचारी जो कोल माइन्स प्रोविडेन्ट फण्ड (सी एम. पी. एफ), इम्प्लाइज प्रोविडेन्ट फण्ड (ई. पी. एफ)/सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड प्रोविडेन्ट फण्ड (सी.सी.एल.पी.एफ.)/ कोल माइन्स औथोरिटी लिमिटेड प्रोविडेन्ट फण्ड (सी.एम.ए. एल.पी.एफ) के सदस्य के रूप में भर्ती किये गये हैं ।

वर्तमान कर्मचारी जो लागू होने के दिन इस श्रेणी में आयेंगे तथा जो उपरोक्त वर्णित किसी भी प्रोविडेन्ट फण्ड स्कीम के सदस्य हैं वे स्वतः ही उस दिन से इस स्कीम के सदस्य हो जायेंगे । वे कर्मचारी जो लागू होने के दिन उपरोक्त श्रेणी में नहीं आते हैं वे उक्त किसी भी प्रोविडेन्ट फण्ड स्कीम के जिस दिन से सदस्य बनेंगे उसी दिन से इस स्कीम के सदस्य हो जायेंगे ।

भविष्य में आने वाले कर्मचारियों के लिये सेवा की शर्तों में एक यह शर्त भी होगा कि जिस दिन से वे उपरोक्त किसी भी प्रोविडेन्ट फण्ड स्कीम के सदस्य बनेंगे उसी दिन से इस स्कीम के भी सदस्य हो जायेंगे ।

(ब) डेपुटेशन में आने वाले कर्मचारी इस स्कीम के सदस्य नहीं हो सकेंगे ।

(स) स्कीम में निर्दिष्ट पात्रता की शर्तों को पूरा करने तक कोई भी सदस्य इस स्कीम की सदस्यता से पृथक नहीं हो पायेंगे ।

४. उम्र का प्रमाण :

यदि इस स्कीम के तहत प्रत्येक सदस्य के सम्बन्ध में उसके स्कीम में प्रवेश के समय उम्र प्रमाण-पत्र देने की आवश्यकता हो तो वह नियोजक द्वारा दिया जायगा ।

५. लाइफ कवर :

लाइफ कवर हेतु प्रति सदस्य के लिये ११,००० रु. (ग्यारह हजार रुपये) का रकम होगा ।

६. सेवा अवधि में मृत्यु होने से मिलनेवाला लाभ :

कोल इण्डिया लिमिटेड की सेवा की अवधि में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उस सदस्य के वारिश/वारिशों को ११,००० (ग्यारह हजार) रुपये का भुगतान किया जायगा ।

७. लाइफ कवर की समाप्ति :

निम्नलिखित में से किसी भी एक घटना के घटने से किसी सदस्य के लाइफ कवर की समाप्ति हो जायगी :—

(अ) किसी सदस्य के सामान्य स्थिति में रिटायर होने अथवा स्वैच्छिक रिटायर होने की स्थिति में ।

(ब) सदस्य द्वारा नियोजक की सेवा में नहीं रहने पर, अथवा

(स) किसी सदस्य के किसी भी कारण से सम्बन्धित प्रोविडेन्ट फण्ड स्कीम की सदस्यता से पृथक (च्युत) होने पर ।

८. प्रत्याशा अथवा भार पर प्रतिबन्ध :

इस स्कीम के तहत मिलने वाला लाभ एकान्त व्यक्तिगत है और निम्न प्रकार से निर्दिष्ट व्यक्ति (नोमिनेशन) के अलावा किसी भी प्रकार किसी दूसरे को पृष्ठांकित, बेचा अथवा अलग नहीं किया जा सकता है ।

९. लाइफ कवर के रकम का भुगतान किसे किया जायगा :

(क) सेवा की अवधि में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर सम्बन्धित प्रोविडेन्ट फण्ड स्कीम अथवा ग्रैच्युटी भुगतान कानून, जो भी हो, के तहत सदस्य द्वारा नियुक्त (नामित) किये गये व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को ११,००० (ग्यारह हजार) रुपये का भुगतान किया जायगा ।

(ख) यदि कोई व्यक्ति नियुक्त (नोमिनेट) नहीं किया गया हो अथवा वह उस लाभ के लिये आंशिक नियुक्ति (नोमिनेट) किया गया हो तो वह पूरी रकम अथवा उसका अंश जिसके लिये नोमिनेशन नहीं किया गया है तो सदस्य/सदस्या के परिवार के सदस्यों के बीच समान हिस्से में भुगतान किया जायगा :

बशर्ते कि वह हिस्सा निम्नलिखित को नहीं मिलेगा :

(अ) पुत्रों को, जो बालिग हो गये हैं,

(आ) मृतक पुत्र के पुत्रों को, जो बालिग हो गये हैं,

(इ) विवाहित पुत्रियों को, जिनके पति जीवित हैं,

(ई) मृतक पुत्र की विवाहित पुत्रियों को, जिनके पति जीवित हैं।

उपरोक्त (अ), (आ), (इ) तथा (ई) में उल्लिखित व्यक्तियों को छोड़कर यदि सदस्य के परिवार के अन्य कोई सदस्य हों।

बशर्ते आगे की मृतक पुत्र की विधवा अथवा विधवाओं एवं बच्चा/बच्चों का समान रूप से सिर्फ उतना हिस्सा ही मिलेगा जितना कि उसे जीवित होने पर तथा सदस्य की मृत्यु के समय बालिग होने पर मिलता।

(ग) जिस किसी मामले में धारा (क) तथा (ख) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं वहाँ सम्पूर्ण रकम उस व्यक्ति को दे दिया जायगा जो कानूनन उसके हकदार हैं।

स्पष्टीकरण : उपरोक्त पारा के उद्देश्य से किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद जन्म लिये उसके बच्चे को उसी प्रकार की सुविधा दी जायगी जिस प्रकार उसके जीवित अवस्था में जन्मे बच्चे को दी जाती है।

१०. लाइफ कवर के रकम में परिवर्त्तन :

इस स्कीम (योजना) के तहत मिलने वाले लाभ के परिमाण में उपयुक्त सरकारी प्राधिकार की अनुमति के बिना कोई कमी नहीं की जा सकती।

११. स्कीम में संशोधन अथवा उसकी समाप्ति :

कम्पनी किसी भी दिन से इस स्कीम को समाप्त करने अथवा उसके नियमों में तीन महीने की नोटिस (सूचना) देकर परिवर्त्तन करने के अधिकार को सुरक्षित रखती है, बशर्ते कि स्कीम की समाप्ति अथवा उसके नियमों में परिवर्त्तन, किसी उपयुक्त सरकारी प्राधिकार की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

१२. सामान्य :

कर्मचारियों को सी. एम. पी. एफ. / इम्प्लाइज डिपोजिट लिंक्ड इन्स्योरेन्स स्कीम, १९७६ के तहत दिये गये सुविधाओं के बदले मिलने वाले लाभों को इस स्कीम में समाविष्ट किया गया है। यह स्कीम तब तक लागू रहेगा जब तक कि कोई कर्मचारी उक्त सी. एम. पी. एफ./इम्प्लाइज डिपोजिट लिंक्ड इन्स्योरेन्स स्कीम, १९७६ के प्रावधानों से छूट नहीं मिल जाती तथा सम्बन्धित सरकारी प्राधिकार की पूर्व अनुमति लिये बिना न तो कोई परिवर्त्तन किया जा सकता है और न ही सदस्यता छोड़ी जा सकती है।

यदि किसी समय सी. एम. पी. एफ./इम्प्लाइज डिपोजिट लिंक्ड इन्स्योरेन्स स्कीम में मिलने वाले सुविधाओं में इस स्कीम से अधिक उदारतापूर्वक वृद्धि होती है तो कम्पनी भी सरकार से परामर्श करके इस स्कीम के तहत लाइफ कवर सुविधाओं में उपयुक्त सुधार करने की दिशा में कदम उठायेगी।

———

संदर्भ सं०सी-५सी/जे. बी. सी. सी. आई./लाइफ कवर/१०५८

३ दिसम्बर, १९८०

विषय : **एन. सी. डब्लू. ए.-२ की धारा १०.२.१ के तहत लाइफ कवर योजना का क्रियान्वयन।**

जे. बी. सी. सी. आई. की पिछली बैठकों में एन. सी. डब्लू. ए.-२ की धारा १०.२.१ की शर्तों के अनुसार कोल इण्डिया में लाइफ कवर योजना के क्रियान्वयन का प्रश्न विचारार्थ उठाया गया। लाइफ कवर योजना को नहीं लागू करने हेतु कुछ स्पष्टीकरण के लिये प्रतीक्षा करना बताया गया। यह ग्रैच्युटी एवं डी. एल. आई. के रकम की सीमा एवं किन कर्मचारियों को इसका भुगतान किया जाय, इससे सम्बन्धित था। जिन दो मुद्दों को उठाया गया था उसका स्पष्टीकरण नीचे दिया जाता है :—

१) जहाँ तक एन.सी डब्लू.ए.-२ के अनुसार भुगतान के परिमाण का सवाल है, कर्मचारी के नामित व्यक्ति को ग्रैच्युटी भुगतान एक्ट के तहत मिलने वाले भुगतान सहित २० महीना के वेतन (बेसिक जोड़ मंहगाई भत्ता) उस दर देय से होगा जो सदस्य की मृत्यु के तुरन्त पहले मिलता था, बशर्ते कि सामान्य ग्रैच्युटी के अतिरिक्त मिलने योग्य रकम ११०००) रु० से किसी भी हालत में कम नहीं होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि ग्रैच्युटी सहित लाइफ कवर योजना के भुगतान का रकम २० महीना के वेतन के बराबर होगा अथवा ग्रैच्युटी जोड़ ११०००) रु०, जो भी अधिक हो। आगे इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं रहे इसलिये ग्रैच्युटी हेतु पात्रता तथा लाइफ कवर योजना के तहत मिलने वाले रकम का एक ब्यौरा दिया जा रहा है।

२) इस योजना के विस्तार के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि लाइफ कवर योजना के अन्तर्गत वे सभी कर्मचारी आ जायंगे जो एन. सी. डब्लू. ए.-२ के तहत आते हैं और सी. एम. पी. एफ. (कोल माइन्स प्रोविडेन्ट फण्ड) अथवा कम्पनी के किसी भी अंशदायी प्रोविडेन्ट फण्ड योजना के सदस्य हैं। अतः एन. सी. डब्लू. ए.-२ के तहत उपरोक्त सभी कर्मचारियों के लिये लाइफ कवर योजना को क्रियान्वित करने हेतु राजीनामा हुआ।

———

एन. सी. डब्लू. ए.-२ की धारा १०.२.१ के अनुसार ग्रैच्युटी हेतु पात्रता एवं लाइफ कवर योजना के अधीन मिलने वाले रकम का ब्यौरा

उदाहरण :

बेसिक, निश्चित
मंहगाई भत्ता, परिवर्त्तनशील } १००० रु०
मंहगाई भत्ता एवं विशेष भत्ता

२० महीना का वेतन २००००) रु० होता है।

सेवा अवधि	ग्रैच्युटी की रकम रु०	लाइफ कवर की रकम रु०	कुल रकम रु०
१ वर्ष	५००	१९५००	२००००
२ ,,	१०००	१९०००	२००००
३ ,,	१५००	१८५००	२००००
४ ,,	२०००	१८०००	२००००
५ ,,	२५००	१७५००	२००००
१० ,,	५०००	१५०००	२००००
१५ ,,	७५००	१२५००	२००००
१६ ,,	८०००	१२०००	२००००
१७ ,,	८५००	११५००	२००००
१८ ,,	९०००	११०००	२००००
१९ ,,	९५००	११०००	२०५००
२० ,,	१००००	११०००	२१०००
२१ ,,	१०५००	११०००	२१५००
२२ ,,	११०००	११०००	२२०००
२३ ,,	११५००	११०००	२२५००
२४ ,,	१२०००	११०००	२३०००
२५ ,,	१२५००	११०००	२३५००
२६ ,,	१३०००	११०००	२४०००
२७ ,,	१३५००	११०००	२४५००

सेवा अवधि	ग्रैच्युटी की रकम	लाइफ कवर की रकम	कुल रकम
	रु०	रु०	रु०
२८ वर्ष	१४०००	११०००	२५०००
२९ ,,	१४५००	११०००	२५५००
३० ,,	१५०००	११०००	२६०००
३१ ,,	१६०००	११०००	२७०००
३२ ,,	१७०००	११०००	२८०००
३३ ,,	१८०००	११०००	२९०००
३४ ,,	१९०००	११०००	३००००
३५ ,,	२००००	११०००	३१०००

———

सं० सी-५सी/जे. बी. सी. सी. आई./लाइफ कवर/१११२

५ जनवरी, १९८१

विषय : **एन. सी. डब्लू. ए.-२ की धारा १० २.१ के अन्तर्गत लाइफ कवर योजना का क्रियान्वयन।**

एन. सी. डब्लू. ए.-२ की धारा १०.२.१ के तहत लाइफ कवर योजना की व्याख्या के सवाल पर जे. बी. सी. सी. आई. की १८वीं बैठक जो ३ एवं ४ नवम्बर, १९८० को हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में कोल इण्डिया लिमिटेड आवश्यक स्पष्टीकरण जारी करेगी।

तदनुसार कार्मिक विभाग के प्रमुख (कार्यकारी), कोल इण्डिया के परिपत्र सं० सी-५सी/जे. बी. सी. सी. आई. लाइफ कवर/१०५८ दि० ३ दिसम्बर, १९८० के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया, जिसकी एक प्रति जानकारी हेतु पिछले पृष्ठों में दी गई है।

———

सं० सी-५सी /जे. बी. सी. सी. आई/लाइफ कवर/१२७१

दि० १९-३-१९८१

विषय : एन. सी. डब्लू. ए.-२ की धारा १०.२.१ के तहत लाइफ कवर योजना का क्रियान्वयन।

उपरोक्त विषय पर जे. बी. सी. सी. आई. कार्यालय के पत्र सं० सी-५सी/जे. बी. सी. सी. आई./लाइफ कवर १०५८ दिनाँक ३ दिसम्बर, १९८० पर ध्यान आकृष्ट किया गया है। उक्त पत्र के साथ संलग्न लाइफ कवर योजना के तहत रकम एवं ग्रैच्युटी की पात्रता से सम्बन्धित जो ब्यौरा दिया गया था उसके कुल रकम वाले कालम में कुछ टाइपिंग की अशुद्धियाँ देखी गयी है जो २२ से २७ वर्ष की सेवाओं से सम्बन्धित है। संशोधित ब्यौरा आवश्यक जानकारी एवं कारवाई हेतु यहाँ दी जा रही है।

एन. सी. डब्लू. ए.-२ की धारा १०.२.१ के अनुसार ग्रैच्युटी हेतु पात्रता एवं लाइफ कवर योजना के अधीन मिलने वाले रकम का ब्यौरा

उदाहरण :

बेसिक, निश्चित मंहगाई भत्ता, परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता एवं विशेष भत्ता } १००० रु० — २० महीना का वेतन २०००) रु० होता है।

सेवा अवधि	ग्रैच्युटी की रकम रु०	लाइफ कवर की रकम रु०	कुल रकम रु०
१ वर्ष	५००	१९५००	२००००
२ ,,	१०००	१९०००	२००००
३ ,,	१५००	१८५००	२००००
४ ,,	२०००	१८०००	२००००
५ ,,	२५००	१७५००	२००००
१० ,,	५०००	१५०००	२००००
१५ ,,	७५००	१२५००	२००००
१६ ,,	८०००	१२०००	२००००
१७ ,,	८५००	११५००	२००००
१८ ,,	९०००	११०००	२००००
१९ ,,	९५००	११०००	२०५००
२० ,,	१००००	११०००	२१०००
२१ ,,	१०५००	११०००	२१५००
२२ ,,	११०००	११०००	२२०००
२३ ,,	११५००	११०००	२२५००
२४ ,,	१२०००	११०००	२३०००
२५ ,,	१२५००	११०००	२३५००
२६ ,,	१३०००	११०००	२४०००
२७ ,,	१३५००	११०००	२४५००

सेवा अवधि	ग्रैच्युटी की रकम	लाइफ कवर की रकम	कुल रकम
	रु०	रु०	रु०
२८ वर्ष	१४०००	११०००	२५०००
२९ ,,	१४५००	११०००	२५५००
३० ,,	१५०००	११०००	२६०००
३१ ,,	१६०००	११०००	२७०००
३२ ,,	१७०००	११०००	२८०००
३३ ,,	१८०००	११०००	२९०००
३४ ,,	१९०००	११०००	३००००
३५ ,,	२००००	११०००	३१०००

सं० सी-५सी/जे. बी. सी. सी. आई./एल. सी. एस./१४९५

दि० १८ सितम्बर, १९८१

विषय : **एन. सी. डब्लू. ए.-२ की धारा १०.२.१ के अनुसार डिपॉजिट लिंक्ड इन्स्योरेन्स योजना के बदले कोल इण्डिया द्वारा प्रस्तुत लाइफ कवर योजना।**

संदर्भ : **जे. बी. सी. सी. आई. कार्यालय पत्र सं० सी. आई. एल./सी-५-डी/२/५५१३४/५५८ दिनांक २४-६-८०।**

१. कई सहयोगी कम्पनियों से उपरोक्त योजना के अन्तर्गत जहाँ किसी को नामित (नोमिनेशन) नहीं किया गया है अथवा वह अयोग्य हो गया है उसके सम्बन्ध में लाइफ कवर के भुगतान के रकम से सम्बन्धित सवाल पूछे गये हैं।

२. उपरोक्त संदर्भित पत्र के साथ जो लाइफ कवर योजना प्रसारित किया गया है उसमें "नोमिनी" को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है।

२(८) : "नोमिनी" का अर्थ वह व्यक्ति या व्यक्ति समूह जिसे सदस्य की मृत्यु होने पर उसके भविष्य निधि योजना से मिलने वाले लाभ को प्राप्त करने हेतु नामित किया गया हो।

३. धारा ९ में "किस व्यक्ति को लाइफ कवर की रकम का भुगतान किया जायगा" इसकी व्याख्या है। इस धारा में 'परिवार' के जो सदस्य पाने के हकदार नहीं होंगे उसका ब्यौरा है और 'परिवार' की परिभाषा नहीं दी गयी है।

४. उठाये गये मुद्दों की जाँच की गई और यह निर्णय किया गया कि जो योजना पहले से ही प्रसारित की जा चुकी है उसमें निम्नलिखित को और जोड़ दिया जाय तथा आवश्यक परिवर्त्तन कर दिया जाय जिससे आवश्यक स्पष्टीकरण हो जाय।

५.१ इस योजना की धारा २(८) को निम्न प्रकार से संशोधित कर लिया जायगा :—

"नोमिनी (नामित व्यक्ति) का अर्थ वह व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह होगा जो सम्बन्धित भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत सदस्य की मृत्यु की हालत में उसके लाभ को पाने का हकदार होगा/ होंगे। बशर्ते कि सम्बन्धित भविष्य निधि योजना में कोई वैध नोमिनेशन नहीं हो तो ग्रैच्युटी भुगतान एक्ट के अन्तर्गत किया गया नामांकन (नोमिनेशन) वैध होगा।

५.२ वर्त्तमान धारा ८ के साथ एक नई धारा ८ए जोड़ा जायगा जो निम्न प्रकार है :—

८ए परिवार का अर्थ :—

५.२ (क) पुरुष सदस्य होने की अवस्था में, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, चाहे शादी-शुदा हों या अविवाहित, उसके आश्रित अभिभावक एवं उसके मृतक पुत्र की विधवा तथा बच्चे।

वशर्ते कि यदि सदस्य यह साबित करे कि उसको संचालित करने वाले व्यक्तिगत कानून अथवा जिस समुदाय से वे आते हैं उसमें लागू प्रचलन के अनुसार उसकी पत्नी अब सदस्य के परिवार की मानी जायगी क्योंकि वह परवरिश पाने की हकदार हो गयी हैं यद्यपि यदि सदस्य अपने नियोक्ता को लिखत रूप से इस आशय की सूचना दे दे कि उसकी पत्नी को उसके परिवार का सदस्य समझा जाय तो वह यह लाभ पा सकेगी।

(ख) महिला सदस्य होने की स्थिति में उसका पति, उसके बच्चे—शादी-शुदा हों अथवा अविवाहित, उसके आश्रित माता-पिता (अभिभावक), उसके पति के आश्रित माता-पिता एवं उसके मृतक पुत्र की विधवा तथा बच्चे, वशर्ते कि यदि सदस्य अपने नियोक्ता को इस आशय की लिखित सूचना दे कि वह अपने पति

को परिवार से हटाना चाहती है तो उसके पति को उसके परिवार का सदस्य नहीं माना जायगा यद्यपि यदि सदस्य फिर से लिखित सूचना देकर पूर्व सूचना को रद्द कर दे तो वह इस योजना में सदस्य के परिवार का सदस्य माना जायगा।

व्याख्या : उपरोक्त दोनों मामलों से किसी में भी, यदि सदस्य का बच्चा (अथवा सदस्य के मृतक पुत्र का बच्चा जो भी हो) जिसे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा गोद ले लिया गया है और यदि गोद लेने वाले व्यक्ति के व्यक्तिगत कानून में यदि उक्त बच्चा का गोद लेना कानूनी मान्य है तो उस बच्चे को सदस्य के परिवार से बाद दिया गया समझा जायगा।"

५.३ धारा ६(१) : सम्बन्धित भविष्य निधि योजना शब्द के बाद "अथवा ग्रैच्युटी भुगतान कानून जो भी हो" जोड़ा जाय।

तदनुसार आवश्यक जोड़ तथा परिवर्त्तन जो भी हो किया जाय।

———

संख्या : सी-५सी/जे.बी.सी.सी.आई./आई.आर./९४/आई.एम.पी./११६७

२ फरवरी, १९८१

क्रियान्वयन आदेश संख्या—३६

विषय : **स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की ५ एवं ६ नवम्बर, १९८० तथा १७ जनवरी, १९८१ की बैठकों में लिये गये कई निर्णयों का क्रियान्वयन ।**

१.१ स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी अपने ५ व ६ नवम्बर, १९८० एवं १७ जनवरी, १९८१ को हुए बैठक में सब-कमिटी-'बी' की रिपोर्ट जो नये काम से सम्बन्धित था एवं उसके कैटेगराइजेशन तथा उसका कार्य-विवरण तैयार करना जहाँ वह अण्डरग्राउण्ड खदान में पुराने कार्यों के सम्बन्ध में नहीं बना था के कई सर्वसम्मत सिफारिशों पर चर्चा किया एवं उसे अनुमोदित किया ।

१.२ पदनामों की सूची, उनके कार्य-विवरण एवं सिफारिश की गई कैटेगरी जो स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी द्वारा अनुमोदित किया गया है उसे परिशिष्ट-'ए' में दिया जा रहा है ।

२.१ १७ जनवरी, १९८१ को हुए बैठक में, स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी ने खदान के एक्सकावेशन विभाग से सम्बन्धित ग्रेड, कार्य-विवरणों एवं पदनामों के सम्बन्ध में सब-कमिटी-'सी' की सर्वसम्मत सिफारिशों पर चर्चा किया एवं उसकी मंजूरी दी ।

२.२ उपरोक्त पदनामों की सूची, कार्य-विवरण एवं ग्रेड जैसा कि स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी द्वारा मंजूर किया गया वह परिशिष्ट'बी' में दिया जा रहा है ।

३.१ यह सूचित किया गया कि उक्त सिफारिशें कई खदानों में पहले से ही कार्यशील (क्रियान्वित) हैं । जहाँ वे कार्यशील नहीं हैं वहाँ उन्हें १ली अप्रील, १९८० से क्रियान्वित समझा जायगा ।

———

परिशिष्ट-'ए'

स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी द्वारा स्वीकृत अण्डरग्राउण्ड खदान में नये कार्य

क्रम संख्या	पदनाम	कार्य-विवरण	सिफारिश की गई मजदूरी
१.	साइड-डम्प-लोडर आपरेटर-ग्रेड-२	एक कुशल श्रमिक जो यंत्रों को चलाता है, और उसके काम की जानकारी उसे हैं जिससे छोटा-मोटा (मामूली) चालू रख-रखाव की जिम्मेवारी ले सके और ०.७५ क्यू० मी० से कम क्षमता वाले बकेट के लोडर को चलावे ।	कैटेगरी-६
२.	साइड-डम्प-लोडर हेल्पर	एक श्रमिक जो आपरेटर को मशीन के संचालन एवं रख-रखाव से सम्बन्धित सभी कार्यों में सहायता करता है ।	कैटेगरी-४
३.	लोड-हॉल-डम्पर ऑपरेटर ग्रेड-२	एक कुशल श्रमिक जो यंत्रों को चलाता है, उसके काम की जानकारी उसे है, जिससे छोटा-मोटा (मामूली) चालू रख-रखाव की जिम्मेवारी ले सके और ०.७५ क्यू० मी० से कम क्षमता वाले बकेट के लोडर को चलावे ।	कैटेगरी-६
४.	लोड-हॉल-डम्पर हेल्पर	एक श्रमिक जो आपरेटर को मशीन संचालन एवं रख-रखाव से सम्बन्धित सभी कार्यों में सहायता पहुँचाता है ।	कैटेगरी-४

क्रम संख्या	पदनाम	कार्य-विवरण	सिफारिश की गई मजदूरी
५.	रोड हेडर हेल्पर	एक श्रमिक जो आपरेटर को मशीन के संचालन एवं रख-रखाव से सम्बन्धित सभी कार्यों में सहायता पहुंचाता है।	कैटेगरी-४
६.	जुनियर साइन्टिफिक असिस्टेंट	एक योग्य (क्वालिफायड) व्यक्ति जो किसी वैज्ञानिक यंत्र को बैठाने, चलाने एवं उसकी देख-रेख करने में सक्षम है और उस यंत्र अथवा अन्य स्रोतों से वैज्ञानिक आंकड़ों का विश्लेषण कर सकता है। उसे विज्ञान में स्नातक होना चाहिये साथ-साथ खनन में एक वर्ष से अधिक का अनुभव रखता हो अथवा माइनिंग में डिप्लोमा होल्डर हो।	तकनिकी ग्रेड-'सी'
७.	सिनियर साइन्टिफिक असिस्टेंट	उपरोक्त की तरह ही, साथ ही सिनियर साइन्टिफिक असिस्टेंट को खनन में पाँच वर्ष का अनुभव हो एवं यंत्रों की मरम्मत, एडजस्टमेंट, कैलिब्रेटिंग में सक्षम हो।	तकनिकी ग्रेड-'बी'
८.	लांग होल ड्रिल आपरेटर	एक कुशल श्रमिक जो अण्डर-ग्राउण्ड में लांगहोल ड्रिलिंग मशीन को चलाता है, उसे बैठाता है तथा स्थानान्तरित (एक स्थान से दूसरे स्थान पर) करता है।	कैटेगरी-५

क्रम संख्या	पदनाम	कार्य-विवरण	सिफारिश की गई मजदूरी
९.	लांगहोल ड्रिल हेल्पर	एक श्रमिक जो मशीन आपरेटर को ड्राइंग के अनुसार मशीन बैठाने, उसे विस्तारित करने तथा एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में, साथ ही मशीन के संचालन से सम्बन्धित अन्य कार्यों में भी सहायता करता है।	कैटेगरी-३
१०.	टिम्बर ट्रिटमेंट प्लांट ऑपरेटर	एक कुशल श्रमिक जो प्लांट को चलाने तथा रख-रखाव के कार्यक्रम के अनुसार प्लांट को तथा उसके पूर्जों को चलाता है और इसके लिये वांछित सही चाप (प्रेसर) एवं सुरक्षा संसाधनों को ठीक रखता है। वह प्लांट को स्वच्छ तथा साफ सुथरा हालत में रखता है एवं प्लांट के लिये लौग-बुक (कार्य-पुस्तिका) को नियमित रखता है।	कैटेगरी-५
११.	टिम्बर ट्रिटमेंट प्लांट हेल्पर	एक श्रमिक जो प्लांट आपरेटर के निर्देशानुसार टिम्बर (लकड़ी) की बोझाई व खलास (अनलोड) करता है एवं उसका ढेर लगाता है साथ ही टिम्बर को ट्रिटमेंट के लिये उपयुक्त बनाता है। वह टिम्बर ट्रिटमेंट से सम्बन्धित सभी तरह का काम करता है। वह	कैटेगरी-२

क्रम संख्या	पदनाम	कार्य-विवरण	सिफारिश की गई मजदूरी
		कर्मचारी प्लांट को साफ-सुथरा रखने में ऑपरेटर की सहायता करता है।	
१२.	सिनियर रूफ बोल्टर	एक कुशल श्रमिक जो अपने साथ दिये गये क्रू के साथ सभी प्रकार के स्ट्राटा (परतों) में ड्रिल (छेद) करता है, खदान के सपोर्ट (सुरक्षा सहारा) के लिये रस्सी तथा अन्य अवयवों के साथ रूफ (चाल) बोल्ट, साइड (दीवाल) बोल्ट बैठाता है और अपने साथ दिये गये क्रू के कार्यों को नियंत्रित करता है। समय-समय पर उसे यह भी सुनिश्चित करना (देखना) पड़ता है कि सभी बोल्ट ठीक से लगा है तथा काम कर रहा है।	कैटेगरी-४
१३.	रूफ बोल्टिंग क्रू	एक श्रमिक जो खदान में सपोर्ट के लिये सभी प्रकार के परतों के रूफ (चाल) बोल्टिंग, साइड (दीवाल) बोल्टिंग तथा रूफ (चाल) स्टीचिंग के काम में लगा है। वे इस कार्य के लिये सभी सामानों, यंत्रों तथा अवयवों को ढोकर ले जाते हैं तथा इससे सम्बन्धित सभी कार्य-कलाप में मिस्त्री की सहायता करते हैं।	कैटेगरी-४

क्रम संख्या	पदनाम	कार्य-विवरण	सिफारिश की गई मजदूरी
१४.	सेन्ट्रल डिस्पैचर डेस्क आपरेटर ग्रेड-१	एक कुशल श्रमिक जो टेलीफोन संचार अथवा संकेतक द्वारा सूचना प्राप्त करता है और उसे अविलम्ब सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित कर देता है तथा प्राप्त निर्देशों को सम्बन्धित सुपरवाइजर/श्रमिक को बता देता है और इन सूचनाओं और निर्देशों को समुचित रेकार्ड रखता है। उसे इस प्रकार के यंत्रों पर कार्य करने का ५ वर्ष का अनुभव होना चाहिये और १५ प्वाइंट लाइन और उससे अधिक को नियंत्रित करता हो। उसे मैट्रिक तथा उसके समकक्ष होना चाहिये। (वर्त्तमान कैटेगरी ६ के श्रमिकों को तकनिकी एवं सुपरवाइजरी ग्रेड-'सी' में रखा जा सकता है।)	क्लरिकल ग्रेड-१
१५.	सेन्ट्रल डिस्पैचर डेस्क ऑपरेटर	ऊपर की तरह ही, परन्तु वह १५ प्वाइंट/लाइन से कम को नियंत्रित करने वाले यंत्रों को आपरेट करता है।	क्लरिकल ग्रेड-२

———

स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी द्वारा स्वीकृत एक्सकैवेशन की ग्रेडिंग एवं कार्य-विवरण इत्यादि

स्पेशल ग्रेड :

१) एक्सकैवेटर आपरेटर स्पेशल ग्रेड :

एक अति उच्च-कुशल श्रमिक जिसे बिजली/डीजल चालित ड्रैगलाइन/शॉवेल को आपरेट करने का कम-से-कम दस साल का अनुभव है। उसे उन मशीनों की यांत्रिकी और रख-रखाव तथा चालू मरम्मत का ज्ञान होना चाहिये। उसे ८ क्यू० मीटर और उससे अधिक के क्षमता वाले शॉवेल/ड्रैगलाइन को आपरेट करने की जानकारी होनी चाहिये। उसे ड्रैगलाइन/शॉवेल को सुरक्षित और सुदृढ़ स्तर पर निम्नतम (साइकिल) समय पर ऑपरेट करना चाहिये। उसे मशीनों को सुरक्षित और ठीक-ठाक रखना चाहिये तथा उसकी रख-रखाव और मरम्मत भी वह कर ले। उसे छोटे-मोटे मरम्मतों को ठीक कर लेना चाहिये तथा ऐसा रख-रखाव करे कि किसी भी प्रकार की खराबी को रोक सके।

ग्रुप-ए :

१) एक्सकैवेटर ऑपरेटर ग्रेड-१ :

एक अति कुशल श्रमिक जो बिजली/डीजल/ड्रैगलाइन/शॉवेल चलाने और उसके ऑपरेशन का कम-से-कम ७ वर्ष का अनुभव हो। उसे वैसे ड्रैगलाइन/शॉवेल के कम-से-कम ३.५ क्यू० मी० (घनमीटर) और उससे अधिक किन्तु ८ क्यू० मी० से कम क्षमता का चलाना होगा। इसके अलावा उसे उन मशीनों की यांत्रिकी का सामान्य ज्ञान होना चाहिये और छोटे-मोटे चालू मरम्मत को अपने से कर लेना चाहिये।

२) क्रेन ऑपरेटर ग्रेड-१ :

एक अति उच्च-कुशल श्रमिक जिसे हेभी ड्युटी मोबाइल क्रेन के आपरेशन और हैंडलिंग का कम-से-कम ७ वर्ष का अनुभव है। वह कम-से-कम ४० टन क्षमता वाले वैसे यंत्रों को ऑपरेट करेगा। इसके अतिरिक्त उसे उक्त मशीन के यांत्रिकी की सामान्य जानकारी होनी चाहिये तथा छोटा-मोटा चालू मरम्मत का काम कर सके।

३) एक्सकैवेशन प्लांट सिनियर मेकैनिक :

एक अति उच्च-कुशल श्रमिक जो शॉवेल/ड्रैगलाइन/डीजल इंजिन/यूक्लिड/ले-टोर्निओ/मैक डम्पर/ट्रैक्टर/डोजर इत्यादि के मरम्मत, रख-रखाव तथा ओभरहालिंग का कम-से-कम १० वर्षों का अनुभवी है। उसे सभी प्रकार के डीजल इंजन को खोलने, उसकी मरम्मत करने तथा उसकी पूरी सफाई करने की जानकारी होनी चाहिये। वह मशीनी दोष ढूंढ़ सके और उसे दूर कर सके। उसे स्वतंत्र रूप से इन कामों को हाथ में लेना चाहिये। उसे इतना पढ़ा-लिखा होना ही चाहिये कि मरम्मत तथा रख-रखाव के लिये लौग-बुक रख सके तथा स्पेयर पार्ट और मेंटनेन्स चार्टों को समझ सके।

ग्रुप-बी :

१) ड्रिल ऑपरेटर ग्रेड-१ :

एक कुशल श्रमिक जिसे हेभी ड्युटी रोटरी ब्लास्ट होल ड्रिल जो डाय (७.७/८") और उससे अधिक के आपरेशन एवं संचालन कम-से-कम पाँच वर्ष का अनुभव है। उस ड्रिल के यांत्रिकी का सामान्य ज्ञान होना चाहिये और वह छोटा-मोटा चालू मरम्मत का जिम्मा ले सके। उसे विभिन्न फार्मेशनों में व्यवहृत होने वाले बिटों के प्रकार की जानकारी होनी चाहिये।

२) ट्रैक्टर/डोजर ऑपरेटर ग्रेड-१ :

एक कुशल श्रमिक जो १५० एच. पी. से ऊपर का क्राडलर अथवा ह्वील टाइप डोजर चलाने और उस पर काम करने का कम-से कम

५ वर्षों का अनुभव रखता है। उसे ट्रैक्टर के यांत्रिकी का सामान्य ज्ञान होना चाहिये और वह छोटा-मोटा चालू मरम्मत का काम भी कर सके। उसके पास ट्रैक्टर चलाने का वैध लाइसेन्स होना चाहिये।

३) **एक्सकैवेटर ऑपरेटर ग्रेड-२ :**

एक कुशल श्रमिक जिसे बिजली/डीजल ड्रैगलाइन/शॉवेल चलाने और उस पर काम करने का कम-से-कम ४ वर्ष का अनुभव हो। वह वैसे यंत्रों जिसकी क्षमता २ क्यू० मीटर से कम नहीं हो और ३.५ क्यू० मीटर से कम हो को चलायगा। इसके अतिरिक्त उसे उस मशीन के यांत्रिकी का थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है और वह छोटा-मोटा चालू मरम्मत का काम कर सके।

४) **क्रेन ऑपरेटर ग्रेड-२ :**

एक कुशल श्रमिक जिसे २० टन से अधिक क्षमता वाले हेभी ड्युटी मोबाइल क्रेन चलाने और उस पर काम करने का कम-से-कम ४ वर्ष का अनुभव है। उसे उस मशीन की यांत्रिकी का सामान्य ज्ञान होना चाहिये और उसे छोटा-मोटा चालू मरम्मत अपने से कर लेना चाहिये।

५) **डम्पर ऑपरेटर ग्रेड-१ :**

एक कुशल श्रमिक जिसे यूक्लिड, मैक्स, ले-टोनिओ इत्यादि जैसी हेभी ड्युटी हाइवे डम्पर अथवा कोल हॉलर को चलाने का कम-से-कम पाँच वर्षों का अनुभव है। वह कम-से-कम २२ टन से ऊपर और ४५ टन से नीचे की क्षमता वाले वैसे यंत्रों को चलायगा। उसे उन मशीनों के यांत्रिकी की सामान्य जानकारी होनी चाहिये और वह छोटा-मोटा चालू मरम्मत भी कर सके। उसे हेभी ड्युटी गाड़ी चलाने का पृष्ठांकित वैध लाइसेन्सधारी होना चाहिये।

६) **ग्रेडर ऑपरेटर ग्रेड-१ :**

एक कुशल श्रमिक जिसे हेभी ड्युटी मोटर ग्रेडर चलाने और उस पर काम करने का कम-से-कम पाँच वर्ष का अनुभवी होना चाहिये।

उसे उस मशीन की यांत्रिकी का सामान्य ज्ञान होना चाहिये और छोटा-मोटा चालू मरम्मत का काम कर सके तथा उसका रख-रखाव करे। उसे सुपर इलेभेशन द्वारा रोड सर्फेस बनाने की भी जानकारी होनी चाहिये जिससे जब कभी आवश्यकता पड़े उसे बना सके। उसके पास हेभी ड्युटी गाड़ी अथवा ट्रैक्टर चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेन्स होना चाहिये।

७) **ई. पी. इलेक्ट्रिशियन ग्रेड-१ :**

एक अति कुशल श्रमिक जिसे हेभी ड्युटी एक्सकैवेशन यंत्रों की बिजली सम्बन्धी तौर-तरीकों के रख-रखाव और मरम्मत का कम-से-कम सात वर्षों का अनुभव हो। उसके पास एच. पी. परमिट जैसी न्यायिक (कानूनी) योग्यता हो और डायग्राम पढ़ने में सक्षम हो तथा वर्किंग सर्किट की पूरी जानकारी तथा सभी प्रकार के बिजली यंत्रों के बनावट तथा व्यवहार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिये। वह निम्नतम समय में दोषों को पकड़ सके तथा उसे दूर कर लेना चाहिये। विकल्प के रूप में उसके पास हेभी अर्थ मूभिंग मशीन पर ऑटो-इलेक्ट्रिशियन की हैसियत से काम करने का छः वर्षों का अनुभव होना चाहिये।

८) **ई. पी. फिटर-कम-मेकैनिक ग्रेड-१ :**

एक अति कुशल श्रमिक जिसे विभिन्न प्रकार के एक्सकैभेटिंग यंत्रों को एसेम्बली तथा सही फीटिंग के साथ-साथ उसके सामान्य रख-रखाव तथा मरम्मत करने का कम-से-कम सात वर्षों का अनुभव हो। उसे विभिन्न प्रकार के डीजल इंजिनों को खोलने, उसकी मरम्मत करने तथा उसके ओभरहालिंग की योग्यता होनी चाहिये। उसे मशीनी दोषों को पकड़ने तथा उसे ठीक करने की क्षमता होनी चाहिये। उसे सही माप के लिये यंत्रों को पढ़ने और उसके व्यवहार की योग्यता होनी चाहिये तथा स्वतंत्र रूप से मरम्मत का काम भी कर सके। उसे इतना पढ़ा-लिखा अवश्य ही होना चाहिये कि रख-रखाव तथा मरम्मत के लिये लौग-बुक रख सके और रख-रखाव के चित्रों को समझ सके।

९) **ई. पी. वेल्डर ग्रेड-१ :**

एक अति कुशल श्रमिक जिसे बिजली अथवा गैस उपकरणों द्वारा सभी प्रकार की कटिंग तथा वेल्डिंग का कम-से-कम आठ वर्षों का अनुभव हो। उसे सभी प्रकार के वेल्डिंग का काम स्वतंत्र रूप से करने की क्षमता हो तथा सही इलेक्ट्रोड के व्यवहार और जोड़े जाने वाले सामग्रियों के प्रकार की समुचित जानकारी होनी चाहिये। उसे भर्टिकल ओभरलोड और कठिन वेल्डिंग के कामों को कर लेना चाहिये।

१०) **ई. पी. टर्नर ग्रेड-१ :**

एक अति कुशल श्रमिक जिसे विभिन्न प्रकार के लेद जैसे सेन्टर, टर्रेट, ऑटोमैटिक इत्यादि के संचालन का कम-से-कम आठ वर्षों का अनुभव हो। उसे किसी भी तरह के टर्निंग का काम स्वतंत्रता पूर्वक करने के साथ ही सही टूल्स के चयन की जानकारी होनी चाहिये। वह सही टोलरेंस के साथ काम करे तथा सभी प्रकार के मापक यंत्रों के सही व्यवहार की जानकारी होनी चाहिये। उसे कार्य के लिये विभिन्न प्रकार के सामान और उसकी गति की गहन जानकारी होनी चाहिये।

११) **ई. पी. मैशिनिस्ट ग्रेड-१ :**

एक अति कुशल श्रमिक जो सभी प्रकार के वर्कशॉप मशीन टूल्स जैसे लेद, ड्रिल, मिलिंग मशीन, स्क्रैपर, प्लेनर, गियर जेनरेटर, हाब्बर, प्रेसिसियन, ग्राइण्डर्स, होनिंग मशीन, लाइन बोरर तथा अन्य हाई प्रेसिसियन मशीनों को चलाने तथा उन पर काम करने का कम-से-कम आठ वर्षों का अनुभव प्राप्त हो। उसे गेजेज के साथ ही अन्य प्रेसिसियन मिजरिंग (मापक) इन्स्ट्रूमेंट के व्यवहार का अनुभव होना चाहिये तथा जाब्स (कार्यों) को स्वतंत्रापूर्वक सम्पन्न करना चाहिये। कन्वर्सन के लिये आये विभिन्न सामानों के फीड और स्पीड की गहन जानकारी उसे होनी चाहिये।

१२) **पे-लोडर आपरेटर ग्रेड-१ :**

एक अति कुशल श्रमिक जो ४ सी. एम. और उससे अधिक क्षमता के सभी प्रकार के पे-लोडर चलाने में सक्षम तथा ५ वर्ष कार्य का अनुभवी है। उसे उक्त मशीन की यांत्रिकी का ज्ञान होना चाहिये और उसे छोटा-मोटा चालू मरम्मत करने में सक्षम होना चाहिये। उसके पास हेभी गाड़ी चलाने का वैध लाइसेन्स होना आवश्यक है। उसे मशीनों के समुचित रख-रखाव को भी सुनिश्चित करना चाहिये।

ग्रूप—सी :

१. **ड्रिल आपरेटर—ग्रेड-२**

एक कुशल श्रमिक जो क्वारी के काम के लिये व्यवहृत होने वाले रोटरी/परक्यूसिव ड्रिलों को चलाने तथा उनपर काम करने का कम-से-कम तीन वर्षों का अनुभवी है। उसे वैसे यंत्रों, जो १६० एम. एम. (६-१/४") डाय और उसके ऊपर परन्तु २०० एम. एम. (७-७/८") डाय से नीचे को आपरेट करना चाहिये। उसे विभिन्न प्रकार के फार्मेशनों और एप्लिकेशनों (व्यवहारों) में लगने वाले बिटों के प्रकार की समुचित जानकारी होनी चाहिये और वह छोटा-मोटा चालू मरम्मत तथा रख-रखाव का काम कर सके।

२. **डम्पर आपरेटर—ग्रेड-२**

एक कुशल श्रमिक जिसे यूक्लिड, मैक्स, ले टोर्नियो इत्यादि जैसे हेभी ड्युटी हाइवे डम्पर अथवा कोल हालर को चलाने का कम-से-कम दो वर्षों का अनुभव हो। वह कम-से-कम १५ टन से ऊपर और २२ टन से नीचे की क्षमता वाले वैसे यंत्रों को चलायगा। उसे उन मशीनों के यांत्रिकी की थोड़ी जानकारी होनी चाहियें तथा वह छोटा-मोटा चालू मरम्मत के काम का जिम्मा लेने में सक्षम भी हो। उसके पास हेभी ड्युटी गाड़ी चलाने का पृष्ठांकित वैध लाइसेन्स होना चाहिये।

३. **पे लोडर आपरेटर—ग्रेड-२**

एक कुशल श्रमिक जिसे ४ सी. एम. से कम परन्तु २ सी. एम. से अधिक क्षमता वाले सभी प्रकार के पे-लोडर आपरेट करने का तीन

वर्षों का अनुभव है । उसे मशीन के यांत्रिकी की जानकारी होनी चाहिये तथा उसे छोटा-मोटा मरम्मत के काम की जिम्मेवारी लेने में सक्षम होना चाहिये । उसके पास हेभी गाड़ी चलाने का वैध लाइसेन्स होना चाहिये । उसे मशीनों के रख-रखाव को भी सुनिश्चित करना चाहिये ।

४. ट्रैक्टर/डोजर आपरेटर—ग्रेड-२

एक कुशल श्रमिक जो १५० एच. पी. से नीचे के क्षमता का क्राउलर अथवा व्हील टाइप डोजर चलाने और उसपर काम करने का कम-से-कम तीन वर्षों का अनुभव रखता है । उसे छोटे-मोटे चालू मरम्मत की सामान्य जानकारी होनी चाहिये । उसके पास ट्रैक्टर चलाने हेतु वैध ड्राइविंग लाइसेन्स होना चाहिये ।

५. ग्रेडर आपरेटर—ग्रेड-२

एक कुशल श्रमिक जो हेभी ड्युटी मोटर ग्रेडर चलाने तथा उसपर काम करने का कम-से-कम तीन वर्षों का अनुभव रखता है । उसे मशीन के यांत्रिकी की सामान्य जानकारी होनी चाहिये और उसे छोटा-मोटा चालू मरम्मत तथा रख-रखाव का जिम्मा लेना चाहिये । जहाँ कहीं भी आवश्यक हो सुपर इलेभेसन द्वारा रोड सर्फेस बनाने की जानकारी उसे होनी चाहिये । उसके पास हेभी गाड़ी तथा ट्रैक्टर चलाने हेतु पृष्ठांकित वैध लाइसेन्स होना चाहिये ।

६. ई पी. इलेक्ट्रिशियन—ग्रेड-२

एक कुशल श्रमिक जिसे हेभी अर्थ मूभिंग मशीनरी की बिजली सम्बन्धी तौर-तरीकों के रख-रखाव और मरम्मत का कम-से-कम चार वर्षों का अनुभव है । उसे वर्किंग सर्किट की थोड़ी जानकारी होनी चाहिये तथा इलेक्ट्रिशियन होने के लिये कम-से-कम मध्यम टेन्सन की न्यायिक योग्यता होनी चाहिये । विकल्प के रूप में उसके पास हेभी अर्थ मूभिंग मशीन पर आटो इलेक्ट्रिशियन की हैसियत से काम करने का चार वर्षों का अनुभव होना चाहिये ।

७. ई. पी. फिटर—ग्रेड-२

एक कुशल श्रमिक जिसे विभिन्न प्रकार के एक्सकेभेटिंग यंत्रों के एसेम्बली तथा सही फीटिंग के साथ-साथ उसके सामान्य रख-रखाव तथा मरम्मत करने का कम-से-कम चार वर्षों का अनुभव हो । उसे मापक यंत्रों के व्यवहार की जानकारी होनी चाहिये तथा सभी प्रकार के मरम्मत के काम का जिम्मा लेना चाहिये ।

८. ई. पी. वेल्डर—ग्रेड-२

एक कुशल श्रमिक जिसे गैस अथवा बिजली के उपकरणों द्वारा सभी प्रकार के वेल्डिंग तथा कटिंग का कम-से-कम चार वर्षों का अनुभव हो । उसे सभी प्रकार के वेल्डिंग के काम का जिम्मा लेना चाहिये । उसे सही इलेक्ट्रोड्स के व्यवहार का कुछ ज्ञान होना चाहिये ।

९. ई. पी. मैशिनिस्ट—ग्रेड-२

एक कुशल श्रमिक जो सभी प्रकार के मशीन टूल्स जैसे लेद, मिलिंग मशीन, शेपर, प्लेनर, जेनरेटर, लाइन बोरर इत्यादि के चलाने का कम से कम चार वर्षों का अनुभव है । उसे मापक यंत्रों तथा उसके व्यवहार की जानकारी होनी चाहिये । उसे कार्य के लिये लगाये जाने वाले सामानों की फीड्स और स्पीड्स की समुचित जानकारी होनी चाहिये ।

१०. ई. पी टर्नर—ग्रेड-२

एक कुशल श्रमिक जिसे सभी प्रकार के लेद चलाने का कम-से-कम चार वर्षों का अनुभव है तथा उसे समुचित मात्रा में कार्यों को टर्न कर सकना चाहिये । उसे मापक यंत्रों तथा उसके व्यवहार की जानकारी होनी चाहिये । उसे विभिन्न सामानों की फीड्स और स्पीड्स की समुचित जानकारी होनी चाहिये ।

११. क्रेन आपरेटर ग्रेड-३/ई. ओ. टी. क्रेन आपरेटर/ फौर्क लिफ्ट आपरेटर

एक कुशल श्रमिक जो हेभी ड्युटी मोबाइल क्रेन और वैसे यंत्रों जो १० टन से अधिक परन्तु २० टन से कम क्षमता का हो उसे चलाने

तथा उस पर काम करने का कम-से-कम दो वर्षों का अनुभव रखता है। उसे मशीनों की यांत्रिकी का थोड़ा ज्ञान होना चाहिये और छोटा-मोटा चालू मरम्मत का काम कर लेना चाहिये।

ग्रूप—'डी'

१. पे लोडर आपरेटर—ग्रेड-३

एक कुशल श्रमिक जिसे भारी यंत्रों के संचालन का दो वर्षों का अनुभव है और भारी यंत्रों में सभी प्रकार के पे लोडर जो २ सौ एम. तथा उससे कम क्षमता का हो उसे चलाता है। उसे मशीनों के यांत्रिकी का ज्ञान होना चाहिये और छोटा-मोटा चालू मरम्मत का काम करने में सक्षम हो। उसके पास हेभी गाड़ी चलाने का वैध लाइसेन्स होना जरूरी है। उसे मशीनों का रख-रखाव भी ठीक-ठाक रखना पड़ेगा।

२. डम्पर आपरेटर—ग्रेड-३

एक कुशल श्रमिक जिसे यूक्लिड, मैक्स, ले टोर्निओ इत्यादि जैसे हेभी ड्युटी हाइवे डम्पर अथवा कोल हालर को चलाने का कम-से-कम दो वर्षों का अनुभव हो। वह कम-से-कम ८ टन और उसके ऊपर परन्तु १५ टन से कम क्षमता वाले वैसे यंत्रों को चलायगा। उसे उन मशीनों की यांत्रिकी का भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिये और छोटा-मोटा चालू मरम्मत का काम भी कर लेने में सक्षम होना चाहिये। उसे हेभी ड्युटी गाड़ी चलाने हेतु वैध लाइसेन्सधारी होना चाहिये।

३. एक्सकैवेटर आपरेटर—ग्रेड-३

एक कुशल श्रमिक जो बिजली/डीजल शॉवेल/ड्रैगलाइन चलाने और उस पर काम करने का कम-से-कम दो वर्षों का अनुभवी है। वह उन यंत्रों को जो १.५ क्यू. मी. से कम क्षमता का नहीं हो को चलायगा। इसके अतिरिक्त उसे उन मशीनों की यांत्रिकी का थोड़ा ज्ञान होना चाहिये और वह छोटा-मोटा चालू मरम्मत का काम कर लेता हो।

४. ई. पी. इलेक्ट्रिशियन—ग्रेड-३

एक श्रमिक जिसके पास न्यायोचित योग्यता हो, जो नक्शों (ड्राइंगों) को पढ़ सके और जिसे बिजली के सभी अवयवों के बनावट और व्यवहार तथा वर्किंग सर्किटों की पूर्ण जानकारी हो। वह अल्पतम समय में दोषों को पकड़ कर उसे ठीक करने में सक्षम हो तथा उन यंत्रों को खोल भी ले। उसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम होना चाहिये।

५. ई. पी. फिटर—ग्रेड-३

एक श्रमिक जिसे विभिन्न प्रकार के हेभी अर्थ मूभिंग मशीनरी को एकत्र करने और उसे फिट करने का यथेष्ट ज्ञान हो। उसे मापक यंत्रों को पढ़ना तथा उसका व्यवहार करना आता हो। उसे जिस मशीन को चलाने अथवा मरम्मत करने की कहा जाय उसके असेम्बली, बनावट, फैब्रिकेटिंग और मशीनों की कुशल व यथेष्ट जानकारी होनी चाहिये। उन्हें आपरेट करना तथा मरम्मत करना आता हो। उन्हें बनाबटों (स्ट्रक्चरल्स) के फैब्रिकेशन तथा मार्किंग के काम करने में भी सक्षम होना चाहिये।

६. ई. पी. वेल्डर—ग्रेड-३

एक श्रमिक जो बिजली वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग दोनों यंत्रों तथा स्वचालित मशीनों पर काम कर सके। उसे विशेष प्रकार के कार्य की तैयारी का थोड़ा अनुभव होना चाहिये। उसे उन कामों में लगने वाले सामग्रियों की गहन जानकारी होनी चाहिये तथा वह स्वतंत्रता पूर्वक काम करने में भी सक्षम हो। उसे ड्राइंगों को पढ़ने की जानकारी होनी चाहिये।

७. ई. पी. टर्नर—ग्रेड-३

एक श्रमिक जो ड्रिल, शेपिंग, प्लेनिंग, स्क्रू कटिंग, कैप्सटन, लेद, मिलिंग, गियर कटिंग, सिलेन्ड्रिकल, होनिंग, ग्राइन्डिंग तथा बोरिंग के उपयुक्त कामों को निकटतम सूक्ष्मता और टोलरेन्स के साथ सम्पन्न कर सके। उसे विभिन्न कामों में लगने वाले उपयुक्त औजारों के समुचित रख-रखाव

तथा चुनाव की जानकारी होनी चाहिये। वह स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम हो। उसे विभिन्न प्रकार के फीड्स और स्पीड्स का ज्ञान होना चाहिये।

८. **ई. पी. मैशिनिस्ट – ग्रेड-३**

एक श्रमिक जिसे ड्रिल, शेपिंग, प्लेनिंग स्क्रू कटिंग, कैप्सटन लेद, मिलिंग, गियर कटिंग, सिलेन्ड्रिकल होनिंग, ग्राइण्डिग तथा बोरिंग के उपयुक्त कामों को निकटतम सूक्ष्मता तथा टोलरेन्स के साथ सम्पन्न करने की जानकारी हो। उसे विभिन्न कामों में लगने वाले उपयुक्त औजारों के समुचित रख-रखाव तथा चुनाव की जानकारी होनी चाहिये। वह स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम हो। उसे विभिन्न प्रकार के फीड्स और स्पीड्स का ज्ञान होना चाहिये।

९. **क्रेन आपरेटर/जुनियर ई. ओ. टी. क्रेन आपरेटर/ जुनियर फोर्क लाइफ आपरेटर**

एक श्रमिक जो हेभी ड्युटी मोवाइल क्रेन और वैसे यंत्रों को जो १० टन से कम क्षमता का हो उसे चलाने तथा उस पर काम करने का कम-से-कम दो वर्षों का अनुभव हो। उसे मशीनों की यांत्रिकी का थोड़ा ज्ञान होना चाहिये और छोटा-मोटा मरम्मत का काम कर लेना चाहिये।

ग्रूप—'ई'

१. **ई. पी. ग्रीजर/हेलपर**

एक अर्द्ध-कुशल श्रमिक जिसे विभिन्न प्रकार के एक्सकैवेटिंग मशीनरी में तेल-मोबिल देने में चार वर्षों का अनुभव हो। वह साक्षर हो तथा विभिन्न प्रकार के ग्रीज और लुब्रिकैन्ट्स को पहचान सके। उसे हाथ से चलाने वाले यंत्रों के साथ ही पावर लुब्रिकेटिंग और ग्रीजिंग यंत्रों को भी चलाना चाहिये। वह रख-रखाव चित्रों को पढ़ने में सक्षम हो।

क्लरिकल— ग्रेड-३

१. **डम्पमैन/ट्रिपमैन/पिटमैन**

एक श्रमिक जो डम्परों और कोल हॉलरों के आवागमन का हिसाब रखता है तथा बोझाई एवं खलासी हेतु गाड़ियों के स्थान हेतु हाथ से सिगनल देता है। उसे दैनिक रिपोर्ट तैयार करना चाहिये। उसे मैट्रिक पास होना चाहिये।

ट्रेनी आपरेटर :

सी. सी. एल. के अन्तर्गत चालू योजना के अनुसार ही, इसे यहाँ सद्यः जानकारी हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

वे श्रमिक जो ट्रेनी आपरेटर के रूप में चुने गये हैं वे अपनी ट्रेनिंग की अवधि में उस पद का वेतन पायंगे जिस पद पर वे ट्रेनिंग हेतु चुने जाने के पहले पाते होते। भविष्य में आपरेटर ग्रेड-१ पद को निम्न आधार पर तथा उसी प्रतिष्ठा के क्रम से भरा जायगा :

(अ) ग्रेड-२ आपरेटरों के बीच से चुनाव करके।

(ब) उनके ग्रेड-२ आपरेटर होने की स्थिति में उसके नीचले स्तर में कार्यरत आपरेटरों को चुना जायगा और ट्रेनी आपरेटर के रूप में ट्रेनिंग दी जायगी।

(स) ठीक निचले ग्रेड में यदि वैसे आपरेटर नहीं हों जिन्हें ट्रेनिंग दी जा सके तब ठीक एक स्तर नीचे ग्रेड के तकनिशियनों को ट्रेनी आपरेटर के रूप में ट्रेनिंग के लिये चुनाव का मौका दिया जायगा।

केबलमैन—कैटेगरी-३

एक अर्द्धकुशल श्रमिक जो जब जहाँ आवश्यक हो विद्युत चालित मोबाइल यंत्रों के ट्रेलिंग केबल को इधर से उधर करने और उसपर कार्य करने हेतु नियुक्त हो। आवश्यकता पड़ने पर वह मेन्टेनेन्स क्रू की सहायता भी करेगा।

३. पिट सुपरवाइजर

(६६२-३६-७४०-४१-१०६८-४४-१२४४)

सी. सी. एल. में जैसा है वह जैसा का तैसा यहाँ दिया जाता है।

एक पिट सुपरवाइजर को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा की शिफ्ट ठीक समय पर शुरू होता है और निर्धारित समय से पहले काम बन्द नहीं होता है। वह फेस पर मशीनों के नियोग तथा उनके सुरक्षित तथा दक्षतापूर्वक उपयोग के लिये उत्तरदायी होगा, डम्पिंग साइट पर डम्परों का नियमन तथा शॉभेल, डम्पर, डोजर, ड्रिल एवं ब्लास्टिंग तथा सेफ्टी आपरेशन में समन्वय के लिये जिम्मेवार होगा। उसे शिफ्ट के दौरान उत्पादन रिपोर्ट बनाने तथा प्रबन्धन और श्रमिकों के बीच संवाहक सूत्र का काम भी करना होगा जिससे मशीनरी के बेहतर उपयोग तथा श्रमिकों का मनोबल प्राप्त करके उत्पादकता में सुधार भी कर सकता है। पिट सुपरवाइजर टीम लीडर होगा और उसका मुख्य कार्य होगा कि संचालन हेतु समन्वय की योजना इस प्रकार बनावे जिससे एच. ई. एम. का अधिकतम उपयोग किया जा सके।

वह समय-समय पर मशीनों की जाँच भी करेगा और मशीनों को प्रदर्शन के लिये चलायगा और अधिकतम संचालन क्षमता प्राप्त करेगा। वह संचालन में अवांछित विलम्ब की भी जाँच करेगा। कार्यपद्धति का नेता होने के नाते वह श्रमिकों के बीच दक्षता एवं समय की पाबंदी का बोध कराता रहेगा।

उपरोक्त ड्युटी और उत्तरदायित्वों का पालन करते समय पिट सुपर-वाइजर को खुले (पोखरिया) खदान में नियुक्त न्यायोचित सुपरवाइजरी अधिकारियों के निर्देशन अथवा सहयोग के साथ काम करना होगा जिससे माइन्स एक्ट के अन्तर्गत वर्त्तमान नियमों तथा प्रावधानों का कठोरता से पालन हो।

———

सं० : जे. बी. सी. सी. आई./आई. आर./६४/आई. एम. पी./११७३

५ फरवरी, १६८१

क्रियान्वयन आदेश संख्या—३७

विषय : कर्मचारियों के उम्र की जाँच/निर्धारण के लिये तौर-तरीका।

जे. बी. सी. सी. आई. की १६वीं बैठक जो कोल भवन' कलकत्ता में १६ जनवरी को हुई उसमें इस विषय पर वार्त्तालाप हुई एवं निर्णय लिया गया। कर्मचारियों के उम्र की जाँच/निर्धारण हेतु जे. बी. सी. सी. आई. द्वारा लिये गये निर्णय की प्रति इसके साथ ही आपकी जानकारी एवं आवश्यक कारवाई हेतु संलग्न है।

———

कर्मचारियों के उम्र के निर्धारण/ जाँच के लिये तरीका

(अ) **प्रथम नियुक्ति के समय उम्र का निर्धारण :**

१) **मैट्रिक :**

उन नियुक्तियों के मामले में जहाँ कर्मचारी मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा पास हों, उनके मूल प्रमाण-पत्र में जो जन्म दिन दर्शाया गया है उसे ही सही जन्म दिन माना जायगा और उसे किसी भी हालत में बदला नहीं जायगा ।

२) **मैट्रिक से नीचे किन्तु शिक्षित :**

उन नियुक्तियों के मामले में जहाँ कर्मचारी किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण किया है उनके स्कूल छोड़ने के (लीविंग) प्रमाण-पत्र में जो जन्म दिन दिखाया गया है उसे ही सही जन्म दिन माना जायगा और उसे किसी भी हालत में बदला नहीं जायगा ।

३) **पूर्व-सैनिक :**

पूर्व सैनिकों के मामले में जहाँ कर्मचारी मैट्रिक पास नहीं हैं, उनके लिये आर्मी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (सैनिक से हटने के समय के प्रमाण-पत्र) में दर्ज जन्म दिन को ही सही जन्म दिन माना जायगा और उसे किसी भी हालत में बदला नहीं जायगा ।

४) **निरक्षर :**

उपरोक्त धाराओं से परे कर्मचारियों के लिये (जो कर्मचारी उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत नहीं आते) उनका जन्म दिन कोलियरी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायगा । ऐसे निर्धारण के समय कर्मचारी की नियुक्ति के समय प्रस्तुत किये गये किसी दस्तावेज या अन्य कोई साक्ष्य जो कर्मचारी द्वारा

प्रस्तुत किया जायगा उसे ध्यान में रखते हुए किया जायगा । इस तरह निर्धारित जन्म दिन को सही जन्म दिन माना जायगा और उसे किसी भी हालत में बदला नहीं जायगा ।

(बी) **वर्त्तमान कर्मचारियों के सम्बन्ध में जन्म दिन का निर्धारण/ आकलन :**

१. (अ) जहाँ कहीं भी रजिस्टर में दर्ज जन्म की तारीख में कोई अन्तर नहीं है वहाँ उसका फिर से निर्धारण नहीं होगा बशर्ते कि प्रबन्धन के सामने कोई काफी सनसनी खेज (काफी अन्तर वाला) मामला लाया जाय । प्रबन्धन वैसे मामलों की तथ्यपरक जाँच करके संतुष्ट होने पर उनके सम्बन्ध में उम्र निर्धारण हेतु उम्र निर्धारण समिति/ मैडिकल बोर्ड के जरिये उसे दुरुस्त (ठीक) करने हेतु उपयुक्त कदम उठायेगी ।

(ब) जहाँ कहीं भी कोई अन्तर होगा वहाँ उम्र निर्धारण समिति/मेडिकल बोर्ड के लिये उम्र निर्धारण हेतु समुचित प्रावधान बनाया जायगा ।

२. उपरोक्त मामलों के लिये उम्र निर्धारण समिति/मेडिकल बोर्ड का गठन प्रबन्धन द्वारा किया जायगा ।

३. उम्र निर्धारण के लिये उपरोक्त उल्लिखित कमिटी कोलियरी प्रबन्धन के पास उपलब्ध प्रमाण/साक्ष्य पर तथा/अथवा कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार कर सकती है ।

४. कमिटी द्वारा इस तरह निर्धारित उम्र को कर्मचारी से सम्बन्धित प्रबन्धन तथा उस इकाई को जहाँ से उक्त मामले को विचारार्थ भेजा गया है उन्हें आगे की आवश्यक कारवाई हेतु सूचित कर दिया जायगा ।

५. उक्त कमिटी की निर्णय अन्तिम एवं बाध्य होगा ।

६. उपरोक्त तरीका तुरत ही लागू हो जायगा और इस विषय पर वर्त्तमान तरीका/आदेश व निर्देश, यदि कोई हो, तो वह रद्द समझा जायगा ।

———

सं० : जे. बी. सी. सी. आई./आई. आर./९४/आई. एस. पी./१२६२

१६ मार्च, १९८१

क्रियान्वयन आदेश संख्या—३८

विषय : **स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की २६, २७ एवं २८ फरवरी, १९८१ को कलकत्ता में हुए बैठक में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन।**

१.० स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी ने २६, २७ एवं २८ फरवरी, १९८१ को हुए बैठक में जे बी. सी. सी. आई. द्वारा गठित निम्नलिखित सब-कमिटियों की कई सर्वसम्मत सिफारिशों पर वार्त्तालाप किया एवं उसकी मंजूरी दी।

१.१ **सब-कमिटी—ए :**

उन कैटेगराइजेशन एवं नये काम के लिये कार्य-विवरण तथा कोल वाशरी में उन पुराने कार्यों के लिये जहाँ कोई कार्य-विवरण नहीं है।

१.२ **सब-कमिटी—सी :**

उन कैटेगराइजेशन एवं नये काम के कार्य-विवरण तथा अन्यान्य विभागों जैसे पावर हाउस, रोप-वे, सेन्ट्रल एक्सकावेशन वर्कशाप एवं कोक प्लांट इत्यादि में पुराने कार्यों के कार्य-विवरण के लिये जहाँ वर्त्तमान में कोई कार्य-विवरण नही है।

२.१ वेतन मंडल के तहत कोल वाशरियों के उन कार्यों के कार्य-विवरण, कैटेगरी एवं पदनाम जिनका उल्लेख वहाँ नहीं है उसकी सूची जिसकी मंजूरी स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी द्वारा दी गई है वह **परिशिष्ट-१** में दी जा रही है।

२.२ कोक-प्लांटों एवं बाई-प्रोडक्ट प्लांटों से सम्बन्धित पदनाम, कैटेगरी एवं कार्य-विवरण जो वेतन मंडल में नहीं दिया गया है उससे सम्बन्धित सूची जिसकी मंजूरी स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी द्वारा दी गई है वह **परिशिष्ट-२** में दी जा रही है।

२.३ सेन्ट्रल रोप-वे से सम्बन्धित पदनाम, कैटेगरी एवं कार्य-विवरण जो वेतन मंडल में नहीं दिया गया है और जिसकी मंजूरी स्टैण्डर-डाइजेशन कमिटी द्वारा दी गई है वह **परिशिष्ट-३** में दी जा रही है।

२.४ बरकाकाना एवं कोरबा के सेन्ट्रल एक्सकावेशन वर्कशॉप से सम्बन्धित पदनाम, कैटेगरी एवं कार्य-विवरण जो वेतन मंडल में नहीं दिया गया है उससे सम्बन्धित सूची जिसकी मंजूरी स्टैण्डर-डाइजेशन कमिटी द्वारा दी गई है। वह **परिशिष्ट-४** में दी जा रही है।

३.१ जे. बी. सी. सी. आई. ने १४ मार्च, १९८१ की हुई बैठक में स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की उपरोक्त निर्णयों को स्वीकार कर लिया।

३.२ स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी द्वारा स्वीकृत नये कार्य-विवरण एवं कैटेगराइजेशन के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि ये उन नये कार्यों के कार्य-विवरण एवं वर्गीकरण (कैटेगराइजेशन) से सम्बन्धित हैं जो वर्त्तमान में हैं परन्तु जिनका वेतन मंडल में उल्लेख नहीं है। ये उन्हीं जगहों पर लागू होगें जहाँ दिये गये कार्य-विवरण के मुताबिक वास्तविक कार्य सम्पादन हो रहे हैं और यह सिफारिश किये गये कैटेगरी के अनुरूप नये कार्य सृजन के लिये कोई आधार नहीं होगा।

४. जहाँ तक अण्डरग्राउण्ड खदान में कार्य से सम्बन्धित कार्य-विवरण का सवाल है और जैसा स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी द्वारा सिफारिश किया गया है और जो क्रि० आ० सं०-३६ दिनांक २ फरवरी, १९८१ के तहत प्रसारित किया गया है, सिनियर रूफ बोल्टर (परिशिष्ट-ए का क्रमांक-१२) का सही कैटेगरी, कैटेगरी-४ की जगह कैटेगरी-५ होगा।

५. उपरोक्त वर्गीकरण एवं कार्य-विवरण १-४-८० से लागू होगा।

प्रबन्धनों से इसे क्रियान्वित करने की दिशा में समुचित कारवाई करने का आग्रह किया गया है।

———

परिशिष्ट—१

स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी द्वारा स्वीकृत कोल वाशरी में नियुक्त श्रमिकों का पदनाम, कैटेगरी एवं कार्य-विवरण जो वेतन मंडल में सम्मिलित नहीं है

टेकनिकल ग्रेड-'ए'

१. **फोरमैन-इन-चार्ज (मेकैनिकल/इलेक्ट्रिकल)**

एक श्रमिक जो धुलाई के तौर-तरीकों तथा उसके यंत्रों से पूरी तरह परिचित है और वह क्वालिटी कन्ट्रोल के साथ ही उन यंत्रों के सही संचालन और रख-रखाव के लिये जिम्मेवार है। उसे किसी गड़बड़ी से बचाकर रखने की पूरी जानकारी होनी चाहिये तथा उसके अपने शिफ्ट में निर्धारित सेक्सन/प्लांट का स्वतंत्रतापूर्वक पूरा जिम्मा लेकर काम करने में वह सक्षम है। उसके अधीन विभिन्न यंत्रों का निरीक्षण तथा देख-रेख करने में उसे सक्षम होना चाहिये तथा यंत्रों को किसी खराबी से बचाने हेतु पहले से योजना बनानी चाहिये। उसे रिपोर्ट, रेकार्ड तथा तत्सम्बन्धी अन्य कागजात भी रखना पड़ेगा। उसके अधीन आने वाले व्यक्तियों तथा मशीनों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उसी पर होगी।

२. **यार्ड मास्टर/फोरमैन-इन-चार्ज-यार्ड**

एक श्रमिक जो स्वतंत्रतापूर्वक यार्ड के कार्य-कलाप को व्यवस्थित करने के साथ ही वागनों की प्राप्ति, रेक की प्राप्ति यार्ड की गतिविधि तथा ट्रेनों को विदा (डिस्पैच) करने का नियमन करने में सक्षम है। उसे रेलवे के सुरक्षा नियमों की पूरी जानकारी होनी चाहिये तथा विभिन्न शिफ्टों में कार्यरत कर्मचारियों के कार्यों का संयोजन करना चाहिये। उससे यह भी अपेक्षा की जाती है कि यार्ड के अन्दर सभी ब्रेकडाउन/पटरी से उतरने की घटनाओं के साथ ही

साथ टिपलर इत्यादि की देख-रेख करे। वह वाशरी को कोयला पहुंचाने वाले रेलवे टर्मिनल यार्डों के साथ सभी आवश्यक सम्पर्क कायम रखेगा। उसे वर्त्तमान डेमरेज नियमों की जानकारी होनी चाहिये तथा डेमरेज सम्बन्धी सभी रेकार्ड दुरुस्त रखने की जिम्मेवारी उसकी होगी।

३. **बी. जी. डीजल लोको सुपरवाइजर**

एक श्रमिक को रूटीन मेन्टेनेन्स के साथ ही साथ डीजल-बिजली/हाइड्रोलिक लोको, बुलडोजर, क्रेन तथा तत्सम्बन्धी अन्य उपकरण जो उसके अधीन है उनके मुख्य ओभरहॉल का स्वतंत्रतापूर्वक जिम्मेवार होते हैं। उन्हें प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स हेतु योजना बनाने तथा उन्हें लागू करने में सक्षम होना चाहिये तथा वे रेकार्ड, निरीक्षण पत्र तथा कार्ड रखने में सक्षम हों। उनके अधीन के क्षेत्र का रख-रखाव, उसकी सफाई तथा वहाँ के श्रमिकों/व्यक्तियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी उन्हीं की होगी।

टेकनिकल ग्रेड-'बी'

४. **फोरमैन (मेकैनिकल/इलेक्ट्रिकल)**

एक श्रमिक जो धुलाई के तौर-तरीकों और उसकी मशीनरी से परिचित है तथा क्वालिटी कन्ट्रोल के साथ ही उनके संचालन और रख-रखाव के लिये जिम्मेवार होता है। उसे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को प्लांट के संचालन तथा रख-रखाव एवं उनके रेकार्ड रखने में मार्ग निर्देशित करने में सक्षम होना चाहिये। उसे प्रारम्भिक ड्राइंग समझने तथा इञ्जीनियरिंग अवयवों के स्केच बनाने की योग्यता तथा क्षमता होनी चाहिये। सफाई, रख-रखाव तथा उसके अधीन श्रमिकों की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी उसी की होगी। उसे निर्दिष्ट शिफ्टों में सेक्सन/सब-सेक्सनों की पूरी जिम्मेवारी लेने की क्षमता होनी चाहिये।

५. **असिस्टेंट यार्ड मास्टर/शन्टिंग मास्टर**

एक श्रमिक जो रेलवे के सुरक्षा नियमों के अनुसार यार्ड की कार्य-प्रणाली का पूरी तरह जानकार है। उसे अपने शिफ्ट के पूरे कार्य-कलाप, डिस्पैच, प्राप्ति तथा ट्रेनों को तैयार करना तथा यार्ड में इससे सम्बन्धित अन्य कार्यकलापों की पूरी जिम्मेवारी लेनी होगी। उसे डेमरेज नियमों का पूरा ज्ञान होना चाहिये तथा वांछित रेकार्ड तैयार करने में उसे सक्षम होना चाहिये। उसे रेलवे के साथ सम्पर्क रखने की भी योग्यता होनी चाहिये। परिवेश की सफाई तथा उसके अधीन के कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी उसी की होगी।

६. **पी. डब्लू. आई. (परमानेन्ट वे इन्सपेक्टर)**

एक अति कुशल तकनिकी सुपरवाइजरी कर्मचारी जिसे रेलवे लाइन के बनावट तथा ले आउट, वाष्प इंजिन एवं डीजल इंजिन के सुरक्षित तथा निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने हेतु उसकी मरम्मत तथा रख-रखाव तथा श्रमिकों व माल असबाबों की सुरक्षा का कम-से-कम सात वर्षों का अनुभव है। इसके अतिरिक्त उसे वागनों/इंजनों को पटरी से उतरने पर उसे भी देखना पड़ेगा। उसे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को नियंत्रित करने तथा उन्हें कार्य बांटने की योग्यता होनी चाहिये। उसे नयी लाइन बिछाने, जोड़ने इत्यादि का पूरा ज्ञान होना चाहिये और वह खामियों को पकड़ने तथा उसे दूर करने में सक्षम हो।

तकनिकी ग्रेड-'सी'

७. **असिस्टेंट फोरमैन/चार्जमैन/मास्टर फिटर/मास्टर आपरेटर (मेकैनिकल तथा इलेक्ट्रिकल)**

एक श्रमिक जो कार्य-प्रणाली तथा रख-रखाव के तौर-तरीकों का जानकार है। फोरमैन के कार्य-सम्पादन में उसे सहायता करना पड़ेगा। घर की सफाई तथा उसके अधीन कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी उसी की होगी।

८. **टिपलर आपरेटर**

एक श्रमिक जिसे वागन टिपलर चलाना पड़ता है। उसे वागन टिपलर, कन्वेयर, क्रशर, फीडर इत्यादि के संचालन और रख-रखाव की पूरी जानकारी होनी चाहिये। उसे निरीक्षण शीट तथा रेकार्ड भी रखना पड़ेगा। उसके अधीन के क्षेत्र तथा घर की सफाई एवं कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी उसी की होगी।

यह कार्य-विवरण थोड़े कुछ वाशरियों में ही हैं जहाँ टिपलर आपरेटर पूरे रॉ-कोल सेक्सन की देख-रेख करता है। यह उन वाशरियों में लागू नहीं होगा जहाँ कार्यभार जैसा कि ऊपर निर्देशित है उससे कम है।

९. **असिस्टेंट शन्टिंग मास्टर**

एक श्रमिक जो यार्ड की कार्य-प्रणाली का जानकार है। उसे लोडिंग तथा अनलोडिंग का कार्य, डिस्पैच तथा ट्रेनों के बनावट की भी जानकारी रहती है। उसे डिमरेज नियमों की जानकारी भी रखनी चाहिये।

१०. **बी. जी. लोको ड्राइवर (डीजल)**

एक श्रमिक जो लोको चलाना तथा विभिन्न शन्टिंग के कामों को मिले हुए निर्देशानुसार करता है। उसे लोको के काम की प्रारम्भिक जानकारी होनी चाहिये। उसे लोको को चालू करने, चलने तथा रुकने के समय वरते जाने वाले विभिन्न सावधानियों की पूरी जानकारी होनी चाहिये। उसे लोको में स्थापित विभिन्न यंत्रों पर निगरानी रखनी चाहिये, उनकी रीडिंग का लौग रखना और गलत कार्य के समय लोको को रोकना भी होगा। लौग रेकार्ड रखना, शीटों का इन्सपेक्सन (निरीक्षण) करने के साथ ही उसके अधीन के यंत्रों की सफाई तथा सुरक्षा की भी जिम्मेवारी उसकी होगी।

११. **बी. जी. स्टीम लोको इन-चार्ज**

एक श्रमिक जो स्टीम लोको ड्राइवर के रूप में कार्य कर चुका हो और इतना पढ़ा-लिखा हो कि ड्राइवर तथा फायरमैन के मास्टर

इंजिन रिपेयर पुस्तिका तथा तत्सम्बन्धी अन्य कागजात को ठीक से रख सके। उसे ड्राइवर तथा फायरमैन को ड्युटी लगाने तथा उनके कामों की देख-भाल करने की क्षमता होनी चाहिये। तथा उसे लोको फिटर को उनकी त्रुटियों को दूर करने हेतु दिशा निर्देश देना चाहिये।

१२. बी. जी. डीजल लोको फिटर

एक श्रमिक जो रूटीन रख-रखाव के साथ ही साथ डीजल तथा पेट्रोल इंजिन एवं डीजल/बिजली/हाइड्रोलिक लोको के कठिन ओभरहालिंग का काम भी करने में सक्षम है। उसे उपरोक्त सभी यंत्रों और उनके विभिन्न अवयवों के कार्य तथा रख-रखाव की पूरी जानकारी रखनी चाहिये। उसके कार्य में रेकार्ड इन्सपेक्सन शीट तथा कार्डेक्स रखना तथा उसके अधीनस्थ स्थान की सफाई भी सम्मिलित है।

१३. फिटर फोरमैन

एक श्रमिक जिसे अपने अधीन के यंत्रों के संचालन और रख-रखाव की जानकारी है। उसे फोरमैन को दिये गये कार्य में मदद पहुंचाना चाहिये। कार्य-स्थल का रख-रखाव तथा उसकी सफाई एवं उसके अधीनस्थ कर्मचारियों के सुरक्षा की जिम्मेवारी भी उसी की होगी।

फिटर फोरमैन का पद वैसे श्रमिकों के लिये है जो अन्य प्रकार से अति कुशल, अनुभवी तथा दक्ष है परन्तु समुचित शैक्षणिक योग्यता नही रखते हैं।

टेकनिकल ग्रेड-'डी'

१४. बी. जी. लोको ड्राइवर (स्टीम)

एक श्रमिक जिसे लोको चलाना पड़ता है तथा कई तरह का शन्टिंग आपरेशन जैसा उसे निर्देश दिया जाता है उसके अनुसार करता है।

उसे लोको की कार्य-प्रणाली का प्रारम्भिक ज्ञान रहना चाहिये। उसे लोको को चालू करने, तेजी से चलाने तथा उसे रोकने के दौरान बरते जाने वाले विभिन्न प्रकार के सावधानियों की अच्छी जानकारी होनी चाहिये। लोको में लगे विभिन्न प्रकार के यंत्रों पर निगरानी रखना होगा, उनकी रीडिंग का लौग रखना होगा और लोको के ठीक से काम नहीं करने पर उसे रोक देना होगा। लौग रेकार्ड ठीक से रखना, निरीक्षण शीट तैयार करना तथा उसके चार्ज में जितने यंत्र होंगे उनकी सफाई तथा सुरक्षा की जिम्मेवारी भी उसी की होगी।

१५. शन्टिंग जमादार कैटेगरी-५ (तकनिकी ग्रेड-'एफ')

एक श्रमिक जिसे आगमन लाइन को खाली रखना पड़ता है तथा ड्युटी के यार्ड मास्टर को ट्रेन के आने हेतु लाइन को खाली कराने में मदद पहुंचाता हैं। विभिन्न बोझाई स्थल से आने वाले तथा वहाँ को जाने वाले शन्टिंग इंजन तथा वागनों के आवागमन को नियंत्रित करता है तथा समुचित सिगनल देता है, ट्रेनों के बनाने, उसे जोड़ने, अलग करने (काटने) की जिम्मेवारी उसकी होती है, उसे यह भी सुनिश्चित करना पड़ता है कि रेलवे को पटरी ठीक से जुड़ी हुई है तथा गाड़ी ब्रेक के कसाव के फलस्वरूप अनावश्यक खींच-तान से समुचित रूप से सुरक्षित है।

ग्रेड-'एफ' के वर्त्तमान कर्मचारियों को परिवर्तित सेवा शर्तों के तहत दैनिक दर कैटेगरी को स्वीकार/ग्रहण करने के लिये एक महीने के भीतर अपनी स्वीकृति दे देना होगा।

१६. टिपलर हेल्पर (कैटेगरी-४)

एक श्रमिक जिसे टिपलर के अन्दर वागनों के सही स्थापन को सुनिश्चित करना तथा उसकी जाँच करनी पड़ती है। उसे टिपलिंग आपरेशन शुरू करने हेतु टिपलर आपरेटर को सिगनल दिये जाने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि वागनों में शिकंजा ठीक से लग गया है। उसे यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि खलिया वागनों के आवागमन से पहले टिपलर का शिकंजा पूरी

तरह खोल दिया गया है। उसे टिपलर हापर के जाम को भी छुड़ाना पड़ेगा। उसके कार्य क्षेत्र के अधीन आने वाले स्थानों की सफाई तथा साज-सम्भाल भी उसी के कार्य के अन्तर्गत आयगा।

१७. **प्वाइंट्समैन (कैटेगरी-४)**

एक श्रमिक जो वाशरी यार्ड में वागनों के आवागमन के लिये सिगनल देता है, प्वाइंट्स तथा क्रासिंग को सेट करता है। उसके अधीन के प्वाइंट्स तथा क्रासिंग पर रोलिंग स्टाक के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी उसी की होगी।

१८. **ब्रेकसमैन (कैटेगरी-४)**

एक श्रमिक जिसका कार्य वागनों को जोड़ना तथा खोलना हैं तथा ब्रेक्स का प्रयोग करके वाशरी यार्ड में वागनों के आवागमन को निर्देशित करना है।

१९. **बी. जी. लोको फायरमैन (कैटेगरी-४)**

एक श्रमिक जिसे लोको ब्वायलर में कोयला डालना पड़ता है, छाई हटाना पड़ता है और पानी भरना पड़ता है इसके अतिरिक्त लोको ड्राइवर को स्टीम लोको चलाने सम्बन्धी किसी भी कार्य में सहायता करना पड़ता है।

कैटेगरी-२

२०. **प्वाइन्ट्स क्लीनर**

एक श्रमिक जो वाशरी यार्ड में क्रासिंग तथा प्वाइन्टों को स्वच्छ रखता है तथा लुब्रिकैन्ट्स (तेल-मोबिल) देता है एवं उसके सही और निर्वाध संचालन को सुनिश्चित करता है।

२१. **सैम्पलिंग अटेन्डेन्ट/लिबोरेटरी हेल्पर**

एक श्रमिक जो निर्देशानुसार वेल्ट कन्वेयर, च्यूट्स, हॉपर इत्यादि से माल का नमूना एकत्र करता है। उसे नमूनों की कोनिंग,

साईजिंग और क्वार्टरिंग भी करना पड़ता है और उसके अधीन के क्षेत्र की सफाई की जिम्मेवारी भी उसी की होगी।

२२. **सैंड मजदूर**

एक श्रमिक जो बालू के वर्गीकरण यंत्रों और उनके संचालन का जानकार हैं। उसे भेल्भों पर नियंत्रण रखने में सक्षम होना चाहिये जिससे उस प्रक्रिया में वांछित स्तर का बालू दे सके। उसके अधीन के क्षेत्रों की सफाई और व्यवस्था की जिम्मेवारी भी उसी की होगी। यह पदनाम सिर्फ टाटा वाशरीज में ही वर्त्तमान है।

२३. **शेरवेन फीडर अटेन्डेन्ट**

एक श्रमिक जो फीडरों को बंकर के नीचे लगाने में सक्षम है तथा बंकर से सामान निकालने हेतु दरवाजा खोलने में निपुण है। उसके अधीन के उपकरणों को लुब्रिकेट करने (तेल-मोबिल डालने) की जिम्मेवारी उसी की होगी। उसके अधीन के क्षेत्रों की सफाई व स्वच्छता की जिम्मेवारी भी उसी की होगी।

२४. **पेंटिंग मजदूर**

एक श्रमिक जो किसी सर्फेस को साफ करने तथा निर्देशानुसार रंग (पेंट) करने में सक्षम है।

———

परिशिष्ट—२

कोक ओमेन तथा वाई प्रोडक्ट प्लांटों में नियुक्त श्रमिकों के सम्बन्ध में उन कार्यों के पदनाम, कैटेगरी एवं कार्य विवरण जिसका उल्लेख वेतन मंडल में नहीं है और जैसा कि स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी द्वारा स्वीकृत किया गया है

कैटेगरी १

१. जेनरल मजदूर :

(ए) लाइन/कोक कार ट्रैक
(बी) जाम कटर
(सी) कार्पेन्टर
(डी) ब्रीज हीप
(ई) मोटर मिल
(एफ) ट्रैक क्लीनिंग
(जी) कोक डीपो
(एच) डस्ट बंकर
(आई) बिलोमैन
(जे) ब्वायलर

एक अकुशल श्रमिक जो शारीरिक श्रम का कार्य करता है। वह कुशल तथा अर्द्ध-कुशल कर्मचारियों को दिये गये कार्यों में भी सहायता करता है।

कैटेगरी २ (अर्द्ध कुशल निम्न)

२. (ए) रैम कार क्लीनर
(बी) एक्झौस्ट हाउस क्लीनर/आयलमैन
(सी) बेंजल प्लांट आयलमैन
(डी) टार क्लीनर

हेल्पर / असिस्टेंट / एटेन्डेन्ट (लोगों) को अर्द्ध-कुशल प्रकृति की मदद के लिये अन्य कुशल श्रमिकों के साथ काम में लगाया जायगा और उनके

(ई) एलिभेटर बेल्ट क्लीनर
(एफ) रैम आयलमैन
(जी) लेड बर्नर हेल्पर
(एच) भेल्भ क्लीनर
(आई) क्रशर हाउस असिस्टेंट/हेल्पर
(जे) मोटर मिल आपरेटर
(के) मोटर मिलर
(एल) एक्झौस्टर हाउस असिस्टेंट/खलासी
(एम) गैसमैन असिस्टेंट/हेल्पर
(एन) रैम कार असिस्टेंट/हेल्पर
(ओ) न्यूट्रलाइजर
(पी) ब्वायलर असिस्टेंट/हेल्पर
(क्यू) मोटर पग मिल आपरेटर (३५ एच० पी० के नीचे)
(आर) टार मजदूर

अपने कार्य सफाई तथा मशीनों तथा भट्टियों में तेल डालने का काम भी करेंगे।

कैटेगरी ३

३. (ए) रैम साइड विचमैन
(बी) रैम साइड डौवमैन
(सी) रैम साइड फायरमैन
(डी) कोक साइड क्रेंचर/सिम्नलमैन/बेंचमैन
(ई) कोक साइड विचमैन
(एफ) कोक साइड की मैन
(जी) कोक साइड डौबमैन
(एच) एलीभेटर खलासी/आयलमैन
(आई) डोरमैन/डोर सीलर
(जे) हाइड्रो भेल्भमैन
(के) रिकभरी हाउस आयलमैन
(एल) पिच क्लीनर/कटर
(एम) टार एक्स्ट्रैक्टर खलासी
(एन) सल्फेट अमोनिया खलासी
(ओ) हॉट बंकर ड्राइवर
(पी) वाटर ट्रिटमेंट प्लांट मैन
(क्यू) बिलो मिल आपरेटर

एक श्रमिक जो सूचित पदनामों से स्वस्पष्ट है उन विभिन्न कार्यों में से कोई एक कार्य करता है। इसके अतिरिक्त समय - समय पर आवश्यकतानुसार अपने अधिकारियों को अर्द्ध - कुशल प्रकृति सम्बन्धी काम करने में सहायता करेगा। वर्त्तमान पदनामों के अन्तर्गत आने-वाले विभिन्न प्रकृति के किसी भी काम को करेगा तथा वह सभी कार्य करेगा जो कार्य वर्त्तमान में कर रहा है।

कैटेगरी ४

४. कोल बंकर ड्राइवर/खलासी

एक श्रमिक जो बकेट एलिभेटर के जरिये कोयला के चूर को क्रशर हाउस से कोल बंकर में हटाने के लिये ड्राइव के संचालन (आपरेशन) हेतु जिम्मेवार है। वह उस सेक्सन के लुब्रिकेशन हेतु पूरी तरह जिम्मेवार होगा। उसके आपरेशन के दौरान किसी प्रकार की असामान्य स्थिति पाने से उसे अविलम्ब निराकरण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को सूचना देगा।

५. चार्जिंग हाउस ड्राइवर/खलासी

एक श्रमिक जो दिये हुए दरबाजों को चलाकर कोल बंकर हॉपर से सही परिमाण में कोयला निकालता है, उसे लम्बी दूरी के लिये बिजली चालित मोटर चलाना पड़ता है तथा बोझाई के लिये ट्रक को सही भट्टा के पास लगाता है। वह रैम ड्राइवर को ओभेन (भट्टा) लेभेल हेतु सिगनल देगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि भट्टा (ओभेन) में सभी हॉपर डिस्चार्ज हो गया है। उसे फिर से चार्ज करने हेतु बंकर के पास आना पड़ेगा। उसे साक्षरहोना होगा तथा निर्दिष्ट सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा जिससे भट्टा के ऊपर कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके।

६. एलिभेटर एण्ड डिसइंटिग्रेट ड्राइवर/खलासी

एक श्रमिक जो शार्ट कन्वेयर आउटलेट अथवा क्रशर आउटलेट तथा एलिभेटर के आधार से सारे आपरेशन (कार्य-कलाप) को देखता है।

७. नेप्थालीन-स्टिल आपरेटर/खलासी

एक श्रमिक जो नाप्था मोल्डिंग के डिस्टिलेशन व प्रोसेसिंग से सम्बन्धित सभी कार्यों तथा मोल्डों के भण्डार (स्टोर) में हटाये

जाने को देखता है। उसे उत्पादन का हिसाब भी रखना पड़ता है और समय-समय पर वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार अन्य कार्यों को भी करता है। जब उसका यंत्र बैठा होगा उस समय वह रख-रखाव के कार्य में मदद करेगा।

८. क्रशर हाउस ड्राइवर/खलासी

एक श्रमिक जो शार्ट कन्वेयर आउटलेट अथवा क्रशर आउटलेट तथा एलिभेटर के आधार से सारे आपरेशन (कार्य-कलाप) को देखता है।

९. एसिड प्लांट मजदूर

एक श्रमिक जिसे एसिड प्लांट का काम करना पड़ता हैं, जैसे बस्ता में गन्धक भरना, मेल्टर में गन्धक का वजन करना, घड़ा, ड्रम, टैंकर में एसिड भरना तथा एसिड के घड़े को विभिन्न प्लांटों में पहुंचाना। उसे भेल्भों पर काम करना पड़ेगा तथा पम्प चलाना पड़ेगा। आगे जब कभी आवश्यक हो उसे अपने सिनियर (वरिष्ठ) आपरेटरों की सहायता करना पड़ेगा। वह फिटरों को भी उनके कार्य में मदद पहुंचायगा। वह कार्य स्थल को किसी प्रकार के एसिड स्पिलेज गिरने से मुक्त रखेगा तथा सुरक्षात्मक कदम उठाते हुए गिरे हुए एसिड की सफाई कर देगा। समय-समय पर उसके अधिकारियों के निर्देशानुसार अन्य तत्सम्बन्धित कार्य भी करेगा।

१०. गैसमैन

एक श्रमिक जिसे बर्नर की जांच करनी है, गैस पाइप, भेल्भ तथा फ्लूट की सफाई करनी है तथा कम्बूशन के लिये हवा को नियंत्रित करना है तथा सोलडैम्परों का समायोजन करना है। यह एक गर्म काम है।

कैटेगरी-५

११. रैम कार ड्राइवर

एक श्रमिक जो रैम कार के चालन/आपरेशन, कार्बोनाइज्ड कोक के ढेर की ठेलाई तथा भट्टा (ओभेन) के अन्दर चार्ज किये गये कोयले की लेभेलिंग के लिये जिम्मेवार होगा। लुब्रिकेशन के लिये वह पूरी तरह जिम्मेवार है तथा किसी भी असामान्य अवस्था के सम्बन्ध में शिफ्ट फोरमैन को अविलम्ब निराकरण हेतु सूचना देगा।

१२. टार प्लांट खलासी

एक श्रमिक जो विभिन्न टार उत्पाद के उत्पादन के लिये टार के प्रोसेसिंग और डिस्टिलेशन (संशोधन) से सम्बन्धित सभी कार्यों को करेगा। वह टार पम्पों को लुब्रिकेट करता है तथा चलाता है तथा स्टिल्स में कोल फायरिंग करता है। वह टार प्लांट आपरेटर की सहायता करता है तथा जब कभी उसके अधिकारियों से निर्देश मिलता है तत्सम्बन्धी कार्यों को करता है।

१३. क्रूड बेंजोल ड्राइवर/खलासी

वह बेंजल के स्क्रीविंग एवं रिकभरी से सम्बन्धित सभी कार्यों को करेगा। उसके अधीन के भेलभों को जाँच व तेल देने का काम वह करेगा। वह समूचे प्लांट में पानी की आपूर्ति एवं सील की देखभाल करेगा एवं कोलर का स्टीम निकालेगा। वह बेंजल प्लांट आपरेटर की सहायता करेगा एवं समय-समय पर उसके कार्य से सम्बन्धित कार्यों के लिये अपने से वरिष्ठों के निर्देशानुसार कार्य करेगा।

१४. एक्झॉस्टर हाउस ड्राइवर/रिकभरी हाउस ड्राइवर

एक श्रमिक जो कोक ओभेन, गैस एक्झौस्टर, इलेक्ट्रोस्ट्रैटिक प्रेसिपिटेटर तथा कोक के ढेर को बुझाने हेतु आवश्यक पानी की आपूर्ति के लिये विभिन्न वाष्प एवं बिजली चालित पम्पों तथा गैस कलर के ड्राइव तथा आपरेशन तथा टार पम्प से डिकैन्टेशन टैंक

को लिक्वर तथा तार के बहाव की आपूर्ति करने के लिये जिम्मेवार है, वह लुब्रिकेशन के लिये पूरी तरह इन-चार्ज (उत्तरदायी) होगा तथा किसी भी प्रकार की खामी पाने से उसके अविलम्ब निवारण हेतु उसे शिफ्ट फोरमैन की जानकारी (ध्यान) में लायगा।

१५. ओभेन टिंडेल सरदार/ट्रौलीमैन सरदार

एक श्रमिक जो उपरोक्त वर्णित किसी एक भी कार्य को आपरेट अथवा उसका निरीक्षण, जो भी हो, करता है तथा वर्त्तमान में उपरोक्त वर्णित कार्यों को करता है। समय-समय पर जब कभी उसे अपने से वरिष्ठ का निर्देश मिले तो कुशल किस्म के कामों में सहायता भी पहुंचाना पड़ता है।

१६. हेड गैसमैन/फ्लूट आफ गैस मैन

एक श्रमिक जो ओभेन (भट्टा) के सही गर्मी (हीट कन्डीशन) कायम रखने हेतु सम्पूर्णरूप से जिम्मेवार तथा उत्तरदायी है। वह मरम्मत के लिये बाहर निकाले गये ओभेन (भट्टी) की गर्मी की स्थिति की देख-भाल रखेगा तथा गर्म करने के तौर-तरीकों (हीटिंग प्रोसेड्योर) की पूरी तरह जानकारी रखेगा जिससे यह सुनिश्चित करे कि कोई क्षति नहीं हो। वह विभिन्न कैटेगरियों के अन्य गैसमैन के कार्यों की देख-भाल करेगा तथा सही दक्षता के लिये उनके कार्यों में ताल-मेल (समन्वय) रखेगा। वह हेड मैशन के साथ समन्वय रखने के लिये भी जिम्मेवार होगा। समय-समय पर उसे अपने से वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करना पड़ेगा।

१७. सल्फेट अमोनिया आपरेटर/खलासी

एक श्रमिक जो सल्फेट अमोनिया के रिकवरी से सम्बन्धित सभी कार्यों को करेगा जैसे, मदर लिक्कर प्रिपरेशन (बनायगा), ड्रायर में साल्ट को डिस्चार्ज करेगा, सैचूरेटर सील ठीक रखेगा। सल्फेट अमोनिया के रख-रखाव से सम्बन्धित अन्य दूसरे कार्यों में जब तथा जैसे आवश्यक होगा फिटर तथा वेल्डर की सहायता करेगा।

१८. **लेड बर्नर**

एक श्रमिक जिसे एसिड प्लांट, सल्फेट प्लांट तथा अन्य दूसरे क्षेत्रों में जहाँ कहीं भी आवश्यक होगा जरूरी सुरक्षा निवारण कदम उठाते हुए लेड बर्निंग के काम को करना पड़ता है। सही हिसाब रखने के लिये वह लेड के खपत का हिसाब रखता है। वह अपने यंत्रों और औजारों की मरम्मत भी कर लेगा तथा उसे ठीक रखेगा, उसे साफ-सुथरा तथा सही हालात में रखेगा।

———

सेन्ट्रल रोपवे के उन कार्यों से सम्बन्धित पदनाम, कैटेगरी तथा कार्य-विवरण जो वेतन मंडल में नहीं है तथा जिसे स्टेण्डरडाइजेशन कमिटी की मंजूरी है

१. **जेनरल मजदूर/स्लाइसर मजदूर वाटर मजदूर/पन्टून मजदूर : (कैटेगरी-१) :**

एक अकुशल श्रमिक जो एक अथवा अधिक वैसा शारीरिक काम (सफाई का काम छोड़कर) करता है जिसमें किसी विशेष प्रकार के कौशल की आवश्यकता नहीं है। उसके कार्य में रोपवे लाइन पर गिरे हुए पत्थर, बालू, डेबरी/मलवा तथा कोयला इत्यादि हटाना भी शामिल है।

२. **बकेटमैन-कम-हेल्पर अटेन्डेंट : (कैटेगरी-३) :**

एक श्रमिक जो बकेट खींचता है, ठेलता है, न्यूमैटिक लिंभर चलाता है तथा बकेट में बालू भरता है, रोपवे बकेट को चालू तथा बन्द करने के लिये पुशबटन आपरेट करता है, तेल तथा ग्रीज डालता है, जहां आवश्यक हो बकेट को सामान्य स्थिति में रखता है, हल्का रख-रखाव का कार्य तथा ब्रेकडाउन का कार्य देखता है। कभी-कभी उसे फिटर, ड्रेजर आपरेटर, आपरेटर ड्राइवर इत्यादि के हेल्पर के रूप में भी कार्य करना पड़ता है। यह बकेटमैन (रोपवे) से भिन्न है जिसे कैटेगरी-२ में रखा गया है।

३. **ड्रेजर आपरेटर ग्रेड-३ : (कैटेगरी-४) :**

एक श्रमिक जो डीजल इन्जिन तथा २५० एच० पी० से नीचे के बिजली इन्जिन चालित ड्रेजरों को चलाता (आपरेट करता) है तथा उसका रख-रखाव करता है। वह अपने ड्रेजर की समय-समय पर जाँच करता है तथा कोई खराबी पाने पर अपने से ऊपर रिपोर्ट करता है। जहां जैसा आवश्यक हो वह फिटर/इलेक्ट्रिशियन की सहायता करता है।

४. **ड्रेजर आपरेटर ग्रेड-२ : (कैटेगरी-५) :**

एक श्रमिक जो डीजल तथा २५० एच० पी० से ४२४ एच० पी० तक के बिजली इन्जिन चालित ड्रेजरों को चलाता (आपरेट करता) है तथा उसका रख-रखाव करता है। समय-समय पर वह अपने ड्रेजर की जाँच करेगा तथा कोई खराबी पाने पर अपने से ऊपर रिपोर्ट करेगा। जहाँ जैसा आवश्यक हो वह फिटर/इलेक्ट्रिशियन की सहायता करेगा।

५. **ड्रेजर आपरेटर ग्रेड-१ : (कैटेगरी-६) :**

एक श्रमिक जो डीजल इन्जिन तथा ४२४ एच० पी० और उससे ऊपर के बिजली चालित ड्रेजर को चलाता तथा रख-रखाव करता है। वह अपने ड्रेजरों की समय-समय पर जाँच करता है और यदि कोई खराबी हो तो उसे अपने से ऊपर के अधिकारी को रिपोर्ट करता है। जहाँ कही भी आवश्यक होता है वह फिटर/इलेक्ट्रिशियन की सहायता करता है।

६. **फिटर-कम-आपरेटर : (कैटेगरी-५) :**

एक श्रमिक जो रोपवे, मेकैनिकल यंत्रों, मशीन तथा इनके सहायक पुर्जों को आपरेट करता (चलाता) है, उसे ठीक रखता है तथा उनकी मरम्मत करता है एवं आपरेशन और मेन्टेनेन्स का लौग-बुक रखता है। उसे चाभी, वियरिंग इत्यादि के फार्यलिंग तथा फीटिंग का कार्य करने में सक्षम होना चाहिये। उसे स्वतंत्रतापूर्वक पम्पों, हालरों, कन्वेयरों तथा बंकरों जैसे मेकेनिकल उपकरणों को खोलने तथा एकत्र करने में सक्षम होना चाहिये तथा ऐरियल रोपवे एवं स्टील/ढांचों का रख-रखाव करने में सक्षम होना चाहिये। उसे कन्सट्रक्सन, लुब्रिकेटिंग के कार्य तथा मेकैनिकल उपकरणों के व्यवहार की जानकारी होनी चाहिये। उसे ड्राइंग पढ़ने में सक्षम होना चाहिये तथा स्टील उपस्करों का ढाँचा बनाकर उसे जोड़ने (फैब्रिकेशन) में सक्षम होना चाहिये। उसे विभिन्न कार्यों की सीमा तथा टोलरेन्स की जानकारी होनी चाहिये तथा सूक्ष्म मापक यंत्रों का उपयोग भी जानना चाहिये।

७. **टेलीफोन मेकैनिक : (कैटेगरी-५) :**

एक श्रमिक जो रोपवे के लिये टेलीफोन स्थापनों को आपरेट करता है, उसकी रख-रखाव तथा मरम्मत करता है एवं टेलीफोन यंत्रों से सम्बन्धित यंत्रों का लौग-बुक मेन्टेन करता है। उसे टेलीफोन कन्ट्रोल सर्किट, ट्रान्जिस्टराइज्ड टेलीफोन संसाधनों तथा टेलीफोन के अन्य इलेक्ट्रोनिक सिस्टम की मरम्मत/रख-रखाव करना चाहिये।

८. **ऑटो-मेकैनिक : (कैटेगरी-५) :**

एक श्रमिक जो पेट्रोल और डीजल इन्जिनों को खोलने, उसकी मरम्मत करने तथा फिर से फिट करने में सक्षम है। उसे स्वतंत्र रूप से मशीनी दोषों को पकड़ने तथा उन्हें ठीक करने में सक्षम होना चाहिये।

९. **ऑटो इलेक्ट्रिशियन : (कैटेगरी-५) :**

एक श्रमिक जो वाहनों, पन्टूनों तथा ड्रेजरों के बिजली सम्बन्धी उपकरणों की स्वतंत्र रूप से मरम्मत तथा उन्हें फिट करने तथा डिस्टिल्ड वाटर प्लांट के संचालन एवं बैटरी चार्ज करने में सक्षम है।

१०. **सारंग/टिण्डेल जमादार : (कैटेगरी-५) :**

एक श्रमिक जो रिग्गरों के टिंडेल की टोली (अगुआ) बनने हेतु जिम्मेदार है और विभिन्न सामानों के स्थापना, चलाना, स्थानान्तर करना, बोझाई तथा खाली कर सके एवं उपकरणों, रोपवे यंत्रादि और उनके धरातल तथा नदी के स्थापनों को खोलना चाहिये।

———

बरकाकाना तथा कोरबा के केन्द्रीय (सेन्ट्रल) वर्कशॉप में बहाल श्रमिकों के पदनाम, कैटेगरी एवं कार्य-विवरण जिसका उल्लेख वेतन मंडल में नहीं है और जो स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी द्वारा मंजूर किया गया है

एक्सकैवेशन कैटेगरी—'ए'

१. **ई. पी. सिनियर मेकैनिक**

एक अतिकुशल श्रमिक जिसे सभी प्रकार के डीजल/पेट्रोल इंजिन तथा किसी भी अन्य प्रकार के हेभी अर्थ मूभिंग, कन्स्ट्रक्शन, ट्रान्सपोर्टेशन एवं माइनिंग मशीनरियों की मरम्मत, ओभरहालिंग, एसेम्बलिंग तथा टेस्टिंग में दस वर्षों का अनुभव प्राप्त है। उसमें सभी प्रकार के डीजल/पेट्रोल इंजिनों तथा उपकरणों को खोलने, मरम्मत करने, ओभरहालिंग तथा जोड़ने की क्षमता होनी चाहिये तथा स्वतंत्रतापूर्वक एकत्रित करने की योग्यता होनी चाहिये। उसे दोषों को पकड़ने तथा उन्हें दूर करने में सक्षम होना चाहिये। वह मरम्मत, ओभरहालिंग तथा जाँच सम्बन्धी सभी रेकार्डों को रखेगा तथा उसे स्पेयर पार्ट की सूची (लिस्ट) को स्वतंत्रतापूर्वक तैयार कर लेना चाहिये। विभिन्न प्रकार के क्यूएल इंजेक्शन तथा इमिशन पद्धति की मरम्मति और अंशशोधन (कैलिब्रेटिंग) में सक्षम होना चाहिये एवं इन कामों में लगने वाले सभी प्रेसिशियन इन्स्ट्रूमेन्ट के व्यवहार करने की क्षमता होनी चाहिये तथा जब आवश्यक हो लोड टेस्ट लेने में भी सक्षम हो।

२. **ई. पी. क्रेन आपरेटर ग्रेड-१**

एक अतिकुशल श्रमिक जो कम-से-कम ४० टन क्षमता वाले हेभी ड्युटी मोबाइल क्रेन को चलाने तथा उसपर काम करने (हैंडलिंग), जो निम्नतम ७ वर्षों से कम नहीं हो, का अनुभव प्राप्त है।

उसे यंत्रों की यांत्रिकी (मैकैनिज्म) का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिये तथा छोटा-मोटा मरम्मत का काम करने में सक्षम होना चाहिये। उसके पास उसे संचालन हेतु पृष्ठांकित वैध लाइसेन्स होना चाहिये।

एक्सकैवेशन कैटेगरी—'बी'

३. **मोल्डर सिनियर (हेभी कास्टिंग)**

एक अतिकुशल श्रमिक जो काफी गहन एवं हेभी कास्टिंग मोल्ड व स्पेशल (विशेष) कोर बनाने इत्यादि में कम-से-कम १० वर्षों का अनुभवी है। उसे साफ तथा सांचा ढलाई करने के लिये मिट्टी चुनने तथा बालू तैयार करने की गहन जानकारी होनी चाहिये। उसे फेरस तथा नन-फेरस मेटल की ढलाई के तकनीक का पूर्ण ज्ञान होना चाहिये। उसे तैयार किये जाने वाले सामान की ड्राइंग (नक्शा) पढ़ने में सक्षम होना चाहिये। उसे फाउण्ड्री (ढलाई घर) से सम्बन्धित सभी प्रकार के मशीनों को स्वतंत्रतापूर्वक चला लेना तथा उनका रख-रखाव कर लेना चाहिये।

४. **ई. पी. इलेक्ट्रिशियन ग्रेड-१**

एक अति उच्च कुशल श्रमिक जो भारी विद्युत उपकरणों (हेभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट) के सभी विद्युतीय पद्धतियों के रख-रखाव, मरम्मत तथा ओभरहॉलिंग का कम-से-कम सात वर्षों का अनुभव प्राप्त है। उसके पास हाई टेन्सन उपकरणों को हैंडल करने हेतु वैधानिक योग्यता होनी चाहिये तथा डायग्राम (नक्शों) को पढ़ने की योग्यता होनी चाहिये एवं सर्किटों तथा सभी प्रकार के विद्युत उपकरणों के बनावट और उनके व्यवहार की पूरी जानकारी होनी चाहिये। समय-समय पर जैसा निर्दिष्ट हो तदनुसार विभिन्न रेकार्ड रखने हेतु उसे साक्षर होना चाहिये। उसे निम्नतम समय में दोषों को पकड़ना और उसे ठीक कर लेना चाहिये।

विकल्प में उसे हेभी अर्थ मूभिंग मशीनरियों पर ऑटो-इलेक्ट्रिशियन की हैशियत से काम करने का कम-से-कम छः वर्षों का अनुभव प्राप्त होना चाहिये।

५. **पैटर्न मेकर सिनियर (कास्टिंग)**

एक अतिकुशल श्रमिक जो भारी (हेभी) तथा कठिन (इन्ट्रिकेट) ढलाई (कास्टिंग) के लिये सांचा (पैटर्न) बनाने में लगा है और कम-से-कम १० वर्षों का अनुभव प्राप्त है। उसे स्वतंत्रता-पूर्वक मैनुफैक्चरिंग व एसेम्बली ड्राइंगों को पढ़ने तथा टूटे हुए नमूनों और नक्शों से सांचा (पैटर्न) एवं कोर तैयार करने में सक्षम होना चाहिये। उसे सभी प्रकार के बढ़ई के काम की भी जानकारी होनी चाहिये। उसे विभिन्न प्रकार के लकड़ी के काम के लिये प्रयुक्त मशीनरियों के संचालन और मरम्मत की योग्यता भी होनी चाहिये तथा उनके लिये लगने वाले औजारों को वह बना ले। उपरोक्त कामों के लिये आवश्यक विभिन्न प्रकार के "गेज" के व्यवहार में भी उसे सक्षम होना चाहिये।

६. **ई. पी. फिटर-सह-मेकैनिक ग्रेड-१**

एक अतिकुशल श्रमिक जो खदानों, वर्कशॉप, पावर हाउस इत्यादि में व्यवहार होनेवाले डीजल इंजन सहित एक्सकैवेटिंग तथा अन्य भारी मशीनरी के पार्ट-पुर्जों को एकत्र करने तथा सही फीटिंग करने के अतिरिक्त सामान्य मरम्मत, रख-रखाव तथा संचालन के काम में लगा है तथा कम-से-कम ७ वर्षों का अनुभव प्राप्त है। उसे प्रेसिसियन मापक यंत्रों का सही उपयोग करना होगा तथा स्वतंत्र रूप से मरम्मत व ओभरहालिंग का काम करना चाहिये। उसे स्वतंत्रतापूर्वक मशीनों को चलाना तथा उसका रख-रखाव करना चाहिये एवं उनका रेकार्ड रखना चाहिये।

७. **फिटर (स्ट्रक्चरल) ग्रेड-१**

एक अतिकुशल श्रमिक जिसे निर्माण कार्य, फिटिंग तथा एसेम्बली आइटम, हेभी व लाइट स्ट्रक्चरल एवं फोर्जिंग के काम तथा उनके स्थापना सम्बन्धी कार्यों की यथेष्ट जानकारी एवं १० वर्षों का अनुभव प्राप्त है। उसे स्वतंत्रतापूर्वक ड्राइंग पढ़ने व तदनुरूप उसे कार्यरूप में बदलने में सक्षम होना जरूरी है। उसे स्वतंत्र रूप से कार्यशाला (वर्कशॉप) के विभिन्न प्रकार के मशीनों का संचालन एवं उनकी मरम्मत करने में सक्षम होना चाहिये।

८. **ई. पी. टायर फिटर ग्रेड-१**

एक अतिकुशल श्रमिक जो टायर तथा ट्यूब के फिर से बनाने (रीबिल्डिंग)/रीट्रीडिंग/मरम्मत से सम्बन्धित अन्य सभी कार्य करने तथा उनकी मरम्मत/रीट्रीडिंग/रीबिल्डिंग का काम लेने हेतु यथेष्ट जानकारी तथा १० वर्षों का अनुभव प्राप्त हो। वह टायर का निरीक्षण करके दोषों को पकड़ने में सक्षम हो। जब आवश्यक हो उसे टायर शॉप की मशीनरी की मरम्मत तथा ओभरहालिंग स्वतंत्र रूप से कर लेना चाहिये। उसे स्वतंत्र रूप से किये जाने वाले परिशुद्धि (प्रेशिसियन) कार्यों से सम्बन्धित सभी तरह के परिशुद्धि (प्रेशिसियन) यंत्रों तथा गेजों को पढ़ने तथा उससे कार्य करने की क्षमता होनी चाहिये।

९. **रिग्गर ग्रेड-१**

एक अतिकुशल श्रमिक जो कार्यशाला में अथवा निर्मित भवनों बनावटों की ऊँचाइयों पर भारी सामग्रियों तथा भारी ढांचों के हैंडलिंग तथा फिटिंग करने में कम-से-कम १० वर्षों का अनुभव प्राप्त है। उसे स्वतंत्रतापूर्वक एकत्रित सामग्री तथा फिटिंग ढांचों को ऊपर उठाने में सक्षम होना जरूरी है। उसे स्वतंत्रतापूर्वक पुर्जों के नक्शों तथा यंत्रों को पढ़ने तथा सभी यंत्रों और औजारों का व्यवहार करने में सक्षम होना होगा। उसे सामग्रियों को हैंडल करने वाले यंत्रादि के चालकों को उचित सिगनल देने में सक्षम होना होगा। उसे निम्न-कुशल और अर्द्ध-कुशल श्रमिकों को प्रशिक्षित करने में सक्षम होना होगा। उसमें प्रामाणिक सुरक्षा के व्यावहारिक संहिता (स्टैंडर्ड सेफ्टी कोड प्रैक्टिस) की जानकारी होनी चाहिये।

१०. **ई. पी. वेल्डर ग्रेड-१**

एक अतिकुशल श्रमिक जो गैस अथवा बिजली के यंत्रों द्वारा सभी प्रकार के वेल्डिंग एवं कटिंग के काम में नियुक्त है तथा कम-से-कम ८ वर्षों का अनुभव प्राप्त है। उसमें स्वतंत्रतापूर्वक स्वचालित वेल्डिंग तथा प्रोफाइल कटिंग मशीन चलाने की योग्यता होनी चाहिये। उसे सभी प्रकार के वेल्डिंग/कटिंग का काम स्वतंत्रतापूर्वक

करने में सक्षम होना होगा एवं उन सभी जोड़े जाने वाले सामग्रियों के प्रकार तथा सही इलेक्ट्रोड के प्रकार की समुचित जानकारी होनी चाहिये और बिजली/गैस पर सही नियंत्रण होना चाहिये। उसे खड़ाई/सिर के ऊपर (ऊँचाई)/जलमग्न/भर्टिकल/ओभरहेड/सबमर्ज्ड अथवा अन्य दूसरे बिजली वेल्डिंग के कामों को अपने हाथ में लेना चाहिये। उसे सम्बन्धित सभी ड्राइंगों को पढ़ने में सक्षम होना चाहिये तथा तत्सम्बन्धी एसेम्बली का काम कर ले।

११. आर्मेचर वाइण्डर सिनियर (हेभी इलेक्ट्रिकल शॉप)

एक अतिकुशल श्रमिक जो सभी प्रकार के मोटर, जेनरेटर, ट्रान्सफार्मर, मैग्नेटिक सेपरेटर्स तथा अन्य प्रकार के बिजली सम्बन्धी यंत्रों इत्यादि के डिजाइन बनाने एवं वाइण्डिग का कम-से-कम ७ वर्षों का अनुभव प्राप्त है। उसे सभी प्रकार के स्टार्टरों, स्विचों, रिले एवं विभिन्न प्रकार के ए. सी./डी. सी. मोटरों, जेनरेटरों, ट्रान्सफार्मरों एवं दूर संचार यंत्रों इत्यादि के मरम्मत/ओभरहॉल/रि-वाइण्डिंग के काम में लगा हो तथा इन कामों को हाथ में लेने में सक्षम होना चाहिये। उसे विभिन्न प्रकार के जोड़ों (कनेक्सनों) तथा विभिन्न प्रकार के लोड तथा भोल्टेज जाँच की गहन जानकारी होनी चाहिये एवं उनका सर्किट ड्राइंग बनाने की क्षमता होनी चाहिये। वह स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने में सक्षम हो तथा अपने से जुनियरों को मार्गदर्शन दे तथा मरम्मत के कार्य की जिम्मेवारी ले।

१२. ब्लैकस्मिथ सिनियर (हेभी फोर्जिंग)

एक अतिकुशल श्रमिक जो विभिन्न प्रकार के मध्यम व भारी पावर हैमर, ड्राप हैमर, प्रेस इत्यादि का व्यवहार करके कई प्रकार के स्टील के मध्यम व भारी फोर्जिंग करने का १० वर्षों का अनुभव रखता है। उसे इन्जिनियरिंग नक्शों, स्केचों तथा टूटे पार्टों से फोर्ज (अंगोठी) करके तैयार करने में सक्षम होना चाहिये। उसे कार्यशाला (वर्कशाप) में लगने वाले विभिन्न प्रकार के औजारों तथा डाइसों को बनाने में सक्षम होना चाहिये, उसे विभिन्न

प्रकार के फोर्जिंग मशीनरी, हीटिंग फर्नेस तथा प्रेस को स्वतंत्रतापूर्वक (चलाने) आपरेट करने में सक्षम होना चाहिये तथा आवश्यकता पड़ने पर मरम्मत करने में भी सक्षम होना चाहिये। उसे विभिन्न प्रकार के औजारों/स्टील के हीट ट्रिटमेंट तथा फोर्जिंग टेम्परेचर के विषय में सामान्य ज्ञान होना चाहिये तथा सत्सम्बन्धी कलकुलेशन (हिसाब) लगाने में सक्षम होना चाहिये।

१३. ट्रेलर आपरेटर सिनियर

एक अतिकुशल श्रमिक जो कम-से-कम ४० टन क्षमता से अधिक के हेभी (भारी) हाईवे ट्रेलर, जो २२० बी. एच. पी. तथा उससे ऊंची क्षमता के इंजन द्वारा चालित होता है, को चलाने का कम-से-कम ६ वर्षों का अनुभव रखता है। उसे मशीनों की यांत्रिकी का सामान्य ज्ञान होना चाहिये तथा उसे छोटा-मोटा चालू मरम्मत का जिम्मा लेना चाहिये। उसके पास भारी वाहन चलाने हेतु पृष्ठांकित वैध लाइसेन्स होना चाहिये।

१४. ई. पी. मैशिनिस्ट-कम-टर्नर ग्रेड-१

एक अतिकुशल श्रमिक जो लेद (जैसे कैप्सटन, टर्रेट तथा ऑटोमैटिक इत्यादि), ड्रिल, शेपर, प्लानर, गियर जेनरेटर्स हाबर्स, प्रेशिसियन, ग्राइन्डर्स, बोरिंग मशीन, स्लॉटर, प्रेस तथा अन्य सभी प्रकार के प्रेसेशियन मशीनरी इत्यादि के साथ-साथ उनके लिये सही औजारों का चयन करते हुए उनपर स्वतंत्रतापूर्वक काम करने का कम-से-कम आठ वर्षों का अनुभव रखता है। उसे कार्य से सम्बन्धित डाइमेन्सनों, स्केचों तथा नक्शों के अनुरूप सही काम करने तथा प्रेसेशियन मापक यंत्रों के व्यवहार में सक्षम होना चाहिये। उसे स्वतंत्रतापूर्वक मशीनों के रख-रखाव तथा मरम्मत करने में सक्षम होना चाहिये। उसे कनवर्सन के लिये विभिन्न मशीनों की गति तथा फीड की गहन जानकारी होनी चाहिये। उसे जिग तथा फिक्स्चर के व्यवहार की जानकारी होनी चाहिये। उसे कई प्रकार के ऑटोमैटिक (स्वचालित) मशीन चला लेना चाहिये।

१५. **ई. पी. फिटर-कम-मेकैनिक ग्रेड-१**

एक अतिकुशल श्रमिक जिसे विभिन्न प्रकार के एक्सकैवेशन यंत्रों की एसेम्बली तथा सही फीटिंग के साथ उसके सामान्य मरम्मत तथा रख-रखाव के काम का कम-से-कम ७ वर्षों का अनुभव है। उसे विभिन्न प्रकार के डीजल इंजनों को खोलने, मरम्मत करने तथा ओभरहालिंग करने में सक्षम होना चाहिये। उसे मशीनी त्रुटियों को पकड़ना तथा उसे ठीक कर लेना चाहिये। सही माप के लिये उसे यन्त्रों के व्यवहार और उसकी जानकारी होनी चाहिये तथा मरम्मत का काम स्वतंत्रतापूर्वक कर सके। उसे इतना पढ़ा लिखा होना ही चाहिये जिससे कि वह मरम्मत तथा रख-रखाव के लिये लौग-बुक लिख सके एवं रख-रखाव के चित्रों को समझ सके।

१६. **हीट ट्रिटमेन्ट मैन/क्रोम प्लेटर (सिनियर)**

एक अतिकुशल श्रमिक जो विभिन्न प्रकार के हीट ट्रिटमेंट प्रोसेस का कम-से-कम दस वर्षों का अनुभवी है। उसे फर्नेस (भट्टों) को ठीक ढंग से चार्जिंग और डिस्चार्ज करने में सक्षम होना चाहिये। उसे गर्म करने (हार्डनेस टेस्टिंग) तथा स्ट्रैटेनिंग (सीधा करने) व अन्य दूसरे तकनीकियों का पूरा जानकार होना चाहिये। उसे सभी फर्नेस, टेम्परेचर कन्ट्रोलर, रेकार्डर इत्यादि को स्वतन्त्रतापूर्वक आपरेट करने में अनुभवी होना चाहिये तथा विभिन्न प्रकार के स्टीलों को मिलाने तथा हीट ट्रीटमेंट के तौर-तरीकों की जानकारी होनी चाहिये। उसे स्वतन्त्रतापूर्वक तत्सम्बन्धी रेकार्ड रखने में सक्षम होना चाहिये।

विकल्प के रूप में एक अति कुशल श्रमिक जिसे विभिन्न प्रकार के क्रोम प्लेटिंग तथा मेटल प्लेटिंग के तौर-तरीकों में दस वर्षों का अनुभव हो। उसे इन तौर-तरीकों में व्यवहार होने वाले सभी रसायन तथा वस्तुओं की गहन जानकारी होनी चाहिये। उसे क्रोम प्लेटिंग मेटल (धातु) के सही चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग के साथ ही उन कामों की सफाई तथा पालिश करने में सक्षम होना चाहिये। उसे वैसे यन्त्रों, टेम्परेचर कन्ट्रोलर, गेजेज, रेकार्डर इत्यादि के संचालन (आपरेशन) तथा रख-रखाव का अनुभव होना

चाहिये। उसे जाब्स (कार्यों) को प्लेटिंग इत्यादि के लिये तैयार करने, चुनने तथा डिग्रीजिंग (सफाई) करने का समुचित ज्ञान होना चाहिये। उसे स्वतन्त्रतापूर्वक सभी रेकार्ड रखने में सक्षम होना चाहिये।

१७. **ई. पी. क्रेन आपरेटर ग्रेड-२**

एक कुशल श्रमिक जिसे हेभी ड्युटी मोबाइल क्रेन, जो २० टन से कम नहीं हो, के संचालन (आपरेशन) का कम-से-कम ४ वर्षों का अनुभव है। उसे उन यन्त्रों की मशीनी जानकारी होनी चाहिये तथा छोटा-मोटा चालू मरम्मत का काम कर लेना चाहिये। उसके पास उस क्षमता के मोबाइल क्रेन चलाने हेतु पृष्ठांकित वैध लाइसेन्स होना चाहिये।

एक्सकैवेशन कैटेगरी—'सी'

१८. **आर्मेचर वाइण्डर (हेभी इलेक्ट्रिकल शॉप)**

एक कुशल श्रमिक जिसे विभिन्न प्रकार के ए. सी./डी. सी. मोटर, जेनरेटर, ट्रान्सफार्मर तथा अन्य बिजली सम्बन्धी मशीनों तथा यंत्रों के डिजाइन विषयक तथा रिवाइण्डिंग के काम का कम-से-कम ५ वर्षों का अनुभव है। उसे सभी प्रकार के स्टार्टर, स्विच, रिले इत्यादि की मरम्मत, ओभरहाल तथा रिवाइण्डिंग का काम करने में सक्षम होना चाहिये। उसे विभिन्न प्रकार के बिजली कनेक्शनों (जोड़ों) की समुचित जानकारी होनी चाहिये तथा उसे बिजली के सभी सर्किट डायग्रामों को पढ़ने (समझने) तथा उसे तैयार करने में सक्षम होना चाहिये।

१९. **ट्रेलर आपरेटर जुनियर**

एक कुशल श्रमिक जो १५ टन से अधिक क्षमता वाले हेभी ड्युटी हाइवे ट्रेलर जो १०० बी. एच. पी. तथा उससे अधिक के क्षमता वाले शक्तिशाली इन्जन युक्त के संचालन में तीन वर्षों से कम का अनुभवी नहीं हो। उसे मशीनों की यांत्रिकी की भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिये तथा वह छोटा-मोटा चालू मरम्मत का

काम करने में भी सक्षम हो। उसके पास भारी वाहन चलाने हेतु पृष्ठांकित वैध लाइसेन्स होना चाहिये।

२०. **ई. पी. मैशिनिस्ट-कम-टर्नर ग्रेड-२**

एक कुशल श्रमिक जो स्वतन्त्रतापूर्वक सभी प्रकार के मशीन टूल्स जैसे, लेद, ड्रिल, शेपर, प्लेनर, गियर, जेनरेटर, बोरिंग, मशीन, सिलेन्ड्रिकल ग्राइन्डर इत्यादि के संचालन तथा हैण्डलिंग का कम-से-कम ४ वर्षों का अनुभवी है। उसे मापक यन्त्रों की जानकारी होनी चाहिये तथा स्केच व ड्राइंगों को पढ़ने (समझने) में सक्षम होना चाहिये। उसे मशीनों के छोटे-मोटे मरम्मत के कामों को करने में सक्षम होना चाहिये। उसे फीड्स और स्पीड्स की सही जानकारी होनी चाहिये तथा वह जिग्स एवं फिस्चरों का भी जानकार हो।

२१. **क्रैंक शाफ्ट ग्राइण्डिंग आपरेटर**

एक कुशल श्रमिक जिसे निम्नलिखित कार्यों का चार वर्षों का अनुभव है :—

(अ) क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट, साइलिण्ड्रिकल जाब तथा सर्फेस ग्राइण्डिंग के साथ-ही-साथ सभी प्रकार के ग्राइण्डिंग का काम।

(ब) इंजिन ब्लाक तथा इसके कम्पोनेन्ट क्रौंक की बोरिंग।

(स) एसेम्बली के समय विभिन्न इंजनों के बियरिंग बोर साइज तथा क्रैंक शाफ्ट का माप लेना।

(द) कार्य में लाये जाने वाले मशीनों और यन्त्रों की मरम्मत तथा रख-रखाव।

२२. **फौकलिफ्ट-कम-ई. ओ. टी. क्रेन, क्रेन आपरेटर सिनियर ग्रेड-३**

एक कुशल श्रमिक जो हेभी ड्युटी मोबाइल/ई. ओ. टी. क्रेन, जो दस टन से कम का नहीं हो, के आपरेशन व हैण्डलिंग का कम-से-

कम दो वर्ष का अनुभवी हो। उसे उन यंत्रों के यांत्रिकी की थोड़ी जानकारी होनी चाहिये तथा वह छोटा-मोटा चालू मरम्मत कर ले। उसके पास उस क्षमता के मोबाइल क्रेन को चलाने के लिये पृष्ठांकित वैध लाइसेन्स होना चाहिये।

२३. **ब्लैकस्मिथ जुनियर (हेभी फोर्जिंग)**

एक कुशल श्रमिक जो विभिन्न प्रकार के फोर्जिंग आपरेशन तथा स्मिथी (लुहारी) तकनीक एवं फोर्जिंग मशीनरी, जैसे, पावर हैमर, ड्राप हैमर, प्रोसेस एवं फर्नेसों के स्वतन्त्रतापूर्वक आपरेशन का कम-से-कम ६ वर्षों का अनुभवी है। उसे उपरोक्त मशीनों के मरम्मत की जानकारी रखना आवश्यक है तथा वह फोर्जिंग ड्राइंगों को समझ सके। उसे उस काम में लगने वाले टूल्स और डाइस को बना लेना चाहिये। उसे हीट ट्रिटमेन्ट तथा सरल हिसाब (कलकुलेशन) की जानकारी होनी चाहिये।

२४. **क्रोम प्लेटर ग्रेड-२**

एक कुशल श्रमिक जो विभिन्न प्रकार के क्रोम प्लेटिंग तथा मेटल प्लेटिंग प्रोसेस में कम-से-कम पाँच वर्षों का अनुभव प्राप्त है। उसे इन प्रोसेसों में व्यवहार होने वाले सभी रसायन (केमिकल) तथा अन्य सामग्रियों की समुचित जानकारी होनी चाहिये। उसे क्रोम प्लेटिंग मेटल (धातु) के सही चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग करने के साथ-ही-साथ कार्यों (जाब्स) के बफिंग तथा पालिश करने में सक्षम होना चाहिये। उसे वैसे उपकरणों के रख-रखाव का ज्ञान होना चाहिये, साथ-ही-साथ उसे स्वतन्त्रतापूर्वक आपरेट भी कर ले। उसे आवश्यक गेज तथा रेकार्डरों को पढ़ने-समझने में सक्षम होना चाहिये तथा तत्सम्बन्धी रेकार्ड भी रखने में सक्षम हो। उसे कार्यों को उठाने, उसे सफाई (डिग्रीजिंग) करने तथा प्लेटिंग के उपयुक्त बनाने की जानकारी होनी चाहिये। ये सभी कौशल लगने वाले कार्यों को सम्पादित करने में उसे सक्षम होना चाहिये।

२५. **ई. पी. वेल्डर ग्रेड-२**

एक कुशल श्रमिक जो गैस तथा बिजली के यन्त्रों से सभी प्रकार की वेल्डिंग तथा कटिंग का काम करने में कम-से-कम चार वर्षों का

अनुभवी है। वह सभी प्रकार के वेल्डिंग के कामों को स्वतन्त्रता-पूर्वक करने में सक्षम है तथा स्वचालित (ऑटोमैटिक) वेल्डिंग तथा प्रोफाइल कटिंग मशीनों को आपरेट करने में सक्षम है। उसे सही इलेक्ट्रोड्स के व्यवहार की जानकारी होनी चाहिये तथा उसे ड्राइंगों को पढ़ने में सक्षम होना चाहिये। उसे सभी अवस्थाओं (पोजीसनों) में वेल्डिंग कर लेना चाहिये।

२६. रिगर ग्रेड-२

एक कुशल श्रमिक जो भारी तथा हल्के ढांचाओं (स्ट्रक्चरल्स) को फर्श अथवा ऊंचाई पर एसेम्बल तथा फिटिंग करने में कम-से-कम ६ वर्ष का अनुभव रखता है। उसे ड्राइंगों को पढ़ने तथा उसे समझने में सक्षम होना चाहिये तथा इरेक्शन एवं एसेम्बली टूल्स व टैकल्स के व्यवहार में निपुण होना चाहिये। उसे विभिन्न माल वाहक आपरेशनों के सिगनलों को समझने तथा बताने (सिगनल देने) में सक्षम होना चाहिये। उसे मानक सुरक्षा कोड/प्रचलनों की जानकारी रखना आवश्यक है।

२७. ई. पी. फिटर ग्रेड-२

एक कुशल श्रमिक जिसे विभिन्न प्रकार के एक्सकैवेशन उपकरणों के एसेम्बली तथा सही फिटिंग के साथ ही साथ उनके मरम्मत, रख-रखाव तथा ओभरहालिंग करने का कम-से-कम चार वर्षों का अनुभव है। उसे मापक यन्त्रों की जानकारी होनी चाहिये तथा सभी प्रकार के मरम्मत का काम करने में सक्षम होना चाहिये।

२८. फिटर (स्ट्रक्चरल) ग्रेड-२

एक कुशल श्रमिक जो विभिन्न प्रकार के निर्मित सामानों तथा भारी व हल्का स्ट्रक्चरल फोर्जिंग के कार्य तथा मार्किंग कार्य इत्यादि को समुचित टोलरेन्स से एसेम्बल तथा सही फीटिंग करने में ६ वर्षों का अनुभव प्राप्त है। उसे जॉब्स के निर्माण (उत्पादन) तथा वर्कशाप के मशीन टूल्स, सामानों, हैंडलिंग उपकरणों तथा अन्य यन्त्रों की मरम्मत का काम करने में सक्षम होना चाहिये।

२९. टायर फिटर ग्रेड-२

एक कुशल श्रमिक जिसे टायर वर्कशाप के विभिन्न प्रकार के रिट्रीडिंग, मोल्ड वर्किंग तथा बनाने की मशीनों एवं अन्य उपकरणों के व्यवहार की जानकारी के साथ ही साथ टायर मरम्मत/रिट्रीडिंग/रिबिल्डिंग का यथेष्ट ज्ञान है और उसे ६ वर्षों का अनुभव प्राप्त है। उसे यंत्रादि तथा गेजों के व्यवहार में सक्षम होना चाहिये तथा उन्हें स्वतन्त्रतापूर्वक आपरेट करने और उसका रख-रखाव करने में निपुण होना चाहिये।

३०. हीट ट्रिटमेंट मैन ग्रेड-२

एक कुशल श्रमिक जिसे विभिन्न प्रकार के हीट ट्रिटमेंट प्रक्रियाओं (प्रोसेस) पर काम करने का कम-से-कम ६ वर्षों का अनुभव प्राप्त है। उसे फर्नेसों (भट्टियों) के उपयुक्त चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग करने में सक्षम होना चाहिये। उसे सख्तता जाँच करने एवं सीधा करने के तकनीकियों का जानकार होना चाहिये। उसे सभी आवश्यक रेकार्ड स्वतन्त्रतापूर्वक रखने में सक्षम होना चाहिये तथा वह सभी भट्टियों, टेम्परेचर कन्ट्रोलर (तापमान नियंत्रक) तथा रेकार्डरों को आपरेट कर सके। उसे विभिन्न प्रकार के स्टील के कम्पोजीशनों (बनावटों) एवं हीट ट्रिटमेंट की प्रक्रियाओं का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिये। तत्सम्बन्धी रेकार्ड रखने में उसे सक्षम होना चाहिये।

३१. पेन्टर (सिनियर)

एक कुशल श्रमिक जिसे विभिन्न प्रकार की तकनीकियों जैसे, लाइट, स्प्रे, स्टोव इनामेल इत्यादि का दस वर्षों से कम का अनुभव नहीं है। उसे रंगाई के लिये लगने वाले विभिन्न प्रकार के औजारों और सामग्रियों तथा रंग किये जाने वाले विभिन्न सर्फेस की जानकारी होनी चाहिये। उसे विभिन्न प्रकार के रंग, इनामेल, वार्निस इत्यादि तथा उसके प्रयोग की गहन जानकारी होनी चाहिये। ऊंचाईयों पर निर्मित ढांचों तथा वर्कशाप शेडों पर रंग (पेन्ट) करने में सक्षम होना चाहिये। उसे इञ्जीनियरिंग

ड्राइंगों का थोड़ा कार्यकारी ज्ञान होना आवश्यक है। उसे अक्षरों, अंकों एवं कलात्मक व आकर्षक डिजाइनों की रंगाई करने में सक्षम होना चाहिये।

३२. पैटर्न मेकर जुनियर (हेभी कास्टिंग)

एक कुशल श्रमिक जिसे पैटर्न बनाने का कम-से-कम ६ वर्षों का अनुभव प्राप्त है। उसे हेभी तथा क्लिष्ठ ढलाई के लिये पैटर्न बनाने तथा उसके लिये कोर एवं मोल्ड बनाने में सक्षम होना चाहिये। उसे ड्राइंगों को पढ़ने तथा टूटे-फूटे नमूनों से पैटर्न बनाने में सक्षम होना चाहिये। उसे विभिन्न प्रकार के लकड़ियों, कार्यकारी मशीनों तथा औजारों का कार्यकारी ज्ञान होना आवश्यक है।

३३. ई. पी. इलेक्ट्रिशियन ग्रेड-२

एक कुशल श्रमिक जो सभी तरह के खनन/हेभी अर्थ मूभिंग उपकरणों तथा हाउस वायरिंग सहित बिजली ट्रान्समिसन सम्बन्धी उपकरणों के मरम्मत, ओभरहाल तथा रख-रखाव करने में कम-से-कम चार वर्षों का अनुभवी है। उसे ड्राइंगों को पढ़ने तथा समझने का ज्ञान होना चाहिये। उसे इलेक्ट्रिशियन होने के लिये वैधानिक योग्यता होनी चाहिये। उसे स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने में सक्षम होना चाहिये।

इसके विकल्प में उसे हेभी अर्थ मूभिंग मशीनरी में आटो-इलेक्ट्रिशियन के रूप में कम-से-कम चार वर्षों का अनुभव रखना चाहिये।

३४. मोल्डर जुनियर (हेभी कास्टिंग)

एक कुशल श्रमिक जो कठिन और हेभी (भारी) कास्टिंग मोल्ड, कोर बनाने इत्यादि का काम करने में कम-से-कम ६ वर्षों का अनुभव रखता है। उसे ठीक ढलाई हेतु बालु तैयार करने तथा मोल्ड बनाने की जानकारी होनी चाहिये एवं फेरस और नन-फेरस मेटल ढालने की तकनीक का जानकार होना चाहिये साथ ही उत्पाद सम्बन्धी ड्राइंगों को पढ़ने और समझने में सक्षम होना चाहिये।

३५. कपोला-कम-फर्नेस आपरेटर ग्रेड-२

उसे मेल्टिंग फर्नेस, जैसे, कपोला इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस एवं नन-फेरस मेल्टिंग फर्नेस इत्यादि के आपरेशन (संचालन), रख-रखाव तथा मरम्मत (लाईनिंग सहित) का अच्छा जानकार होना चाहिये तथा कम-से-कम ६ वर्षों का अनुभव प्राप्त हो। उसे फर्नेसों को सुरक्षित एवं दक्षतापूर्वक चार्ज तथा डिस्चार्ज कर लेना चाहिये। उसे फर्नेस गलाने में स्टील के मिश्रण पर नियन्त्रण रखना चाहिये।

एक्सकैवेशन कैटेगरी—'डी'

३६. हीट ट्रिटमेंट मैन जुनियर ग्रेड-३

एक श्रमिक जो विभिन्न प्रकार के हीट ट्रिटमेंट उपकरणों, नियन्त्रकों तथा फर्नेसों के संचालन और उनके साथ काम करने का कम-से-कम चार वर्षों का अनुभवी है। उसे कार्य-स्थल पर हार्डनेस टेस्ट के संचालन में सक्षम होना चाहिये तथा स्टील के मिश्रण एवं हीट ट्रिटमेंट की सामान्य जानकारी रखनी चाहिये।

३७. रिगर ग्रेड-३

एक श्रमिक जिसे विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के सामानों/बनावटों को एकत्र (एसेम्बल) करने तथा उन्हें फिट करने में यथेष्ट जानकारी रखना आवश्यक है। उसे मानक सुरक्षा प्रचलनों का जानकार होना होगा तथा इरेक्सन टूल्स व टैकल्स (औजारों) के व्यवहार में सक्षम होना होगा।

३८. ई. पी. वेल्डर ग्रेड-३

एक श्रमिक जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग तथा गैस वेल्डिंग उपकरणों एवं स्वचालित तथा प्रोफाइल कटिंग मशीनों को चला सके। उसे विशेष प्रकार के कार्यों के लिये वांछित तैयारी करने की समुचित जानकारी होनी चाहिये। कार्य में व्यवहार किये जाने वाले

सामग्रियों की गहन जानकारी उसे होनी चाहिये तथा उसे स्वतन्त्रता-पूर्वक कार्य करने में भी सक्षम होना चाहिये। उसमें ड्राइंगों को पढ़ने-समझने की योग्यता होनी चाहिये।

३९. आरमेचर वाइण्डर ग्रेड-३

एक कुशल श्रमिक जो मोटर तथा स्टार्टरों का दक्षतापूर्वक वाइण्डिंग करने में सक्षम है तथा उसे कनेक्शनों (जोड़ों) इत्यादि की समुचित जानकारी है। उसे स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने में सक्षम होना जरूरी है।

४०. ब्लैकस्मिथ ग्रेड-३

एक कुशल श्रमिक जिसे फोर्जिंग तकनीक, हीट ट्रिटमेंट इत्यादि की गहन जानकारी है। उसे नक्शों तथा ड्राइंगों को समझने तथा उसका हिसाब करने में सक्षम होना होगा। उसे पावर हैमर, ड्राप हैमर इत्यादि के द्वारा फोर्जिंग बनाने में सक्षम होना चाहिये।

४१. फायरमैन

एक कुशल श्रमिक जो ब्वायलर पर काम करने में पांच वर्षों का अनुभवी है तथा जो स्टीम (भाप) को अनुमोदित दबाव पर रखना तथा पानी को सुरक्षित कार्य-स्तर तक रखना सुनिश्चित करता है। उसके लिये ब्वायलर एक्ट तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमावलियों के अनुसार योग्यता प्राप्त होना जरूरी है।

४२. फोर्कलिफ्टर-कम-ई. ओ. टी. क्रेन आपरेटर जुनियर

एक कुशल श्रमिक जिसके पास वर्कशाप मैटेरियल हैण्डलिंग इक्विपमेंट जैसे फोर्कलिफ्टर, प्लाटफार्म ट्रक, ई. ओ. टी. क्रेन जो दस टन क्षमता से कम हो को आपरेट करने हेतु वैध लाइसेन्स है। उसे सभी सुरक्षात्मक सावधानियों का पालन करने में सक्षम होना होगा तथा विभिन्न सुरक्षात्मक संकेतों (सिग्नलों) को समझना आवश्यक है।

४३. ई. पी. मैशिनिस्ट-कम-टर्नर ग्रेड-३

एक कुशल श्रमिक जो ड्रिल, शेपिंग, प्लेनिंग, स्क्रू कटिंग, कैप्सटन, लेद, मिलिंग, गियर कटिंग, सायलेन्ड्रिकल होनिंग, ग्राइण्डिंग, बोरिंग, इत्यादि मशीनों के उपयुक्त किसी भी काम को निकटतम शुद्धता और टोलरेन्स के साथ करने में सक्षम है। उसके लिये विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिये व्यवहार होने वाले औजारों के सही चुनाव तथा उपयुक्त रख-रखाव की समुचित जानकारी रखना जरूरी है। उसे स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने में सक्षम होना चाहिये। उसे विभिन्न फीड्स और स्पीड्स की जानकारी होनी चाहिये।

४४. फिटर ग्रेड-३

एक कुशल श्रमिक जिसे विभिन्न प्रकार के मशीनों और उपकरणों की एसेम्बली तथा फिटिंग की उपयुक्त जानकारी रखना अनिवार्य है। विभिन्न प्रकार के कार्य के लिये वांछित टोलरेंस के डिग्री (अनुपात) की जानकारी उसे होनी चाहिये। उसे मैक्रोमीटर तथा उसी प्रकार के अन्य यन्त्रादि को पढ़ने (समझने) में सक्षम होना आवश्यक है। उसे जिस मशीन को आपरेट तथा मरम्मत करने को कहा जाय उस मशीन की, उसके एसेम्बली, बनावट, फैब्रिकेशन की गहन जानकारी होनी चाहिये। उसे स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने में सक्षम होना चाहिये।

विकल्प में उसे ड्राइंगों, ब्लू प्रिन्ट, मार्किंग तथा ढांचों के फैब्रिकेशन को समझने (पढ़ने) की गहन जानकारी होनी चाहिये। उसे मापक यन्त्रों एवं मशीन टूल्स उपकरण हैण्डलिंग यन्त्रों तथा अन्य यन्त्रों इत्यादि को समझने तथा उसके व्यवहार की समुचित जानकारी होनी चाहिये। उसे स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने में सक्षम होना होगा।

विकल्प में, उसमें टायरों की रीट्रीडिंग तथा फिर से बनाने एवं उनके निरीक्षण सम्बन्धी काफी जानकारी होना आवश्यक है। टायर बनाने वाले विभिन्न प्रकार के मसीनों पर कार्य करने की जानकारी होना आवश्यक है।

४५. **पेंटर जुनियर :**

एक कुशल श्रमिक जो विभिन्न प्रकार के रंग (पेंट), इनामेल एवं वार्निश इत्यादि से रंग (पेंट) करने का कम-से-कम सात वर्षों का अनुभव रखता है। उसे स्प्रे, स्टोव, इनामेल पेंटिंग इत्यादि के व्यवहार की यथेष्ट जानकारी रखना आवश्यक है। उसे अक्षरों, अंकों एवं डिजाइनों को स्वच्छ तथा स्पष्ट रंग करने में सक्षम होना चाहिये। उसे स्थापित भारी बनावटों (इरेक्टेड हेभी स्ट्रक्चरल्स) की रंगाई का काम कर लेने में सक्षम होना होगा।

४६. **आयल फिल्टर आपरेटर**

एक श्रमिक जो आयल फिल्टरिंग (तेल छनाई) मशीन को चलाने में सक्षम है। उसे उन मशीनों के छोटे-मोटे मरम्मतों को अपने हाथ में लेने में सक्षम होना चाहिये।

४७. **पैटर्न मेकर ग्रेड-२**

एक कुशल श्रमिक जो ड्राइंगों के अनुरूप पैटर्न बनाने तथा ड्राइंग करने और उसे समझने में सक्षम है। उसके लिये संतोषप्रद पैटर्न एवं कोर बाक्स बनाने में सक्षम होने के लिये मैशिनिंग और मोल्डिंग का प्रयाप्त ज्ञान होना जरूरी है। उसे सामान्य बढ़ईगिरी (कारपेन्टरी) कार्य का प्रयाप्त ज्ञान होना चाहिये।

४८. **ई. पी. इलेक्ट्रिशियन ग्रेड-३**

एक कुशल श्रमिक जिसके पास वैधानिक योग्यता है और वह ड्राइंगों को पढ़ने में सक्षम है तथा वर्किंग सर्किटों एवं सभी विद्युतीय (बिजली सम्बन्धी) उपकरणों के बनावट तथा व्यवहार की गहन जानकारी रखता है। वह निम्नतम समय में दोषों को पकड़ ले एवं उन्हें दूर करने में सक्षम हो तथा सम्बन्धित उपकरणों (यन्त्रों) को खोल भी ले। उसे स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने में सक्षम होना चाहिये।

४९. **मोल्डर ग्रेड-३**

एक कुशल श्रमिक जिसे साफ और ठोस ढलाई हेतु बालू तथा मिट्टी का मोल्ड (साँचा) एवं कोर तैयार करने की गहन

जानकारी है। वह स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने में सक्षम हो। उसमें ढलाई मशीनों तथा ड्राइंगों (नक्शों) की कार्यकारी जानकारी होनी चाहिये।

५०. **कपोला-कम-फर्नेश आपरेटर ग्रेड-३/फर्नेश लाइनर**

एक कुशल श्रमिक जो मेल्टिंग फर्नेशों (पिघलते भट्टियों), जैसे कपोला (लोहा गलाने की) बिजली तथा हवा भट्टियों, नन-फेरस मेल्टिंग फर्नेशों इत्यादि के संचालन (आपरेशन), रख-रखाव तथा मरम्मत करने (लाइनिंग सहित) का पूर्ण जानकार है तथा उन कामों में कम-से-कम तीन वर्षों का अनुभव प्राप्त है। उसे भट्टियों को सुरक्षित तथा दक्षतापूर्वक चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग करने में सक्षम होना चाहिये।

५१. **कारपेन्टर-कम-पैटर्न मेकर**

एक श्रमिक जो कारपेन्टरी (बढ़ईगिरी) के कामों की पर्याप्त जानकारी रखता है एवं कार्यशाला व सिविल कार्यों में सभी प्रकार के कारपेन्टरी कामों को करने में सक्षम है। उसे कारपेन्टर (बढ़ई) के सभी औजारों को चलाने (व्यवहार करने) में सक्षम होना होगा।

५२. **पोरर**

एक कुशल श्रमिक जो लैडल्स (बड़े चम्मचों एवं कलछुलों) के संचालन तथा पिघले हुए धातु को सांचों (मोल्डों) में ढालने में कम-से-कम चार वर्षों का अनुभवी है। उसे लैडल्स (चम्मचों) की मरम्मत कर लेना चाहिये तथा वह मोल्डरों व फर्नेसमैन को फर्नेश तथा मोल्डों को चार्ज करने की तैयारी में सहायता करेगा/उन सभी वांछित कौशल वाले कार्यों को वह सुरक्षा के साथ पूरा करेगा।

५३. **आक्जिलियरी मैशिन आपरेटर**

एक कुशल श्रमिक जो आक्जिलियरी (सहायक) मशीनों, जैसे रैम इञ्जिन, शाफ्ट-लास्टिंग मशीन, मोटर नौक आउट मशीन, इत्यादि को चलाने में सक्षम है तथा उन कामों में नियोजित है।

उसे उन मशीनों के संचालन का कम-से-कम तीन वर्षों का अनुभव प्राप्त है। उसे उन मशीनों के छोटे-मोटे तथा रूटीन (समयबद्ध) मरम्मतों को कर लेना चाहिये।

५४. **क्रैंक शाफ्ट ग्राइण्डिंग आपरेटर (जुनियर)**

एक कुशल श्रमिक जिसमें :—

१) सभी प्रकार के ग्राइण्डिंग के काम, जिसमें क्रैंक शाफ्ट ग्राइन्डिंग, क्रैम शाफ्ट ग्राइण्डिंग तथा अन्य सिलेन्ड्रिकल कामों सहित सभी प्रकार के सर्फेस ग्राइन्डिंग करने की योग्यता तथा क्षमता है।

२) इञ्जिन ब्लौक एवं इसके उपकरणों की बोरिंग करने की क्षमता है।

३) एसेम्बली के दौरान विभिन्न इञ्जिनों के बियरिंग बोर साइज तथा क्रैंक साफ्ट के माप लेने की क्षमता है।

४) उपरोक्त कार्यों के लिये व्यवहार में आने वाले मशीनों तथा उपकरणों की मरम्मत तथा रूटीन (समयबद्ध) रख-रखाव करने की योग्यता तथा क्षमता है।

एक्सकैवेशन कैटेगरी—'ई'

५५. **ई. पी. ग्रीजर/हेल्पर**

एक अर्द्ध-कुशल श्रमिक जिसे विभिन्न प्रकार के मशीन टूल्स के हैंडलिंग तथा लुब्रिकेटिंग यन्त्रों के व्यवहार में चार वर्षों का अनुभव हैं। उसे साक्षर होना आवश्यक है तथा वह विभिन्न प्रकार के लुब्रिकैंटों, ग्रीजों एवं अन्य औजारों की पहचान कर ले। उसे रोड मेन्टेनेन्स चार्ट तथा अन्य किसी सहायता के बिना भी पावर लुब्रिकेटिंग तथा ग्रीजिंग उपकरणों (यन्त्रों) को आपरेट (संचालन) करने में सक्षम होना चाहिये। उसे तकनिशियनों को मशीनों के उपयोग तथा एसेम्बली उपकरणों के व्यवहार एवं मरम्मत के कामों में सहायता करने में सक्षम होना चाहिये।

कैटेगरी-२ (अर्द्ध-कुशल निम्न)

५६. **मजदूर (वर्कशॉप)**

एक मजदूर जो शॉप फ्लोर पर (कार्यशाला में) कैटेगरी-१ मजदूर के कार्य एवं मैटेरियल हैंडलिंग इत्यादि जैसे अकुशल कामों को करने का दो वर्षों का अनुभवी है।

नोट (द्रष्टव्य) :

१) ये कार्य विवरण उदाहरण के तौर पर हैं और परिपूर्ण तथा विस्तृत नहीं है।

२) तकनिशियनों को उनके द्वारा कार्य के दौरान व्यवहार किये जाने वाले उपकरणों (यन्त्रों) का रूटीन (समयबद्ध) रख-रखाव तथा मरम्मत का कार्य भी कर लेना पड़ेगा तथा अपने कार्य-स्थल को स्वच्छ तथा व्यवस्थित रखना होगा।

३) उन श्रमिकों के लिये जो एक्सकैवेशन सेन्ट्रल वर्कशाप में अन्य कार्य करते हैं उनकी ग्रेडिंग तथा कार्य विवरण सामान्यतः अण्डरग्राउण्ड खदान तथा सहायक इकाई के श्रमिकों के समान ही होगा।

———

संदर्भ सं० सी-५सी/५३२७०/१०६४ २१ जनवरी, १९८०

विषय : **ग्रैच्युटी भुगतान अधिनियम एवं राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के मुताबिक कर्मचारियों को ग्रैच्युटी का भुगतान।**

मासिक दर कर्मचारियों की (पूर्व एन. सी. डी. सी के अतिरिक्त के ग्रैच्युटी भुगतान के सम्बन्ध में) कार्मिक निदेशकों की कोल इण्डिया लि० के मुख्यालय में दिनांक १२ एवं १३ दिसम्बर, १९७९ को हुई ४थी बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर काफी विस्तार से वार्तालाप हुई :—

१) एन. सी. डब्लू. ए.-२ की धारा १०.१.१ के अनुसार एक महीना के वेतन की दर से ग्रैच्युटी के भुगतान हेतु हिसाब निकालने का तरीका।

२) क्या एन. सी. डब्लू. ए.-२ की धारा १०.१.१ द्वारा ग्रैच्युटी भुगतान अधिनियम की धारा ४(३) के प्रावधानों में कोई छूट (ढिलाई) दी गयी है।

उपरोक्त दो बिन्दुओं पर कार्मिक निदेशकों की सिफारिशों को दक्ष प्राधिकार (कम्पीटेन्ट आथोरिटी) द्वारा मंजूरी दी गई और वह आपकी जानकारी एवं क्रियान्वयन हेतु जारी की जा रही है :—

"उपरोक्त बिन्दु सं० १ : एन. सी. डब्लू. ए.-२ की धारा १०.१.१ में उल्लिखित एक माह का वेतन का अर्थ ३० वर्ष से ऊपर प्रत्येक पूरे हुए वर्षों के लिये ग्रैच्युटी का हिसाब निकालने हेतु २६ दिनों के महीना के आधार पर वेतन के हिसाब से जोड़कर रकम निकाला जायगा। ३० वर्षों से कम की सेवा अवधि वाले कर्मचारियों के लिये नीचे दिया गया फार्मूला के हिसाब से जोड़ा जाना जारी रहेगा :—

अन्तिम महीना में प्राप्त वेतन × १५ दिन = प्रत्येक पूरा वर्ष सेवा के लिये
(२६ दिन) ग्रैच्युटी की रकम।

उपरोक्त बिन्दु सं० २ : ग्रैच्युटी भुगतान कानून की धारा ४(३) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार २० माह के वेतन के सीलिंग (सीमावधि) का प्रावधान चालू रहेगा क्योंकि एन. सी. डब्लू. ए.-२ की धारा १०.१.१ के द्वारा इसमें कोई छूट नहीं दी गयी है।

———

क्रम सं० सी. आई. एल./सी-५बी/आई. एम. पी./१/१०

२५ अगस्त, १९८२

क्रियान्वयन आदेश सं०—४०

विषय : **डाटा प्रोसेसिंग कार्मिकों के लिये क्रियान्वयन आदेश :**

१. डाटा प्रोसेसिंग कार्मिकों के विविध विभाग परिशिष्ट-जी पार्ट-सी के सम्बन्ध में एन. सी. डब्लू. ए. के अन्तर्गत नये कार्यों/वर्त्तमान कार्यों को जिसे सम्मिलित नहीं किया गया है उसके सम्बन्ध में जे. बी सी. सी. आई. की सब-कमिटी-'सी' के सर्वसम्मत सिफारिशों की चर्चा स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की ७ एवं ८ अप्रील, १९८२ की बैठक में की गई जिसमें पदनाम एवं ग्रेडों के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया जो परिशिष्ट-'ए' में दिया गया है। यद्यपि क्रियान्वयन आदेश जारी नहीं किया जा सका, क्योंकि स्टैण्डर-डाइजेशन कमिटी के कुछ सदस्यों ने यह महसूस किया कि ग्रेडों के साथ-साथ डाटा प्रोसेसिंग कार्मिकों के कार्य-विवरणों को भी आवश्यक रूप से दिया जाना चाहिये।

२. विभिन्न डाटा प्रोसेसिंग कार्मिकों के कार्य-विवरण पर परिशिष्ट-'बी' के अनुसार निर्णय लिया गया है, तदनुसार क्रियान्वयन आदेश जारी किया जा रहा है।

३. जहाँ कहीं भी आवश्यक होगा ई. डी. पी. कार्मिकों का फिर से कैटेगराइजेशन (पुनर्वर्गीकरण) को परिशिष्ट-'ए' में दर्शाये अनुसार किया जायगा एवं ई. डी. पी. विभाग के अन्य श्रमिक अपनी वर्त्तमान ड्यूटी एवं जिम्मेवारियों को अपने वर्त्तमान ग्रेड में करते रहेंगे और वे वेहतर कार्य-शिफ्ट (पाली) सहित वेहतर उपयोग के लिये प्रबन्धन द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेंगे।

४. जैसा कि जे. बी. सी. सी. आई. की स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी द्वारा स्वीकृत किया गया है, परिशिष्ट-'ए' में उल्लिखित पुनर्वर्गीकरण के लाभ को उन श्रमिकों पर भी लागू किया जायगा जो १-४-१९८० से इस तरह पुनर्वर्गीकृत किये गये हैं।

———

परिशिष्ट—'ए'

स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की १६-५-१९८१ को कलकत्ता में हुए बैठक में डाटा प्रोसेसिंग के सम्बन्ध में सब-कमिटी-'सी'—परिशिष्ट-'जी' के सर्वसम्मत सिफारिशों से सम्बन्धित लिये गये निर्णय

१. **पंच/भेरीफायर आपरेटर ट्रेनी ग्रेड-ई**

भविष्य में पंच/भेरीफायर आपरेटर/डाटा इन्ट्री आपरेटर को सिर्फ तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-ई में ही लिया जायगा। एक वर्ष की ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) पूरा करने के उपरान्त उम्मीदवारों को दक्षता जाँच में भाग लेना होगा। उसमें उतीर्ण (सफल) होने पर, उन्हें तकनिकी एवं सुपरवाइजरी ग्रेड-डी में जुनियर पंच/भेरीफायर आपरेटर के रूप में पदस्थापित किया जायगा।

२. **जुनियर पंच/भेरीफायर आपरेटर (ग्रेड-डी)**

जुनियर पंच/भेरीफायर आपरेटरों को उनके ग्रेड में दो वर्ष के प्रशिक्षण पूरा करने के बाद तकनिकी एवं सुपरवाइजरी ग्रेड-'सी' में पंच/भेरीफायर आपरेटर के रूप में पदस्थापित किया जायगा।

३. पंच/भेरीफायर आपरेटर—ग्रेड-'सी'

४. सिनियर पंच/भेरीफायर आपरेटर—ग्रेड-'बी'

५. शिफ्ट सुपरवाइजर पंच रूम—ग्रेड-'ए'

६. **मशीन आपरेटर (ट्रेनी)—(ग्रेड-डी)**

भविष्य में ट्रेनी मशीन आपरेटरों को सिर्फ तकनिकी एवं सुपरवाइजरी ग्रेड-'डी' में ही लिया जायगा। एक वर्ष का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अभ्यर्थियों को दक्षता जाँच के लिये जाना होगा। उसे पास करने पर उन्हें तकनिकी एवं सुपर-वाइजरी ग्रेड-'सी' में जुनियर मशीन आपरेटर के रूप में पदस्थापित किया जायगा।

७. **जुनियर मशीन आपरेटर—(ग्रेड-'सी')**

जुनियर मशीन आपरेटर उस ग्रेड से दो वर्ष पूरा करने पर तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-'बी' में मशीन आपरेटर के रूप में पदस्थापित किया जायगा।

८. मशीन आपरेटर—'ग्रेड-बी'

९. सिनियर मशीन आपरेटर—ग्रेड-'ए'

१०. मशीन सुपरवाइजर—ग्रेड-'ए'

(ग्रेड में ३ बढ़ती के साथ)

———

टिप्पणी

पंच/भेरीफायर आपरेटरों के लिये :

१. वर्त्तमान ट्रेनी जिन्होंने ट्रेनी के रूप में एक वर्ष पूरा नहीं किया है वे जिस ग्रेड में अभी हैं उसी ग्रेड में रहेंगे ।

२. वर्त्तमान ट्रेनी जिन्होंने ट्रेनी के रूप में एक वर्ष पूरा कर लिया है, उन्हें दक्षता जाँच में जाना होगा एवं उसमें सफल होने पर उन्हें तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-डी में पदस्थापित किया जायगा एवं उनका पदनाम जुनियर पंच/भेरीफायर आपरेटर होगा ।

३. वर्त्तमान के जुनियर पंच/भेरीफायर आपरेटर जो ग्रेड-डी अथवा ग्रेड-सी या ग्रेड-१ क्लर्क हैं उन्हें ग्रेड-सी में पदस्थापित किया जायगा एवं उनका नया पदनाम पंच/भेरीफायर आपरेटर होगा ।

४. वर्त्तमान सिनियर पंच/भेरीफायर आपरेटर जो ग्रेड-बी या ग्रेड-सी अथवा क्लरिकल स्पेशल ग्रेड-१ में हैं वे सिनियर पंच/भेरीफायर आपरेटर के पदनाम पर ही रहेंगे एवं वे ग्रेड-बी में पदस्थापित होंगे ।

मशीन आपरेटरों के लिये :

५. वर्त्तमान ट्रेनी जिन्होंने ट्रेनी के रूप में एक वर्ष पूरा नहीं किया है वे उस ग्रेड में ही रहेंगे जिसमें अभी हैं ।

६. वर्त्तमान ट्रेनी जो तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-सी अथवा क्लर्क ग्रेड-१ में है और ट्रेनी के रूप में एक वर्ष पूरा कर लिया है उन्हें दक्षता जाँच के लिये जाना होगा और उसमें सफल होने पर उन्हें तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-बी में पदस्थापित किया जायगा और उनका पदनाम मशीन आपरेटर रहेगा ।

७. वर्त्तमान मशीन आपरेटर जो तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-बी अथवा क्लरिकल स्पेशल ग्रेड में हैं वे ग्रेड-बी में ही रहेंगे एवं उनका पदनाम मशीन आपरेटर रहेगा ।

———

परिशिष्ट—'बी'

परिशिष्ट-'ए' के अनुसार ई. डी. पी. कार्मिकों के विभिन्न कैटेगरियों का कार्य-विवरण

१. **पंच/भेरीफायर आपरेटर ट्रेनी (तक० एवं सुप० ग्रेड-ई)**

पंच/भेरीफायर आपरेटर ट्रेनी में प्रवेश के लिये निम्नतम योग्यता मैट्रिक होना चाहिये ।

२. **जुनियर पंच/भेरीफायर आपरेटर (तक० व सुप० ग्रेड-डी)**

(क) डाटा इन्ट्री मशीन पर पंचिंग/भेरीफाइंग/कीइंग (चाबी देना) जो भी हो, के द्वारा वरिष्ठों के निर्देशानुसार तथा कार्य के (जाब्स) के आवश्यकतानुकूल कार्य करना ।

(ख) पंच/भेरीफाई मशीन पर प्रति घंटा औसतन ८००० की डिप्रेशन देना ।

(ग) प्रत्येक मशीन के साथ सम्बद्ध लौग शीट/बुक के प्रत्येक कालम को भरकर रखना (मेन्टेन करना) ।

(घ) जब भी जरूरत होगा इनपुट डाटा फाइल तैयार करने से सम्बन्धित क्लरिकल कामों को करना ।

(ङ) मशीन के साथ-साथ कार्य क्षेत्र के इर्द-गिर्द (चारों ओर) स्वच्छता बनाये रखना ।

(च) मशीन के त्रुटियों (खराबियों) की सूचना (रिपोर्ट), उसे ठीक करने के लिये, अपने अधिकारियों को देना ।

(छ) अधिकारियों (वरिष्ठों) से डाटा डाकुमेन्ट इनपुट लेना तथा जैसा भी लागू हो, उसे आउटपुट के साथ वापस करना ।

(ज) समय-समय पर अपने वरिष्ठों/सुपरवाइजरों द्वारा सौंपे गये अन्य कोई भी दूसरे कामों को करना ।

३. पंच/भेरीफायर आपरेटर (तक० एवं सुप० ग्रेड-'सी')

(क) सलाह के मुताबिक सुपरवाइजरों से डाकुमेन्ट्स (कागजात) एकत्र करना तथा कोई दिक्कत होने पर उस समस्या के समाधान तथा उसे समझने हेतु सुपरवाइजर से मार्ग-निर्देशन प्राप्त करना ।

(ख) मशीन चलाकर (आपरेट करके) कागजातों (डाकुमेन्टों) को प्रोसेस करना । डाकुमेन्टों को नये कार्ड में पंच करना, अथवा पंच हो जाने पर कार्डों की जाँच खुद तथा जाँच मशीनों पर करना कि कार्ड डिजाइन तथा वांछित कार्य के अनुरूप पंच हुआ है अथवा नहीं ।

(ग) सुपरवाइजरों से जमा/पंच किये हुए, जैसा भी हो, कार्डों में से नया कार्ड लेना तथा मशीन में लगाना ।

(घ) प्रोग्राम पैनल अथवा प्रोग्राम कार्ड बनाना और उन्हें मशीन में लगाना ।

(ङ) प्रोसेस/पूरा किये हुए कार्डों को उनसे सम्बन्धित कागजातों के साथ सुपरवाइजर के पास जमा देना ।

(च) मशीन की समस्या/ब्रेकडाउन का रिपोर्ट सुपरवाइजर को देना ।

(छ) मशीन के क्षेत्र को न तो खोलना न ही उनके पुर्जों को हाथ लगाना ।

(ज) कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत स्वच्छता बनाये रखना ।

(झ) प्रति घंटा ८००० के औसत से डिप्रेशन उत्पादित करना ।

(ञ) आवेदनों को सुपरवाइजर के जरिये से अग्रसारित करना ।

(ट) समय-समय पर अपने से वरिष्ठों/सुपरवाइजरों द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य किसी भी काम को करना ।

४. सिनियर पंच/भेरीफायर आपरेटर (तक० व सुप० ग्रेड-बी)

(क) पंच/भेरीफायर आपरेटर का सभी कार्य करने के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यों को करना ।

(ख) औसत उत्पादन १०,००० की—डिप्रेशन प्रति घंटा देना जो कि पंच/भेरीफायर आपरेटर के लिये ८००० की—डिप्रेशन प्रति घंटा है ।

(ग) यद्यपि मुख्य कार्य भेरिफाइंग (जांच करना) है फिर भी जब कभी आवश्यक होगा पंचिंग का कार्य करेगा ।

(घ) पी. भी. ओ. (पंच भेरीफायर आपरेटरों) को असुविधा के समय मार्ग-दर्शन देना एवं यदि उसे सौंपा जाय तो उन कार्यों को करना ।

(ङ) समय-समय पर अपने वरिष्ठों/सुपरवाइजरों द्वारा जो भी अन्य कार्य (जाब) सौंपा जाय उसे करना ।

५. शिफ्ट सुपरवाइजर, पंच रूम (तक० व सुप० ग्रेड-ए)

(क) इनपुट कागजातों को प्राप्त करना, उन्हें रेकार्ड करना एवं उनका बंटवारा करना ।

(ख) व्यक्तिगत आपरेटरों का मार्ग-निर्देशन करना एवं कार्यक्रम के मुताबिक सही उत्पादन को सुनिश्चित करना ।

(ग) कार्ड व स्टेशनरी की मांग करना तथा जैसा आवश्यक हो तदनुरूप रेकार्डों को रखना ।

(घ) वैसा रजिस्टर (खाता) रखना जिसमें कार्य की प्रगति एवं व्यक्ति की प्रगति तथा अन्य सूचनाओं तथा सलाहों (सुझावों) को जैसा आवश्यक समझा जाय तदनुरूप रखना ।

(ङ) बुलावा पत्र (काल शीट) रखना तथा इन्जीनियरों द्वारा दोषों को ठीक कराना ।

(च) आवश्यक कागजातों के साथ डाटा आउटपुट फाइल को मशीन/कम्प्यूटर घर में भेजना ।

(छ) मशीनों सहित सेक्सन (विभाग) की स्वच्छता को सुनिश्चित करना ।

(ज) अपने से उच्चाधिकारियों को कार्य के प्रगति की रिपोर्ट देना ।

(झ) अन्य दूसरा वह सभी कार्य करना जो उसके वरिष्ठों/सुपरवाइजरों द्वारा समय-समय पर सौंपा जाय ।

६. मशीन आपरेटर (ट्रेनी) (तक० व सुप० ग्रेड-डी)

(क) मशीन आपरेटर ट्रेनी के रूप में प्रवेश पाने के लिये निम्नतम योग्यता बी. एस. सी./बी. काम. होगा ।

७. जुनियर मशीन आपरेटर (तक० व सुप० ग्रेड-सी)

(क) युनिट रेकार्ड मशीन आपरेट करने के साथ ही साथ तत्सम्बन्धी अन्य मशीनों, जैसे सार्टर, कोलेटर, रि-प्रोड्यूसर इत्यादि मशीनों को आपरेट करना ।

(ख) मशीन पर प्रोसेसिंग के लिये कार्डों को चढ़ाना ।

(ग) मशीन पर उपयुक्त पैनल, सही कैरेज टेप, सही स्टेशनरी इत्यादि ही लगाना (फिट करना) ।

(घ) सुपरवाइजर अथवा इनपुट आउटपुट सेक्सन, जो भी हो, को वांछित उत्पादन (आउटपुट) देना ।

(ङ) प्रोसेस किये हुए कार्डों, पैनल, कैरेज टेप तथा स्टेशनरी इत्यादि हटाकर (अनलोड करके) उन्हें यथा-स्थान रखना ।

(च) मशीन आपरेटरों को पैनल बनाने में सहायता पहुंचाना एवं छोटे कार्य के पैनल का तार खुद तैयार करना ।

(छ) विभिन्न कार्यों एवं उनकी प्रगति के लिये अलग-अलग खाता (रजिस्टर) रखना ।

(ज) मशीन के साथ लगे हुए प्रत्येक मशीन का लौग-बुक रखना ।

(झ) मशीन आपरेटर अथवा सिनियर मशीन आपरेटर या मशीन रूम सुपरवाइजर को ब्रेकडाउन होने से उसकी सूचना देना ।

(ञ) आपातकालीन स्थिति के समय सीधा इञ्जीनियर को बुलाना ।

(ट) मशीन एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखना ।

(ठ) छापने वाले फीते (रिबन) को बदलना ।

(ड) समय-समय पर वरिष्ठों/सुपरवाइजरों द्वारा सौंपे गये अन्य किसी भी कार्य को करना ।

८. मशीन आपरेटर (तक० व सुप० ग्रेड-बी)

(क) जुनियर मशीन आपरेटर के सभी कार्यों को करने के अतिरिक्त निम्नलिखित कामों को भी करेगा ।

(ख) जहाँ आवश्यक हो पैनल बनाना व सिनियर मशीन आपरेटर से सलाह प्राप्त करना ।

(ग) ब्रेकडाउन होने पर मशीन के दोष को पकड़ना तथा आवश्यक होने से इञ्जीनियर को बुलाना ।

(घ) पैनल तैयार करने के लिये आवश्यक सभी चार्जों तथा फ्लो डायग्रामों को बनाना ।

(ङ) जैसा और जब जरूरत पड़े पैनलों की जाँच करना ।

(च) पुराने पैनलों में संशोधन करना ।

(छ) आवश्यकता के अनुसार कैरेज टेप इत्यादि तैयार करना ।

(ज) उसके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य सभी दूसरे कार्यों को करना ।

९. **सिनियर मशीन आपरेटर (तक० व सुप० ग्रेड-ए)**

(क) पैनेलिंग का कार्य करना तथा यदि आवश्यक हो तो मशीनों को भी आपरेट करना ।

(ख) मशीन आपरेटरों को समझाना एवं यदि आवश्यक हो तो कठिन पैनेलों को खुद तैयार करना ।

(ग) ब्रेकडाउन की हालत में इन्जीनियर को बुलाना तथा दोषों को दूर करने में उनकी सहायता करना ।

(घ) आवश्यकतानुसार स्टेशनरी कार्ड एवं अन्य सामानों का इन्डेंट करना ।

(ङ) प्रोसेस हो रहे कार्यों की निगरानी रखना एवं मशीनों की क्षमता के अनुसार व्यक्ति की प्रगति तथा मशीनों पर जाम कार्य इत्यादि एवं उपलब्ध सुविधाओं (जैसे जॉब पैनेल इत्यादि) का ख्याल रखना ।

(च) मशीन सुपरवाइजरों एवं आफिसर-इन-चार्ज के साथ समन्वय करना ।

(छ) सिनियर मशीन आपरेटर की सहायता करना एवं लेखन कार्य में उसके कौशल को बढ़ाना ।

(ज) मशीन रूम (कमरों) की स्वच्छता एवं सफाई बरकरार रखना ।

(झ) समय-समय पर उसके वरिष्ठों/सुपरवाइजरों द्वारा सौंपे गये अन्य किसी भी कार्य को करना ।

१०. **मैशिन सुपरवाइजर (तक० व सुप० ग्रेड-'ए' में ३ बढ़ती के साथ)**

(क) विभिन्न इकाई रेकार्डिंग मशीनों पर जाब्स (कार्यों) के प्रोसेसिंग के लिये कार्यक्रम (शिड्यूल) तैयार करना ।

(ख) आपरेटरों के बीच कार्यों (जाब्क) का बटवारा करना एवं उनका समन्वय रखना ।

(ग) आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार के स्टेशनरी, कार्ड तथा अन्य सामानों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना ।

(घ) प्रोसेस हो रहे कार्यों का ख्याल रखना तथा उनकी प्रगति की देखभाल करना ।

(ङ) मशीन आपरेटरों तथा आफिसर इन्चार्ज के बीच समन्वय रखना ।

(च) जुनियर मशीन आपरेटर एवं सिनियर मशीन आपरेटरों इत्यादि को सिखाने के अतिरिक्त ट्रेनी आपरेटरों को उनका कार्य सीखने में दिशा-निर्देश देना ।

(छ) मशीन सहित मशीन-रूम की सफाई-स्वच्छता को सुनिश्चित करना ।

(ज) समय-समय पर वरिष्ठों/सुपरवाइजरों द्वारा सौंपे गये अन्य किसी भी कार्यों को करना ।

द्रष्टव्य : उपरोक्त सभी कार्य-विवरण सिर्फ सांकेतिक हैं और वे विस्तृत नहीं हैं ।

———

क्र० सं० सी. आई. एल. : III जे. बी. सी. सी. आई./९९/९०

दिनांक : ८ अक्टूबर, १९८२

क्रियान्वयन आदेश सं०—४१

विषय : **वाशरीज के नये कार्यों, अण्डरग्राउण्ड खदान में नये कार्यों, बरकाकाना एवं कोरबा के केन्द्रीय वर्कशाप के कार्यों बृहत् आकार की समन्वित जल आपूर्ति योजना एवं डाटा प्रोसेसिंग कार्मिकों के सम्बन्ध में क्रियान्वयन आदेश।**

तृतीय जे. बी. सी. सी. आई. के द्वितीय बैठक जो ११ सितम्बर, १९८२ को हुई उसमें एक सब-कमिटी गठित की गई जिसे अन्य मुद्दों के साथ-साथ निम्नलिखित मुद्दों की जांच करने का भार दिया गया :—

(क) सब-कमिटियों की सर्व-सम्मत सिफारिशें जिन्हें जे. बी. सी. सी. आई.-२ के समक्ष अनुमोदन हेतु नहीं रखा जा सका, अतः वे जे. बी. सी. सी. आई. द्वारा अनुमोदित नहीं हुए।

(ख) सब कमिटियों की सर्व-सम्मत सिफारिशें जिनपर प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गई साथ ही अन्य सब-कमिटियों इत्यादि की सिफारिशें अथवा अन्य जटिलताएं जिन्हें हल करना बाकी है।

२. सब-कमिटियों से उपरोक्त के सम्बन्ध में उनकी अन्तिम सिफारिशों को दो सप्ताह के अन्दर जमा कर देना चाहिये। तदनुसार, इसकी बैठकें २३ एवं २४ सितम्बर, १९८२ को हुई और उसमें पिछले सब-कमिटी-'ए' 'बी' एवं 'सी' की सर्वसम्मत सिफारिशों एवं क्रियान्वयन आदेश संख्या-३९ दिनांक १० अगस्त, १९८२ (जिसके तहत तीन सब-कमिटियों की लम्बित सर्व-सम्मत सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु आदेश जारी किये गये) तथा क्रियान्वयन आदेश संख्या-४० दिनांक २५ अगस्त, १९८२ (डाटा प्रोसेसिंग कार्मिकों से सम्बन्धित) पर विचार विमर्श किया।

३. तृतीय जे. बी. सी सी. आई. के तीसरे बैठक में जो ४ अक्टूबर, १९८२ को हुई में सब-कमिटियों की रिपोर्ट पर विचार किया

गया एवं सब-कमिटी की रिपोर्ट को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त निर्णयों के मुताबिक एवं सब-कमिटी की रिपोर्ट के मद्देनजर यद्यपि क्रियान्वयन आदेश सं० ३९ दि० १० अगस्त, १९८२ में निम्नलिखित संशोधन किये जायंगे :—

परिशिष्ट—२९

१. क्रम संख्या-१—कोल हैण्डलिंग प्लांट (सी. एच. पी.) आपरेटर-कम-डिस्पैचर कैटेगरी क्लरिकल, ग्रेड-२ की जगह ग्रेड-डी होना चाहिये।

२. क्रम संख्या-२—हॉलेज-कम-स्विच अटेन्डेन्ट—"कैटेगरी-४, ५ एवं ६ जो हालेज के हार्स पावर पर निर्भर करेगा"—निम्नलिखित जोड़ा जायगा :—

(क) हॉलेज खलासी जो ७५ एच. पी. से कम का हॉलेज चलाते हैं उन्हें अतिरिक्त कार्य करने हेतु कैटेगरी-३ की बजाय कैटेगरी-४ दिया जायगा।

(ख) हॉलेज खलासी जो ७५ एच. पी. से १२५ एच. पी. के बीच हॉलेज आपरेट करते हैं उन्हें अतिरिक्त कार्य करने हेतु कैटेगरी-४ की बजाय कैटेगरी-५ दिया जायगा।

(ग) हॉलेज खलासी जो १२५ एच. पी. के ऊपर का हॉलेज आपरेट करते हैं उनके द्वारा अतिरिक्त कार्य किये जाने को मद्देनजर रखते हुए कैटेगरी-५ की बजाय कैटेगरी-६ दिया जायगा।

४. उक्त कमिटी ने यह भी निर्णय लिया कि द्वितीय जे. बी. सी. सी. आई. की सब-समिटी-बी के सर्वसम्मत निर्णयों को, जो अण्डर-ग्राउण्ड खदान के नये कार्यों से सम्बन्धित हैं, उन्हें स्वीकृत तथा क्रियान्वित किया जायगा। तदनुसार, अण्डरग्राउण्ड खदान में नये कार्य के सम्बन्ध में निम्नलिखित पदनाम, कार्य-विवरण एवं ग्रेड/कैटेगरी को क्रियान्वित किया जायगा।

———

अण्डरग्राउण्ड माइन्स के ऊपर जे. बी. सी. सी. आई.-२ के सब-कमिटी-'बी' की सर्वसम्मत सिफारिशें (परिशिष्ट—१ दिनांक १९-७-१९७९)

१. **साइड-डम्प लोडर ऑपरेटर ग्रेड-१ (एक्सकवेशन ग्रेड-'सी' हेतु सिफारिश)**

एक कुशल श्रमिक जो यंत्रों को आपरेट करता है और तत्सम्बन्धी काम का कार्यानुभव रखता है जिससे छोटा-मोटा चालू रख-रखाव कर सके और ०.७५ क्यू० मी० (घनमीटर) अथवा उससे अधिक क्षमता के बकेट के लोडर को आपरेट करता है ।

४. **लोड-हॉल-डम्पर ऑपरेटर ग्रेड-१ (एक्सकवेशन ग्रेड-सी हेतु सिफारिश)**

एक कुशल श्रमिक जो यंत्रों को चलाता है और तत्सम्बन्धी काम का कार्यानुभव रखता है जिससे छोटा-मोटा चालू रख-रखाव कर सके और ०.७५ क्यू० मीटर (घनमीटर) अथवा उससे अधिक क्षमता के बकेट के लोडर को ऑपरेट करता है ।

७. **रोड-हेडर ऑपरेटर ग्रेड-१ (एक्सकवेशन ग्रेड-'ए' हेतु सिफारिश)**

एक अति उच्च कुशल श्रमिक जो मशीन ऑपरेट करता है तथा कोल कटिंग मशीन, प्लाउ, लोडर अथवा समान आकार के अन्य मशीनों को ऑपरेट करने का ७ वर्ष का अनुभव है तथा १५० के. डब्लू. या इससे अधिक क्षमता वाले हेडरों को आपरेट करता है । उसे मशीन सम्बन्धी सामान्य ज्ञान होना चाहिये तथा छोटा-मोटा चालू मरम्मत तथा रख-रखाव करने में सक्षम होना चाहिये । उन लोगों के लिये जो तकनिकी योग्यता रखते हैं और मशीन पर प्रशिक्षित हैं तथा विशेष जानकारी रखते हैं उनके लिये अनुभव में दो वर्षों की रियायत दी जायगी ।

८. **रोड-हेडर ऑपरेटर ग्रेड-२ (एक्सकवेशन ग्रेड-'बी' हेतु सिफारिश)**

ऊपर की तरह ही परन्तु आवश्यक अनुभव को कम करके ५ वर्ष तक किया जा सकता है तथा उन लोगों के लिये जिनके पास तकनिकी योग्यता है और प्रशिक्षित हैं उनके लिये आवश्यक अनुभव डेढ़ वर्ष होगा ।

५. इन आदेशों के साथ क्रियान्वयन आदेश सं०-३९ दिनांक १० अगस्त, १९८२ के अन्तर्गत हुए आदेश १५ अगस्त, १९८२ से लागू होंगे ।

———

सं० सी. आई. एल./सी-५(बी)/३१५ दिनांक १० मार्च, १९८३

क्रियान्वयन आदेश संख्या—४२

विषय : एन. सी. डब्लू. ए.-२ की धारा १०.३.१ के अनुसार श्रमिक क्षतिपूर्ति लाभ का भुगतान।

संदर्भ : क्रियान्वयन आदेश संख्या-३ दिनांक २७/२९ अगस्त, १९७९।

१. ज्ञातव्य है कि एन. सी. डब्लू. ए-२ की धारा १०.३.१ में यह प्रावधान है कि "यदि कोई कर्मचारी कार्यविधि में कार्य से उत्पन्न दुर्घटना के फलस्वरूप अपंग होता है तो वह अपने बुनियादी वेतन एवं मंहगाई भत्ता का भुगतान दुर्घटना के दिन से जब तक वह कम्पनी के चिकित्सा अधिकारी द्वारा फिट घोषित नहीं कर दिया जाता तब तक पाता रहेगा".....

२. ऐसे कई उदाहरण सामने आये हैं जहाँ तात्कालिक अपंगता बाद में स्थायी/आंशिक अपंगता में बदल गयी है और इसके फलस्वरूप श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रावधान के अनुसार एक मुस्त क्षतिपूर्ति का भुगतान आवश्यक हो जाता है। इस तरह अपंगता की अवधि के लिये पूरी अपंगता/आंशिक/सम्पूर्ण अपंगता के लिये भुगतान योग्य क्षतिपूर्ति की राशि से हुए भुगतान के समायोजन का सवाल पहले जे. बी. सी. आई. की बैठक में आया था।
तीसरी जे. बी. सी. सी. आई. की ८ एवं ९ फरवरी, १९८३ को हुए आठवें बैठक में "यह समझौता हुआ कि कार्यविधि में दुर्घटना के फलस्वरूप अस्थायी अपंगता की अवधि में किसी कर्मचारी को हुए वेतन के भुगतान का समायोजन उसे किसी स्थायी, आंशिक अथवा पूर्ण अपंगता के लिये मिलने वाले क्षतिपूर्ति की रकम से नहीं किया जायगा।"

३. उपरोक्त समझौता के मद्देनजर सभी सम्बन्धितों से इसके द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि जे. बी. सी. सी. आई. के सर्व-सम्मत निर्णय को क्रियान्वित करें तथा अस्थायी अक्षमता की अवधि में हुए वेतन भुगतान का समायोजन उसे दूर्घटनाग्रस्त होकर हुए स्थायी/आंशिक/पूर्ण अपंगता हेतु मिलने वाले क्षतिपूर्ति की रकम से नहीं किया जाय।

———

सं० जे. बी. सी सी. आई./३/९४/आई. एम. पी./१९८५

२ सितम्बर, १९८३

क्रियान्वयन आदेश सं०—४३

विषय : जे. बी. सी. सी. आई.-२ की सब-कमिटी-'ए' के वाशरियों में नये कार्यों से सम्बन्धित छूटे हुए २३ पदनामों का क्रियान्वयन।

क्रियान्वयन आदेश सं० ३३ दिनांक १६ मार्च, १९८१ एवं क्रियान्वयन आदेश संख्या ३९ दिनांक १० अगस्त, १९८२ के आगे दिनांक २०-७-१९७९ के प्रतिवेदन का परिशिष्ट-१ एवं दिनांक २-८-१९७९ के प्रतिवेदन के परिशिष्ट-१ एवं २ (जिसके सम्बन्ध में सब-कमिटी में कोई राजीनामा नहीं हुआ) पर जे. बी. सी. सी. आई.-३ की वेतन ढांचा गठन कमिटी की २८ अगस्त, १९८३ को हुए बैठक में बातचीत हुई एवं परिशिष्ट-१ में दिये अनुसार राजीनामा पर पहुँचा गया।

उपरोक्त समझौता को इसके साथ ही प्रसारित किया जा रहा है एवं अनुरोध किया गया है कि उसे क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक कदम उठाया जाय।

———

परिशिष्ट—१

कोल वाशरियों से सम्बन्धित वेतन मंडल द्वारा छूटे गये कार्यों के पदनाम, कैटेगरी एवं कार्य-विवरण जिसका फैसला (निर्णय) जे. बी. सी. सी. आई.-३ की वेतन संरचना गठन समिति द्वारा किया गया

कैटेगरी-२

१. **इलेक्ट्रिकल हेल्पर**

एक श्रमिक जो जाँच से सम्बन्धित व्यवहार के विभिन्न अवयवों जैसे मीगर, टॉम्सटर्स, आभो-मीटर इत्यादि से भिज्ञ है। उसको तन्दुरुस्त होना चाहिये जिससे कार्य के दौरान लगने वाले सिढ़ी तथा तारों को ढो सके। उसे अपने से सम्बन्धित मशीनों को स्वच्छ रखना चाहिये। उसे सभी सुरक्षा नियमों का ध्यान रखते हुए ब्लोअर की सहायता से पैनेल तथा केबल कैरियर से धूल हटाने की जानकारी होनी चाहिये। उसे अपने यंत्रादि को सही ढंग से रखना चाहिये।

२. **वेल्डिंग हेल्पर**

एक श्रमिक जो किसी एसेटाइलिन वेल्डिंग प्लांट तथा इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का काम ठीक ढंग से एकत्र करने में सक्षम है। उसे उपरोक्त प्लांटों के सभी पुर्जों तथा विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड्स की जानकारी होनी चाहिये। उसे इतना तन्दुरुस्त होना ही चाहिये जिससे वह १०० फीट वेल्डिंग तार, गेज तथा गैस सिलेण्डर कार्य स्थल तक ले जा सके।

३. **फिटर हेल्पर/ग्रीजर**

एक श्रमिक जो फिटरों के काम में लगने वाले सभी यंत्रों और औजारों के नामों को जानता है। उसे माप लेने में सक्षम होना

चाहिये तथा वह कन्वेयर इडलर्स, ड्राइविंग चेन तथा भी बेल्ट इत्यादि की फिटिंग करता हो। उसे मशीनों में लुब्रिकेट और ग्रीज देने में सक्षम होना चाहिये तथा विभिन्न प्रकार के लुब्रिकेंट्स के अन्तर को पहचानना चाहिये।

द्रष्टव्य :

यदि वह सिर्फ फिटर हेल्पर है तो उसे कैटेगरी-२ में रखा जायगा एवं यदि वह फिटर हेल्पर और ग्रीजर का काम करता है तो उसे कैटेगरी-३ में रखा जायगा तथा उसका पदनाम फिर से फिटर हेल्पर-कम-ग्रीजर कर दिया जायगा।

कैटेगरी-४

४. **मेकैनिकल फिटर—ग्रेड-३**

एक श्रमिक जो बियरिंग, चाभी इत्यादि के यथार्थ फायलिंग तथा ठीक-ठीक फीटिंग करने में सक्षम है। उसे चेन ड्राइभ को एडजस्ट करने तथा बेल्ट कन्वेयर को सही लाइन में करने में सक्षम होना चाहिये। उसे वाशरी के अन्य मशीनों के साथ-साथ फिल्टर कपड़ा तथा जाली (चलनी), पानी गिराने की मशीन तथा धुलाई मशीनों तथा इनके यंत्रादि की मरम्मत करने में सक्षम होना चाहिये।

५. **इलेक्ट्रिकल फिटर/इलेक्ट्रिशियन—ग्रेड-३**

एक श्रमिक जो घर की वायरिंग व ट्यूबलाइट फीटिंग करना जानता है तथा विभिन्न प्रकार के बिजली की जाँच करने वाले यंत्रों जैसे मीगर, टोंगटेस्टर, स्पीडोमीटर इत्यादि के उपयोग की जानकारी रखता है। वह अपने कार्य से सम्बन्धित मशीनों को साफ-सुथरा रखने हेतु जिम्मेवार होगा। उसे सुरक्षा के उपाय तथा बिजली के झटका की चिकित्सा को जानना अनिवार्य है। उसे निम्न टेन्सन यंत्रों पर कार्य करने में सक्षम होना चाहिये तथा तत्सम्बन्धी वैधानिक योग्यता प्राप्त होना चाहिये।

६. आपरेटर—ग्रेड-३

एक श्रमिक जो सामान्यतः वाशरी में अपनाये जाने वाले विभिन्न प्रक्रियाओं के साथ ही उनकी विधि तथा गुणवत्ता नियंत्रण से परिचित है। उसे कन्ट्रोल स्विचों को चलाने में सक्षम होना होगा। उसे मशीनों की देख-रेख करने में सक्षम होना चाहिये और उनकी खामियों (दोषों) को पकड़ सके। उसे अपने अधीन के सभी मशीनों और यंत्रों को साफ सुथरा रखना होगा। वह सुपरवाइजरों के अधीन उनके निर्देशानुसार कार्य करेगा।

कैटेगरी-५

७. मेकैनिकल फिटर—ग्रेड-२

एक श्रमिक जो बियरिंग तथा चाभियों इत्यादि के सही फायलिंग और फीटिंग में सक्षम है। उसे किसी भी खास काम (जॉब) में कितने टोलरेन्स की आवश्यकता है उसकी जानकारी रखना जरूरी है। उसे कोल प्रिपरेशन प्लांट में व्यवहार होने वाले मशीनों तथा यंत्रों की जानकारी होनी चाहिये। साथ ही कच्चा कोयला (रॉ कोल) प्राप्ति की व्यवस्था की भी जानकारी हो। उसे वैसे मशीनों को खोलने तथा ठीक करने में सक्षम होना चाहिये।

८. इलेक्ट्रिकल फिटर/इलेक्ट्रिशियन—ग्रेड-२

एक श्रमिक जिसे मध्यम दवाब तक का न्यायोचित योग्यता प्राप्त है तथा डायग्रामों को पढ़ने में सक्षम है एवं वायरिंग सर्किट की पूरी जानकारी है। उसे समुचित समय के भीतर दोषों को पकड़ने तथा उसे ठीक करने में सक्षम होना चाहिये। उसे विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरणों जैसे मीगर, भोल्टमीटर, टोंगटेस्टर तथा वॉट मीटर इत्यादि की जानकारी होनी चाहिये। उसे मोटर तथा ट्रान्सफार्मर वाइंडिग की भी जानकारी होनी चाहिये। इनके अतिरिक्त उसे अपने से सम्बन्धित मशीनों और यंत्रों को साफ रखना पड़ेगा।

९. वेल्डर—ग्रेड-२

एक श्रमिक जो बिजली तथा एसेटाइलिन वेल्डिंग प्लांट दोनों को ही चला सके तथा जिसे सभी प्रकार के वेल्डिंग के कामों की अच्छी जानकारी है। वेल्डिंग के काम में लगने वाले सभी प्रकार के वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स की अच्छी जानकारी उसे होनी चाहिये। उसे स्वतन्त्रता पूर्वक कार्य करने में सक्षम होना चाहिये।

१०. आपरेटर—ग्रेड-२

एक श्रमिक जो किसी वाशरी में अख्तियार किये जाने वाले विभिन्न तरीकों जैसे जिग प्रोसेस, हेभी मिडिया सेपरेशन, साइक्लोन प्रोसेस, फाइन्स रिकभरी प्रोसेस तथा स्क्रीनिंग तथा साइजिंग जो आर. ओ. एम. साइज का हो के प्रोसेस के साथ विभिन्न तरीकों की जानकारी रखता है। उसे साइट कन्ट्रोल बोर्ड को स्वतंत्र रूप से चलाने में सक्षम होना चाहिये। वह धुलाई किये गये कोयले की क्वालिटी को विभिन्न समायोजन (एडजस्टमेंट) करके जैसे वौम जिग में पानी, हेभी मीडिया तथा दोनों तरीकों में सही मीडिया के बनाने में सक्षम हो। उसे मशीन के दोषों को पकड़ने की जानकारी होनी चाहिये। उसे अपने पैनेल तथा मशीनों को साफ-सुथरा रखना चाहिये। उसे अपने विभाग का दैनिक कार्य विवरण लिखने में सक्षम होना चाहिये।

११. फिटर-कम-आपरेटर—ग्रेड-३

एक श्रमिक जो कोल प्रिपरेशन के साथ प्रोसेस तथा क्वालिटी कन्ट्रोल में व्यवहृत होने वाले विभिन्न तरीकों का जानकार है। वह सही फायलिंग, फिटिंग तथा मरम्मत इत्यादि करने में सक्षम है। उसे चेन ड्राइव के एडजस्टमेंट तथा बेल्ट कन्वेयर के एलाइन (सीधा) रखने में सक्षम होना चाहिये। उसे विभिन्न कन्ट्रोल स्विचों को आपरेट करने तथा उसके अधीन के किसी भी मशीन की गड़बड़ियों को पकड़ने में सक्षम होना चाहिये। उसे अपने अधीन के मशीन तथा यंत्रों की मरम्मत करने में सक्षम होना होगा। उसे अपने अधीन के मशीनों और यंत्रों को साफ-सुथरा रखना होगा।

जहाँ कहीं भी ज्वाइंट फिटर-कम-आपरेटर का पद है उसको फिटर-कम-आपरेटर ग्रेड-३ के रूप में फिर से पदस्थापित किया जायगा।

कैटेगरी-६

१२. आपरेटर—ग्रेड-१

एक कुशल श्रमिक जिसे किसी कोल वाशरी में प्लांटों की पूरी जानकारी, फ्लो डायग्राम तथा कोल हैण्डलिंग के विभिन्न तौर-तरीकों और प्रिपरेशन तकनीक का पूरा ज्ञान हो। चालू स्थिति में (ऑपरेशन के दौरान) होने वाले खामियों को पहचानने तथा चालू मरम्मत करने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिये। उसे प्लांट के वांछित क्वालिटी कन्ट्रोल तकनीक की अच्छी जानकारी होनी चाहिये और विभिन्न एडजस्टमेंट (समायोजन) करने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिये। उसे मैग्नेटाइट, पाइन आयल इत्यादि के नियंत्रण और खपत की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिये। उसे एक सिंगल मशीन अथवा कई मशीनों के समूह को चलाने की जिम्मेवारी दी जा सकती है और उसमें यह उत्तरदायित्व वहन करने की क्षमता होनी चाहिये। उसके अधीन के सेक्सन में कामों के सही संयोजन की क्षमता होनी चाहिये, उसके चार्ज के सेक्सन की सफाई तथा रख-रखाव के लिये वह जिम्मेवार होगा तथा अपने शिफ्ट का विस्तृत कार्य विवरण (रिपोर्ट) लिखने की जिम्मेवारी भी उसी की होगी।

१३. मेकैनिकल फिटर—ग्रेड-१

एक श्रमिक जो बियरिंग तथा चाबियों की सही फायलिंग तथा फिटिंग करने में सक्षम है। उसे किसी खास काम के लिये वांछित टोलरेंस की डिग्री की जानकारी हो। सही माप के लिये इनिक्रोमीटर तथा उसी प्रकार के अन्य यंत्रों को पढ़ने और उसके व्यवहार की जानकारी हो। कोल प्रिपरेशन प्लांट (रॉ कच्चा कोयला प्राप्त करने की व्यवस्था सहित) में लगने वाले यंत्रों तथा

मशीनों की पूरी जानकारी होनी चाहिये। उसे वैसे मशीनों को खोलने ओभरहाल करने तथा दोषों को ठीक करने की क्षमता होनी चाहिये। उसमें साधारण स्केच बनाने, स्ट्रक्चरों, च्यूट, पाइप बेन्ड, लाउण्डर इत्यादि को नमूना अथवा ड्राइंग के मुताबिक फैब्रिकेट करने की क्षमता भी होनी चाहिये। उसके लिये वेल्डिंग और गैस कटिंग की जानकारी रखना वांछनीय होगा।

१४. इलेक्ट्रिकल फिटर/इलेक्ट्रिशियन—ग्रेड-१

एक श्रमिक जिसमें वांछित योग्यता हो, डायग्राम पढ़ सके तथा वायरिंग सर्किट एवं बिजली सम्बन्धी सभी यंत्रों जैसे मल्टी-मीटर, भोल्टमेन्ट एवं वाट मीटर इत्यादि की गहन जानकारी हो। उसमें निम्नतम समय में दोषों को पकड़ने एवं उसे दूर करने की क्षमता होनी चाहिये और सम्बन्धित यंत्रों को खोल भी सके। उसे सिक्वेन्स सेन्ट्रल और केबल ज्वाइन्टिंग सर्किट की भी गहन जानकारी होनी चाहिये। उसके लिये विभिन्न विद्युत मशीन जैसे ३ फेज ट्रान्सफार्मर, इन्डक्सन मोटर, सिक्रोन्स मोटर, वेल्डिंग ट्रान्सफार्मर तथा वाशरी में लगने वाले थायट्रन तथा थस्टर कन्ट्रोल इत्यादि की सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान होना जरूरी है। उसे स्वतन्त्र रूप से कार्य करने में सक्षम होना चाहिये। उसे हाई टेन्सन यंत्रों पर कार्य करने में सक्षम होना चाहिये एवं उसके पास न्यायसम्मत वांछित प्रमाण पत्र हो। इनके अतिरिक्त उसके लिये अपने से सम्बन्धित मशीनों और यंत्रों की सफाई करना आवश्यक है।

१५. भल्केनाइजर—ग्रेड-१

एक श्रमिक जो बेल्टिंग प्रिपरेशन के चेकिंग, निरीक्षण तथा भल्केनाइज्ड जोड़ों व बेल्टिंग के एलाइनमेन्ट के लिये जिम्मेवार है। उसे बेल्टिंग के स्पेसिफिकेशन, इसके भार वहन की क्षमता तथा भल्केनाइजिंग इत्यादि में व्यवहार किये जाने वाले अन्य सामानों तथा यंत्रों के सम्बन्ध में गहन जानकारी होनी चाहिये। आगे उसे ठंढा (कोल्ड) भल्केनाइजिंग के तरीकों एवं गरम भल्केनाइजिंग इत्यादि के तरीकों की गहन जानकारी होनी चाहिये।

१६. **वेल्डर—ग्रेड-१**

एक अति कुशल श्रमिक जिसे बिजली तथा गैस दोनों से सभी प्रकार के वेल्डिंग तथा कटिंग के काम का अनुभव है। उसे सभी प्रकार के वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स तथा उनके प्रयोग की अच्छी जानकारी होनी चाहिये। उसे प्लांट में कठिन तथा उच्च दबाव (हाई प्रेशर) वेल्डिंग करने में सक्षम होना चाहिये। उसे स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने तथा निम्न कैटेगरी के वेल्डरों को परामर्श देने तथा उसकी देख-रेख करने में सक्षम होना चाहिये।

१७. **फिटर-कम-आपरेटर—ग्रेड-२**

एक श्रमिक जो इलेक्ट्रिकल तथा मेकैनिकल मेन्टेनेन्स (रख-रखाव) के काम में निपुण हो तथा कन्वेयर, पम्प, क्रशर, कम्प्रेशर, स्क्रीन, इलेक्ट्रिकल मोटर, स्विच गियर, कोल वाशर, साइक्लोन इत्यादि उपकरणों को आपरेट करने का जानकार हो। उसे दिये गये निर्देशों के अनुसार अपने अधीन के सेक्सन (विभाग) को चलाने में सक्षम होना चाहिये। निरीक्षण शीट तथा अन्य कागजात रखना तथा उसके अधीन के क्षेत्र के उपकरणों के रख-रखाव तथा सफाई भी उसके कार्य में शामिल होगा।

तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-'सी'

१८. **फिटर-कम-आपरेटर—ग्रेड-१**

एक श्रमिक जो इलेक्ट्रिकल अथवा मेकैनिकल रख-रखाव करने में सक्षम है तथा वह विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे कन्वेयर, पम्प, क्रशर, कम्प्रेशर, स्क्रीन, बिजली के मोटर, स्विच गियर, कोल वाशर, साइक्लोन इत्यादि के ऑपरेशन को जानता है। उसके अधीन पड़ने वाले सेक्सन का उसे स्वतंत्रतापूर्वक संचालन तथा रख-रखाव कर लेना चाहिये। निरीक्षण शीट तथा तत्सम्बन्धी अन्य कागजातों को वह ठीक से रख सके, यंत्रों की सफाई तथा सुरक्षित रखना तथा उसके अधीन पड़ने वाले क्षेत्र की सुरक्षा भी उसके कार्य के अन्तर्गत आयगा। उसे दैनिक कार्य-कलाप का रिपोर्ट रखने में सक्षम होना चाहिये।

एक्सकैवेशन ग्रेड

१९. **ट्रैक्टो शॉवेल ऑपरेटर**

एक श्रमिक जो बिजली तथा मेकैनिकल रख-रखाव (मेन्टेनेन्स) का कार्य करने में सक्षम हो तथा कन्वेयर, पम्प, क्रशर, कम्प्रेशर, स्क्रीन, इलेक्ट्रिक मोटर, स्विच गियर, कोल वाशर, साइक्लोन इत्यादि उपकरणों को चलाने की जानकारी रखता है। उसके अधीन दिये गये सेक्सन को प्राप्त निर्देशानुसार चलाने में उसे सक्षम होना चाहिये। निरीक्षण पत्र तथा तत्सम्बन्धी अन्य कागजातों को रख सके तथा अपने अधीन के उपकरणों तथा क्षेत्रों की सफाई तथा सुरक्षा की जिम्मेवारी भी उसी की होगी। इस कैटेगरी के श्रमिक कुछ वाशरी में ही हैं।

द्रष्टव्य :

वे एक्सकैवेशन के अन्तर्गत पे-लोडर के लिये परिभाषित ट्रैक्टो-शॉवेल की क्षमता के अनुसार एक्सकैवेशन ग्रूप 'बी', 'सी' तथा 'डी' में रहेंगे। जहाँ कहीं भी एक्सकैवेशन का काम नहीं हो रहा है, उपरोक्त उपकरणों का रख-रखाव ई व एम सेक्सन के स्टाफ द्वारा किया जायगा।

एक्सकैवेशन 'सी'

२०. **क्रेन ऑपरेटर**

वर्त्तमान में यह पदनाम सिर्फ कथारा वाशरी में है और वह उन कामों में लगे थोड़े से लोगों द्वारा कभी कभार ही चलाया जाता है। चूंकि यह स्थायी प्रकृति का काम नहीं है इसलिये इसके लिये किसी कार्य विवरण की सिफारिश नहीं की गई है।

———

सं० सी. आई. एल. : सी-५बी/क्रि०/१/९३६-५१ दि० १० अगस्त, १९८२

क्रियान्वयन आदेश सं० ३९

विषय : **जे. बी. सी. सी. आई. द्वारा गठित सब-कमिटी ए, बी एवं सी की कई लंबित सर्वसम्मत सिफारिशों का क्रियान्वयन।**

सब-कमिटी-'ए', 'बी' एवं 'सी' की कई विचाराधीन सर्वसम्मत सिफारिशों को लेबोरेटरी कार्मिकों के सम्बन्ध में स्टैंडरडाइजेशन कमिटी द्वारा नियुक्त सब-कमिटी की संशोधित सुझावों को मद्देनजर रखते हुए आगे और जांच किया गया और यह निर्णय लिया गया कि इसके साथ संलग्न परिशिष्टों में दिये मुताबिक इसे लागू किया जाय।

परिशिष्ट-१ : वाशरियों के नये कार्य से सम्बन्धित जे. बो. सी. सी. आई. की सब-कमिटी-ए की सर्वसम्मत विचाराधीन कुछ सिफारिशें।

परिशिष्ट-२ : अण्डरग्राउण्ड खदान की नये कार्य से सम्बन्धित जे. बी. सी. सी. आई. की सब-कमिटी-'बी' की सर्व-सम्मत सिफारिशें। (परिशिष्ट-२ दिनांक १९-७-७९)

परिशिष्ट-२ए : अण्डरग्राउण्ड खदान में नये कार्य से सम्बन्धित जे. बी. सी. सी. आई. की सब-कमिटी-'बी' की सर्व-सम्मत सिफारिशें। (परिशिष्ट-३ दिनांक १९-७-७९)

परिशिष्ट-३ : विभिन्न विभागों से सम्बन्धित एन. सी. डब्लू. ए. में छूटे हुए नये कार्य/वर्त्तमान कार्य हेतु जे. बी. सी. सी. आई. की सब-कमिटी-'सी' की कुछ सर्वसम्मत सिफारिशें। (बरकाकाना एवं कोरबा की सेन्ट्रल वर्कशाप पर रिपोर्ट—परिशिष्ट-ई)

परिशिष्ट-४ : विभिन्न विभागों पर जे. बी. सी. सी. आई. की सब-कमिटी-'सी' की कई सर्व-सम्मत सिफारिशें। (डुप्लीकेटर आपरेटर एवं वृहत् आकार के २० लाख गैलन क्षमता पानी आपूर्ति योजना पर परिशिष्ट-जी भाग डी एवं ई)।

'लेबोरेटरी कार्मिक' से सम्बन्धित सिफारिशें (परिशिष्ट-१ का क्रम सं० २ से ८) वाशरियों के अलावा कोयला कम्पनियों की अन्य कोयला प्रयोगशालाओं के लिये भी लागू होगा।

———

परिशिष्ट—१

वाशरियों में नये कार्य से सम्बन्धित जे. बी. सी. सी. आई. की सब-कमिटी 'ए' की सर्वसम्मत सिफारिशें

पीस रेट कर्मचारी

१. **पीस रेट कर्मचारी**

चूंकि एक वाशरी से दूसरे वाशरी की परिस्थिति में अन्तर होता है इसी प्रकार उनके कार्यभार में भी अन्तर होगा इसलिये इनके लिये कोई निर्दिष्ट कार्य-विवरण तथा कार्य-भार देना कठिन है। अतः जहाँ कहीं भी इस तरह के श्रमिक मौजूद हों वहाँ युनियन प्रतिनिधि और वाशरी प्रबन्धन को आपस में बैठकर निर्णय कर लेना चाहिये।

२. **सिनियर केमिस्ट—केमिकल लेबोरेटरी : ग्रेड-'ए'**

एक श्रमिक जो विज्ञान में स्नातक (ग्रैजुएट) होने के साथ ही केमिस्ट के रूप में पाँच वर्ष का अनुभवी है। विकल्प में उसे १३ वर्षों का अनुभव होना चाहिये जिसमें ५ वर्ष केमिस्ट के रूप में रहे हों। उन्हें कोक, कोयला, माइन गैस, माइन डस्ट, ब्वायलर फीड वाटर इत्यादि के विश्लेषण की पूरी जानकारी होनी चाहिये। उन्हें गैस, माइन डस्ट, ब्वायलर फीड वाटर इत्यादि के विश्लेषणों के फलाफलों का अर्थ निकालने में सक्षम होना चाहिये अथवा वाशरी में होने से उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक एक प्रोसेस तथा क्वालिटी कन्ट्रोल लेबोरेटरी को संगठित करने की क्षमता होनी चाहिये। कोल प्रिपरेशन प्लांट में व्यवहार किये जाने वाले विभिन्न वस्तुओं, कोयला/मैग्नेटाइट के विश्लेषण तथा सैम्पलिंग और प्रिपरेशन हेतु भारतीय तथा अन्य मानक स्पेसिफिकेशनों की पूरी जानकारी उन्हें होनी चाहिये। उन्हें कोल प्रिपरेशन प्रोसेस के विभिन्न सिद्धांतों, एफिसियेन्सी टेस्ट तथा वाशेबिलिटी का ज्ञान होना चाहिये। उन्हें माइन एयर तथा डस्ट

एनालिसिस (विश्लेषण) का काम करने में सक्षम होना चाहिये। उन्हें कोल सीम से रॉ कोल का सैम्पल भी निकालना पड़ेगा। उन्हें क्वालिटी कन्ट्रोल में दिशा निर्देश हेतु फलाफलों की व्याख्या करने में भी सक्षम होना चाहिये। केमिकल्स, इक्विपमेन्ट्स (यंत्रों) के इन्डेन्ट तथा उनके स्टोरेज की जिम्मेवारी भी उनकी होगी तथा उनका आवश्यक रेकार्ड भी वे रखेंगे। लेबोरेटरी में अपने अधीनस्थ सहायकों के कार्यों की देख-रेख तथा उन्हें दिशा-निर्देश भी वे देंगे।

३. केमिस्ट (ग्रेड-बी)

एक श्रमिक जो विज्ञान में स्नातक हो और सहायक केमिस्ट के रूप में तीन वर्षों का अनुभवी हो। उसे कोक, कोयला, माइन गैस, माइन डस्ट, व्हायलर फीड वाटर इत्यादि के विश्लेषण की पूरी जानकारी होनी चाहिये। उसे क्वालिटी कन्ट्रोल इत्यादि में मार्गदर्शन के लिये उनके फलाफलों की व्याख्या करने की क्षमता होनी चाहिये अथवा वाशरी में वह धुलाई की पूरी प्रक्रिया तथा कन्ट्रोल लेबोरेटरी की गुणवत्ता जाँच से पूरी तरह जानकार हो। उसे स्वतंत्र रूप से आंकड़ा निकालने में सक्षम होना चाहिये तथा दक्षता जाँच तथा धुलन प्रक्रिया से सम्बन्धित ग्राफ तैयार करने में भी सक्षम होना चाहिये। उसे शिफ्टों में काम करना पड़ेगा तथा म्वाइस्चर डिटरमिनेशन, मैग्नेटाइट्स डिटरमिनेशनल, उत्पाद में मैग्नेटाइट की क्षति इत्यादि का विश्लेषण करना पड़ेगा तथा धुलाई जाँच हेतु स्पेसिफिक ग्रेविटी तैयार करना पड़ेगा, तथा स्क्रीन विश्लेषण इत्यादि करना पड़ेगा। वह रसायनों तथा यंत्रों की मांग देने, उसके भंडारण के लिये जिम्मेवार होगा तथा तत्सम्बन्धी रेकार्ड तैयार करेगा। वह प्रयोगशाला (लेबोरेटरी) में अपने अधीनस्थ सहायकों का मार्ग दर्शन करेगा।

४. असिस्टेंट केमिस्ट : (ग्रेड-सी) :

एक विज्ञान में स्नातक श्रमिक। विकल्प में उसे जुनियर केमिस्ट की हैसियत से तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिये। उसे कोयला, माइन डस्ट, कोक, कोल माइन गैस इत्यादि के

विश्लेषण के लिये अनुभव तथा गहन जानकारी होनी चाहिये अथवा वाशरी में उसे शिफ्टों में काम करना पड़ेगा तथा प्लांट में नमूना एकत्र किये जाने तथा लेबोरेटरी में उनका अलग-अलग नमूना तैयार करने की देखभाल करेगा। अतः उसे नमूना एकत्र करने तथा तैयार करने के तौर-तरीकों की अच्छी जानकारी होनी चाहिये। उसे धुलाई के जाँचों की भी जानकारी होनी चाहिये। उसे समय-समय पर निर्धारित स्तर का नमूना निकालने की योग्यता होनी चाहिये।

५. जुनियर केमिस्ट : (ग्रेड-डी) :

एक श्रमिक जो कम-से-कम विज्ञान के साथ हायर सेकेण्डरी/आई. एस. सी. पास हो। उसे कोयला, गैसों और माइन डस्ट इत्यादि के विश्लेषण का अनुभव होना चाहिये और किसी लेबोरेटरी में एक वर्ष काम का अनुभव हो। उसे प्लांट के विभिन्न बिन्दुओं से सैम्पल एकत्र करने के तौर-तरीकों, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मिडिया तथा मैग्नेटाइट कन्टेंट निर्धारण के लिये सैम्पल लेने की जानकारी होनी चाहिये तथा स्क्रीन एनेलिसिस टेस्ट भी कर सके। उससे भारतीय मानक के अनुसार लेबोरेटरी स्तर पर कोयले की सब-सैम्पलिंग की जानकारी रखने की अपेक्षा भी की जाती है।

६. लेबोरेटरी टेक्निशियन (कैटेगरी-४)

एक श्रमिक जो किसी विश्लेषण प्रयोगशाला (एनेलैटिकल लेबोरेटरी) के सभी उपकरणों/यंत्रों का जानकार है तथा उसे छोटा-मोटा मरम्मत का काम भी करने में सक्षम होना चाहिये। उसे प्रयोग-शाला के विभिन्न कामों में प्रयोगशाला के तकनिकी स्टाफ (कर्मचारियों) को सहायता करनी चाहिये। उसे साक्षर होना चाहिये।

७. लेबोरेटरी असिस्टेंट/सैम्पलिंग असिस्टेंट (कैटेगरी-२)

एक साक्षर श्रमिक जिसका कार्य लेबोरेटरी के तकनिकी स्टाफ को सैम्पल के विश्लेषण, साइजिंग तथा प्रिपरेशन में मदद पहुंचाना है।

८. **सैम्पलिंग मजदूर : (कैटेगरी-१) :**

उसका कार्य कोयला वागन अथवा हापर इत्यादि से कोयला का नमूना एकत्र करना है। उसे नमूना को मिलाने (मिक्सिंग), कोनिंग तथा क्वार्टरिंग करना पड़ेगा तथा उसे लेबोरेटरी तथा पहुंचाना भी पड़ेगा।

९. **इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर (तक० व सुपरवाइजरी—ग्रेड-'ए')**

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता के मुताबिक।

१०. **फिटर-कम-आपरेटर (इले० एवं मेकै०)**

वह इलेक्ट्रिकल एवं मेकैनिकल रख-रखाव वाले कार्यों को सम्पादित करने में सक्षम हो, एवं वह निम्नलिखित यंत्रों जैसे कन्वेयर, पम्प, क्रशर, कम्प्रेशर, स्क्रीन, इलेक्ट्रिकल मोटर, स्विच, गियर, कोल वाशर, साइक्लोन इत्यादि को आपरेट करना जानता हो। वह उसे दिये गये निर्देशों के अनुसार उसके अधीन (चार्ज) में दिये गये सेक्शन को चलाने में सक्षम हो। निरीक्षण शीट एवं अन्य सम्बन्धित कागजातों को रख सके, अपने अधीन के क्षेत्र एवं यंत्रों का रख-रखाव एवं सफाई करना भी उसका कार्य होगा।

११. मैशिनिस्ट—एन. सी. डब्लू. ए. के अनुसार कार्य-विवरण।

१२. ब्लैकस्मिथ—(ग्रेड-१ एवं २) एन. सी. डब्लू. ए. के अनुसार कार्य-विवरण।

१३. टिंडेल सुपरवाइजर—एन. सी. डब्लू. ए. के अनुसार कार्य-विवरण।

१४. टिंडेल—एन. सी. डब्लू. ए. के अनुसार कार्य-विवरण।

१५. हॉलेज खलासी—एन. सी. डब्लू. ए. के अनुसार कार्य-विवरण।

१६. पम्प खलासी—एन. सी. डब्लू. ए. के अनुसार कार्य-विवरण।

१७. टिपलर-कम-कन्वेयर खलासी—एन. सी. डब्लू. ए. के अनुसार कार्य-विवरण।

१८. स्विच रूम अटेन्डेंट—एन. सी. डब्लू. ए. के अनुसार कार्य-विवरण।

१९. **ट्रैक्टो शॉवेल हेल्पर**

उसे मशीनों के छोटे रख-रखाव एवं संचालन के समय ट्रैक्टो-शॉवेल/डोजर आपरेटर को सहायता करना पड़ेगा। उसे मशीनों में तेल एवं ग्रीज देने की जानकारी होनी चाहिये। मशीन की सफाई करना भी उसका कार्य होगा।

२०. हैमरमैन : एन. सी. डब्लू. ए. के अनुसार कार्य-विवरण।

२१. शंटिंग पोर्टर : (कैटेगरी-२)

उसे वागन मूवरों की सहायता अथवा उसकी मदद के बिना भी वागनों का संचालन करना पड़ेगा तथा चालू (चल रहे) वागनों को स्किड्स की सहायता से अथवा ब्रेक लगाकर रोकना पड़ेगा। उसे रेलवे प्वाइंट के स्विचों को बन्द करना पड़ेगा एवं रेलवे वागनों के कपलिंग को जोड़ना एवं अलग करना पड़ेगा।

(वर्त्तमान में जो शंटर/कपलिंग ब्रांच शन्टिंग पोर्टर/वागन सेटर को अब नया पदनाम "शंटिंग पोर्टर" बनाया जायगा)।

२२. शेल पिकर्स—कैटेगरी-१

कार्य-विवरण एन. सी. डब्लू. ए. के अनुसार।

२३. जेनरल मजदूर—कैटेगरी-१

कार्य-विवरण एन. सी. डब्लू. ए. के अनुसार।

———

परिशिष्ट—२

जे. बी. सी. सी. आई. की सब-कमिटी-'बी' की सर्व-सम्मत सिफारिशें—अण्डरग्राउण्ड माइन्स के नये कार्य (परिशिष्ट—२ दि० १९-७-७९)

क्रम सं०	पदनाम	कार्य-विवरण
१.	मेट—	एक श्रमिक जो किसी ग्रूप के कार्य का देख-भाल करनें हेतु नियुक्त किया जाता है जैसे ड्राइवेज, स्टोर सफाई, सफाई कार्य, वागन बोझाई, टब बोझाई, टालीवानी एवं अन्य कार्य जैसे सामानों की आपूर्ति ।
२.	ब्वायलर हेल्पर—	एक श्रमिक जो एक फायरमैन को ब्वायलर के बैटरी को देखने में सहायता करता है ।
३.	कैन्टीन मजदूर—	एक मजदूर जो कैन्टीन में विभिन्न कार्यों को करने हेतु नियुक्त किया जाता है ।
४.	सी. सी. एम. ड्राइवर सह-मेकैनिक—	कोल कटिंग मशीन ड्राइवर जो स्वतन्त्र रूप से कोल कटिंग मशीन एवं कोल कटिंग मशीन के इलेक्ट्रिकल एवं मेकैनिकल पुर्जों की मरम्मत कर सके ।
५.	ट्रैक्टर ड्राइवर—	वह कर्मचारी जो एक ट्रैक्टर को ट्रेलर के साथ अथवा बिना ट्रेलर के चलाता है । उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है ।

क्रम सं०	पदनाम	कार्य-विवरण
६.	च्यूट/फीडर आपरेटर—	एक श्रमिक जो च्यूट/फीडर को आपरेट करता है । वह च्यूट/फीडर को डिस्चार्ज विन्दु पर साफ रखता है एवं जहाँ कहीं भी वह पद्धति चालू है वह सिग्नल देता है एवं प्राप्त करता है ।
७.	कोल ब्रेकर—	एक श्रमिक जो डीपो अथवा कोल हैंडलिंग प्लांट में बड़े कोयला के टुकड़ों, पत्थरों एवं झामों को तोड़ने के लिये नियुक्त किया जाता है ।
८.	वाटर ट्रिटमेंट प्लांट आपरेटर/फिल्टर प्लांट आपरेटर—	एक श्रमिक जो पम्प चलाता है, आपरेशन के क्रमानुसार तरीके से रसायनों (केमिकलों) को मिलाता है एवं विभिन्न दूरियों से जल आपूर्ति को नियंत्रित करता है ।
९.	भेल्भ आपरेटर—	एक श्रमिक जो जल आपूर्ति व्यवस्था के लिये भेल्भों को आपरेट करता है एवं भेल्भ एवं पाइप की मरम्मत में पम्प फीटर की सहायता करता है ।
१०.	माइन सर्विस क्रू—	श्रमिकों का एक समूह (ग्रूप) जो माईनिंग आपरेशन में व्यवहार में लाये जाने वाले सामग्रियों जैसे, कम्प्रेसर, पंखे, मोटर, कन्वेयर, भेन्टिलेशन, ट्यूब्स, पाइप, रेल सपोर्ट सामग्री इत्यादि हाथों से उठाकर अथवा मशीनों के माध्यम से परिवहन करते अथवा हटाने के लिये नियुक्त किया गया है ।

क्रम सं०	पदनाम	कार्य-विवरण
११.	इलेक्ट्रो मेकैनिक्स—	एक कुशल श्रमिक जो बिजली एवं मशीनी (मेकैनिकल) उपकरणों को स्थापित करने, उसका रख-रखाव करने एवं उसकी मरम्मति करने में सक्षम है। वह अपने औजारों (टूल्स) के लिये जिम्मेवार होगा।
१२.	फीटर-सह-आपरेटर—	एक कुशल श्रमिक जो इलेक्ट्रिकल (बिजली) अथवा मेकैनिकल (मशीनी) उपकरणों जिसे वह आपरेट करता (चलाता) है उसके रख-रखाव में सक्षम है। वह कार्यस्थल को स्वच्छ रखता है।
१३.	पम्प अटेन्डेंट—	एक श्रमिक जो ३५ एच. पी. अथवा उसके नीचे के पम्पों को चलाता है। जहाँ कहीं भी आवश्यक हो वह यन्त्रों में तेल मोबिल देता है।
१४.	लाइन मिस्त्री— (२५ किलो/म० रेल से अधिक)	एक मैनुअल श्रमिक जो लाइन बैठाता है एवं उसका रख-रखाव करता है और उसके साथ सम्बद्ध क्रू के कामों को नियन्त्रित करता है।
१५.	वाइन्डिंग इञ्जिन आपरेटर— (६०० एच. पी. से ऊपर)	एक अति कुशल श्रमिक जिसके पास वाइन्डिंग इञ्जिन के लिये प्रथम श्रेणी का कानूनी प्रमाणपत्र है। वह किसी भी प्रकार के वाइन्डिंग इञ्जिनों जो ६०० एच. पी. से अधिक हो, को चलाता है। जहाँ कहीं भी आवश्यक हो वह सिग्नल प्राप्त करता है एवं भेजता है।

क्रम सं०	पदनाम	कार्य-विवरण
१६.	लोको बैटरी चार्जर—	एक श्रमिक जो रेलवे इञ्जिन (लोको-मोटिव) से बैटरी निकालता है एवं उसे चार्ज करने हेतु लगाता है। वह इलेक्ट्रोलाइट की जाँच करता है एवं भोल्टेज चार्जिंग इत्यादि को नियन्त्रित करता है।
१७.	शियरर आपरेटर ग्रेड-१—	एक अति कुशल श्रमिक जो ५० के. डब्लू. अथवा अधिक के क्षमता वाले रेंजिंग ड्रम शियरर को चलाता (आपरेट करता) है, कोल कटिंग मशीन, प्लाउ, लोडर, हीडर अथवा अन्य इसी तरह के कोल फेस के यन्त्रों को चलाने का ७ वर्षों का अनुभवी है। उसे मशीन के सामान्य ज्ञान की जानकारी होनी चाहिये एवं छोटे-मोटे चालू मरम्मत तथा रख रखाव कर सके। उस व्यक्ति के लिये जिसके पास तकनिकी योग्यता है एवं मशीन पर प्रशिक्षण लिया है एवं विशेष जानकारी रखता है उनके मामलों में कम-से-कम २ वर्षों की रियायत दी जा सकती है।
१८.	शियरर आपरेटर ग्रेड-२—	उपरोक्त जैसा है परन्तु वह १५० के. डब्लू. से कम के रेंजिंग शियरर को आपरेट करता है एवं कोल फेस यन्त्रों को चलाने का ५ वर्षों का अनुभवी है। उन व्यक्तियों के लिये जिनके पास तकनिकी योग्यता है और विशेष जानकारी रखते हैं एवं उन यन्त्रों पर प्रशिक्षण लिया उनके लिये अनुभव में कम-से-कम डेढ़ ($1\frac{1}{2}$) वर्षों की छूट दी जा सकती है।

क्रम सं०	पदनाम	कार्य-विवरण
१९.	शियरर आपरेटर ग्रेड-३—	उपरोक्त जैसा है परन्तु वह एक स्थायी ड्रम शियरर को आपरेट करता है एवं कोल फेस के यन्त्रों को चलाने का तीन वर्ष का अनुभव रखता है।
२०.	शियरर हेल्पर—	एक श्रमिक जो मशीन के आपरेशन एवं रख-रखाव से सम्बन्धित सभी प्रकार के कामों में आपरेटर की सहायता करता है।
२१.	ब्रेकमैन-कम-कपलिंग-मैन—	एक श्रमिक जो वागनों को जोड़ता एवं खोलता (छुड़ाता) है एवं उसके ब्रेकों को खोलता है। जहाँ आवश्यक होता है वह वागन की गति को नियन्त्रित करता है।
२२.	माइन कार टिपलर (डम्पर) आपरेटर-सह-सिग्नलमैन—	एक श्रमिक जो माइन कार, टिपलर को आपरेट करता है एवं बैंक्समैन, ऑन-सेटर को सिग्नल देता है और सिग्नल प्राप्त करता है।

———

परिशिष्ट—२ए

अण्डरग्राउण्ड खदान के नये कार्यों हेतु जे. बी. सी. सी. आई. की सब-कमिटी-'बी' की सर्व-सम्मत सिफारिशों—परिशिष्ट-३ (दि० १९-७-७९)

क्रम सं०	पदनाम	कार्य-विवरण	ग्रेड/कैटेगरी
१	कोल हैण्डलिंग प्लांट (सी. एच. पी.) आपरेटर कम-डिस्पैचर	एक श्रमिक जो सी. एच. पी. के विभिन्न यन्त्रों को आपरेट करता (चलाता) है, वागनों को भरता है, वजन रेकार्ड करता है, वागनों के डिस्पैच हेतु लेबुल लगाता है एवं नियमानुसार लौग-बुक रखता है।	क्लरिकल ग्रेड-२
२.	हॉलेज-कम-स्विच अटेन्डेंट	एक श्रमिक जो हॉलेज आपरेट करता है एवं पास में स्थापित माइन स्विचों को चालू एवं बन्द भी करता है।	कार्यरत हॉलेज के हार्स पावर (एच. पी.) की क्षमता के अनुसार कैटेगरी-४, ५ एवं ६ निर्भर करेगा।
३.	माइन सर्विस क्यू.	श्रमिकों का एक समूह (ग्रूप) जो खदान संचालन (माइनिंग आपरेशन) में प्रयुक्त होने वाले सामानों जैसे—कम्प्रेसर पंखे, मोटर, कन्वेयर, भेन्टीलेशन ट्यूब, पाइप, रेल, सहायक सामग्री को हाथ से अथवा मशीनों के	कैटेगरी-६

क्रम सं०	पदनाम	कार्य-विवरण	ग्रेड/कैटेगरी
		जरिये परिवहन एवं हटाने के काम में लगाया गया है। उन्हें सामग्रियों के परिवहन के लिये टबों / माइन कारों का संचालन भी करना पड़ेगा। जहाँ कहीं भी आवश्यक होगा उन्हें फिटर एवं हेल्परों के साथ भी काम करना होगा।	

परिशिष्ट—३

विविध विभागों से सम्बन्धित नये कार्यों/वर्त्तमान कार्यों हेतु जे. बी. सी. सी. आई. की सब-कमिटी-'सी' की सर्वसम्मत सिफारिशें—बरकाकाना एवं कोरबा के केन्द्रीय वर्कशाप पर परिशिष्ट-ई का प्रतिवेदन

क्रम सं०	पदनाम		ग्रेड/कैटेगरी
	वर्त्तमान एक्स-काडर मासिक पद तथा वेतन मान		
	असिस्टेंट		
१.	प्रोडक्शन असिस्टेंट	—तक० व सुपरवाइजरी—	ग्रेड-'ए'
२.	प्लानिंग असिस्टेंट	—वही—	ग्रेड-'बी'
३.	इस्टिमेटिंग असिस्टेंट	—वही—	ग्रेड-'बी'
४.	प्रोग्रेस असिस्टेंट	—वही—	ग्रेड-'बी'
५.	इन्डेन्टिंग असिस्टेंट	—वही—	ग्रेड-'बी'
	इन्सपेक्टर		
६.	जॉब इन्सपेक्टर	—वही—	ग्रेड-'बी'
७.	डायर इन्सपेक्टर	—वही—	ग्रेड-'बी'
८.	जुनियर जॉब इन्सपेक्टर	—वही—	ग्रेड-'सी'
९.	आक्सिलियरी फोरमैन	—वही—	ग्रेड-'बी'

परिशिष्ट—४

विविध विभाग (परिशिष्ट-जी, भाग डी एवं ई—डुप्लीकेटर आपरेटर एवं २० लाख गैलन क्षमता वाले वृहत् आकार के समन्वित जल आपूर्ति योजना) पर सब-कमिटी-'सी' की सर्वसम्मत सिफारिशें

क्रम सं०	पदनाम	कार्य-विवरण
डी ई	डुप्लीकेटर आपरेटर	ग्रेड-ई बीस लाख गैलन क्षमता वाले वृहत् आकार के समन्वित जल - आपूर्ति योजना ।

१. **फिल्टर प्लांट ऑपरेटर : कैटेगरी-६ :**

एक उच्चतम कुशल श्रमिक जो कम-से-कम १० लाख गैलन क्षमता वाले समन्वित जलापूर्ति योजना के संचालन और उसके रख-रखाव के लिये जिम्मेवार हैं । उसे प्लांट के यांत्रिकी की पूरी जानकारी होनी चाहिये तथा वह भेल्भों की सफाई तथा रख-रखाव के लिये भी जिम्मेवार होगा तथा फिल्टर प्लांट के अन्य भेल्भों और फीटिंग्स की भी जानकारी होनी चाहिये । वह विभिन्न रसायनों की पहचान के लिये भी उत्तरदायी होगा और निर्धारित परिमाण के अनुसार पानी में रसायन घोलने की देख-रेख करने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिये । उसे इतना काफी-पढ़ा-लिखा होना चाहिये कि वह रेकार्ड इत्यादि रख सके ।

२. **फिल्टर प्लांट अटेन्डेन्ट : कैटेगरी-४**

फिल्टर ऑपरेटर को उसके सभी कार्य में सहायता पहुँचाने वाला एक कुशल श्रमिक । वह भेल्भ व तत्सम्बन्धी फीटिंग्स को आपरेट करे तथा उसकी देख-भाल करे साथ ही बिना फिल्टर किया पानी तथा फिल्टर किये गये पानी टंकी की सफाई भी करे ।

३. **केमिकल मजदूर : कैटेगरी-२**

एक शारीरिक श्रम करने वाला अर्द्धकुशल श्रमिक जो विभिन्न रसायनों (केमिकलों) की पहचान कर सके और अपने से वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशानुसार पानी की टंकी में रसायन डाले ।

४. **पाइप फिटर-कम-प्लम्बर : (कैटेगरी-६)**

एक उच्चतम कुशल श्रमिक जो १० इंच डायमीटर तथा उससे अधिक के पाइपों की फिटिंग्स और उनके मरम्मत के लिये जिम्मेवार है । उसे उन पाइपों के सही मिलान और रख-रखाव के साथ ही भेल्भ फीटिंग तथा समन्वित जलापूर्ति की पूरी जानकारी भी होनी चाहिये ।

———